जुलाई-सितम्बर, 2017 (संयुक्तांक)

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
अविनाश शुक्ला

महत्वपूर्ण निर्णय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 (2) (च) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग – यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

सोनू कुमार पोद्दार बनाम **बिहार राज्य** 92

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (235) – (262) क्रमशः

पृष्ठ संख्या 1 – 166 (2017) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जुलाई-सितम्बर, 2017 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 166)

Cover ii

संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

डा. बी. एन. मणि,
सेवानिवृत्त अपर विधि सलाहकार,
विधि मंत्रालय

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

डा. ऋषिपाल सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री विनोद कुमार आर्य,
संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

सहायक संपादक : सर्वश्री असलम खान और पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

© 2017 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई-सितम्बर, 2017

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी और एक अन्य **बनाम** दानी राम गजानन चंद्रवंशी और अन्य	58
गोपाल सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	49
जय बहादुर **उर्फ** राजू **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य	154
प्रदीपसिंह नानूभाई झाला **बनाम** गुजरात राज्य और अन्य	24
प्रेम चन्द बर्मन **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य	1
राम दयाल यादव **उर्फ** नान्गीदरिया **बनाम** बिहार राज्य	83
साबिर **उर्फ** शब्बीर **बनाम** राजस्थान राज्य और अन्य	105
सुरेन्द्र कुमार बैरागी **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	71
सोनू कुमार पोद्दार **बनाम** बिहार राज्य	92
हनुमान राम **बनाम** राजस्थान राज्य	100

संसद् के अधिनियम

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 235 – 262

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 215 – गलतियों का प्रभाव – वैवाहिक गृह में जहर पीकर नववधू की मृत्यु होना – मृतका के शव पर कई मृत्यु-पूर्व क्षतियां पाया जाना – अभियुक्तों को क्रूरता के अपराध और दहेज मृत्यु से आरोपित किया जाना – न तो धारा 306 के अधीन आरोप विरचित किए गए और न ही धारा 306 के संघटकों के आरोप विरचित होते हैं – मृत्यु-पूर्व क्षतियों के निष्कर्षों की विनिर्दिष्ट आरोप के अभाव में उपेक्षा नहीं की जा सकती – उचित आरोप विरचित करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी और एक अन्य बनाम **दानी राम गजानन चंद्रवंशी और अन्य** 58

– धारा 309(2)(ग) – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिपरीक्षा – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं किया जाना – अभियुक्त-याची के बारे में हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड का विचारण किया जाना – यदि अभियुक्त-याची को अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा – साक्षी के कथनों पर स्थगन देने के लिए फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकार किया जाना – इस संबंध में यह उचित होगा कि अभियुक्त-याची को न्यायालय में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को बुलाने के लिए 2,000/- रुपए खर्च के रूप में जमा करे और खर्च जमा करने पर उससे प्रभावशाली प्रतिपरीक्षा करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा ।

हनुमान राम बनाम **राजस्थान राज्य** 100

– धारा 31.1 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की

पृष्ठ संख्या

धारा 3] – व्यपहरण – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों का परीक्षण कराया जाना – यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करता है तो उसको प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा की गई संस्वीकृतियों के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

राम दयाल यादव उर्फ **नान्हीदारिया** बनाम **बिहार राज्य** 83

– धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21, 61 और 85] – आवेदक के कब्जे से विनिषिद्ध माल की बरामदगी – यदि कोरेक्स की 100 मिली लीटर बोतल में (कोडिन फास्फेट) विनिषिद्ध ओषधि की मात्रा 2.006 मिली ग्राम है तो इसे वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा माना जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी ।

जय बहादुर उर्फ **राजू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 154

– धारा 439 – जमानत आवेदन – यदि आवेदक की विचारण के दौरान भागने की कोई संभावना नहीं है और आवेदक अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी को पूरी तरह से सहयोग देता है तो आवेदक की जमानत मंजूर की जा सकती है ।

जय बहादुर उर्फ **राजू** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 154

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – संपूर्ण पारिस्थितिक साक्ष्य की सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और चिकित्सा साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त पति ने इस संदेह के आधार पर कि पत्नी का अभियुक्त के बड़े भाई से अयुक्त

पृष्ठ संख्या

संबंध है, अपनी पत्नी की हत्या की, अतः अभियुक्त को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया जाना न्यायोचित है ।

प्रेम चन्द बर्मन बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 1

– धारा 302 – हत्या – दंड – उपान्तरण – घटना के समय पर अभियुक्त-छात्र की आयु 22 वर्ष थी और मामला पूर्व सुनियोजित नहीं था जहां अभियुक्त-छात्र ने परीक्षा में बैठने से विरत होने पर हताश और क्रोधित होकर क्षतियां कारित कीं वहां पर अभियुक्त-छात्र द्वारा सलाखों के पीछे 5 वर्ष से अधिक समय तक पहले ही दंड भोगा है, इसलिए पहले भोगी गई सजा को मूल दंड से हटाया जाना उचित है ।

गोपाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 49

– धारा 304ख और 498क [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4] – दहेज मृत्यु – अभियोजन पीड़िता के माता-पिता सहित घनिष्ठ नातेदारों, चिकित्सक और स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य तथा न्यायालयिक रिपोर्ट के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा कि मृत्यु दहेज की मांग के परिणामस्वरूप क्रूरता के कारण हुई थी अतः अभियुक्त उपरोक्त अपराधों से दोषमुक्त होने का हकदार है ।

प्रदीपसिंह नानूभाई झाला बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** 24

– धारा 304ख – दहेज मृत्यु – वैवाहिक गृह में मृतका की जहर पीकर मृत्यु होना – मृतका अभियुक्त (पति) के साथ केवल 8-10 दिन रही – मृतका के माता-पिता द्वारा मृतका के साथ दहेज उत्पीड़न का कथन किया जाना परंतु न तो इस बारे में कोई शिकायत की गई और न पंचायत की बैठक बुलाई गई – यदि अभियोजन साक्ष्य में मिथ्यापन प्रकट होता है और मामले में अभियुक्तों को

पृष्ठ संख्या

मिथ्या रूप से आलिप्त करना पाया जाता है तो अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी और एक अन्य बनाम **दानी राम गजानन चंद्रवंशी और अन्य** 58

– धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – आशय – सबूत – यह अभिकथन किया जाना कि परिवादी ने अभियुक्त-छात्र की विद्यालय-उपस्थिति को उपान्तरित करने से इनकार कर दिया गया था, फलस्वरूप छात्र द्वारा परिवादी के वक्ष और पेट पर खंजर से कई घाव किए जाने – यदि अभियुक्त-छात्र द्वारा विद्यालय उपस्थिति के संबंध में परिवादी को पहुंचाई गई क्षतियों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है तो क्षतियां कारित करके हत्या किए जाने का प्रयत्न किया गया है और अभियुक्त-छात्र की दोषसिद्धि उचित है ।

गोपाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 49

– धारा 375 – बलात्संग – क्षति का अभाव – यदि अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्संग किया और मृतका के गुप्तांग भागों पर कोई क्षति प्रकट नहीं हुई है तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मृतका के साथ बलात्संग नहीं हुआ था ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

– धारा 375 और 300 – बलात्संग और हत्या – अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े जो घटना के समय पर रक्तरंजित थे, उनकी विलंब से बरामदगी से अभियोजन पक्षकथन संदेहास्पद नहीं हो जाता है ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

– धारा 375 और 300 – बलात्संग और हत्या – सबूत – डाक्टर ने यह साक्ष्य दिया है कि मृतका की योनि

पृष्ठ संख्या

में दो अंगुलि आसानी से प्रविष्ट कर सकती थी, इसलिए मृतका मैथुन की अभ्यस्त थी – मृतका के लहंगे में वीर्य के धब्बे पाए गए – इसी भांति अभियुक्त के जांघिए में वीर्य के धब्बे पाए गए – मृतका के कपड़े और ब्लाउज फटे हुए दशा में पाए गए – मृतका की ओढ़नी में मानव रक्त पाया गया – अनुप्रमाणन साक्षी द्वारा इन तथ्यों को साबित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जब मृतका से बलात्संग किया गया तो मृतका द्वारा विरोध किया गया, इसलिए अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या की गई – पीड़िता-मृतका का कुचला हुआ सिर घटनास्थल से बरामद हुआ है, साथ ही साथ मृतका के बालों के क्लिप, कान के कुन्डल और ताबिज भी घटनास्थल पर पाए गए – मामले की परिस्थितियों की श्रृंखला से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त ने मृतका से बलात्संग किया और उसकी हत्या कर दी अतः अभियुक्त को बलात्संग और हत्या के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

– धारा 376(2)(च) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग – यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

सोनू कुमार पोद्दार बनाम **बिहार राज्य** 92

– धारा 376(2)(छ) और 302 – बलात्संग और हत्या – दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन अभियुक्त के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड और

पृष्ठ संख्या

धारा 302 के अधीन अधिनिर्णीत कारावास का दंड दिया जाना, इस बारे में यह निदेश दिया जाना कि दोनों दंड अभियुक्त द्वारा क्रमानुसार भोगा जाएगा – न्यायसंगत नहीं है क्योंकि आजीवन दंड पूरे जीवन के लिए दंड है – प्रत्येक गणना में दिए गए दंड का साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

– धारा 379 – चोरी – अभियुक्त-आवेदक पर मोटर साइकिल चोरी किए जाने का आरोप लगाया जाना – घटना की तारीख को अभियुक्त का प्रत्यर्थी के कार्यालय में जाना – अभियुक्त के मकान से मोटर साइकिल का अभिग्रहण किया जाना – यदि मामले में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की कोई संभावना नहीं है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

सुरेन्द्र कुमार बैरागी बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 71

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 3 – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य – न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सत्यता पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और तत्पश्चात् दोषिता का निर्णय करे ।

सोनू कुमार पोद्दार बनाम **बिहार राज्य** 92

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 6 – संबंधित तथ्य और कार्य – अभियोजन साक्षियों ने बलात्संग और हत्या की घटना नहीं देखी परन्तु उनके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि घटना के थोड़ी देर पश्चात् जब साक्षीगण घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते हुए देखा और उसका पीछा किया गया – अभियुक्त को ऐसी स्थिति

पृष्ठ संख्या

में पकड़ा जब वह अपनी रक्त-रंजित कमीज, पैंट और बेल्ट को धो रहा था, अतः उपरोक्त धारा 6 के अभिप्राय के अंतर्गत उपरोक्त तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग हैं और इस संबंध में साक्ष्य संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत प्रकट होता है ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

– धारा 27 – अपराध में फंसाने वाली सामग्री – अभियुक्त के बताने पर आयुध की बरामदगी – स्वतंत्र साक्षी की सहबद्धता न होना – अभियुक्त के बताने पर पुलिस अधिकारी द्वारा आयुध की बरामदगी विश्वसनीय है ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

– धारा 118 – बालक साक्षी – विश्वसनीयता – बालक साक्षी की आयु लगभग 12 वर्ष – पुलिस द्वारा बालक साक्षी का विलंब से कथन किया जाना, इससे अभियोजन पक्षकथन दोषपूर्ण नहीं हो जाता है ।

साबिर उर्फ **शब्बीर** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 105

प्रेम चन्द बर्मन

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

तारीख 21 सितंबर, 2016

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति आशा अरोड़ा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – संपूर्ण पारिस्थितिक साक्ष्य की सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं और चिकित्सा साक्ष्य तथा अन्य साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त के पति ने इस संदेह के आधार पर कि पत्नी का अभियुक्त के बड़े भाई से अयुक्त संबंध है, अपनी पत्नी की हत्या की, अतः अभियुक्त को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया जाना न्यायोचित है ।

तारीख 6 दिसम्बर, 2011 को 1.40 बजे अपराह्न में शिकायतकर्ता सोनी बर्मन ने पुलिस थाना मठभंगा में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पुत्री शामली बर्मन का विवाह लगभग 7/8 वर्ष पूर्व अभियुक्त प्रेम चंद बर्मन के साथ हुआ था । विवाह के पश्चात् उसकी पुत्री अपनी ससुराल में वैवाहिक जीवन बिताने लगी और उसके पास दो पुत्र थे जिनमें एक की आयु लगभग साढ़े चार वर्ष और दूसरे की आयु दो वर्ष थी । अभियुक्त विभिन्न स्थानों पर "पंडाल" बनाने का काम करता था । वह बिना बताए घर से चला जाया करता था और लगभग सात मास तक घर से बाहर रहता था । अभियुक्त अपनी पत्नी पर बिना किसी कारण संदेह करता था । इस घटना से 3/4 दिन पहले उसके वापस आने पर, अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया । तारीख 6 दिसम्बर, 2011 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न में जब आहत (अभियुक्त की पत्नी) मकान के सामने पड़े हुए गाय के गोबर को उठा रही थी, अभियुक्त ने उस पर कुदाल (फावड़ा) से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । सोनी बर्मन (अभि. सा. 1) की उक्त शिकायत के आधार पर

आहत के पिता ने पुलिस थाना मठभंगा में तारीख 6 दिसम्बर, 2011 को मामला सं. 385/2011 दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराया । इस मामले का अन्वेषण पुलिस उपनिरीक्षक सुजान नरजिनरी (अभि. सा. 11) द्वारा किया गया जिसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । चूंकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था इसलिए उसे सेशन न्यायाधीश, कूच बिहार के सुपुर्द कर दिया गया और वहां से वह मामला अपर सेशन न्यायाधीश, मठभंगा, कूच बिहार को विचारण और निपटारे के लिए स्थानांतरित कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और अनेक दस्तावेज प्रदर्शित किए । इन साक्षियों में से, सोनी बर्मन (अभि. सा. 1) मृतका का पिता है जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) दर्ज कराई । सुशील बर्मन (अभि. सा. 2) और सुधीर बर्मन (अभि. सा. 3) अभियुक्त के सह-ग्रामवासी हैं । इन दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होंने यह घटना नहीं देखी है । सरोध बर्मन (अभि. सा. 4) अभियुक्त का चचेरा भाई है जो उसी ग्राम का निवासी है । इस साक्षी ने भी इस घटना के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी न होने का साक्ष्य दिया है । केशव चंद बर्मन (अभि. सा. 5) एक अन्य सह-ग्रामवासी है जिसका साक्ष्य अनुश्रुत है । अभि. सा. 1 से घटना के बारे में सुनने के पश्चात्, यह साक्षी अभियुक्त के घर गया और उसने वहां आहत का शरीर मकान के सामने पड़ा हुआ देखा । केशव चंद्र बर्मन घटनास्थल से पुलिस द्वारा रक्तरंजित मिट्टी अभिगृहीत किए जाने और अभियुक्त को उसकी मौजूदगी में गिरफ्तार किए जाने का साक्षी है । अब्दुल गनी (अभि. सा. 6) अभियुक्त के ही ग्राम का एक अन्य ग्रामवासी है जिसको इस घटना के बारे में कोई भी सीधी जानकारी नहीं थी । मणिक डे (अभि. सा. 7) आहत के शव की मृत्युसमीक्षा का साक्षी है । यह अभियुक्त के कब्जे से अपराध में प्रयोग होने वाला हथियार (कुदाल) का साक्षी है । असित रंजन रॉय (अभि. सा. 8) और बबलू बर्मन (अभि. सा. 10) ऐसे दो साक्षी है जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने अभियुक्त को चाय के बागान की ओर अपने हाथ में कुदाल लेकर जाते हुए देखा है और उस समय वे

घटनास्थल की ओर जा रहे थे और उन्होंने चीख-पुकार की आवाज सुनी थी । इन दोनों साक्षियों के अनुसार, जब वे अभियुक्त के मकान पर पहुंचे, उन्होंने अभियुक्त की पत्नी को उसके मकान के सामने मृत पड़ा हुआ पाया । उन्हें स्थानीय व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त ने कुदाल से अपनी पत्नी पर हमला करके उसकी हत्या की है । परेश चौधरी साहा (अभि. सा. 9) मात्र एक औपचारिक साक्षी है जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) लिखी है । पुलिस उपनिरीक्षक सुजान नरजिनरी इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । अबु बकर मियां (अभि. सा. 12) की मौजूदगी में मृतका के पहने हुए कपड़ों को अभिगृहीत किया गया है और डा. एम. दास (अभि. सा. 13) चिकित्सा अधिकारी है जिसने मृतका के शव की शव-परीक्षा की है । अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए सुझावों तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों से प्रतिरक्षा वृत्तांत केवल यह सामने आता है कि अभियोजन पक्षकथन से मात्र इनकार करते हुए निर्दोष होने का अभिवाक् किया गया है और यह कहा गया है कि अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 1 के समक्ष उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव रखा गया है कि मृतका के नरेश बर्मन अर्थात् अभियुक्त के बड़े भाई के साथ अवैध संबंध थे और जब अभियुक्त ने मृतका से इस बारे में पूछताछ की, तब मृतका ने अभियुक्त के साथ झगड़ा किया । अभियोजन पक्ष के कुछ साक्षियों के समक्ष उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी सुझाव रखा गया है कि आहत को घरेलू कामकाज करने के दौरान अचानक गिर जाने से क्षतियां कारित हुई हैं और अभि. सा. 1 ने दुर्घटनात्मक मृत्यु का दुरुपयोग करते हुए अभियुक्त को अन्य व्यक्तियों की मिली भगत से इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया है । तथापि, प्रतिरक्षा पक्षकथन को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है । विचारण पूरा होने पर और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को पारित किया है । आक्षेपित निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय इस बात से सहमत नहीं है कि यह मामला तथ्यों के आधार पर दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अन्तर्गत आता है । सुरिन्द्र कुमार वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए

विनिश्चय को अपीलार्थी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है जिसके तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न हैं और वर्तमान मामला पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभि. सा. 1 को छोड़कर किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि घटना झगड़ा होने के परिणामस्वरूप घटित हुई है । अभि. सा. 1 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी । अभियुक्त के भाई परेश बर्मन ने अभि. सा. 1 को फोन पर यह सूचना दी कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की कुदाल से हमला करके हत्या कर दी है । उक्त परेश बर्मन की परीक्षा नहीं कराई गई है । घटना के किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभाव में, न्यायालय अपीलार्थी की ओर से दी गई दलील स्वीकार नहीं कर सकता कि यह घटना किसी झगड़े के कारण घटित हुई है । यह सुस्थापित है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष की सफलता पारिस्थितिक साक्ष्य की सम्पूर्ण शृंखला के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है ताकि केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह अपराध केवल अभियुक्त ने ही कारित किया है । यदि अपराध से संबंधित अभियुक्त का आचरण पर प्रश्न उठाया जाता है तब अपराध के पूर्व और उसके पश्चात् अभियुक्त का आचरण सुसंगत हो जाता है । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में फंसाने वाली जिन परिस्थितियों का अवलंब लिया गया है, वे इस प्रकार हैं – (1) आहत अभियुक्त के मकान के सामने मृत अवस्था में पाई गई है । (2) आहत की मृत्यु कुदाल से पहुंचाई क्षति के कारण हुई है । अपराध में फंसाने वाली इस परिस्थिति के शवपरीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक के चिकित्सीय साक्ष्य से साबित किए जाने की ईप्सा की गई है जो आहत की मृत्यु के कारण को लेकर अभियोजन पक्षकथन से मेल खाती है । (3) अभियुक्त का अपराध के पश्चात् का आचरण । घटना के तत्काल पश्चात् अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 ने अभियुक्त को कुदाल लेकर निकट के चाय के बागान की ओर जाते हुए देखा था । (4) अपराध में प्रयोग किए गए हथियार (कुदाल) की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से की गई है । (5) अपराध कारित किए जाने का हेतु । (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराए जाने के दौरान उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर उसका मौन बने रहना । अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किए गए हथियार की बरामदगी है ।

अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी के तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 1, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 11 द्वारा भी की गई है । मृतका के पिता अर्थात् अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि फोन पर परेश बर्मन द्वारा सूचना दिए जाने पर कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या उस पर कुदाल से हमला करके की है, वह अभियुक्त के मकान पर गया और उसने रात को उसके मकान के सामने उसकी पत्नी को मृत पड़ा हुआ देखा । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तलाश किए जाने पर, उसने निकट स्थित चाय के बागान में अपने हाथ में कुदाल लिए हुए अभियुक्त को देखा । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह कुदाल जिसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा अपराध में किया गया था, पुलिस ने उसे उसके कब्जे से बरामद किया है और अभिग्रहण सूची के अधीन अभिगृहीत भी किया है । आश्चर्य की बात है, अभि. सा. 1 के साक्ष्य के इस भाग को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । अभियुक्त के कब्जे से कुदाल के बरामद किए जाने और उसे अभिगृहीत किए जाने के तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 1 द्वारा की गई है जिससे इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव दिए जाने पर इनकार नहीं किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान, अभि. सा. 1 को व्यर्थ ही यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त की मृत्यु दुर्घटनावश गिरने से हुई है और इस बात का लाभ लेते हुए अन्य व्यक्तियों की मौन स्वीकृति से अभियुक्त को मिथ्या फंसाया गया है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अभियुक्त ने शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक को ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया है कि मृतका को पहुंची क्षतियां ऐसी थीं जो दुर्घटनावश गिरने से कारित हो सकती थीं या यह कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी । इसके प्रतिकूल, शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया है कि मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है जो किसी कठोर और कुन्द हंथियार से कारित की गई है और इस संबंध में प्रतिपरीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से कोई चुनौती नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान अभियुक्त ने ऐसा कोई प्रकथन नहीं किया है कि उसकी पत्नी को दुर्घटनावश गिर जाने से क्षतियां पहुंची थीं और उन्हीं के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी । अतः, इस संबंध में अभि. सा. 1 को दिया गया सुझाव का कोई महत्व नहीं है । जहां तक मिथ्या फंसाए जाने के अभिवाक् का संबंध है, अभि. सा. 1 का ऐसा कोई भी हेतु दिखाई नहीं देता है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का मिथ्या आरोप

संस्थित करे । यह अत्यंत असंभावी है कि मृतका का पिता अपनी पुत्री के वास्तविक हत्यारे को बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या फंसाए । घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर अभि. सा. 1 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराए जाने से अभियोजन पक्षकथन में किसी बात के गढ़ने या कूटरचना या अभियुक्त को मिथ्या फंसाने की संभावना समाप्त हो जाती है । अभि. सा. 1 का साक्ष्य विश्वासप्रद और विश्वासोत्पादक है । अभि. सा. 11 अन्वेषण अधिकारी है जिसने घटना के दिन 3.15 बजे अपराह्न में अर्थात् घटना घटित होने के कुछ घंटों बाद ही अभियुक्त के कब्जे से अपराध में प्रयोग किए गए हथियार को प्रदर्श-4 के अनुसार बरामद और अभिगृहीत किया और प्रदर्श-4 अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर ही तैयार किया गया था । अभि. सा. 11 ने आयुध बरामद और अभिगृहीत किए जाने के तथ्यों का निम्न शब्दों में वर्णन किया है: अभियुक्त को स्थानीय चाय के बागान में अपने हाथ में कुदाल लिए हुए देखा गया था । मैंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और साक्षियों की मौजूदगी में अभिग्रहण सूची के अनुसार कुदाल अभिगृहीत की । यह अभिग्रहण सूची है जो मेरे द्वारा तैयार की गई थी और उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । मैंने घटनास्थल पर ही अभिगृहीत की गई कुदाल पर लेबल लगा दिया था । अभिग्रहण सूची (प्रदर्श-4) अभि. सा. 11 द्वारा घटनास्थल पर तैयार किए जाने के कारण परिसाक्ष्य में उसका अत्यधिक समर्थन होता है । अभि. सा. 11 का साक्ष्य जिसे ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त, बरामदगी और अभिग्रहण से संबंधित अभि. सा. 11 के परिसाक्ष्य को स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 7) के साक्ष्य से बल मिलता है । अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि घटना के दिन वह अपने काम से घटनास्थल के निकट मौजूद था जहां पर उसने पुलिस को निकट के चाय के बागान से अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए देखा था जिसके हाथ में कुदाल थी । इस साक्षी ने घटनास्थल पर एक महिला का शव भी देखा था । अभि. सा. 7 ने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त भी की है जिसे प्रदर्श-4/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 7 की मौजूदगी में अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी और उसके अभिगृहीत किए जाने को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । अभि. सा. 7 को ऐसा कोई भी कारण समनुदेशित नहीं किया गया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या

अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. 7 की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई भी सामग्री उद्भूत नहीं हुई है जिससे उसके सशपथ वृत्तांत को अविश्वसनीय ठहराया जा सके । यह सत्य है कि अभिगृहीत की गई कुदाल अभि. सा. 7 को न्यायालय में नहीं दिखाई गई है किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा लोप किए जाने से विश्वसनीय साक्षी का साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता । अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी और उसका अभिग्रहण विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा तर्कसम्मत रूप से साबित किया गया है । महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी के मुद्दे पर कोई भी स्पष्टीकरण उसके द्वारा (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन की गई उसकी परीक्षा के दौरान) नहीं दिया गया है । इस बात से न्यायालय को अपराध कारित किए जाने के हेतु का पता चलता है । यह सत्य है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु का महत्व अधिक होता है किंतु हेतु के न होने से अभियोजन पक्षकथन को ऐसी स्थिति में त्यक्त नहीं किया जा सकता जब अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियां विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य से साबित की गई हों । यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में अपराध का हेतु स्वयं अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव देते हुए बताया गया है कि आहत के पति (अभियुक्त) की अनुपस्थिति में आहत के नरेश बर्मन अर्थात् अभियुक्त के बड़े भाई के साथ अवैध संबंध थे और अभियुक्त को इस संबंध की जानकारी थी । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने इस सुझाव से इनकार किया है, फिर भी उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह प्रकथन किया गया है कि अभियुक्त को अपनी पत्नी पर संदेह था । यह स्पष्ट है कि अपराध कारित किए जाने के हेतु को स्वयं अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रकट किया गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अन्वेषण में आई कमियों को निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में विधि पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुक्त को मात्र अन्वेषण में आई त्रुटियों के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता । ठोस साक्ष्य द्वारा साबित की गई अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता को त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के कारण त्यक्त नहीं किया जा सकता । अभियोजन पक्ष की कमी के कारण जघन्य अपराध के अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता । अतः, इस संबंध में दी गई दलील में कोई सार नहीं है । यह स्पष्ट है कि पूछे जाने पर अभियुक्त मौन बना रहा है और उसने आहत की मृत्यु कारित किए जाने और बरामदगी तथा अभिग्रहण से संबंधित अपराध में फंसाने

वाली अनेक परिस्थितियों को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इस बात से स्वयं परिस्थितियों की शृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी जुड़ जाती है। तर्कसम्मत साक्ष्य द्वारा साबित की गई परिस्थितियों की सम्पूर्णता के कारण इस बात में कोई भी संदेह नहीं रह जाता है कि केवल अभियुक्त ही इस अपराध का अपराधी है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् न्यायालय का यह मत है कि निम्न निर्णय तथ्यों के आधार पर न्यायालय के मत को स्पष्ट करने के लिए उचित हैं। (पैरा 9, 10, 13, 14, 15 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1989]	ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1094 : **सुरिन्द्र कुमार** बनाम **संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़** ;	7
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622 : **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	7,16
[1971]	(1971) 2 एस. सी. सी. 75 = ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1050 : **मटरू** उर्फ **गिरीश चंद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ;	7, 16
[1952]	ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343 : **हनुमंत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ।	16

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 875.

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री जे. अधिकारी और टी. धली

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री सुबीर बनर्जी, (सुश्री) ककाली चटर्जी और प्रतीक बोस

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आशा अरोड़ा ने दिया ।

न्या. अरोड़ा – यह अपील अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से, अपर सेशन न्यायाधीश, मठभंगा, कूच बिहार द्वारा तारीख 12 और 13 अगस्त, 2013 को 2012 के सेशन विचारण मामला सं. 175 से उद्भूत 2012 के

सेशन विचारण मामला सं. 19(06) में पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने तथा पांच हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन निम्न प्रकार है :–

तारीख 6 दिसम्बर, 2011 को 1.40 बजे अपराह्न में शिकायतकर्ता सोनी बर्मन ने पुलिस थाना मठभंगा में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि उसकी पुत्री शामली बर्मन का विवाह लगभग 7/8 वर्ष पूर्व अभियुक्त प्रेम चंद बर्मन के साथ हुआ था । विवाह के पश्चात् उसकी पुत्री अपनी ससुराल में वैवाहिक जीवन बिताने लगी और उसके पास दो पुत्र थे जिनमें एक की आयु लगभग साढ़े चार वर्ष और दूसरे की आयु दो वर्ष थी । अभियुक्त विभिन्न स्थनों पर "पंडाल" बनाने का काम करता था । वह बिना बताए घर से चला जाया करता था और लगभग सात मास तक घर से बाहर रहता था । अभियुक्त अपनी पत्नी पर बिना किसी कारण संदेह करता था । इस घटना से 3/4 दिन पहले उसके वापस आने पर, अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया । तारीख 6 दिसम्बर, 2011 को लगभग 11.30 बजे पूर्वाह्न में जब आहत (अभियुक्त की पत्नी) मकान के सामने पड़े हुए गाय के गोबर को उठा रही थी, अभियुक्त ने उस पर कुदाल (फावड़ा) से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । सोनी बर्मन (अभि. सा. 1) की उक्त शिकायत के आधार पर आहत के पिता ने पुलिस थाना मठभंगा में तारीख 6 दिसम्बर, 2011 को मामला सं. 385/2011 दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज कराया । इस मामले का अन्वेषण पुलिस उपनिरीक्षक सुजान नरजिनरी (अभि. सा. 11) द्वारा किया गया जिसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. चूंकि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय था इसलिए उसे सेशन न्यायाधीश, कूच बिहार को सुपुर्द कर दिया गया और वहां से वह मामला अपर सेशन न्यायाधीश, मठभंगा, कूच बिहार विचारण और निपटारे

के लिए स्थानांतरित कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त अपीलार्थी पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किए जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और अनेक दस्तावेज प्रदर्शित किए । इन साक्षियों में से, सोनी बर्मन (अभि. सा. 1) मृतका का पिता है जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) दर्ज कराई । सुशील बर्मन (अभि. सा. 2) और सुधीन बर्मन (अभि. सा. 3) अभियुक्त के सह-ग्रामवासी हैं । इन दोनों साक्षियों ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उन्होंने यह घटना नहीं देखी है । सरोध बर्मन (अभि. सा. 4) अभियुक्त का चचेरा भाई है जो उसी ग्राम का निवासी है । इस साक्षी ने भी इस घटना के संबंध में व्यक्तिगत जानकारी न होने का साक्ष्य दिया है । केशव चंद्र बर्मन (अभि. सा. 5) एक अन्य सह-ग्रामवासी है जिसका साक्ष्य अनुश्रुत है । अभि. सा. 1 से घटना के बारे में सुनने के पश्चात्, यह साक्षी अभियुक्त के घर गया और उसने वहां आहत का शरीर मकान के सामने पड़ा हुआ देखा । उसने घटनास्थल से पुलिस द्वारा रक्तरंजित मिट्‌टी अभिगृहीत किए जाने और अभियुक्त को उसकी मौजूदगी में गिरफ्तार किए जाने का साक्षी है । अब्दुल गनी (अभि. सा. 6) अभियुक्त के ही ग्राम का एक अन्य ग्रामवासी है जिसको इस घटना के बारे में कोई भी सीधी जानकारी नहीं थी । मणिक डे (अभि. सा. 7) आहत के शव की मृत्यु-समीक्षा का साक्षी है । यह अभियुक्त के कब्जे से अपराध में प्रयोग होने वाला हथियार (कुदाल) का साक्षी है । असित रंजन रॉय (अभि. सा. 8) और बबलू बर्मन (अभि. सा. 10) ऐसे दो साक्षी हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने अभियुक्त को चाय के बागान की ओर अपने हाथ में कुदाल लेकर जाते हुए देखा है और उस समय वे घटनास्थल की ओर जा रहे थे और उन्होंने चीख-पुकार की आवाज सुनी थी । इन दोनों साक्षियों के अनुसार, जब वे अभियुक्त के मकान पर पहुंचे, उन्होंने अभियुक्त की पत्नी को उसके मकान के सामने मृत पड़ा हुआ पाया । उन्हें स्थानीय व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त ने कुदाल से अपनी पत्नी पर हमला करके उसकी हत्या की है । परेश चौधरी साहा (अभि. सा. 9) मात्र एक औपचारिक साक्षी है जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) लिखी है । पुलिस उपनिरीक्षक सुजान नरजिनरी इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है । अबु बकर मियां (अभि. सा. 12) की मौजूदगी में मृतका के पहने हुए

कपड़ों को अभिगृहीत किया गया है और डा. एम. दास (अभि. सा. 13) चिकित्सा अधिकारी है जिसने मृतका के शव की शव-परीक्षा की है ।

4. अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए सुझावों तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों से प्रतिरक्षा वृत्तांत केवल यह सामने आता है कि अभियोजन पक्षकथन से मात्र इनकार करते हुए निर्दोष होने का अभिवाक् किया गया है और यह कहा गया है कि अभियुक्त को इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 1 के समक्ष उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह सुझाव रखा गया है कि मृतका के नरेश बर्मन अर्थात् अभियुक्त के बड़े भाई के साथ अवैध संबंध थे और जब अभियुक्त ने मृतका से इस बारे में पूछताछ की, तब मृतका ने अभियुक्त के साथ झगड़ा किया । अभियोजन पक्ष के कुछ साक्षियों के समक्ष उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी सुझाव रखा गया है कि आहत को घरेलू कामकाज करने के दौरान अचानक गिर जाने से क्षतियां कारित हुई हैं और अभि. सा. 1 ने दुर्घटनात्मक मृत्यु का दुरुपयोग करते हुए अभियुक्त को अन्य व्यक्तियों की मिली भगत से इस मामले में मिथ्या आलिप्त किया है । तथापि, प्रतिरक्षा पक्षकथन को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं है ।

5. विचारण पूरा होने पर और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश को पारित किया है ।

6. तय किए जाने के लिए यह प्रश्न है कि क्या दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाने योग्य हैं या नहीं ।

7. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि अभियुक्त का घटना के पश्चात् का आचरण साक्ष्य की मात्र एक ऐसी परिस्थिति है जिसका अवलंब दोषसिद्धि के लिए नहीं लिया जा सकता । इस तथ्य के अतिरिक्त कि अपीलार्थी निकट चाय के बागान में अभिकथित हथियार के साथ देखा गया था, अन्य कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जा सके । **मटरू** उर्फ **गिरीश चंद** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले का अवलंब

---

[1] (1971) 2 एस. सी. सी. 75 = ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1050.

लेते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि फरार होने से संबंधित अभियुक्त का पश्चात्वर्ती आचरण स्वयं में उसकी दोषी होने का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है । फरार होने का कृत्य यद्यपि एक सुसंगत साक्ष्य है जिस पर अन्य साक्ष्य के साथ विचार किया जाना चाहिए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुसार हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में अन्य साक्ष्य का अभाव है । अपीलार्थी की ओर से यह भी दलील दी गई है कि अपराध में प्रयोग की गई हथियार की बरामदगी और उसके अभिग्रहण को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सका है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल के अनुसार अभि. सा. 7 का साक्ष्य, जिसने अभियुक्त के कब्जे से कुदाल बरामद किए जाने के संबंध में बताया है, विश्वसनीय नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि कुदाल की बरामदगी और उसका अभिग्रहण इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए महत्वपूर्ण नहीं है कि इसे न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण कराए जाने के लिए नहीं भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो पाता कि वास्तव में अपराध कारित किए जाने में अभियुक्त द्वारा इसका प्रयोग किया गया है या नहीं । यह भी दलील दी गई है कि अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन की गई उसकी परीक्षा के दौरान उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे अभियुक्त को विधि के सुस्थापित सिद्धांत को दृष्टिगत करते हुए कोई लाभ नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष को स्वयं अपना पक्षकथन साबित करना होता है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने दलील के समर्थन में **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है । अपीलार्थी की ओर से एक दलील यह भी दी गई है कि यह घटना पूर्वचिंतन किए बिना अचानक घटित हुई है, अतः यह मामला स्पष्ट रूप से दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है । इन परिस्थितियों में, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है । अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपनी दलील को साबित करने के लिए **सुरिन्द्र कुमार** बनाम **संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है ।

8. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि

---

[1] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

[2] ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1094.

पारिस्थितिक साक्ष्य से निश्चायक रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी, जिसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है, का दोष साबित हो जाता है ।

9. हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह मामला तथ्यों के आधार पर दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 के अन्तर्गत आता है । **सुरिन्द्र कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय को अपीलार्थी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है जिसके तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णतया भिन्न हैं और वर्तमान मामला पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अभि. सा. 1 को छोड़कर किसी भी साक्षी ने यह कथन नहीं किया है कि घटना झगड़ा होने के परिणामस्वरूप घटित हुई है । अभि. सा. 1 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखी थी । अभियुक्त के भाई परेश बर्मन ने अभि. सा. 1 को फोन पर यह सूचना दी कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की कुदाल से हमला करके हत्या कर दी है । उक्त परेश बर्मन की परीक्षा नहीं कराई गई है । घटना के किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के अभाव में, हम अपीलार्थी की ओर से दी गई दलील स्वीकार नहीं कर सकते कि यह घटना किसी झगड़े के कारण घटित हुई है ।

10. मामले के गुणागुणों पर विचार करने पर, इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने के कारण, अभियोजन पक्षकथन पूर्णतया पारिस्थितिक साक्ष्य पर ही टिका हुआ है । यह सुस्थापित है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष की सफलता पारिस्थितिक साक्ष्य की सम्पूर्ण शृंखला के उपलब्ध होने पर निर्भर करती है ताकि केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह अपराध केवल अभियुक्त ने ही कारित किया है । यदि अपराध से संबंधित अभियुक्त का आचरण पर प्रश्न उठाया जाता है तब अपराध के पूर्व और उसके पश्चात् अभियुक्त का आचरण सुसंगत हो जाता है । हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपराध में फंसाने वाली जिन परिस्थितियों का अवलंब लिया गया है, वे निम्न प्रकार हैं :–

(1) आहत अभियुक्त के मकान के सामने मृत अवस्था में पाई गई है ।

(2) आहत की मृत्यु कुदाल से पहुंचाई क्षति के कारण हुई है ।

अपराध में फंसाने वाली इस परिस्थिति के शवपरीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक के चिकित्सीय साक्ष्य से साबित किए जाने की ईप्सा की गई है जो आहत की मृत्यु के कारण को लेकर अभियोजन पक्षकथन से मेल खाती है ।

(3) अभियुक्त का अपराध के पश्चात् का आचरण । घटना के तत्काल पश्चात् अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 ने अभियुक्त को कुदाल लेकर निकट के चाय के बागान की ओर जाते हुए देखा था ।

(4) अपराध में प्रयोग किए गए हथियार (कुदाल) की बरामदगी अभियुक्त के कब्जे से की गई है ।

(5) अपराध कारित किए जाने का हेतु ।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराए जाने के दौरान उसके विरुद्ध अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर उसका मौन बने रहना ।

11. यह विवादित नहीं है कि आहत को अभियुक्त के मकान के सामने मृत पड़ा हुआ पाया गया है । इस तथ्य के संबंध में अभि. सा. 1, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 11 द्वारा साक्ष्य दिया गया है । आहत की मानव वध से की गई मृत्यु को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने डा. एम. दास (अभि. सा. 13), जिसने मृतका के शव का शवपरीक्षण तारीख 6 दिसंबर, 2011 को किया था, के साक्ष्य का अवलंब लिया है और चिकित्सक ने निम्न क्षतियां पाईं :–

(1) मृतका के चेहरे और नाक पर विदीर्ण क्षतियां हैं जिनसे चेहरे और नाक की आकृति विकृत हो गई है ।

(2) ऊपरी और निचले होंठ पर रगड़ मौजूद है जिससे चेहरे पर रक्तरंजित प्रभाव दिखाई दे रहा है ।

(3) गर्दन के पीछे की ओर दो रेखीय उपरिष्ट कटाव मौजूद हैं । गर्दन पर रक्तपूतिता और रक्तस्राव है । मेरुरज्जु में रगड़ के साथ सी-1 और सी-2 में अस्थिभंग है ।

शवपरीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक ने यह राय दी है कि मृत्यु

क्षतियों के कारण होने वाले रक्तस्राव से हुई है जिनका उल्लेख शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 10) में किया गया है । अभि. सा. 13 ने स्पष्ट रूप से अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि मृत्यु की प्रकृति मानव वध है और मृतका को कारित की गई क्षतियां ऐसी हैं जो किसी भारी और कुन्द वस्तु से पहुंचाई जा सकती हैं । यद्यपि न्यायालय ने इस चिकित्सक (अभि. सा. 13) को कुदाल नहीं दिखाई गई है, साक्ष्य में और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 10) में इस साक्षी ने स्पष्ट प्रकथन किया है कि क्षतियां कुन्द, भारी और कठोर हथियार से कारित की गई हैं जोकि अभियोजन पक्षकथन से पूर्णतया मेल खाता है कि आहत पर कुदाल से हमला किया गया था । अतः, न्यायालय में परीक्षा कराए जाने के दौरान इस साक्षी के समक्ष कुदाल प्रस्तुत न किए जाने से अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । मृतका के शरीर पर पाई गई क्षतियों से संबंधित और मृत्यु के कारण से संबंधित अभि. सा. 13 के साक्ष्य को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । अभि. सा. 1 को उसकी प्रतिपरीक्षा में व्यर्थ ही यह सुझाव दिया गया है कि आहत को अचानक गिर जाने से क्षतियां पहुंची हैं और उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है । ऐसा ही व्यर्थ सुझाव अभि. सा. 5, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान दिया गया है किंतु अभियुक्त ने शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक को ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया है जिसकी इस राय को चुनौती नहीं दी गई है कि आहत की मृत्यु मानव वध से हुई है । स्पष्टतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श 1) जो तत्काल ही 1.40 बजे अपराह्न में दर्ज कराई गई थी, में उल्लिखित आहत की मृत्यु के कारण से संबंधित अभियोजन पक्षकथन की पुष्टि उस चिकित्सक के चिकित्सीय साक्ष्य से हो जाती है जिसने मृतका का शवपरीक्षण किया था । यह तर्कसम्मत साक्ष्य से पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि आहत की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है जो प्रदर्श 10 में उल्लिखित क्षतियों के कारण कारित हुई है ।

12. अभियुक्त को अपराध से संबद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण परिस्थिति अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य से प्रकट होती है । अभि. सा. 8 के साक्ष्य का सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

> "यह घटना तारीख 6 दिसंबर, 2011 को घटित हुई थी । लगभग 10/11 बजे पूर्वाह्न में उस दिन मैं लक्ष्मीरहट स्थित बाजार में था । मैंने चीख-पुकार की आवाज सुनी और मैं पोस्ट आफिस गया ।

रास्ते में मैंने अभियुक्त प्रेम चंद बर्मन को चाय के बागान की ओर रक्त-रंजित कुदाल अपने हाथ में ले जाते हुए देखा । इसके पश्चात् मैं उसके घर गया और मैंने उसकी पत्नी को उसके मकान के सामने मृत पड़ा हुआ पाया ।

बहुत से अन्य व्यक्ति भी वहां पर एकत्र हो गए । लक्ष्मीकांता बर्मन और उस क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों ने यह बताया कि प्रेम चंद बर्मन ने कुदाल से हमला करके अपनी पत्नी की हत्या की है और वह भाग गया है ।"

अभि. सा. 8 के साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में निष्फल नहीं किया जा सका । प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी के साक्ष्य में, उसके द्वारा अन्वेषण अधिकारी को दिए गए कथन के संबंध में कोई भी विरोधाभास इंगित नहीं किया गया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान परिप्रश्न किए जाने पर अभि. सा. 8 ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को यह बताया था कि वह चीख-पुकार की आवाज सुनकर घटनास्थल की ओर गया था और उसने अभियुक्त को अपने हाथ में रक्त-रंजित कुदाल लिए चाय के बागान की ओर जाते हुए देखा था । अभि. सा. 8 की प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई भी सामग्री सामने नहीं आई है जिसके आधार पर उसके सशपथ पत्र वृत्तांत को त्यक्त किया जा सके । इस साक्षी का साक्ष्य स्वाभाविक और विश्वसनीय प्रतीत होता है । अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य देने के लिए अभि. सा. 8 का कोई भी हेतुक दिखाई नहीं देता है । अभि. सा. 8 की प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसी कोई सामग्री उद्भूत नहीं हुई है जिससे यह दर्शित किया जा सके कि उसे अभियुक्त से कोई ग्लानि थी । उसका साक्ष्य त्यक्त किए जाने से परे है । अभि. सा. 10 ने निम्न रूप में अभि. सा. 8 के वृत्तांत की संपुष्टि की है :–

"मैं लक्ष्मीरहाट के बाजार में था । चीख-पुकार सुनकर हम डाकघर की ओर गए । हमने अभियुक्त को अपने हाथ में कुदाल लिए हुए चाय के बागान की ओर जाते हुए देखा था । उसके घर के निकट पहुंचकर, हमने उसकी पत्नी को उसके मकान के सामने मृत अवस्था में पड़ा हुआ देखा । इसके पश्चात्, हमने अभियुक्त को चाय के बागान में घेर लिया ।

तत्पश्चात्, पुलिस चाय के बागान पर आई और अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।"

अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान दृढ़तापूर्वक यह दोहराया है कि उसने अभियुक्त को अपने हाथ में कुदाल लिए हुए रास्ते पर जाते हुए देखा था और वह चाय के बागान की ओर गया था । यह साक्षी न तो शिकायतकर्ता का नातेदार है न ही इसकी अभियुक्त से कोई शत्रुता है, इसलिए इस साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य देने का कोई कारण नहीं है । इस समागम पर, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 के साक्ष्य की संपुष्टि इस सीमा तक अभि. सा. 7 के साक्ष्य से होती है कि इस साक्षी ने चाय के बागान के निकट से कुदाल के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने से संबंधित अभिसाक्ष्य दिया है । घटना के तत्काल पश्चात् अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 ने अभियुक्त को निकट के चाय के बागान की ओर कुदाल लेकर जाते हुए देखा था और घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने अभियुक्त के मकान के सामने आहत का शव पड़ा हुआ देखा था । अभि. सा. 8 और अभि. सा. 10 का यह साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 के अधीन स्पष्ट रूप से संबंधित तथ्य और कार्य के आधार पर सुसंगत और ग्राह्य है कि उन्होंने अभियुक्त को अपने हाथ में कुदाल लिए हुए चाय के बागान की ओर जाते हुए देखा था ।

13. अभियुक्त के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किए गए हथियार की बरामदगी है । अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी का तथ्य की संपुष्टि अभि. सा. 1, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 11 द्वारा भी की गई है । मृतका के पिता अर्थात् अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि फोन पर परेश बर्मन द्वारा सूचना दिए जाने पर कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या उस पर कुदाल से हमला करके की है, वह अभियुक्त के मकान पर गया और उसने रात को उसके मकान के सामने मृत पड़ा हुआ देखा । अभि. सा. 1 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि तलाश किए जाने पर, उसने निकट स्थित चाय के बागान में अपने हाथ में कुदाल लिए हुए अभियुक्त को देखा । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह कुदाल जिसका प्रयोग अभियुक्त द्वारा अपराध में किया गया था, पुलिस ने उसे उसके कब्जे से बरामद किया है और अभिग्रहण सूची के अधीन अभिगृहीत भी किया है । आश्चर्य की बात है, अभि. सा. 1 के साक्ष्य के इस भाग को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । अभियुक्त के कब्जे से कुदाल के बरामद किए जाने और उसे अभिगृहीत किए जाने के तथ्य की संपुष्टि

अभि. सा. 1 द्वारा की गई है जिससे इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव दिए जाने पर इनकार नहीं किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान, अभि. सा. 1 को व्यर्थ ही यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्त की मृत्यु दुर्घटनावश गिरने से हुई है और इस बात का लाभ लेते हुए अन्य व्यक्तियों की मौन स्वीकृति से अभियुक्त को मिथ्या फंसाया गया है । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि अभियुक्त ने शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक को ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया है कि मृतका को पहुंची क्षतियां ऐसी थीं जो दुर्घटनावश गिरने से कारित हो सकती थीं या यह कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई थी । इसके प्रतिकूल, शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया है कि मृतका की मृत्यु मानव वध प्रकृति की है जो किसी कठोर और कुन्द हथियार से कारित की गई है और इस संबंध में प्रतिपरीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से कोई चुनौती नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा के दौरान अभियुक्त ने ऐसा कोई प्रकथन नहीं किया है कि उसकी पत्नी को दुर्घटनावश गिर जाने से क्षतियां पहुंचीं थीं और उन्हीं के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी । अतः, इस संबंध में अभि. सा. 1 को दिया गया सुझाव का कोई महत्व नहीं है । जहां तक मिथ्या फंसाए जाने के अभिवाक् का संबंध है, अभि. सा. 1 का ऐसा कोई भी हेतु दिखाई नहीं देता है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का मिथ्या आरोप संस्थित करे । यह अत्यंत असंभावी है कि मृतका का पिता अपनी पुत्री के वास्तविक हत्यारे को बचाने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या फंसाए । घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर अभि. सा. 1 द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तत्काल दर्ज कराए जाने से अभियोजन पक्षकथन में किसी बात के गढ़ने या कूट रचना या अभियुक्त को मिथ्या फंसाने की संभावना समाप्त हो जाती है । अभि. सा. 1 का साक्ष्य विश्वासप्रद और विश्वासोत्पादक है ।

अभि. सा. 11 अन्वेषण अधिकारी है जिसने घटना के दिन 3.15 बजे अपराह्न में अर्थात् घटना घटित होने के कुछ घंटों बाद ही अभियुक्त के कब्जे से अपराध में प्रयोग किए गए हथियार को प्रदर्श-4 के अनुसार बरामद और अभिगृहीत किया और प्रदर्श-4 अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल पर ही तैयार किया गया था । अभि. सा. 11 ने आयुध बरामद और अभिगृहीत किए जाने के तथ्यों का निम्न शब्दों में वर्णन किया है : अभियुक्त को स्थानीय चाय के बागान में अपने हाथ में कुदाल लिए हुए देखा गया था । मैंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया और साक्षियों की

मौजूदगी में अभिग्रहण सूची के अनुसार कुदाल अभिगृहीत की । यह अभिग्रहण सूची है जो मेरे द्वारा तैयार की गई थी और उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसे प्रदर्श-4 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । मैंने घटनास्थल पर ही अभिगृहीत की गई कुदाल पर लेबल लगा दिया था । अभिग्रहण सूची (प्रदर्श-4) अभि. सा. 11 द्वारा घटनास्थल पर तैयार किए जाने से उसका परिसाक्ष्य का अत्यधिक समर्थन होता है । अभि. सा. 11 का साक्ष्य जिसे ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । इसके अतिरिक्त, बरामदगी और अभिग्रहण से संबंधित अभि. सा. 11 के परिसाक्ष्य को स्वतंत्र साक्षी (अभि. सा. 7) के साक्ष्य से बल मिलता है । अभि. सा. 7 ने अपने साक्ष्य में यह उल्लेख किया है कि घटना के दिन वह अपने काम से घटनास्थल के निकट मौजूद था जहां पर उसने पुलिस को निकट के चाय के बागान से अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए देखा था जिसके हाथ में कुदाल थी । इस साक्षी ने घटनास्थल पर एक महिला का शव भी देखा था । अभि. सा. 7 ने अभिग्रहण सूची पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त भी की है जिसे प्रदर्श-4/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 7 की मौजूदगी में अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी और उसके अभिगृहीत किए जाने को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है । अभि. सा. 7 को ऐसा कोई भी कारण समनुदेशित नहीं किया गया है कि उसने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है । अभि. सा. 7 की प्रतिपरीक्षा में ऐसी कोई भी सामग्री उद्‌भूत नहीं हुई है जिससे उसके सशपथ वृत्तांत को अविश्वसनीय ठहराया जा सके । यह सत्य है कि अभिगृहीत की गई कुदाल अभि. सा. 7 को न्यायालय में नहीं दिखाई गई है किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा लोप किए जाने से विश्वसनीय साक्षी का साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता । अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी और उसका अभिग्रहण विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा तर्कसम्मत रूप से साबित किया गया है । महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियुक्त के कब्जे से कुदाल की बरामदगी के मुद्दे पर कोई भी स्पष्टीकरण उसके द्वारा (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन की गई उसकी परीक्षा के दौरान) नहीं दिया गया है ।

14. इस बात से हमें अपराध कारित किए जाने के हेतु का पता चलता है । यह सत्य है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु का महत्व अधिक होता है किंतु हेतु के न होने से अभियोजन पक्षकथन को ऐसी स्थिति में त्यक्त नहीं किया जा सकता जब अभियोजन पक्ष द्वारा

अवलंब ली गई परिस्थितियां विश्वसनीय और अकाट्य साक्ष्य से साबित की गईं हों । यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में अपराध का हेतु स्वयं अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान सुझाव देते हुए बताया गया है कि आहत के पति (अभियुक्त) की अनुपस्थिति में आहत के नरेश बर्मन अर्थात् अभियुक्त के बड़े भाई के साथ अवैध संबंध थे और अभियुक्त को इस संबंध की जानकारी थी । यद्यपि, अभि. सा. 1 ने इस सुझाव से इनकार किया है, फिर भी उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह प्रकथन किया गया है कि अभियुक्त को अपनी पत्नी पर संदेह था । यह स्पष्ट है कि अपराध कारित किए जाने के हेतु को स्वयं अभियुक्त द्वारा अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रकट किया गया है ।

15. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा अन्वेषण में आई कमियों को निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में विधि पूर्णतया स्पष्ट है कि अभियुक्त को मात्र अन्वेषण में आई त्रुटियों के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता । ठोस साक्ष्य द्वारा साबित की गई अभियोजन पक्षकथन की विश्वसनीयता को त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के कारण त्यक्त नहीं किया जा सकता । अभियोजन पक्ष की कमी के कारण जघन्य अपराध के अपराधी को छोड़ा नहीं जा सकता । अतः, इस संबंध में दी गई दलील में कोई सार नहीं है ।

16. पूर्वगामी चर्चा से निश्चित रूप से यह स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों की शृंखला में सारभूत और अकाट्य साक्ष्य से कई कड़ियां सृजित होती हैं । चर्चा की गई । पारिस्थितिक साक्ष्य के संचयी प्रभाव से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने आहत की हत्या की है । ऐसा कहने के पश्चात्, इस तथ्य पर विचार करना समीचीन होगा कि अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों के संबंध में उसके द्वारा स्पष्टीकरण न दिए जाने से परिस्थितियों की शृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी जुड़ जाती है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराई जाने के दौरान अभियुक्त मौन बना रहा जब उससे उसकी पत्नी की मृत्यु कारित किए जाने और उसके कब्जे से अपराध में प्रयोग किए गए हथियार अर्थात् कुदाल बरामद किए जाने से संबंधित प्रश्न पूछे गए । इस समागम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा कराई जाने के दौरान उसके समक्ष रखे गए प्रश्नों

और उनके उत्तरों को उद्धृत करना महत्वपूर्ण होगा जो कि निम्न प्रकार हैं :–

"प्रश्न - 1 : क्या यह सत्य है कि आपकी मौजूदगी में इस मामले में 13 साक्षियों की परीक्षा कराई गई है और आपने साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्यों को सुना और समझा है ?

उत्तर - मैंने साक्षियों का साक्ष्य सुना है ।

प्रश्न - 2 : साक्षियों के साक्ष्य से मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, किंतु आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हैं, फिर भी यदि आप उत्तर देना चाहें तब आपको प्रश्न पूर्ण रूप से समझना होगा क्योंकि आपके द्वारा दिया गया उत्तर इस मामले में या भविष्य में अन्य किसी मामले में आपके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है । क्या आप मेरी बात समझे ? क्या आप उत्तर देने के लिए इच्छुक हैं ?

उत्तर - हां, मैं समझ गया हूं । मैं उत्तर दूंगा ।

प्रश्न - 3 : साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि शोर और चीख-पुकार की आवाज सुनकर, साक्षी आपके घर की ओर दौड़े थे और रास्ते में उन्होंने आपको अपने हाथ में रक्त-रंजित कुदाल लिए हुए चाय के बागान की ओर जाते हुए देखा था और आपके मकान के निकट पहुंचकर साक्षियों ने आपकी पत्नी को आपके मकान के सामने खून से लथपथ देखा था और उन्हें अन्य व्यक्तियों से पता चला कि आपने अपनी पत्नी पर कुदाल से हमला करके उसकी हत्या की है और आप वहां से भाग गए - आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

उत्तर - मैं निर्दोष हूं ।

प्रश्न - 4 : साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उनमें से बहुत से साक्षियों ने चाय के बागान में आपका घेराव किया था और घटना की सूचना पुलिस को दी थी और उसके पश्चात् पुलिस वहां आई और पुलिस ने आपको अपने हाथ में रक्त-रंजित कुदाल लिए हुए चाय के बागान में देखा और गिरफ्तार किया - इस संबंध में आपको क्या कहना है ?

उत्तर - मैं निर्दोष हूं ।

प्रश्न - 5 : साक्षियों ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने

आपकी पत्नी के शव की मृत्युसमीक्षा की थी और साक्षियों की मौजूदगी में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की थी और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट को साक्ष्य में सबूत के तौर पर स्वीकार किया गया है - आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

उत्तर - मुझे कुछ नहीं कहना है ।

प्रश्न - 6 : साबित की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट साक्ष्य में स्वीकार की गई है जिसे प्रदर्श-10 के रूप में चिह्नांकित किया गया है - आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

उत्तर - मुझे कुछ नहीं कहना है ।

प्रश्न - 7 : अभि. सा. 9 ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट साबित की है और उसे प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है - आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

उत्तर - मुझे कुछ नहीं कहना है ।

प्रश्न - 8 : अभि. सा. 11 ने इस मामले में किए गए अन्वेषण संबंधी कार्यों को साबित किया है और इस साक्षी ने मृत्युसमीक्षा, अभिग्रहण सूची और लगाए गए लेबल को साबित किया है - आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

उत्तर - मुझे कुछ नहीं कहना है ।

प्रश्न - 9 : अभिगृहीत की गई अलामतों (वस्तुओं) की शनाख्त की गई है और उन्हें साबित किया गया है तथा प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नांकित भी किया गया है - आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

उत्तर - मुझे कुछ नहीं कहना है ।

प्रश्न - 10 : आपको न्यायालय में और कुछ कहना है ?

उत्तर - नहीं ।

प्रश्न - 11 : क्या आप अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी की परीक्षा कराना चाहते हैं ?

उत्तर - नहीं ।"

यह स्पष्ट है कि पूछे जाने पर अभियुक्त मौन बना रहा है और उसने

आहत की मृत्यु कारित किए जाने और बरामदगी तथा अभिग्रहण से संबंधित अपराध में फंसाने वाली अनेक परिस्थितियों को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । इस बात से स्वयं परिस्थितियों की शृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी जुड़ जाती है । तर्कसम्मत साक्ष्य द्वारा साबित की गई परिस्थितियों की सम्पूर्णता के कारण इस बात में कोई भी संदेह नहीं रह जाता है कि केवल अभियुक्त ही इस अपराध का अपराधी है । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पश्चात् हमारा यह मत है कि निम्न निर्णय तथ्यों के आधार पर हमारे मत को स्पष्ट करने के लिए उचित हैं - **हनुमंत** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], **शरद बिरधीचंद शारदा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] और **मटरु** उर्फ **गिरीश चन्द्र** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[3] ।

17. परिणामतः, हमारा यह दृढ़ मत है कि अपीलार्थी विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश में हस्तक्षेप किए जाने के लिए अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा है ।

18. तद्नुसार, यह अपील खारिज की जाती है ।

19. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित सुधार-गृह के अधीक्षक को भेजी जाए ।

20. निचले न्यायालय के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को भेजी जाए ।

21. यदि इस निर्णय की अधिप्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया है, तब निर्णय की फोटोकापी पक्षकारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर तत्काल दी जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

---

[1] ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343.

[2] (1984) 4 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 1622.

[3] (1971) 2 एस. सी. सी. 75 = ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1050.

प्रदीपसिंह नानूभाई झाला

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

तारीख 22 जुलाई, 2016

न्यायमूर्ति अनन्त एस. दवे और न्यायमूर्ति बी. एन. कारिया

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख और 498क [सपठित दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4] – दहेज मृत्यु – अभियोजन पीड़िता के माता-पिता सहित घनिष्ठ नातेदारों, चिकित्सक और स्वतंत्र साक्षी के परिसाक्ष्य तथा न्यायालयिक रिपोर्ट के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने में असफल रहा कि मृत्यु दहेज की मांग के परिणामस्वरूप क्रूरता के कारण हुई थी अतः अभियुक्त उपरोक्त अपराधों से दोषमुक्त होने का हकदार है ।

मृतका हेतलबा के पिता महेन्द्रसिंह मगनजी चावड़ा ने इस पृष्ठभूमि में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 498क, 302, 306, 304ख और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आई. सी. आर. सं. 70/2010 के रूप में विरमगम पुलिस थाना (ग्रामीण क्षेत्र) में दर्ज कराई । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार शिकायतकर्ता लिम्बोदरा, तालुका कलोल में रहता था और उसकी पुत्री हेतलबा का विवाह अभियुक्त-1 के साथ तारीख 20 फरवरी, 2009 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार हुआ था । अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 मृतका हेतलबा का श्वसुर और सास हैं और अभियुक्त-4 अर्थात् जयदीपसिंह नानूभा झाला उसका देवर है जो उपरोक्त अपराध में अन्तर्वलित हैं । शिकायतकर्ता का यह भी पक्षकथन है कि शुरू-शुरू में आहत को अपनी सास-श्वसुर से कोई भी शिकायत नहीं थी किंतु समय के बीतने के साथ-साथ अभियुक्तों ने मृतका की कमियां बताते हुए उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता का व्यवहार करना आरंभ कर दिया । मृतका को प्रायः अपमानित किया जाता था और उसे इस आधार पर उत्पीड़ित किया जाता था कि वह पर्याप्त दहेज लेकर नहीं आई है । उपरोक्त तथ्य मृतका के माता-पिता की जानकारी में लाया गया, तथापि, शुरू-शुरू में उन्होंने मृतका को यह कहकर सांत्वना दी कि वे उसके ससुराल वालों की मांग पूरी करेंगे और टेलीविजन तथा फ्रिज की मांग पूरी

करने के लिए आहत के पति को 10,000/- रुपए की नकद राशि दी गई । इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता की पुत्री के पति की पांच लाख रुपए की मांग पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया जिस पर अभियुक्त-1 उनसे प्रसन्न नहीं था । आहत ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता से दुखी होकर तारीख 25 मई, 2010 को प्रातःकाल बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली और इसीलिए शिकायत फाइल की गई है । पुलिस ने अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 498क, 302, 306, 304ख और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया, अतः मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और उसे सेशन मामला सं. 16/2010 के रूप में नम्बरीकृत किया गया तथा तद्नुसार उसका विचारण किया गया । 2011 की दांडिक अपील सं. 513 मूल अभियुक्त सं. 1 अर्थात् प्रदीप नानूभा झाला (जिसे संक्षेप में अभियुक्त-1 कहा गया है) और इस अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । जहां तक दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है, इस अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने तथा 200/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम करने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है । दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त-1 को छह मास का साधारण कारावास भोगने और 200/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 30 दिन का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । 2011 की दांडिक अपील सं. 346 मूल अभियुक्त सं. 3 अर्थात् हंसाबा पत्नी नानूभा झाला (जिसे संक्षेप में अभियुक्त-3 कहा गया है) और इस अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और सात वर्ष का कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए इस अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 30 दिन का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त-3 को छह मास का साधारण

कारावास भोगने तथा 200/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 15 दिन की अवधि का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया । गुजरात राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा गया है) की धारा 378(1)(3) के अधीन 2011 की दांडिक अपील सं. 740 प्रस्तुत की गई है जिसमें अभियुक्त-2 अर्थात् नानूभा उम्मेदसिंह झाला और अभियुक्त-4 अर्थात् जयदीपसिंह नानूभा झाला की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है । राज्य द्वारा संहिता की धारा 377 के अधीन 2011 की दांडिक अपील सं. 742 तारीख 28 फरवरी, 2011 को मूल अभियुक्त-1 अर्थात् प्रदीपसिंह नानूभाई झाला और अभियुक्त-3 अर्थात् हंसाबा पत्नी नानूभा उम्मेदसिंह झाला के संबंध में पारित किए गए दंडादेश में अभिवृद्धि किए जाने के लिए फाइल की गई है । ये चारों अपीलें तारीख 28 फरवरी, 2011 को विद्वान् पीठासीन अधिकारी और विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), फास्ट ट्रैक न्यायालय सं. 1, अहमदाबाद (ग्रामीण क्षेत्र), विरमगम द्वारा सेशन मामला सं. 16/2010 में दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं । न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परिशीलन और विश्लेषण करना चाहिए जिनमें मृत्यु और दहेज की मांग तथा क्रूरता या प्रपीड़न आदि के बीच सीधा संबंध हो और मृत्यु के कुछ पूर्व जैसा मुख्य अवयव ऐसी स्थिति में सिद्ध किया जाना चाहिए जब आहत के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई हो और उसे तंग किया गया हो । यद्यपि, मृत्यु के कुछ पूर्व से कोई भी विशेष समयावधि स्पष्ट नहीं होती है किंतु की गई क्रूरता और मृत्यु के बीच इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए जिससे दहेज की मांग किए जाने और मृत्यु कारित होने के बीच संबंध स्थापित न किया जा सके । यदि क्रूरता की कोई अभिकथित घटना को घटित हुए लम्बा समय हो गया है और वह अब निष्प्रभावी हो गई है जिससे आहत का मानसिक संतुलन विचलित न हो सके, तब ऐसी क्रूरता से कोई परिणाम नहीं निकलेगा । उपरोक्त मताभिव्यक्ति का प्रयोग दंड संहिता की सारभूत धारा 304ख में किया गया है और इसका परिशीलन साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के साथ किया जाना चाहिए, अतः दहेज की मांग के आधार पर कारित की गई क्रूरता और मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए और ऐसी ही परिस्थिति में दंड संहिता की धारा 304ख के अवयवों को लागू करने के लिए मृत्यु से संबंधित उपधारणा की जानी चाहिए क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा का नियम उल्लिखित है

अर्थात् मृतका की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई हो । (पैरा 20.1)

एक अन्य मामले में किए गए विनिश्चय के अनुसार दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों के लागू किए जाने के लिए अपराध के मुख्य अवयव जो सिद्ध किए जाने चाहिए, इस प्रकार हैं – (क) मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था ; (ख) मृतका की मृत्यु किसी प्रकार जलने या शारीरिक क्षति कारित किए जाने या किसी ऐसी परिस्थिति से हो जाए जो सामान्य नहीं हैं ; (ग) ऐसी मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर हो जाए ; (घ) आहत के साथ पति या पति के किसी भी नातेदार द्वारा क्रूरता की जाए या उसे तंग किया जाए ; (ङ) ऐसी क्रूरता या तंग किए जाने का संबंध दहेज की मांग से हो ; (च) यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या तंग किया जाना मृत्यु के कुछ पूर्व की घटना है । (पैरा 20)

अतः, अपराध में उपरोक्त भूमिका और दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अधीन दहेज की परिभाषा को दृष्टिगत करते हुए न्यायालय इन अपीलों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए कार्यवाही करेगा । (पैरा 20.2)

शिकायतकर्ता के पक्षकथन के आधार पर, मृतका के पिता अर्थात् शिकायतकर्ता (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य (प्रदर्श-26) ; जया महेन्द्रसिंह (अभि. सा. 6) अर्थात् मृतका की माता के परिसाक्ष्य (प्रदर्श-37) और दोनों पक्ष के नातेदार अर्थात् चावड़ा कनुजी मनुजी (अभि. सा. 4) जो आहत और उसके पति के बीच विवाह बंधन के मामले में बिचौलिया था, के परिसाक्ष्य (प्रदर्श-24) से यह प्रतीत होता है कि आहत के पति द्वारा पी. एस. आई. की प्रतियोगी परीक्षा में अवैध रूप से उत्तीर्ण होने के लिए पांच लाख रुपए की मांग की गई थी जोकि निराधार प्रतीत होती है और यह एक अनिश्चित अभिकथन है जिसकी साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है । उपरोक्त तीनों साक्षियों ने आहत के चाचा घनश्यामभाई द्वारा दिए गए इस आश्वासन के संबंध में भिन्न-भिन्न साक्ष्य दिया है कि उन्होंने उपरोक्त पद के लिए एक लाख रुपए का संदाय करने के लिए कहा था । इसके अतिरिक्त, टेलीविजन, फ्रिज क्रय करने और दस हजार रुपए नकद रकम की मांग की भी संपुष्टि साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है । घटना के एक दिन पहले अर्थात् तारीख 24 मई, 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न में आहत द्वारा की गई उन फोन कालों के संबंध में विस्तार से परीक्षा नहीं कराई गई है जो आहत

ने उस समय की थीं जब उसकी अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी हुई थी क्योंकि उसे बिजली का लघु झटका लगने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था । इसी प्रकार, घटना के दिन अर्थात् तारीख 25 मई, 2010 को प्रातःकाल मृतका की मृत्यु होने के संबंध में कोई भी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । ऊपर उल्लिखित किसी भी अभियोजन साक्षी ने विरमगम स्थित सरकारी अस्पताल के भारसाधक या पुलिस प्राधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति के समक्ष उस समय कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की जब वे मौजूद थे, और तारीख 25 मई, 2010 को दोपहर के समय जब शवपरीक्षण किया गया था, उस समय पर भी कोई शिकायत नहीं की गई थी । उपरोक्त अभियोजन साक्षियों ने आहत के मायके में दाह-संस्कार में भाग लिया था और मृतका के आभूषण वापस करने का निवेदन भी किया था और बिना किसी आपत्ति के आहत के ससुराल वालों ने आभूषण वापस कर दिए थे । इसके अतिरिक्त, आहत को अपने मायके जाने के लिए कई बार अनुज्ञात किया गया था और यह साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध है । घटना के एक दिन पहले, आहत अपने निकट नातेदार अर्थात् भतीजे के विवाह-समारोह में गई थी जिसके फोटोचित्र उपलब्ध हैं और इस संबंध में प्रतिरक्षा साक्षी-2 अर्थात् झाला वजुभाई कनभाई द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । इस प्रकार, ससुरालवालों के कुल मिलाकर आचरण से दुर्व्यवहार किए जाने या मृतका को तंग किए जाने, किसी प्रकार की क्रूरता कारित किए जाने का तथ्य अभिलेख से प्रतीत नहीं होता है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मृत्यु के कारण के संबंध में जो अभिवाक् किया गया है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटना से हुई है, उसकी न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से सम्यक् रूप से संपुष्टि होती है क्योंकि मृतका के शरीर पर कोई भी क्षति नहीं देखी गई है । (पैरा 21)

अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पंचनामे का तैयार किया जाना है जिससे यह प्रकट होता है कि टेलीविजन और केबल का तार निकट लगे हुए बिजली के खम्बे पर ढीला होकर लटका हुआ था और उसमें विद्युतधारा प्रवाहित हो रही थी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उससे मृतका को बिजली का झटका लगा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी यही पता चलता है । (पैरा 22)

इसके अतिरिक्त, आहत के पति ने पी. एस. आई. परीक्षा के लिए शारीरिक स्वस्थता की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और प्रतियोगी परीक्षा तारीख 5 और 6 जून, 2010 को होनी थी, अतः पांच लाख रुपए की मांग उसके सफल घोषित किए जाने के पूर्व किया जाना अविश्वसनीय है । (पैरा 22.1)

डा. विजय परषोत्तमभाई प्रजापति (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य (प्रदर्श-12) द्वारा, जिन्होंने मृतका की दाईं हथेली पर 1 से. मी. व्यास की क्षति देखी थी, यह राय व्यक्त होती है कि ऐसी क्षति आत्महत्या के दौरान कारित हो सकती है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह दोहराया है कि यदि टेलीविजन से जुड़े चैनल के तार को ढीला लटका दिया जाए और वह टेलीविजन के सोकेट से जोड़ा न गया हो, तब यदि कोई व्यक्ति ऐसे तार को छुएगा या उसे पकड़ेगा तब संभवतः उसकी हथेली में क्षति कारित हो सकती है । (पैरा 23)

आहत के माता-पिता सहित निकट नातेदारों के परिसाक्ष्यों, स्वतंत्र साक्षी डा. विजय परषोत्तमभाई प्रजापति (अभि. सा. 1), जिन्होंने शवपरीक्षण किया था और डा. दिलीपभाई केशवलाल पटेल (अभि. सा. 3), जिन्होंने घटना से एक दिन पहले मृतका की चिकित्सा परीक्षा की थी, पंचनामा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट जैसे सभी साक्ष्यों का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन इस मामले में के अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के संबंध में साबित करने में असफल रहा है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के साथ पठित धारा 374 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है । (पैरा 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 3 एस. सी. सी. 724 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 980 : **शेर सिंह** उर्फ **प्रताप** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	12.1
[2015]	(2015) 5 एस. सी. सी. 201 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2081 : **मेजर सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	12.1
[2013]	(2013) 7 एस. सी. सी. 256 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841 : **जसविंदर सैनी और अन्य** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार** ;	12,18.1
[2013]	ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1039 : **कश्मीर कौर और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	20

[2010]	(2010) 15 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568 : **राजबीर** उर्फ **राजू** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	7, 12,18.1
[2007]	(2007) 9 एस. सी. सी. 721 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 763 : **अप्पा साहेब और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ।	12.3

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 513, 346, 740 और 742.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1)(3) और 377 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री बी. बी. नायक (ज्येष्ठ अधिवक्ता), (सुश्री) रेखा एच. कपाड़िया और प्रवीण गोंडालिया

प्रत्यर्थी की ओर से श्री ऋतुविज ओझा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अनन्त एस. दवे ने दिया ।

न्या. दवे – ये चारों अपीलें तारीख 28 फरवरी, 2011 को विद्वान् पीठासीन अधिकारी और विशेष न्यायाधीश (अत्याचार), फास्ट ट्रैक न्यायालय सं. 1, अहमदाबाद (ग्रामीण क्षेत्र), विरमगम द्वारा सेशन मामला सं. 16/2010 में दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं ।

2. 2011 की दांडिक अपील सं. 513 मूल अभियुक्त सं. 1 अर्थात् प्रदीप नानूभा झाला (जिसे संक्षेप में "अभियुक्त-1" कहा गया है) और इस अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । जहां तक दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध का संबंध है, इस अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने तथा 200/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम करने पर एक मास का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है । दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त-1 को छह मास का साधारण कारावास भोगने और 200/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 30 दिन का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

3. 2011 की दांडिक अपील सं. 346 मूल अभियुक्त-3 अर्थात् हंसाबा पत्नी नानूभाई झाला (जिसे संक्षेप में "अभियुक्त-3" कहा गया है) और इस अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और सात वर्ष का कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है । दंड संहिता की धारा 498क के अधीन दंडनीय अपराध के लिए इस अभियुक्त को एक वर्ष का साधारण कारावास भोगने तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 30 दिन का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त-3 को छह मास का साधारण कारावास भोगने तथा 200/- रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 15 दिन की अवधि का साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

4. गुजरात राज्य द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 378(1)(3) के अधीन 2011 की दांडिक अपील सं. 740 प्रस्तुत की गई है जिसमें अभियुक्त-2 अर्थात् नानूभा उम्मेदसिंह झाला और अभियुक्त-4 अर्थात् जयदीपसिंह नानूभा झाला की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है । राज्य द्वारा संहिता की धारा 377 के अधीन 2011 की दांडिक अपील सं. 742 तारीख 28 फरवरी, 2011 को मूल अभियुक्त-1 अर्थात् प्रदीपसिंह नानूभाई झाला और अभियुक्त-3 अर्थात् हंसाबा पत्नी नानूभाई उम्मेदसिंह झाला के संबंध में पारित किए गए दंडादेश में अभिवृद्धि किए जाने के लिए फाइल की गई है ।

5-6. मृतका हेतलबा के पिता महेन्द्रसिंह मगनजी चावड़ा ने इस पृष्ठभूमि में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 498क, 302, 306, 304ख और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आई. सी. आर. सं. 70/2010 के रूप में विरमगम पुलिस थाना (ग्रामीण क्षेत्र) में दर्ज कराई । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार शिकायतकर्ता लिम्बोदरा, तालुका कलोल में रहता था और उसकी पुत्री हेतलबा का विवाह अभियुक्त-1 के साथ तारीख 20 फरवरी, 2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था । अभियुक्त-2 और अभियुक्त-3 मृतका हेतलबा का श्वसुर और सास हैं और अभियुक्त-4 अर्थात् जयदीपसिंह नानूभाई झाला उसका देवर है जो उपरोक्त अपराध में अन्तर्वलित हैं । शिकायतकर्ता का यह भी पक्षकथन है कि शुरू-शुरू में आहत को अपनी सास-श्वसुर से कोई भी शिकायत नहीं थी किंतु समय के

बीतने के साथ-साथ अभियुक्तों ने मृतका की कमियां बताते हुए उसके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता का व्यवहार करना आरंभ कर दिया । मृतका को प्रायः अपमानित किया जाता था और उसे इस आधार पर उत्पीड़ित किया जाता था कि वह पर्याप्त दहेज लेकर नहीं आई है । उपरोक्त तथ्य मृतका के माता-पिता की जानकारी में लाया गया, तथापि, शुरू-शुरू में उन्होंने मृतका को यह कहकर सांत्वना दी कि वे उसके ससुराल वालों की मांग पूरी करेंगे और टेलीविजन तथा फ्रिज की मांग पूरी करने के लिए आहत के पति को 10,000/- रुपए की नकद राशि दी गई । इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता की पुत्री के पति की पांच लाख रुपए की मांग पूरी नहीं हो सकी क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया जिस पर अभियुक्त-1 उनसे प्रसन्न नहीं था । आहत ने मानसिक और शारीरिक क्रूरता से दुखी होकर तारीख 25 मई, 2010 को प्रातःकाल बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या कर ली और इसीलिए शिकायत फाइल की गई है । पुलिस ने अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 498क, 302, 306, 304ख और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया, अतः मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और उसे सेशन मामला सं. 16/2010 के रूप में नम्बरीकृत किया गया तथा तद्नुसार उसका विचारण किया गया ।

7. **राजबीर** उर्फ **राजू** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों को दृष्टिगत करते हुए दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध से संबंधित मामले में अभियुक्त का विचारण दंड संहिता की धारा 302 के अधीन भी किया जाना चाहिए । अतः, विचारण के भारसाधक विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किया । अभियुक्तों का विचारण तद्नुसार किया गया जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त-1 और अभियुक्त-3 को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया तथा अभियुक्त-2 और अभियुक्त-4 को दोषमुक्त किया गया जिसके लिए इस निर्णय के पूर्ववर्ती पैरा में निर्देश किया गया है ।

8. सबसे पहले अभियुक्त-1 और 3 की ओर से हाजिर होने वाले

---

[1] (2010) 15 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568.

विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री बी. बी. नायर ने हमारा ध्यान दंड संहिता की धारा 304ख, धारा 306 और धारा 498क तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 और 4 की ओर दिलाया है । अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की मूल दलील अभियोजन पक्ष की इस असफलता के संबंध में है कि उसने उपरोक्त धाराओं के अवयवों को सिद्ध नहीं किया है और यह निवेदन किया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख के साथ पठित दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन विचारण किए जाने वाले मामले में अभियोजन पक्ष को पांच प्राथमिक तथ्यों को साबित करना चाहिए चाहे अधिसंभाव्यता की प्रबलता द्वारा यह जानते हुए साबित किया जाए कि महिला की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में (क) जलने से या शारीरिक क्षति कारित होने से (ख) उसकी मृत्यु विवाह से सात वर्षों के भीतर (ग) उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या तंग किए जाने से (घ) जो दहेज की मांग करने से संबंधित हो और (ङ) ऐसी क्रूरता का व्यवहार या उसे इस प्रकार तंग किया जाना उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व की घटना हो । काउंसेल के अनुसार, मृत्यु के कुछ पूर्व शब्दों से यह उपदर्शित होता है कि मृतका के साथ की गई क्रूरता का सीधा संबंध दहेज की मांग और उसकी मृत्यु से होना चाहिए ताकि दंड संहिता की धारा 304ख को प्रवृत्त किया जा सके । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन आज्ञापक रूप से न्यायालय से यह अपेक्षा की गई है कि वह दहेज मृत्यु के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध दोषी होने का प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल सके/उपधारित कर सके और जब एक बार अभियोजन पक्ष अपने इस आरंभिक सबूत के भार का निर्वहन भले ही अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर कर देता है तब दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अधिकथित दहेज मृत्यु के सभी संघटकों पर विचार किया जा सकता है अन्यथा नहीं ।

9. इस मामले के तथ्यों के अनुसार दहेज को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अधीन परिभाषित किया गया है और उसके अवयव इस प्रकार हैं कि "दहेज" से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय – (क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या (ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या अन्य किसी व्यक्ति को, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई

है या दिए जाने के लिए करार की गई है । अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, यदि सावधानीपूर्वक विचार किया जाए, तब "दहेज" की परिभाषा के अंतर्गत कोई भी मामला नहीं बनता है और तद्नुसार उससे संबंधित कोई अपराध भी नहीं बनता है । कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति .... ।

9.1 दहेज की मांग को लेकर तंग किए जाने और क्रूरता कारित किए जाने से संबंधित दंड संहिता की धारा 498क को अन्य बातों के साथ निर्दिष्ट किया गया है और यह दलील दी गई है कि किसी भी कल्पना के आधार पर कोई भी मामला नहीं बनता है और इसे केवल आत्महत्या कहा जा सकता है, अतः, विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश अभिखंडित और अपास्त किए जाने चाहिए ।

10. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान निम्न अभियोजन साक्षियों और दस्तावेजी साक्ष्य की ओर दिलाया है । यह दलील दी गई है कि मृतका की मृत्यु बिजली का करंट लगने से दुर्घटनावश हुई है और यह बात डा. विजय पुरुषोत्तमभाई प्रजापति (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य (प्रदर्श 12) से अभिलेख पर उपलब्ध है कि ऐसी क्षति टेलीविजन की केबल पकड़ने से भी कारित हो सकती है । अभियुक्त-अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल के अनुसार जब अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि केबल का तार निकट स्थित बिजली के खंभे से होकर आ रहा था और पंच साक्षियों के अभिसाक्ष्य और न्यायालयिक प्रयोगशाला की इस संबंध में रिपोर्ट के अनुसार कि केबल का तार बिजली के खंभे के संपर्क में हो सकता है, यह पता चलता है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है । अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है जिससे यह पता चलता है कि यह मामला दुर्घटनावश हुई मृत्यु का है और विचारण न्यायालय ने अनुमान और अटकलों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है ।

10.1 दहेज की मांग किए जाने की बात भी अभिलेख से मेल नहीं खाती है और आहत के पिता अर्थात् शिकायतकर्ता महेन्द्रसिंह मगनजी चावड़ा (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य (प्रदर्श 26) और मृतका की माता अर्थात् जयाबा महेन्द्रसिंह (अभि. सा. 6) के परिसाक्ष्य (प्रदर्श 37) और मध्यस्थ (बिचौलिया) चावड़ा कनुजी मनुजी (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्य (प्रदर्श 24) से यह उद्भूत होता है कि उनके परिसाक्ष्यों में महत्वपूर्ण लोप हैं और जब शिकायतकर्ता से पांच लाख रुपए की मांग के संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूछा गया तब यह बताया गया कि शिकायतकर्ता के भाई और मृतका के चाचा अर्थात् घनश्यामभाई द्वारा एक लाख रुपया दिया गया था,

जिसके संबंध में कथन नहीं किया गया है । इसी प्रकार, टेलीविजन और फ्रिज की मांग भी अनुश्रुत है और इस संबंध में कोई अभिलेख मौजूद नहीं है । इसके प्रतिकूल, अभियुक्त के पास पहले से ही उसके घर में ब्लैक-एंड-ह्वाइट टेलीविजन था जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी । यह दलील दी गई है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है और इस संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण नहीं किया गया और मोबाइल फोन आदि का उस घटना से क्या संबंध था जो एक दिन पहले अर्थात् तारीख 24 मई, 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न में घटित हुई थी, इसके ब्यौरे भी इस संबंध में नहीं दिए गए हैं जब शिकायतकर्ता की पुत्री ने बिजली का करंट लगने की शिकायत की थी किंतु विरमगम में स्थित अस्पताल में किए गए उपचार के पश्चात् उसे वापस लाया गया और जब वह घटना के बारे में बता रही थी तब वह रो रही थी । अगले दिन जब शिकायतकर्ता ने अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री की ससुराल जाने का इरादा किया तब चावड़ा कनुजी मनुजी से यह फोन काल प्राप्त हुई कि उसकी पुत्री हेतलबा को पुनः बिजली का झटका लगा है और उसकी मृत्यु हो गई है । इसके पश्चात्, वह अन्य नातेदारों और जान-पहचान के व्यक्तियों को लेने के लिए वापस ग्राम चला गया और विरमगम स्थित सरकारी अस्पताल में गया जहां पर लगभग 3 बजे अपराह्न में मृतका के शव का शवपरीक्षण किया गया किंतु उस समय तक पुलिस को कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई । इसके पश्चात् परिसाक्ष्य में यह उल्लेख किया गया है कि हेतलबा के टखनों पर कुछ क्षतियां देखी गईं थीं । विद्वान् काउंसेल के अनुसार, यह साक्ष्य में सुधार किया गया है और इसका शिकायत में लोप है जिसके आधार पर शिकायतकर्ता के परिसाक्ष्य को त्यक्त किया जाना चाहिए । विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान शवपरीक्षण रिपोर्ट और मृत्यु के कारण की ओर दिलाया है जो बिजली का करंट लगने के परिणामस्वरूप श्वासावरोध/हृदय गति रुकने से हुई है । यद्यपि, अभी न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के पश्चात् मृत्यु का कारण अंतिम रूप से दिया जाना शेष था किंतु उपरोक्त रिपोर्ट में भी क्षतियों का उल्लेख नहीं किया गया था ।

11. घटना दृश्य का दृढ़तापूर्वक अवलंब लिया गया है जिसके संबंध में पंचनामा (प्रदर्श 17) तैयार किया गया है जिसमें लकड़ी से बनी केबिनेट वाले टेलीविजन का उल्लेख है और अभियुक्त-1 के अनुसार उसकी पत्नी हेतलबा को बिजली का करंट उस समय लगा था जब वह केबल के तार को टेलीविजन से जोड़ रही थी । अभिलेख से यह भी पता चलता है कि

केबल का तार बिजली के खंभे के साथ लटका हुआ था और उसमें विद्युत धारा बह रही थी । दूसरे पंचनामे और मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के लिए यह दलील दी गई है कि पंचों में से किसी भी व्यक्ति ने मृतका के शरीर पर क्षति के चिह्न नहीं देखे थे ।

11.1. उपरोक्त बातों के साथ-साथ प्रतिरक्षा साक्षी-1, 2 और 3 के साक्ष्य का अवलंब लिया गया है, अभियुक्त-1, फोटोग्राफर और अभियुक्त के पड़ोसी के साक्ष्य पर भी विचार किया गया है जिन्होंने घटना घटित होने की रीति के संबंध में कथन दिया है और फोटोग्राफर (प्रतिरक्षा साक्षी 2) ने घटना से पूर्ववर्ती रात्रि में हेतलबा के फोटो खींचे थे । इन सब बातों से संचयी रूप से यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जो कहानी प्रस्तुत की गई है वह निराधार है और विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने असंगतताओं, फर्कों और लोपों तथा विरोधाभासों एवं सुधारों के बावजूद अभि. सा. 4, 5 और 6 के साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए अभियोजन पक्षकथन को उचित ठहराने में भारी गलती की है और तद्नुसार आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाने चाहिए ।

12. संक्षेप में, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल की दलीलें इस प्रकार हैं :—

(क) मृतका की मृत्यु दुर्घटनावश हुई है अर्थात् यह न तो मानव वध है और न ही आत्महत्या है ।

(ख) विवाह के समय या उसके पश्चात् दहेज की कोई भी मांग नहीं की गई थी और न ही पक्षकारों के बीच ऐसा कोई करार किया गया था । रीति-रिवाज के अनुसार उपहार दिए गए थे या उनका आदान-प्रदान किया गया था जोकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(ग) क्रूरता या दहेज से संबंधित अभिलेख पर कोई भी तर्कसम्मत और विश्वासप्रद साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कुल मिलाकर, अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आरोप साबित करने में असफल रहा है और इस धारा के किसी भी अवयव का समाधान भी नहीं किया गया है । यही स्थिति दंड संहिता की धारा 498क के अधीन किए गए अपराध तथा अन्य अपराध के संबंध में है ।

(ङ) राजबीर **उर्फ** राजू **बनाम** हरियाणा राज्य, (2010) 15 एस.

सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेशों के आधार पर दंड संहिता की धारा 302 के अधीन विरचित आरोप एक पश्चात्वर्ती मामले अर्थात् जसविंदर सैनी और अन्य **बनाम** राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली, (2013) 7 एस. सी. सी. 256 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841 वाले मामले में उलट दिया गया ।

(च) नातेदारों के सिवाय साक्षियों के कथन अभिलिखित किए जाने की संभावना के बावजूद केवल तीन हितबद्ध साक्षियों की परीक्षा कराई गई ।

(छ) मृतका को कभी भी उसके वैवाहिक गृह पर असहाय रूप में नहीं छोड़ा गया और न ही उसे वहां से बाहर निकाला गया ।

(ज) यदि निष्पक्ष और पारदर्शी अन्वेषण किया जाता तो अभियुक्त दोषी न पाया जाता । यदि तारीख 24 मई, 2010 और 25 मई, 2010 को की गई फोन की कालों के अभिलेख, जिसका अवलंब शिकायतकर्ता द्वारा लिया गया है, के साथ-साथ समुचित सामग्री, साक्ष्य आदि भी एकत्र किए गए होते तब अभियुक्त दोषी न ठहराया जाता ।

(झ) शिकायतकर्ता (अभि. सा. 5), चावड़ा कनुजी मनुजी (अभि. सा. 4) और जयाबेन, महेन्द्रसिंह झाला (अभि. सा. 6) के परिसाक्ष्यों का यदि सच्चे रूप से परिशीलन किया जाए तब महत्वपूर्ण सुधार और लोप अभिलेख पर दिखाई पड़ते हैं । विरोधाभास गंभीर भी हैं, अतः उपरोक्त कोई भी साक्षी विश्वसनीय नहीं है और उसका साक्ष्य विश्वासोत्पादक नहीं है, अतः अवलंब लिए जाने योग्य नहीं है ।

(ञ) अन्य बातों के साथ यह दलील दी गई है कि ससुराल वालों से वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की सहायता की मांग इन परिस्थितियों में दहेज की कोटि में कभी नहीं आएंगी न ही इसे क्रूरता की कोटि में रखा जा सकता है ।

(ट) पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती कराने के लिए अभियुक्त-1 द्वारा पांच लाख रुपए की अभिकथित मांग स्वयं में अवैध है । किन्तु तथ्यों से यह प्रकट होता है कि पुलिस उप निरीक्षक के पद के लिए भर्ती किए जाने की लिखित परीक्षा तारीख 5 और 6 जून को अर्थात् घटना के दस दिन बाद हुई थी ।

(ठ) उपरोक्त अभिकथनों के संबंध में, शिकायतकर्ता अर्थात् आहत के पिता द्वारा कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है और चावड़ा कनुजी मनुजी अर्थात् मृतका के मामा और जयाबेन महेन्द्रसिंह झाला अर्थात् मृतका की माता के साक्ष्य में भी यह उल्लेख नहीं है कि आहत के चाचा को वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी थी और इन साक्षियों के साक्ष्य में छोटे-मोटे विरोधाभास हैं ।

(ड) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से की गई है जोकि बाद में आया विचार है ।

(ढ) सूचना दिए जाने के बावजूद, आहत के माता-पिता दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हुए ।

(ण) यद्यपि शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी तथा अन्य नातेदार वहां पहुंचे थे जहां शवपरीक्षण किया गया था किंतु कोई भी शिकायत नहीं की गई ।

(त) जब साक्ष्य से दो मत उद्भूत होते हों, तब वह मत जो अभियुक्त की निर्दोषिता के पक्ष में हो, अपनाया जाना चाहिए और इस मामले के तथ्यों के साक्ष्यों के संचयी मूल्यांकन और विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि यह मामला दुर्घटनात्मक मृत्यु का है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता ।

12.1 विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री बी. बी. नायक ने अपनी इस दलील के समर्थन में, युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित करने का भार और दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन आवश्यक अवयवों को पूरा करने, उसके उद्देश्य और दहेज-मृत्यु से संबंधित इस धारा के निगमन के पीछे कारणों को स्पष्ट करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, इस संबंध में उन्होंने इन निर्णयों का अवलंब लिया है - **शेर सिंह** उर्फ **प्रताप** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] और **मेजर सिंह और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[2] और निर्णय के पैरा 20 में मृत्यु के कुछ पूर्व शब्दों को स्पष्ट करते हुए तथा दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन अपराध के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है ।

12.3 विद्वान् काउंसेल ने **अप्पासाहेब और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र**

---

[1] (2015) 3 एस. सी. सी. 724 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 980.

[2] (2015) 5 एस. सी. सी. 201 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 2081.

राज्य[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय का भी अवलंब लिया है जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 के अधीन अध्यपेक्षाओं को स्पष्ट किया गया है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय द्वारा किस प्रकार कार्यवाही की जानी चाहिए ।

12.4 सुसंगत पंचनामा अर्थात् घटना दृश्य, मृत्युसमीक्षा, भाग्योदया अस्पताल के चिकित्सक और शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक तथा इस संबंध में तैयार की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट से दुर्घटनात्मक मृत्यु के मामले का समर्थन होता है । तथापि, यह मृत्यु आत्महत्या से हुई है, इस बात की संभावना अत्यंत कम है और इसकी संपुष्टि अन्य किसी के साक्ष्य से नहीं होती है ।

12.5 न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट और टेलीविज़न से जुड़ी केबल जो निकट के बिजली के खंभे जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा था, से लगी हुई थी और उसमें भी करंट आ रहा था जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनावश मृत्यु हुई । अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष संदेह के परे साबित करना चाहिए ।

13. उपरोक्त बातों के प्रतिकूल प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री ऋतुविज ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि दंड संहिता की धारा 498 के साथ पठित धारा 304ख और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन जघन्य अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन किए जाने के पश्चात् की गई है और इस संबंध में कारण समनुदेशित किए गए हैं और इस प्रकार निकाले गए निष्कर्ष और परिणामों पर इस बाबत कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त इस अपराध में अन्तर्वलित है और ऐसे मामलों में जिनमें अपराध घर की दीवारों के बीच घटित होता है और आहत के सिवाय अन्य कोई व्यक्ति साक्षी नहीं होता जो अपराध की प्रकृति और अपराध घटित होने का कारण बता सके, तब ऐसी स्थिति में उपलब्ध न्यायालयिक साक्ष्य तथा अन्य दस्तावेजी सामग्री आहत के नातेदारों द्वारा दिया गया साक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । यह दलील दी गई है कि निर्विवादित रूप से यह घटना तारीख 24 मई, 2010 को घटित हुई थी और आहत को विरमगम

---

[1] (2007) 9 एस. सी. सी. 721 = ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 763.

स्थित किसी निजी अस्पताल ले जाया गया था और चिकित्सक की सलाह के बिना उसकी अस्पताल से छुट्टी कराई गई और उसी दिन 9 बजे अपराह्न तक आहत हेतलबा के नातेदारों और पुलिस को सूचना नहीं दी गई । यह भी दलील दी गई है कि ऐसी घटना अगले दिन भी घटित होती है और इसे दुर्घटना नहीं कहा जा सकता क्योंकि हेतलबा को पिछले दिन बिजली का झटका लगा था और वह इस बात से पूर्णतया अवगत थी कि बिजली के खराब तार से कोई दुर्घटना हो सकती है । विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार पंचनामा और अभि. सा. 4, 5 और 6 के परिसाक्ष्य और प्रदर्श डी. डब्ल्यू. 1/ए-1 को दृष्टिगत करते हुए अभिलेख से यह प्रकट होता है कि लकड़ी की केबिनेट वाला टेलीविजन ऐसी स्थिति में रखा हुआ था कि सामान्य स्थिति में उसे केबल के तार से जोड़ा नहीं जा सकता था और मृतका की हथेली और छोटी अंगुली (कनिष्का) में क्षति कारित होना मानव वध से हुई मृत्यु से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण परिस्थिति है । यह दलील दी गई है कि अभि. सा. 4, 5 और 6 के परिसाक्ष्यों में स्पष्ट रूप से अभिलेख पर यह दर्शित होता है कि टेलीविजन, फ्रिज और दस हजार रुपए अभियुक्त-1 को दिए गए थे । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6 ने अपने परिसाक्ष्य में अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है और शिकायत में जो अभियुक्त-1 द्वारा पांच लाख रुपए की मांग किए जाने की बात कही गई है, वह उस समय दी जानी थी जब परीक्षा का अगला चरण पूरा हो जाता क्योंकि अभियुक्त शारीरिक और लिखित परीक्षा के चरण में उत्तीर्ण हो चुका था । यह दलील दी गई है कि शवपरीक्षण करने वाले चिकित्सक की राय और इस संबंध में दी गई रिपोर्ट से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन होता है । चूंकि, अभि. सा. 4, 5 और 6 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि के लिए पर्याप्त सामग्री दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उपलब्ध है, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाने चाहिए और अभियुक्त-2 और अभियुक्त-4 की दोषमुक्ति के आदेश अपास्त किए जाने चाहिए और साथ ही अभियुक्त-1 और अभियुक्त-3 को विधि के अधीन उपलब्ध अधिकतम दंड से दंडादिष्ट किया जाना चाहिए ।

14. विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री ऋतुविज ओझा ने हमारा ध्यान तारीख 24 और 25 मई, 2010 को रिपोर्ट की गई घटना की ओर दिलाया है और यह दलील दी है कि किसी भी परिस्थिति में आहत बिजली के तार को छूने का प्रयास, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब उसे पहले दिन बिजली का झटका लगा हो, नहीं कर सकती थी, उसे बिजली का करंट लगने के

आधार पर अस्पताल में भर्ती इस शिकायत के साथ कराया गया कि मृतका टेलीविजन की लकड़ी से बनी केबिनेट पर सूती कपड़ा बिछा रही थी और उसे बिजली का झटका लगा । विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और कनुजी मनुजी चावड़ा द्वारा कई घटनाओं का वर्णन किया गया है जिससे यह प्रकट और सिद्ध होता है कि मृतका के साथ क्रूरता और उसे तंग किए जाने के व्यवहार के साथ-साथ दहेज की मांग की जाती थी ।

14.1 अभियोजन पक्षकथन पर तुच्छ असंगतताओं या फर्कों और छोटे-मोटे लोपों एवं विरोधाभासों, जोकि गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

15. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने दो चिकित्सकों के परिसाक्ष्यों का अवलंब लेते हुए यह दलील दी है कि इन साक्षियों के साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन का समर्थन होता है ।

15.1 विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान घटना दृश्य से संबंधित तैयार किए गए पंचनामों सहित अन्य साक्ष्य की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि तारीख 25 मई, 2010 को जिस रीति में घटना घटित हुई है उससे इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि मृत्यु दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों के अन्यथा हुई है । क्षति हथेली पर कारित हुई है न कि अंगुलियों पर ।

16. विद्वान् अपर लोक अभियोजक के अनुसार, प्रतिरक्षा साक्षियों के साक्ष्य, जो अभिलेख पर उपलब्ध हैं, अभियुक्त की निर्दोषिता के लिए सहायक नहीं हैं । यह दलील दी गई है कि विवाह के पश्चात् डेढ़ वर्ष की छोटी सी अवधि के दौरान मृत्यु हुई है जिसके संबंध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, इस बात से न केवल दंड संहिता की धारा 304ख के अवयव साबित होते हैं अपितु धारा 498क के अवयवों का समाधान भी हो गया है और इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख का अवलंब लेना होगा । यह दलील दी गई है कि अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील कम से कम दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दोषसिद्धि और आजीवन कारावास के दंडादेश को कायम रखते हुए खारिज की जानी चाहिए ।

17. जहां तक प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए विनिश्चयों का संबंध है यह दलील दी गई है कि मृतका और अभियुक्त-1 के वैवाहिक जीवन का समयकाल डेढ़ वर्ष से भी कम है और इस संबंध में

पर्याप्त सामग्री विद्यमान है कि शिकायत का परिशीलन अभि. सा. 4, 5 और 6 के परिसाक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित किया गया है कि शारीरिक और मानसिक क्रूरता को लेकर दहेज की मांग किए जाने का मामला गठित होता है और दहेज की मांग किए जाने की बाबत सीधा संबंध दिखाई देता है और मृत्यु के कुछ पूर्व का निर्वचन करने के लिए कोई भी नियत सीमा विहित नहीं की गई है ।

18. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं अर्थात् प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् काउंसेल तथा विद्वान् अपर लोक अभियोजक को मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य के संबंध में सावधानीपूर्वक सुनने के पश्चात्, हमें प्रतिरक्षा पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दी गई दलील में बल दिखाई देता है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन इस बाबत सिद्ध करने में असफल रहा है कि अभियुक्त का दोष अभिलेख पर साबित किया जा सके जिसके निम्न कारण हैं ।

18.1 यह उल्लेखनीय है कि इस मामले में के अभियुक्तों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 302, 304ख, 306, 498क और 114 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोपित किया गया है । जहां तक दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए जाने का संबंध है, यह **राजबीर** उर्फ **राजू** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए विनिश्चय पर आधारित है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि दंड संहिता की धारा 304ख के अधीन दंडनीय अपराध में आलिप्त होने के मामले में, अभियुक्तों का विचारण दंड संहिता की धारा 302 के अधीन भी किया जाना चाहिए । किंतु तत्पश्चात् **जसविंदर सैनी और अन्य** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विनिश्चय को उलट दिया गया, अतः इन अपीलों पर तद्नुसार विचार किया गया है ।

मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित निम्न सूची दी जा रही है :—

क्रम सं.	अभि. सा.	नाम	प्रदर्श	पेपरबुक पृष्ठ सं.

[1] (2010) 15 एस. सी. सी. 116 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 568.

[2] (2013) 7 एस. सी. सी. 256 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 841.

1	1	डा. विजय पुरुषोत्तमभाई प्रजापति (शवपरीक्षण करने वाला चिकित्सक)	12	213
2	2	कालूभाई उदयसिंह झाला (घटनास्थल का पंच साक्षी)	16	247
3	3	डा. दिलीपभाई केशवलाल पटेल (घटना से एक दिन पूर्व मृतका की चिकित्सा परीक्षा वाला चिकित्सक)	20	253
4	4	चावड़ा कनुजी मनुजी (शिकायतकर्ता का जीजा)	24	263
5	5	महेन्द्रसिंह मगनसिंह चावड़ा (शिकायतकर्ता अर्थात् मृतका का पिता)	26	273
6	6	जयाबा महेन्द्रसिंह झाला (मृतका की माता)	37	307
7	7	हंसाबा पत्नी अजीत सिंह चावड़ा-पी. एस. ओ.	39	317
8	8	अर्जुनसिंह जुवनसिंह चावड़ा - अन्वेषण अधिकारी	41	323
9	9	धनराजभाई रामजीभाई पटेल (कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो मृत्युसमीक्षा के पंचनामे का साक्षी है)	43	335
10	10	निजामुद्दीन गुलामरसूल सैयद (पुलिस उपाधीक्षक का सी.पी.आई. और भारसाधक)	47	345
11	11	पारेख सुरेशकुमार हरगोविन्ददास (फोटोग्राफर)	53	367
12	प्रतिरक्षा साक्षी-1	प्रदीपसिंह नानूभाई झाला	61	393
13	प्रतिरक्षा साक्षी-2	झाला वजूभाई कांभा (फोटोग्राफर)	67	419

14	प्रतिरक्षा साक्षी-3	भरतसिंह धीरुभाई झाला (अभियुक्त का पड़ोसी)	70	427

19. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304ख, 498क के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध से भी दोषमुक्त कर दिया है । इन सभी अपीलों में, हमने अभिलेख पर प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन किया है और इसके पूर्व कि हम इस साक्ष्य पर चर्चा करें, हम दंड संहिता की धारा 304ख के आवश्यक अवयवों के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई उद्घोषणाओं को निर्दिष्ट करना चाहिए ।

304ख : दहेज मृत्यु – (1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती हैं और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा ।

धारा 498क : किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, क्रूरता से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या

उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की संभावना है ; या

(ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अधीन दहेज इस प्रकार परिभाषित है :–

2. "दहेज" की परिभाषा – इस अधिनियम में दहेज से ऐसी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात् किसी समय –

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ; या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को,

उक्त विवाह के पक्षकारों के संबंध में या तो प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके अन्तर्गत नहीं है ।

20. **कश्मीर कौर और एक अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1] वाले मामले में किए गए विनिश्चय के अनुसार दंड संहिता की धारा 304ख के उपबंधों के लागू किए जाने के लिए अपराध के मुख्य अवयव जो सिद्ध किए जाने चाहिए, इस प्रकार हैं – (क) मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था ; (ख) मृतका की मृत्यु किसी प्रकार जलने या शारीरिक क्षति कारित किए जाने या किसी ऐसी परिस्थिति से हो जाए जो सामान्य नहीं हैं ; (ग) ऐसी मृत्यु विवाह की तारीख से सात वर्ष के भीतर हो जाए ; (घ) आहत के साथ पति या पति के किसी भी नातेदार द्वारा क्रूरता की जाए या उसे तंग किया जाए ; (ङ)

---

[1] ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1039.

ऐसी क्रूरता या तंग किए जाने का संबंध दहेज की मांग से हो ; (च) यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या तंग किया जाना मृत्यु के कुछ पूर्व की घटना है ।

20.1 यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का परिशीलन और विश्लेषण करना चाहिए जिनमें मृत्यु और दहेज की मांग तथा क्रूरता या प्रपीड़न आदि के बीच सीधा संबंध हो और मृत्यु के कुछ पूर्व जैसा मुख्य अवयव ऐसी स्थिति में सिद्ध किया जाना चाहिए जब आहत के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की गई हो और उसे तंग किया गया हो । यद्यपि, मृत्यु के कुछ पूर्व से कोई भी विशेष समयावधि स्पष्ट नहीं होती है किंतु की गई क्रूरता और मृत्यु के बीच इतनी दूरी नहीं होनी चाहिए जिससे दहेज की मांग किए जाने और मृत्यु कारित होने के बीच संबंध स्थापित न किया जा सके । यदि क्रूरता की कोई अभिकथित घटना को घटित हुए लम्बा समय हो गया है और वह अब निष्प्रभावी हो गई है जिससे आहत का मानसिक संतुलन विचलित न हो सके, तब ऐसी क्रूरता से कोई परिणाम नहीं निकलेगा । उपरोक्त मताभिव्यक्ति का प्रयोग दंड संहिता की सारभूत धारा 304ख में किया गया है और इसका परिशीलन साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के साथ किया जाना चाहिए, अतः दहेज की मांग के आधार पर कारित की गई क्रूरता और मृत्यु के बीच सीधा संबंध होना चाहिए और ऐसी ही परिस्थिति में दंड संहिता की धारा 304ख के अवयवों को लागू करने के लिए मृत्यु से संबंधित उपधारणा की जानी चाहिए क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ख के अधीन उपधारणा का नियम उल्लिखित है अर्थात् मृतका की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई हो ।

20.2 अतः, अपराध में उपरोक्त भूमिका और दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अधीन दहेज की परिभाषा को दृष्टिगत करते हुए हम इन अपीलों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए कार्यवाही करेंगे ।

21. शिकायतकर्ता के पक्षकथन के आधार पर, मृतका के पिता अर्थात् शिकायतकर्ता (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य (प्रदर्श 26) ; जया महेन्द्र सिंह (अभि. सा. 6) अर्थात् मृतका की माता के परिसाक्ष्य (प्रदर्श 37) और दोनों पक्ष के नातेदार अर्थात् चावड़ा कनुजी मनुजी (अभि. सा. 4) जो आहत और उसके पति के बीच विवाह बंधन के मामले में बिचौलिया था, के परिसाक्ष्य (प्रदर्श 24) से यह प्रतीत होता है कि आहत के पति द्वारा पी. एस. आई. की प्रतियोगी परीक्षा में अवैध रूप से उत्तीर्ण होने के लिए पांच लाख रुपए

की मांग की गई थी जोकि निराधार प्रतीत होती है और यह एक अनिश्चित अभिकथन है जिसकी साक्ष्य से संपुष्टि नहीं होती है । उपरोक्त तीनों साक्षियों ने आहत के चाचा घनश्यामभाई द्वारा दिए गए इस आश्वासन के संबंध में भिन्न-भिन्न साक्ष्य दिया है कि उन्होंने उपरोक्त पद के लिए एक लाख रुपए का संदाय करने के लिए कहा था । इसके अतिरिक्त, टेलीविजन, फ्रिज क्रय करने और दस हजार रुपए नकद रकम की मांग की भी संपुष्टि साक्ष्य द्वारा नहीं की गई है । घटना के एक दिन पहले अर्थात् तारीख 24 मई, 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न में आहत द्वारा की गई उन फोन कालों के संबंध में विस्तार से परीक्षा नहीं कराई गई है जो आहत ने उस समय की थीं जब उसकी अस्पताल से उपचार के बाद छुट्टी हुई थी क्योंकि उसे बिजली का लघु झटका लगने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था । इसी प्रकार, घटना के दिन अर्थात् तारीख 25 मई, 2010 को प्रातःकाल मृतका की मृत्यु होने के संबंध में कोई भी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं । ऊपर उल्लिखित किसी भी अभियोजन साक्षी ने विरमगम स्थित सरकारी अस्पताल के भारसाधक या पुलिस प्राधिकारी सहित किसी भी व्यक्ति के समक्ष उस समय कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की जब वे मौजूद थे, और तारीख 25 मई, 2010 को दोपहर के समय जब शवपरीक्षण किया गया था, उस समय पर भी कोई शिकायत नहीं की गई थी । उपरोक्त अभियोजन साक्षियों ने आहत के मायके में दाह-संस्कार में भाग लिया था और मृतका के आभूषण वापस करने का निवेदन भी किया था और बिना किसी आपत्ति के आहत के ससुराल वालों ने आभूषण वापस कर दिए थे । इसके अतिरिक्त, आहत को अपने मायके जाने के लिए कई बार अनुज्ञात किया गया था और यह साक्ष्य भी अभिलेख पर उपलब्ध है । घटना के एक दिन पहले, आहत अपने निकट नातेदार अर्थात् भतीजे के विवाह-समारोह में गई थी जिसके फोटोचित्र उपलब्ध हैं और इस संबंध में प्रतिरक्षा साक्षी-2 अर्थात् झाला वजुभाई कनभाई द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है । इस प्रकार, ससुरालवालों के कुल मिलाकर आचरण से दुर्व्यवहार किए जाने या मृतका को तंग किए जाने, किसी प्रकार की क्रूरता कारित किए जाने का तथ्य अभिलेख से प्रतीत नहीं होता है । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा मृत्यु के कारण के संबंध में जो अभिवाक् किया गया है कि मृतका की मृत्यु दुर्घटना से हुई है, उसकी न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से सम्यक् रूप से संपुष्टि होती है क्योंकि मृतका के शरीर पर कोई भी क्षति नहीं देखी गई है ।

22. अभियोजन पक्ष के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण परिस्थिति पंचनामे का तैयार किया जाना है जिससे यह प्रकट होता है कि टेलीविजन और केबल का तार निकट लगे हुए बिजली के खम्बे पर ढीला होकर लटका हुआ था

और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उससे मृतका को बिजली का झटका लगा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से भी यही पता चलता है ।

22.1 इसके अतिरिक्त, आहत के पति ने पी. एस. आई. परीक्षा के लिए शारीरिक स्वस्थता की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और प्रतियोगी परीक्षा तारीख 5 और 6 जून, 2010 को होनी थी, अतः पांच लाख रुपए की मांग उसके सफल घोषित किए जाने के पूर्व किया जाना अविश्वसनीय है ।

23. डा. विजय पुरुषोत्तमभाई प्रजापति (अभि. सा. 1) के अभिसाक्ष्य (प्रदर्श 12) द्वारा, जिन्होंने मृतका की दाईं हथेली पर 1 सेमी. व्यास की क्षति देखी थी, यह राय व्यक्त होती है कि ऐसी क्षति आत्महत्या के दौरान कारित हो सकती है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह दोहराया है कि यदि टेलीविजन से जुड़े चैनल के तार को ढीला लटका दिया जाए और वह टेलीविजन के सोकेट से जोड़ा न गया हो, तब यदि कोई व्यक्ति ऐसे तार को छुएगा या उसे पकड़ेगा तब संभवतः उसकी हथेली में क्षति कारित हो सकती है ।

24. आहत के माता-पिता सहित निकट नातेदारों के परिसाक्ष्यों, स्वतंत्र साक्षी डा. विजय पुरुषोत्तमभाई प्रजापति (अभि. सा. 1), जिन्होंने शवपरीक्षण किया था और डा. दिलीपभाई केशवलाल पटेल (अभि. सा. 3), जिन्होंने घटना से एक दिन पहले मृतका की चिकित्सा परीक्षा की थी, पंचनामा और न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट जैसे सभी साक्ष्यों का संचयी रूप से परिशीलन करने पर यह सिद्ध हो जाता है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन इस मामले में के अपीलार्थी-मूल अभियुक्त के संबंध में साबित करने में असफल रहा है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 के साथ पठित धारा 374 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित है ।

25. परिणामतः, मूल अभियुक्त सं. 1 और 3 द्वारा क्रमशः प्रस्तुत की गई दांडिक अपील सं. 513/2011 और 346/2011 मंजूर की जाती हैं । अभियुक्त सं. 1 और 3 की दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और आदेश को उपर्युक्त सीमा तक अभिखंडित और अपास्त किया जाता है । गुजरात राज्य द्वारा फाइल की गईं दोनों अपीलें अर्थात् अपील सं. 740/2011, जिसमें मूल अभियुक्त सं. 2 और 4 की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई है और अभियुक्त सं. 1 और 3 के दंडादेश में अभिवृद्धि के लिए प्रस्तुत की गई दांडिक अपील सं. 742/2011, एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं ।

25.1 प्रदीपसिंह नानुभाई झाला (अभियुक्त-1) को कारागार से तत्काल छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है । जहां तक दांडिक अपील सं. 513/2011 और 346/2011 का संबंध है, आरंभिक आदेश अन्तिम किया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

अस.

(2017) 2 दा. नि. प. 49 छत्तीसगढ़

गोपाल सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 16 अगस्त, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 – हत्या का प्रयत्न – आशय – सबूत – यह अभिकथन किया जाना कि परिवादी ने अभियुक्त-छात्र की विद्यालय-उपस्थिति को उपान्तरित करने से इनकार कर दिया गया था, फलस्वरूप छात्र द्वारा परिवादी के वक्ष और पेट पर खंजर से कई घाव किए जाने – यदि अभियुक्त-छात्र द्वारा विद्यालय उपस्थिति के संबंध में परिवादी को पहुंचाई गई क्षतियों को चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है तो क्षतियां कारित करके हत्या किए जाने का प्रयत्न किया गया है और अभियुक्त-छात्र की दोषसिद्धि उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 – हत्या – दंड – उपान्तरण – घटना के समय पर अभियुक्त-छात्र की आयु 22 वर्ष थी और मामला पूर्व सुनियोजित नहीं था जहां अभियुक्त-छात्र ने परीक्षा में बैठने से विरत होने पर हताश और क्रोधित होकर क्षतियां कारित कीं वहां पर अभियुक्त-छात्र द्वारा सलाखों के पीछे 5 वर्ष से अधिक समय तक पहले ही दंड भोगा है, इसलिए पहले भोगी गई सजा को मूल दंड से हटाया जाना उचित है ।

अभियुक्त-छात्र द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश के विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – चिकित्सा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को कई छिन्न घाव कारित हुए थे । ये घाव मुख्य रूप से वक्ष पर और उनमें से कुछ घाव उदर के ऊपरी भाग में कारित हुए थे । वेध कर कारित किए गए घावों की अत्यधिक संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये घाव वक्ष में कारित किए गए हैं, स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी का आशय शिकायतकर्ता की हत्या करने का था । किए गए हमले की प्रकृति हत्यात्मक ही थी किंतु सौभाग्यवश शिकायतकर्ता गंभीर क्षतियों के बावजूद बच गया । अभियुक्त-अपीलार्थी को भी दो क्षतियां पहुंची थीं । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार पहुंचीं । किंतु, शिकायतकर्ता को पहुंची क्षतियों की प्रकृति और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण कि उसने छुरा और अभियुक्त-अपीलार्थी को दबोच लिया था, को दृष्टिगत करते हुए यह हो सकता है कि ये क्षतियां अभियुक्त-अपीलार्थी को इस कारण पहुंचीं हैं कि उन्होंने एक-दूसरे को पकड़ रखा था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है । स्थिति कुछ भी हो, छात्र द्वारा प्रशिक्षक पर अनुपस्थिति जैसे तुच्छ मुद्दे पर किए गए हमले को कुछ और नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि यह हत्या करने का प्रयास है, अतः, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि कायम रखी जाए । सामान्यतः इन सभी कारकों पर विचार करने पर इस मामले में 7-10 वर्ष का दंड अधिरोपित करना हमारे लिए न्यायोचित हो सकता है । हम ऐसा करने के लिए आनत हो सकते थे किन्तु वर्तमान मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कारावास में पांच वर्ष से अधिक समय बिताया है । उसे तारीख 12 जुलाई, 2004 को जमानत मंजूर की गई थी । वह 12 वर्ष से अधिक समय से जमानत पर है । किन्तु अब उसकी आयु 34 वर्ष हो गई, और उसका विवाह भी हो गया है तथा उसके पास बच्चे भी हो सकते हैं । यदि हम उसे जेल भेज देते हैं, तब इस अपराध के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को भी दंड मिलेगा जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं । न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है उसका प्रयोग अभियुक्त के परिवार के सदस्यों को दंडित करने में नहीं किया जा सकता है । (पैरा 10 और 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2000 की दांडिक अपील सं. 1002.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री डी. एन. प्रजापति

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मधुनिशा सिंह

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने दिया ।

मु. न्या. गुप्ता – यह अपील दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा 1999 के सेशन विचारण मामला सं. 91 में तारीख 29 मार्च, 2000 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया तथा उसे आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया ।

2. इस मामले के निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता आत्मा राम आई. टी. आई., सारंगढ़ में प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता था । वह अपने परिवार के साथ छविलाल यादव के मकान में किराए पर रहता था । सुसंगत समय के दौरान अपीलार्थी उक्त आई. टी. आई. में बिजली मिस्त्री कारीगरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था । अपीलार्थी ने आई. टी. आई. पाठयक्रम के प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी । वह उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था और वह द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि परीक्षा में उपस्थित होने के लिए 80 प्रतिशत उपस्थिति न्यूनतम रूप से आवश्यक थी ।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को उपस्थिति के संबंध में समझाया और उसे न्यूनतम किसी प्रकार अनिवार्य उपस्थिति 80 प्रतिशत दे दी जाए और उसे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र बना दिया । अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार, शिकायतकर्ता उसे आई. टी. आई. प्राचार्य के पास ले गया और अभियुक्त ने उसे 2,000/- रुपए देने का प्रस्ताव रखा और प्राचार्य से यह अभिवाक् किया कि उसकी उपस्थिति बढ़ाकर 80 प्रतिशत कर दी जाए । ऐसा नहीं किया गया है कि इसके पश्चात्, अपीलार्थी शिकायतकर्ता के घर आया और उसने शिकायतकर्ता से किसी भी प्रकार से उपस्थिति बढ़ाने को कहा । उसने उसे 2,000/- रुपए रिश्वत के रूप में संदाय करने का प्रस्ताव भी रखा । जब शिकायतकर्ता सहमत नहीं हुआ और उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को बताया कि उसका उपस्थिति पत्र पहले ही उच्चाधिकारियों को भेजा जा चुका है और अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता और उसे 6 मास के पश्चात् परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए, अभियुक्त-अपीलार्थी हिंसक हो गया और उसने शिकायतकर्ता के वक्ष और उदर तथा शरीर के

अन्य अंगों पर हत्या करने के आशय से छुरे से हमला किया । इस घटना के तत्काल पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । घटनास्थल से छुरा बरामद किया गया । शिकायतकर्ता को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसकी परीक्षा की और चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र तैयार किया । अभियुक्त-अपीलार्थी की भी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । हमले में प्रयोग किए गए छुरे को चिकित्सक के समक्ष परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । विचारण के पश्चात् उसे ऊपर उल्लिखित रूप में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है इसीलिए वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

4. इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में मुख्य रूप से यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी के शरीर पर कारित हुई दो क्षतियों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सका है । यह भी दलील दी गई है कि संभवतः छुरे का प्रयोग दोनों ओर से किया गया है या अर्थात् स्वयं शिकायतकर्ता द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया है । अंत में, यह अभिवाक् किया गया है कि अभियुक्त का आशय हत्या करने का नहीं था क्योंकि कारित की गई क्षतियों में से कोई भी क्षति स्वयं में ऐसी नहीं है जो आहत की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो । अनुकलप्तः, अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है और यदि दोषसिद्धि कायम रखी जाती है, तब भी दंडादेश की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना किया जाना चाहिए ।

5. हमने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । हमने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पर विचार किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभिलिखित कहानी अभियोजन वृत्तांत के पूर्णतया अनुरूप है ।

6. आत्मा राम (अभि. सा. 1) साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ । उसका कथन कुल मिलाकर अभियोजन वृत्तांत के साथ संगत है और जो कुछ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में कहा गया है उसकी संपुष्टि होती है । हमें दोहराना पड़ रहा है कि यह कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) ने अपने कथन में सशपथ यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसकी उपस्थिति 80 प्रतिशत नहीं थी । इस घटना के एक सप्ताह पूर्व अभियुक्त-अपीलार्थी शिकायतकर्ता से मिलने गया और उसके कहने पर शिकायतकर्ता

अभियुक्त-अपीलार्थी को प्राचार्य के कार्यालय पर ले गया किन्तु प्राचार्य ने अभियुक्त-अपीलार्थी के निवेदन को स्वीकार नहीं किया । निस्संदेह, अभियोजन साक्षियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए कथनों में थोड़ा-बहुत अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने प्राचार्य के कार्यालय में यह धमकी दी थी कि वह अपना काम गुंडागर्दी से करवा लेगा और तत्पश्चात् उसने हत्या कर दी । इन तथ्यों की संपुष्टि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों से नहीं होती है । किन्तु, मूल मुद्दों को लेकर कथन स्पष्ट है । आत्मा राम (अभि. सा. 1) ने यह भी कथन किया है कि 11 जून, 1999 को लगभग 8.30-9.00 बजे अपराह्न अभियुक्त-अपीलार्थी उसके घर पर आया । जब अभियुक्त-अपीलार्थी ने दरवाजा खटखटाया तो इन्द्रजीत वरिक (अभि. सा. 3), द्वारा दरवाजा खोला गया और उसने शिकायतकर्ता को बुलाया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने पुनः यह मांग की कि उसकी उपस्थिति में अनुकूल रूप से उपांतरण कर दिया जाए । तथापि, जब शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार किया, अभियुक्त-अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता पर पीछे से हमला कर दिया और उसके वक्ष और पेट आदि अंगों पर छुरा घोंप कर वार किया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने हमले में प्रयोग किए गए इस छुरे को पकड़ लिया था और तब उसने इन्द्रजीत वरिक अभि. सा. 3 को बुलाया । आत्मा राम की पत्नी और भतीजी घटनास्थल पर आ गए । शिकायतकर्ता आत्मा राम अभि. सा. 1 ने अभियुक्त-अपीलार्थी को दबोच लिया साथ ही उसके छुरे को भी पकड़ लिया । पत्नी ने छुरा छीनकर इन्द्रजीत वरिक अभि. सा. 3 को सौंप दिया । आत्मा राम अभि. सा. 1 की विस्तार से प्रतिपरीक्षा कराई गई है । किन्तु उसे ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया है कि शिकायतकर्ता हमलावर था और उसने अभियुक्त-अपीलार्थी पर हमला किया था ।

7. जनहवी (अभि. सा. 2), शिकायतकर्ता आत्मा राम (अभि. सा. 1) की पत्नी है । उसने यह कथन किया है कि जब घटना घटित हुई थी तब वह अपने घर पर थी । वह घर के आंगन में बर्तन रखने के लिए आई थी और इसके पश्चात् उसने देखा कि दरवाजे के निकट अभियुक्त-अपीलार्थी उसके पति को छुरा घोंप रहा है और उसने उसकी मौजूदगी में छुरा घोंप कर कई क्षतियां कारित कीं । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने किसी प्रकार छुरे पर काबू कर लिया था और उसने वह छुरा इन्द्रजीत वरिक को दे दिया था । इसके पश्चात् उसने अभियुक्त-अपीलार्थी

को रस्सी से बांधने के लिए अपने घर में रस्सी तलाश की, किन्तु इसी दौरान अभियुक्त-अपीलार्थी वहां से भाग गया । इसके पश्चात् पत्नी ने वह छुरा पुलिस को सौंप दिया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने उसकी मौजूदगी में उसके पति को 4-5 बार छुरा घोंप कर क्षति पहुंचाई । तथापि, वह कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकी कि अभियुक्त-अपीलार्थी को क्षतियां कैसे पहुंचीं ।

8. इन्द्रजीत वरिक पड़ोसी है । उसने भी ऐसा ही कथन किया है । इस साक्षी के अनुसार उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी थी और जब उसने दरवाजा खोला तब उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को देखा जिसने यह कथन किया है कि वह शिकायतकर्ता आत्मा राम से मिलना चाहता है । तब उसने आत्मा राम को बुलाया । थोड़ी देर बाद उसने आत्मा राम के चिल्लाने की आवाज सुनी और इसके पश्चात् वह अपने मकान के बाहर आया और देखा कि शिकायतकर्ता आत्मा राम खून से लथपथ है और उसने अभियुक्त-अपीलार्थी को दबोचकर काबू कर लिया और उसने चीख कर कहा कि कोई छुरा ले ले । इन्द्रजीत ने अभियुक्त-अपीलार्थी का हाथ पकड़ लिया और इसी दौरान जनहवी (अभि. सा. 2) ने छुरा ले लिया । इसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी बचकर भाग गया ।

9. अब हम चिकित्सीय साक्ष्य पर विचार करेंगे । डा. जे. आर. धृट लहारे (अभि. सा. 8) ने अभियुक्त-अपीलार्थी और शिकायतकर्ता दोनों की चिकित्सा परीक्षा की है । शिकायतकर्ता की परीक्षा से संबंधित रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 निम्न प्रकार है :-

> "1. नितंब के ऊपर मध्य वक्ष पर 2.5 से. मी. × 1 से. मी. का छिन्न घाव ।
>
> 2. कक्षीय भाग के अग्र दिशा में बाईं ओर 1.5 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव जिसकी दिशा तिरछी है ।
>
> 3. कक्षीय मध्य भाग में बाईं ओर पांचवीं और छठी पसली के बीच 3.5 से. मी. × 1.5 से. मी. माप का छिन्न घाव ।
>
> 4. कक्षीय भाग के मध्य में बाईं ओर 1.5 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव ।
>
> 5. कक्षीय भाग के बाईं ओर सातवीं तथा आठवीं पसली के बीच 2.5 से. मी. × 1 से. मी. माप का छिन्न घाव ।

6. उदर के ऊपरी भाग के बाईं ओर 10 से. मी. × 2.5 से. मी. माप का छिन्न घाव है जिसकी दिशा तिरछी है ।

7. उदर के बाईं ओर नाभि के नीचे 3.5 से. मी. × 2 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।

8. बाएं कंधे पर 8 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का रेखीय छिन्न घाव है ।

9. कक्षीय भाग के भीतर की ओर 5 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।

10. चेहरे के बाईं ओर 5 से. मी. × 0.2 से. मी. माप का रेखीय छिन्न घाव जिसकी दिशा तिरछी है ।

11. दाईं हथेली पर कनिष्ठा के निकट माप 2.5 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का छिन्न घाव और मध्यमा पर 1.5 से. मी. × 0.3 से. मी. माप का छिन्न घाव है ।"

10. चिकित्सा रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि शिकायतकर्ता को कई छिन्न घाव कारित हुए थे । ये घाव मुख्य रूप से वक्ष पर और उनमें से कुछ घाव उदर के ऊपरी भाग में कारित हुए थे । वेध कर कारित किए गए घावों की अत्यधिक संख्या तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये घाव वक्ष में कारित किए गए हैं, स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी का आशय शिकायतकर्ता की हत्या करने का था । किए गए हमले की प्रकृति हत्यात्मक ही थी किंतु सौभाग्यवश शिकायतकर्ता गंभीर क्षतियों के बावजूद बच गया । अभियुक्त-अपीलार्थी को भी दो क्षतियां पहुंची थीं । इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है कि उसे ये क्षतियां किस प्रकार पहुंचीं । किंतु, शिकायतकर्ता को पहुंची क्षतियों की प्रकृति और उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण कि उसने छुरा और अभियुक्त-अपीलार्थी को दबोच लिया था, को दृष्टिगत करते हुए यह हो सकता है कि ये क्षतियां अभियुक्त-अपीलार्थी को इस कारण पहुंची हैं कि उन्होंने एक-दूसरे को पकड़ रखा था और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है । स्थिति कुछ भी हो, छात्र द्वारा प्रशिक्षक पर अनुपस्थिति जैसे तुच्छ मुद्दे पर किए गए हमले को कुछ और नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि यह हत्या करने का प्रयास है, अतः, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि दंड संहिता

की धारा 307 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि कायम रखी जाए ।

11. जहां तक, दंडादेश का संबंध है, विचारण न्यायालय ने बहुत से कारकों पर विचार नहीं किया है । अभियुक्त-अपीलार्थी घटना के दौरान एक छात्र था । उस समय उसकी आयु मात्र 22 वर्ष थी जब यह घटना घटित हुई । हत्या का प्रयास करने का यह पूर्व नियोजित मामला नहीं है । यह हताश हुए एक ऐसे छात्र द्वारा किया गया प्रयास है जिसे किसी प्रकार अपनी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति बनाना था और जब शिकायतकर्ता इसके लिए सहमत नहीं हुआ, तब अभियुक्त-अपीलार्थी ने क्रुद्ध होकर क्षतियां कारित कीं । अभियुक्त-अपीलार्थी को दंडादिष्ट करते समय कुछ ऐसे कारक हैं जिन पर न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए । जब दंडादेश पारित किया जाए तब न्यायालय को गुरुतरकारी तथा न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए । विधान-मंडल ने अपने विवेकानुसार यह उपबंध किया है कि हत्या का प्रयास करने के मामले में जब कोई व्यक्ति ऐसे आशय या ज्ञान के साथ कृत्य करता है कि यदि वह ऐसे कृत्य से मृत्यु कारित कर देता है तब वह हत्या का दोषी होगा, और वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, जैसा एतस्मिन् पूर्व वर्णित है । अतः, विधान-मंडल के विवेकानुसार हत्या करने के प्रयत्न के मामले में न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्राप्त है कि वह एक दिन से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड अधिरोपित कर सकता है । जब इतना व्यापक विवेकाधिकार दिया गया है, ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायात्मक रीति में किया जाना चाहिए । इस संबंध में कारण दिए जाने चाहिएं कि अधिकतम दंडादेश क्यों दिया गया है और क्यों ही न्यूनतम दंड अधिरोपित किया गया है । मामले को विनिश्चित करने के लिए दंडादेश का सुनिश्चित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

12. विद्वान् विचारण न्यायालय ने न्यूनकारी परिस्थितियों विशेषकर अभियुक्त-अपीलार्थी की कम आयु को ध्यान में नहीं रखा है और न ही इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि उसने आवेश में आकर शिकायतकर्ता पर हमला किया है, इस तथ्य को भी दृष्टिगत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच पहले से कोई भी शत्रुता नहीं थी ।

अभियुक्त-अपीलार्थी को दंडादिष्ट करते समय न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अभियुक्त-अपीलार्थी में सुधार की गुंजाइश नहीं है कि यदि अभियुक्त के सुधरने की संभावना दिखाई देती है तब दंडादेश ऐसे व्यक्ति में सुधार लाने के लिए कम से कम दिया जाना चाहिए । साथ ही अभियुक्त के व्यवहार को माफ नहीं किया जा सकता है । वर्तमान मामले में, अभियुक्त-अपीलार्थी ने अपने अध्यापक पर हमला किया है । हमला क्रूरतापूर्ण था और कुल मिलाकर 11 वेधित घाव कारित किए गए हैं ।

13. सामान्यतः इन सभी कारकों पर विचार करने पर इस मामले में 7-10 वर्ष का दंड अधिरोपित करना हमारे लिए न्यायोचित हो सकता है । हम ऐसा करने के लिए आनत हो सकते थे किन्तु वर्तमान मामले में हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त-अपीलार्थी ने कारावास में पांच वर्ष से अधिक समय बिताया है । उसे तारीख 12 जुलाई, 2004 को जमानत मंजूर की गई थी । वह 12 वर्ष से अधिक समय से जमानत पर है । किन्तु अब उसकी आयु 34 वर्ष हो गई, और उसका विवाह भी हो गया है तथा उसके पास बच्चे भी हो सकते हैं । यदि हम उसे जेल भेज देते हैं, तब इस अपराध के लिए उसकी पत्नी और बच्चों को भी दंड मिलेगा जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं । न्यायिक प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है उसका प्रयोग अभियुक्त के परिवार के सदस्यों को दंडित करने में नहीं किया जा सकता है ।

14. मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, हम सामान्य से अधिक उदार दृष्टिकोण अपना रहे हैं, अतः न्याय के हित के लिए इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त-अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दोषसिद्धि कायम रखते हुए अभियुक्त को अधिरोपित सारभूत दंडादेश उसके द्वारा पहले से भोगे गए दंडादेश जितना कम कर रहे हैं ।

15. परिणामतः दांडिक अपील ऊपर उपदर्शित सीमा तक भागतः मंजूर की जाती है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी और एक अन्य

बनाम

दानी राम गजानन चंद्रवंशी और अन्य

तारीख 23 नवम्बर, 2016

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 304ख – दहेज मृत्यु – वैवाहिक गृह में मृतका की जहर पीकर मृत्यु होना – मृतका अभियुक्त (पति) के साथ केवल 8-10 दिन रही – मृतका के माता-पिता द्वारा मृतका के साथ दहेज उत्पीड़न का कथन किया जाना परंतु न तो इस बारे में कोई शिकायत की गई और न पंचायत की बैठक बुलाई गई – यदि अभियोजन साक्ष्य में मिथ्यापन प्रकट होता है और मामले में अभियुक्तों को मिथ्या रूप से आलिप्त करना पाया जाता है तो अभियुक्तों की दोषमुक्ति उचित है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 215 – गलतियों का प्रभाव – वैवाहिक गृह में जहर पीकर नववधू की मृत्यु होना – मृतका के शव पर कई मृत्यु-पूर्व क्षतियां पाया जाना – अभियुक्तों को क्रूरता के अपराध और दहेज मृत्यु से आरोपित किया जाना – न तो धारा 306 के अधीन आरोप विरचित किए गए और न ही धारा 306 के संघटकों के आरोप विरचित होते हैं – मृत्यु-पूर्व क्षतियों के निष्कर्षों की विनिर्दिष्ट आरोप के अभाव में उपेक्षा नहीं की जा सकती – उचित आरोप विरचित करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 नरेन्द्र का मृतका चित्ररेखा के साथ विवाह हुआ था और अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन इस प्रकार हैं कि मृतका चित्ररेखा के विवाह के पश्चात् उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में तारीख 28 मार्च, 2000 को मृत्यु हो गई क्योंकि वह मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी., आभूषण आदि दहेज की मांग के कारण क्रूरता और परेशानी के अध्यधीन रही थी इसलिए, दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया । आगे अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतका चित्ररेखा का विवाह प्रत्यर्थी सं. 2 नरेन्द्र के साथ जेठ माह (मई-जून)

1999 में हुआ था । विवाह के पश्चात् मृतका चित्ररेखा अपने ससुराल के मकान पर थी जहां दहेज की मांग के संबंध में जिसमें मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी., आभूषण आदि के बारे में उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके मानसिक कष्ट पहुंचाया गया था । अभिकथित परेशानी की वजह से मृतका दो बार अपने पिता के मकान पर गई परंतु घर के बड़े सदस्यों के कहने पर वह अपने ससुराल के मकान पर लौट आई । अंत में जब वह तारीख 24 मार्च, 2000 को अपने ससुराल के मकान पर वापस लौटी तब वहां पर उसे पुनः प्रताड़ित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसने तारीख 28 मार्च, 2000 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न जहर पीकर अपना जीवन समाप्त कर दिया । पूर्वोक्त घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् मृतका के पिता नारद प्रसाद, नाना अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी अन्य व्यक्तियों के साथ मृतका के ससुराल गए जहां उन्होंने संदेहास्पद स्थिति में मृतका चित्ररेखा के शव को देखा । मृतका के नाना अर्थात् अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी ने पुलिस थाना पंडतराय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जिसके आधार पर मर्ग सूचना को पुलिस द्वारा तारीख 29 मार्च, 2000 को लिखा गया था और दंड संहिता की धारा 304ख के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था जो उसका पति, श्वसुर, सास और मृतका के देवर के रूप में हैं । क्योंकि अभिकथित घटना उक्त विवाह के 7 वर्ष की अवधि के भीतर घटी थी । प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 ने विरचित किए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और यह निवेदन करते हुए दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया कि उन्हें उक्त अपराध के संबंध में मृतका के माता-पिता द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियोजन पक्ष ने अभियोजन के समर्थन में कुल मिलाकर 12 साक्षी जिसमें मृतका चित्ररेखा के पिता, माता, दादा और नाना सम्मिलित थे, उनकी परीक्षा कराई जबकि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा उक्त अपराध के संबंध में अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा एक प्रतिरक्षा साक्षी पेश किया गया था । दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन की परीक्षा करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने तारीख 27 अगस्त, 2002 के आक्षेपित आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराधों से सभी अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया । पूर्वोक्त दोषमुक्ति से व्यथित होकर मृतका के माता-पिता और राज्य सरकार ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन और दोषमुक्ति अपील को प्रस्तुत किया । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले में

दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी विचारित राय है कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करके ठीक ही किया गया है अतः हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की भी पुष्टि करते हैं । जहां तक इस बारे में प्रश्न है कि क्या प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है, डा. वी. पी. जायसवाल (अभि. सा. 5) की साक्ष्य की परीक्षा की जानी अपेक्षित होगी इस बारे में अन्य विवाद्यक यह है कि क्या हम ऐसे अपराध के अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकते हैं जब कोई आरोप विरचित न किया गया हो । डा. वी. पी. जायसवाल की अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई, उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह और डा. वाघेल दोनों ने मृतका के शव की परीक्षा की जिसकी आयु 18 वर्ष थी और उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षतियां देखीं जो उसके द्वारा कुन्द वस्तु से कारित की गई थीं । उसने यह राय दी कि मृत्यु का कारण संदेहास्पद परिस्थितियों में जहर पीने के कारण श्वासावरोध से हुई थी और यह भी देखा गया कि खोपड़ी के दाहिने पार्श्विक क्षेत्र में रक्त का थक्का जमा हुआ था, जो शव क्यूटनियश में उत्तक में 5 × 4 सें. मी. आकार का था । यह भी राय व्यक्त की गई थी कि अभिकथित क्षतियां मृतक के शव की परीक्षा करने के 24 से 36 घंटे के बीच कारित हुई थीं जिसकी शव-परीक्षा तारीख 29 मार्च, 2000 को की गई थी । यह भी सुस्पष्ट है कि मृतका की जहर पीने के कारण अपने ससुराल में मृत्यु हुई थी । डाक्टर के पूर्वोक्त साक्ष्य की अपराध में परीक्षा करते हुए अनदेखी नहीं की जा सकती जो मात्र इस आधार पर दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 215 के अधीन विहित किए गए उपबंध को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा विरचित नहीं किया गया है । उक्त उपबंध इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है और जिसे इसमें निम्न प्रकार दिया जा रहा है :– "**215. गलतियों का प्रभाव** – अपराध के उन विशिष्टियों के जिसका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप के मामले के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है अन्यथा नहीं ।" उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :– "आरोप विरचित करने में केवल लोप या त्रुटि होने से अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से दांडिक न्यायालय असमर्थ नहीं हो

जाता है जो अपराध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर साबित होना पाया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी स्थिति से जो हमारे समक्ष है निपटने के लिए व्यापक उपबंध प्रदान करती है । धारा 304ख के अधीन विरचित आरोप के कथन से और दंड संहिता की धारा 498क के अनुकल्प में (जैसाकि ऊपर कथित किया गया है) इससे यह स्पष्ट है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए विरचित आरोप के सभी तथ्य और संघटक इस मामले में विद्यमान हैं । दंड संहिता की धारा 306 के साथ पठित धारा 498क में उल्लिखित विचारण न्यायालय की ओर से मात्र लोप होने से उक्त अपराध जब से साबित किया गया है अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से न्यायालय अपवर्जित नहीं हो जाता है ।" पूर्वोक्त उपबंध का परिशीलन करने से और ऊपर उल्लिखित मामले में अभिकथित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन विरचित आरोप में केवल लोप होने से उस बात की परीक्षा करने के लिए न्यायालय वंचित नहीं होता जब तक कि अभियुक्त ऐसी गलती या लोप द्वारा भ्रमित किया जाना न पाया जाता हो । अब आरोप जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा इस तरह विरचित किया गया है तो उन्हें ग्रहण किए जाने के क्रम में उनकी परीक्षा किया जाना अपेक्षित है । क्या अभियुक्त-व्यक्तियों ने ऐसी गलती या लोप द्वारा भ्रमित किया है और यह बात संभवतः न्याय को विफल किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रकट होती है । इस तरह विरचित किए गए आरोप का परिशीलन करने पर, – पूर्वोक्त आरोपों को बारीकी से समीक्षा करने पर यह प्रकट होता है कि न तो दंड संहिता की धारा 306 के अधीन संघटक अपेक्षित है और न अभियुक्त-व्यक्तियों को इस बारे में अवगत कराया गया । इस प्रकार यह एक ऐसा मामला है जहां विचारण न्यायालय द्वारा गलत विचारण किया गया था । अपराध जिसको विरचित किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचारण किया गया केवल दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के बारे में है जिसमें अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया । इसलिए दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के बारे में किसी निष्कर्ष को अभिलिखित करने के बजाय इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए वस्तुतः यह होगा कि वह संबंधित विचारण न्यायालय अर्थात् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) मुंगेली को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए मामले को वापस भेजा जाए और इसका पुनर्विचारण किया जाए । दांडिक पुनरीक्षण तथा दोषमुक्ति अपील ऊपर उल्लिखित निबंधनों को

ध्यान में रखते हुए भागतः मंजूर की जाती है और एतद्द्वारा कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित न्यायालय तत्काल निचले न्यायालय को अभिलेख प्रतिप्रेषित करें । (पैरा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2015]	(2015) 4 एस. सी. सी. 215 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 595 : **राजेन्द्र कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य** ;	10,19
[2014]	(2014) 2 एस. सी. सी. 106 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 378 : **भूपेन्द्र** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	10,19
[2003]	(2003) 1 एस. सी. सी. 217 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 11 : **के. प्रेमा एस. राव और एक अन्य** बनाम **यादला श्रीनिवास राव और अन्य** ।	24

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2002 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 472.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदकों की ओर से	सर्वश्री ए. के. प्रसाद और ऋषि महोबिया
प्रत्यर्थियों की ओर से	श्रीमती स्मिता घई पैनल वकील और श्री प्रदीप सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल ने दिया ।

न्या. अग्रवाल – यह दांडिक पुनरीक्षण आवेदन 2000 के सेशन विचारण सं. 200 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) मुंगेली द्वारा तारीख 27 अगस्त, 2002 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड प्रक्रिया संहिता" कहा गया है) की धारा 397/401 के अधीन मृतका

चित्ररेखा के माता-पिता द्वारा फाइल किया गया है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को दंड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया । राज्य सरकार ने निर्णय की सत्यता को प्रश्नगत करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन अपील फाइल की जिसे दोषमुक्ति अपील सं. 445/2010 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

2. चूंकि विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न इन दोनों मामलों में अंतर्वलित है, इसलिए उन्हें एक साथ सुना जा रहा है और सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है ।

3. निर्विवादित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी सं. 2 नरेन्द्र की मृतका चित्ररेखा के साथ विवाह हुआ था और अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन इस प्रकार हैं कि मृतका चित्ररेखा के विवाह के पश्चात् उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों में तारीख 28 मार्च, 2000 को मृत्यु हो गई क्योंकि वह मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी., आभूषण आदि दहेज की मांग के कारण क्रूरता और परेशानी के अध्यधीन रही थी इसलिए दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

4. आगे अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि मृतका चित्ररेखा का विवाह प्रत्यर्थी सं. 2 नरेन्द्र के साथ जेठ माह (मई-जून) 1999 में हुआ था । विवाह के पश्चात् मृतका चित्ररेखा अपने ससुराल के मकान पर गई थी जहां दहेज की मांग के संबंध में जिसमें मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी., आभूषण आदि के बारे में उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके मानसिक कष्ट पहुंचाया गया था । अभिकथित परेशानी की वजह से मृतका दो बार अपने पिता के मकान पर गई परंतु घर के बड़े सदस्यों के कहने पर वह अपने ससुराल के मकान पर लौट आई । अंत में जब वह तारीख 24 मार्च, 2000 को अपने ससुराल के मकान पर वापस लौटी तब वहां पर उसे पुनः प्रताड़ित किया गया जिसके परिणामस्वरूप उसने तारीख 28 मार्च, 2000 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न जहर पीकर अपना जीवन समाप्त कर दिया ।

5. पूर्वोक्त घटना के बारे में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् मृतका के पिता नारद प्रसाद, नाना अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी अन्य व्यक्तियों के साथ मृतका के ससुराल गए जहां उन्होंने संदेहास्पद स्थिति में मृतका चित्ररेखा के शव को देखा । मृतका के नाना अर्थात् अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी ने पुलिस थाना पंडतराय में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की जिसके आधार पर मर्ग

सूचना को पुलिस द्वारा तारीख 29 मार्च, 2000 को लिखा गया था और दंड संहिता की धारा 304ख के साथ पठित धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध सभी अभियुक्त-व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था जो उसका पति, श्वसुर, सास और मृतका के देवर के रूप में हैं । क्योंकि अभिकथित घटना उक्त विवाह के 7 वर्ष की अवधि के भीतर घटी थी ।

6. प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 ने विरचित किए गए आरोपों को स्वीकार नहीं किया और यह निवेदन करते हुए दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया कि उन्हें उक्त अपराध के संबंध में मृतका के माता-पिता द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है ।

7. अभियोजन पक्ष ने अभियोजन के समर्थन में कुल मिलाकर 12 साक्षी जिसमें मृतका चित्ररेखा के पिता, माता, दादा और नाना सम्मिलित थे, उनकी परीक्षा कराई जबकि अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा उक्त अपराध के संबंध में अपनी निर्दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा एक प्रतिरक्षा साक्षी पेश किया गया था ।

8. दोनों पक्षकारों द्वारा दिए गए कथन की परीक्षा करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने तारीख 27 अगस्त, 2002 के आक्षेपित आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराधों से सभी अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया ।

9. पूर्वोक्त दोषमुक्ति से व्यथित होकर मृतका के माता-पिता और राज्य सरकार ने वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन और दोषमुक्ति अपील को प्रस्तुत किया था ।

10. मृतका के माता-पिता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री ए. के. प्रसाद तथा राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता श्रीमती स्मिता घई हाजिर हुई जिन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ दलील देते हुए निर्णय को आक्षेपित किया कि मृतका चित्ररेखा ने अपने ससुराल वालो द्वारा दहेज की अभिकथित मांग के बारे में अपने माता-पिता को हर समय यह बताया था कि वह दहेज की अभिकथित मांग के संबंध में जो अभियुक्त-व्यक्तियों द्वारा की गई थी जिस पर उनके द्वारा उसकी शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना की गई इस कारण से वह केवल तीन अवसरों में अपने माता-पिता के मकान पर पहुंची थी और इस संबंध में व्यापक साक्ष्य जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 42 और 43 में देखा गया था । उन्होंने यह भी दलील दी कि विचारण न्यायालय डा. वी. पी. जायसवाल के कथनों पर विचार करने में विफल हुआ है जिसकी अभि. सा. 5 के रूप

में परीक्षा की गई थी क्योंकि उसने यह राय व्यक्त की थी कि मृतका के शव पर कई मृत्युपूर्ण क्षतियां थीं और उसके सिर के दाहिने पार्श्विक क्षेत्र में चमड़ी के नीचे ऊतक में रक्त के थक्के मौजूद थे । श्री प्रसाद ने **राजेन्द्र कुमार** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] और **भूपेन्द्र** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया ।

11. दूसरी ओर प्रत्यर्थी सं. 1 से 4/अभियुक्त-व्यक्तियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री प्रदीप सिंह ने यह दलील देते हुए आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है कि मृतका चित्ररेखा अपने ससुराल में केवल 8 से 10 दिन रही और अपने विवाह की तारीख से 8 माह अपने माता-पिता के घर पर रही और इस अवधि के दौरान न तो उसके माता-पिता द्वारा कोई शिकायत की गई थी और न कोई पंचायत बैठक बुलाई गई थी । इससे यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को उक्त अपराध के संबंध में मिथ्या रूप से फंसाया गया ।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सावधानीपूर्वक संपूर्ण अभिलेखों का परिशीलन किया ।

13. प्रश्न जो पूर्वोक्त तथ्यात्मक पहलू से प्रकट होते हैं और पक्षकारों की परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि क्या मृतका चित्ररेखा के साथ उसके मृत्यु से तत्काल पूर्व प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 द्वारा प्रताड़ना दी गई थी जैसाकि मृतका के माता-पिता द्वारा अभिकथन किया गया है और क्या अभियुक्त के विरुद्ध इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य है जिससे कि दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए उन्हें दोषसिद्ध किया जाए । एक अन्य यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या अभियुक्त दंड संहिता की धारा 306 के अधीन प्रगणित अपराध के संबंध में दंडित किया जा सकता है यद्यपि उस निमित्त कोई आरोप विरचित नहीं किया था ।

14. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को पूर्वोक्त विरचित किए गए अपराधों के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करके ठीक ही किया गया है । इस संबंध में यह आवश्यक होगा कि पक्षकारों की साक्ष्य की परीक्षा की जाए । यदि हम मृतका चित्ररेखा के पिता नारद प्रसाद के कथन की परीक्षा करते हैं जिनकी अभि. सा. 3 के

---

[1] (2015) 4 एस. सी. सी. 215 = ए. आई. आर. 2015 एस. सी. (सप्ली.) 595.

[2] (2014) 2 एस. सी. सी. 106 = ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 378.

रूप में परीक्षा की गई, विशिष्ट रूप से इस कथन के पैरा 2 में तब यह प्रकट होता है कि प्रारंभ में मृतका चित्ररेखा ने अपने ससुराल वाले के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की थी । उक्त साक्षी ने इस पैरा में यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसकी पुत्री को प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 द्वारा उस पर हमला करने के पश्चात् घर से निकाला गया था क्योंकि मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी. और आभूषण आदि जैसाकि उनके द्वारा वांछा की गई थी, उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई थी तथापि, उसके साक्ष्य के पैरा 12 में यह भी प्रकट होता है कि उनके दामाद (नरेन्द्र) के पास मोटरसाइकिल विवाह से पूर्व ही थी और जो उसे उपलब्ध कराई गई थी । इसी भांति मृतका चित्ररेखा की माता अमरिका बाई अभि. सा. 9 ने अपने कथन के पैरा 20 में भी उसी प्रकार का कथन करके अभिसाक्ष्य दिया है कि उसके पिता अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी अभि. सा. 4 द्वारा पंचायत बैठक बुलाई गई थी, यद्यपि न तो वह न उसका पति नारद प्रसाद अभि. सा. 3 उस बैठक में सम्मिलित हुए और न उसने उक्त पंचायत की बैठक के परिणाम के बारे में अपने पिता अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी से कोई पूछताछ की ।

15. अर्जुन प्रसाद चंद्रवंशी मृतका चित्ररेखा के नाना हैं जिनकी अभि. सा. 4 के रूप में परीक्षा की गई थी, उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब उन्होंने अपनी पौत्री चित्ररेखा से समस्याओं के बारे में पूछा तब उसने उन्हें बताया कि उससे उसके ससुराल वालो द्वारा अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 द्वारा उससे दुर्व्यवहार किया गया था और उस पर हमला किया गया था । अन्य अभियोजन साक्षी अर्थात् नंद कुमार अभि. सा. 6 ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका के दादा सागर सिंह अभि. सा. 8 ने उन्हें यह नहीं बताया कि उनकी पुत्री चित्ररेखा दहेज की मांग की वजह से अपने ससुराल नहीं जाना चाहती ।

16. सागर सिंह (अभि. सा. 8) मृतका के दादा ने पूर्व में यह कथन किया कि चित्ररेखा ने चेहरे पर हमलों के चिह्नों के बारे में ससुराल से वापस आने के पश्चात् उसे कुछ भी नहीं बताया था परंतु बाद में उसने इस साक्षी को यह बताया कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कुटुम्ब द्वारा अभियुक्त की मांग मोटरसाइकिल, रंगीन टी. वी., आभूषण आदि की पूर्ति नहीं की गई थी । तथापि, इस साक्षी ने अपने साक्ष्य के पैरा 29 में यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने इस बारे में न तो कोई रिपोर्ट दर्ज की और न कोई पंचायत बैठक बुलाई थी । अन्य अभियोजन साक्षियों ने दहेज की अभिकथित मांग के बारे में कोई कथन नहीं किया है ।

17. उपरोक्त उल्लिखित अभियोजन साक्षियों की बारीकी से समीक्षा करने पर यह प्रकट होता है कि मृतका चित्ररेखा अपने ससुराल में विवाह के पश्चात् केवल 8 या 8 से 10 दिन रुकी, यह विवाह जेठ (मई-जून) 1999 के माह में हुआ था वह अपने माता-पिता के मकान में अधिक समय (अपने विवाह के आठ माह से अधिक समय तक) रुकी थी । अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य से यह भी प्रकट है कि न तो कोई रिपोर्ट और न कोई शिकायत उक्त घटना के घटने के पूर्व कभी भी दर्ज कराई गई थी और न इस बारे में कोई पंचायत बैठक बुलाई गई थी । इसके अतिरिक्त सागर सिंह (अभि. सा. 8) का कथन जो मृतका चित्ररेखा के दादा हैं और अमरिका बाई (अभि. सा. 9) उसकी माता का कथन का एक दूसरे से तात्विक विभेद है, खास तौर पर पंचायत बैठक बुलाने के तथ्य के बारे में क्योंकि उनके द्वारा अपने-अपने साक्ष्य के पैरा 29 और 20 में कथन किया गया है ।

18. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्वोक्त दिए गए साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मृतका के माता-पिता ने अभिकथित दहेज मांग के बारे में न केवल बढ़-चढ़कर मिथ्या कहानी का अभिकथन किया परंतु उन्होंने पंचायत बैठक बुलाने के तथ्य के बारे में भी मिथ्या कथन किया, इसलिए इससे अप्रतिरोध निष्कर्ष यह निकलता है कि आवेदक/मृतका के माता-पिता प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को उनके विरुद्ध अपराध विरचित करके मिथ्या फंसाने का प्रयास किया था और इसलिए उनका साक्ष्य ऐसी परिस्थितियों के अधीन है जिसका अवलंब नहीं लिया जा सकता । परिणामस्वरूप इस न्यायालय की विचारित राय है कि मृतका चित्ररेखा से न तो दुर्व्यवहार किया गया और न वह दहेज की अभिकथित मांग के बारे में अपने मृत्यु से तत्काल पूर्व कभी भी क्रूरता के अध्यधीन नहीं रही थी ।

19. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल श्री प्रसाद ने **राजेन्द्र कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 10 का अवलंब लेते हुए यह निवेदन किया कि मृतका चित्ररेखा के कुटुम्ब सदस्यों का कथन को केवल इस आधार पर त्यक्त नहीं किया जा सकता कि वे नातेदार और हितबद्ध साक्षी हैं तथापि, साक्ष्य के आधार पर जिस पर पूर्वगामी पैराओं में हमारे द्वारा चर्चा की गई उक्त विनिश्चय में अधिकथित सिद्धांत वर्तमान मामले में अंतर्वलित तथ्यों से विभेदकारी हैं । हम इस आधार पर मृतका के कुटुम्ब सदस्यों के साक्ष्य को त्यक्त नहीं करते हैं कि वे नातेदार या हितबद्ध साक्षी हैं । इस साक्ष्य का

उपरोक्त प्रगणित भिन्न-भिन्न कारणों पर अवलंब नहीं लिया जा रहा है । एक अन्य विनिश्चय **भूपेन्द्र** (उपरोक्त) वाला मामला जिसका श्री प्रसाद द्वारा ही अवलंब लिया गया उक्त मामले के तथ्यों पर कोई मदद नहीं मिलती है, वर्तमान मामले के तथ्यों से पूर्णतया विभेदकारी है ।

20. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान मामले में दिए गए साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी विचारित राय है कि प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 को दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त करके ठीक ही किया गया है अतः हम विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों की भी पुष्टि करते हैं ।

21. जहां तक इस बारे में प्रश्न है कि क्या प्रत्यर्थी सं. 1 से 4 दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दोषी ठहराया जा सकता है, डा. वी. पी. जायसवाल (अभि. सा. 5) के साक्ष्य की परीक्षा की जानी अपेक्षित होगी इस बारे में अन्य विवाद्यक यह है कि क्या हम ऐसे अपराध के अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सकते हैं जब कोई आरोप विरचित न किया गया हो ।

22. डा. वी. पी. जायसवाल की अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई, उन्होंने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह और डा. वाघेल दोनों ने मृतका के शव की परीक्षा की जिसकी आयु 18 वर्ष थी और उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्षतियां देखीं जो उसके द्वारा कुन्द वस्तु से कारित की गई थीं । उसने यह राय दी कि मृत्यु का कारण संदेहास्पद परिस्थितियों में जहर पीने के कारण श्वासावरोध से हुई थी और यह भी देखा गया कि खोपड़ी के दाहिने पार्श्विक क्षेत्र में रक्त का थक्का जमा हुआ था, जो शव क्यूटनियश में ऊतक में 5 × 4 सें. मी. आकार का था । यह भी राय व्यक्त की गई थी कि अभिकथित क्षतियां मृतक के शव की परीक्षा करने के 24 से 36 घंटे के बीच कारित हुई थीं जिसकी शव-परीक्षा तारीख 29 मार्च, 2000 को की गई थी । यह भी सुस्पष्ट है कि मृतका की जहर पीने के कारण अपने ससुराल में मृत्यु हुई थी ।

23. डाक्टर के पूर्वोक्त साक्ष्य की अपराध में परीक्षा करते हुए अनदेखी नहीं की जा सकती जो मात्र इस आधार पर दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 215 के अधीन विहित किए गए उपबंध को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा विरचित नहीं किया गया है । उक्त उपबंध इस प्रयोजन के लिए सुसंगत है और

जिसे इसमें निम्न प्रकार दिया जा रहा है :–

"**215. गलतियों का प्रभाव** – अपराध के उन विशिष्टियों के जिसका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को और उस अपराध या उन विशिष्टियों के कथन करने में किसी लोप के मामले के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है अन्यथा नहीं ।"

24. उपरोक्त उल्लिखित उपबंध के निर्वचन के संबंध में **के. प्रेमा एस. राव और एक अन्य** बनाम **यादला श्रीनिवास राव और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 22 में यह मत व्यक्त किया है जो इस प्रकार है :–

"22. आरोप विरचित करने में केवल लोप या त्रुटि होने से अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से दांडिक न्यायालय असमर्थ नहीं हो जाता है जो अपराध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर साबित होना पाया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी स्थिति से जो हमारे समक्ष है निपटने के लिए व्यापक उपबंध प्रदान करती है । धारा 304ख के अधीन विरचित आरोप के कथन से और दंड संहिता की धारा 498क के अनुकल्प में (जैसाकि ऊपर कथित किया गया है) इससे यह स्पष्ट है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन अपराध के लिए विरचित आरोप के सभी तथ्य और संघटक इस मामले में विद्यमान हैं । दंड संहिता की धारा 306 के साथ पठित धारा 498क में उल्लिखित विचारण न्यायालय की ओर से मात्र लोप होने से उक्त अपराध जब से साबित किया गया है अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से न्यायालय अपवर्जित नहीं हो जाता है ।"

25. पूर्वोक्त उपबंध का परिशीलन करने से और ऊपर उल्लिखित मामले में अभिकथित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन विरचित आरोप में केवल लोप होने से उस बात की परीक्षा करने के लिए न्यायालय वंचित नहीं होता जब तक कि अभियुक्त ऐसी गलती या लोप द्वारा भ्रमित किया जाना न पाया जाता हो ।

26. अब आरोप जिन्हें विचारण न्यायालय द्वारा इस तरह विरचित किया गया है तो उन्हें ग्रहण किए जाने के क्रम में उनकी परीक्षा किया जाना

---

[1] (2003) 1 एस. सी. सी. 217 = ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 11.

अपेक्षित है । क्या अभियुक्त-व्यक्तियों ने ऐसी गलती या लोप द्वारा भ्रमित किया है और यह बात संभवतः न्याय को विफल किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रकट होती है । इस तरह विरचित किए गए आरोप का परिशीलन करने पर जो इस प्रकार है :–

(देसी बोली का लोप किया गया है .... ईडी)

27. पूर्वोक्त आरोपों को बारीकी से समीक्षा करने पर यह प्रकट होता है कि न तो दंड संहिता की धारा 306 के अधीन संघटक अपेक्षित है और न अभियुक्त-व्यक्तियों को इस बारे में अवगत कराया गया । इस प्रकार यह एक ऐसा मामला है जहां विचारण न्यायालय द्वारा गलत विचारण किया गया था । अपराध जिसको विरचित किया गया था और विचारण न्यायालय द्वारा उस पर विचारण किया गया केवल दंड संहिता की धारा 498क/34 और 304ख/34 के अधीन दंडनीय अपराधों के बारे में है जिसमें अभियुक्त-व्यक्तियों को दोषमुक्त किया गया । इसलिए दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के बारे में किसी निष्कर्ष को अभिलिखित करने के बजाय इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए वस्तुतः यह होगा कि वह संबंधित विचारण न्यायालय अर्थात् द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) मुंगेली को दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के लिए मामले को वापस भेजा जाए और इसका पुनर्विचारण किया जाए ।

28. दांडिक पुनरीक्षण तथा दोषमुक्ति अपील ऊपर उल्लिखित निबंधनों को ध्यान में रखते हुए भागतः मंजूर की जाती है और एतद्द्वारा कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित न्यायालय तत्काल निचले न्यायालय को अभिलेख प्रतिप्रेषित करें ।

29. पक्षकारों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दंड संहिता की धारा 306 के अधीन दंडनीय अपराध के बारे में अपने अग्रिम विचारण के लिए तारीख 21 दिसम्बर, 2016 को मुंगेली के संबंधित न्यायालय के समक्ष हाजिर हों ।

30. इस आदेश के प्रति 2010 की दोषमुक्ति अपील सं. 445 को अभिलेख पर रखी जाए ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

सुरेन्द्र कुमार बैरागी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 5 जनवरी, 2017

न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 379 – चोरी – अभियुक्त-आवेदक पर मोटर साइकिल चोरी किए जाने का आरोप लगाया जाना – घटना की तारीख को अभियुक्त का प्रत्यर्थी के कार्यालय में जाना – अभियुक्त के मकान से मोटर साइकिल का अभिग्रहण किया जाना – यदि मामले में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाए जाने की कोई संभावना नहीं है तो अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है ।

विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्षकथन यह है कि शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में प्रबंधक के पद पर नियोजित था और उसे सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन सं. सीपीएल 5088 राजदूत मोटर साइकिल आबंटित की गई थी । तारीख 12 नवंबर, 1988 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न वह अपने कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ पर पहुंचा और उसने अपनी मोटर साइकिल खड़ी की तथा अपने कार्यालय में शासकीय कार्य करने में लग गया । लगभग 3.30-4.00 बजे अपराह्न ओंकार दास बैरागी और अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार बैरागी ऋण की मंजूरी के लिए उसके कार्यालय में पहुंचा तथा लगभग 4.15 बजे अपराह्न वे दोनों कार्यालय से बाहर निकले । लगभग 4.30 बजे अपराह्न जब शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) उसके कार्यालय पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मोटर साइकिल गायब है । उसने मोटर साइकिल को ढूंढना प्रारंभ किया परंतु वह उसे नहीं मिली । ओंकार और अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ इसलिए उसने तारीख 13 नवंबर, 1998 को पुलिस थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ में ओंकार और अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की जिस पर दंड संहिता की धारा 379 के अधीन उन दोनों के विरुद्ध 1998 की अपराध सं. 142 दर्ज की गई

थी । अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था । अभियुक्त सुरेन्द्र का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) अभिलिखित किया गया था और राजदूत मोटर साइकिल जिसकी इंजन सं. 19111355 और चैसिस सं. 115358855 उसके मकान ग्राम पुसार से (प्रदर्श पी-6) के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । सुरेन्द्र को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-8) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मुख्य रायगढ़ के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 379 के अधीन सुरेन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध आरोप विरचित किया । उसने दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । साक्षियों के कथन विचारण न्यायायल के समक्ष अभिलिखित किए गए थे । अभियुक्त सुरेन्द्र का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिस पर उसने यह प्रतिरक्षा ली कि उसने इलैक्ट्रिक और मोटर वाइडिंग की दुकान खोलने के लिए ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) ने ऋण की मंजूरी कि लिए 15,000/- रुपए की रिश्वत की मांग की थी और उस समय छेदी लाल पांडे (अभि. सा. 2) भी वहां पर मौजूद था । उसने यह कहा था कि यदि अभियुक्त द्वारा 15,000/- रुपए की राशि दी जाती है तो उसका ऋण मंजूर किया जाएगा । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया जैसाकि इस आदेश के प्रथम पैरा में उल्लिखित है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त-आवेदक ने अपील फाइल की जो सेशन न्यायालय रायगढ़ के समक्ष 2002 की दांडिक अपील सं. 143 के रूप में है । द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायगढ़ ने तारीख 20, फरवरी, 2004 के निर्णय द्वारा दांडिक अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अभिपुष्टि की । इसलिए यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया । आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – छेदी लाल पांडे (अभि. सा. 2) ने अपने साक्ष्य में प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) के कथन का समर्थन किया है । छेदी लाल पांडे (अभि. सा. 2) जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में निरीक्षक के पद पर नियोजित था उसने यह कथन किया कि वहां राजदूत मोटर

साइकिल जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. सीपीएल 5088 थी जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में खड़ी थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि तारीख 12 नवंबर, 1998 को वह और प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) दोनों कार्यालय में बैठे हुए थे और अभियुक्त सुरेन्द्र उस तारीख को उनके कार्यालय पर पहुंचा था और अभियुक्त सुरेन्द्र के बाहर जाने के पश्चात् वे कार्यालय से बाहर आए और उन्होंने देखा कि मोटर साइकिल चोरी हो गई थी । उन्होंने सुरेन्द्र पर संदेह किया । इस प्रकार उन दोनों साक्षियों (अभि. सा. 1 और 2) के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि घटना की तारीख को घटना से कुछ समय पूर्व अभियुक्त सुरेन्द्र जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ के कार्यालय पर पहुंचा और कार्यालय से बाहर जाने के कुछ समय पश्चात् मोटर साइकिल की चोरी होना इन दोनों साक्षियों की जानकारी में आया था । चूंकि सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) का कथन जिसने प्रश्नगत अपराध का अन्वेषण किया, अभियुक्त के ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और मोटर साइकिल (प्रदर्श पी-6) के अभिग्रहण को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है, और उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त को उसके द्वारा प्रश्नगत अपराध में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है । ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) में अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं और चुराई गई मोटर साइकिल को बरामद किया गया था/अभियुक्त द्वारा अपने मकान से उसे दिलवाकर अभिगृहीत कराया गया था । उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त मताभिव्यक्तियों के प्रकाश में अभियुक्त का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और मोटर साइकिल का अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) को साबित किया गया । परिणामस्वरूप दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है और दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है । अभियुक्त-आवेदक की जमानत पर होने की रिपोर्ट मिली है । उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंड के शेष भाग को भोगने के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने का निदेश किया जाता है । (पैरा 10, 13 और 15)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2003] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1311 :
करमजीत सिंह बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ; 12

[1977] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 56 :
प्रेम बल्लभ बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ; 12

[1973] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2783 :
नाथु सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** । 12

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक पुनरीक्षण सं. 123.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री विपिन पंजाबी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री संजीव पांडे, सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति अनिल कुमार शुक्ला – यह पुनरीक्षण आवेदन 2002 की दांडिक अपील सं. 143 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा तारीख 20 फरवरी, 2004 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसके द्वारा 1998 का दांडिक मामला सं. 1705 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ द्वारा तारीख 27 नवंबर, 2002 को निर्णय पारित करके अभियुक्त/आवेदक को दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया और 6 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए उसे दंडादिष्ट करते हुए 200/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर एक मास का कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया, जिसकी पुष्टि की गई ।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्षकथन यह है कि शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में प्रबंधक के पद पर नियोजित था और उसे सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन सं. सीपीएल 5088 राजदूत मोटर साइकिल आबंटित की गई थी । तारीख 12 नवंबर, 1998 को लगभग 10.30 बजे पूर्वाह्न वह अपने कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ पर पहुंचा और उसने अपनी मोटर साइकिल खड़ी की तथा अपने कार्यालय में शासकीय कार्य करने में लग गया । लगभग 3.30-4.00 बजे अपराह्न ओंकार दास बैरागी और अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार बैरागी ऋण की मंजूरी के

लिए उसके कार्यालय में पहुंचा तथा लगभग 4.15 बजे अपराह्न वे दोनों कार्यालय से बाहर निकले । लगभग 4.30 बजे अपराह्न जब शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) उसके कार्यालय पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मोटर साइकिल गायब है । उसने मोटर साइकिल को ढूंढना प्रारंभ किया परंतु वह उसे नहीं मिली । ओंकार और अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ इसलिए उसने तारीख 13 नवंबर, 1998 को पुलिस थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ में ओंकार और अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की जिस पर दंड संहिता की धारा 379 के अधीन उन दोनों के विरुद्ध 1998 की अपराध सं. 142 दर्ज की गई थी । अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया गया था । अभियुक्त सुरेन्द्र का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) अभिलिखित किया गया था और राजदूत मोटर साइकिल जिसकी इंजन सं. 19111355 और चैसिस सं. 115358855 उसके मकान ग्राम पुसार से (प्रदर्श पी-6) के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । सुरेन्द्र को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-8) के माध्यम से गिरफ्तार किया गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मुख्य रायगढ़ के न्यायालय में दंड संहिता की धारा 379 के अधीन सुरेन्द्र के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया था ।

3. विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 379 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध आरोप विरचित किया । उसने दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । साक्षियों के कथन विचारण न्यायायल के समक्ष अभिलिखित किए गए थे । अभियुक्त सुरेन्द्र का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था जिस पर उसने यह प्रतिरक्षा ली कि उसने इलैक्ट्रिक और मोटर वाइडिंग की दुकान खोलने के लिए ऋण की मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) ने ऋण की मंजूरी कि लिए 15,000/- रुपए की रिश्वत की मांग की थी और उस समय छेदी लाल पांडे (अभि. सा. 2) भी वहां पर मौजूद था । उसने यह कहा था कि यदि अभियुक्त द्वारा 15,000/- रुपए की राशि दी जाती है तो उसका ऋण मंजूर किया जाएगा । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-आवेदक को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया जैसाकि इस

आदेश के प्रथम पैरा में उल्लिखित है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अभियुक्त-आवेदक ने अपील फाइल की जो सेशन न्यायालय रायगढ़ के समक्ष 2002 की दांडिक अपील सं. 143 के रूप में है । द्वितीय अपर सेशन न्यायालय, रायगढ़ ने तारीख 20 फरवरी, 2004 के निर्णय द्वारा दांडिक अपील खारिज कर दी और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अभिपुष्टि की । इसलिए यह पुनरीक्षण फाइल किया गया ।

4. आवेदक की ओर से हाजिर होकर विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि साक्षियों के कथनों में विभेद और लोप को निचले न्यायालयों द्वारा अनदेखा किया गया है । महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं । ज्ञापन प्रदर्श पी-7 और मोटर साइकिल प्रदर्श पी-6 का अभिग्रहण को स्वतंत्र साक्षियों द्वारा साबित नहीं किया गया है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष आवेदक के विरुद्ध किसी मामले को साबित करने में विफल हुआ है । इसलिए विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया कि पुनरीक्षण याचिका मंजूर की जा सकती है और आवेदक को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जा सकता है ।

5. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और आवेदक की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को दी गई दलीलों पर विरोध किया है । विद्वान् राज्य काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि आक्षेपित निर्णय त्रुटिहीन है और आवेदक पर अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं है ।

6. इस पुनरीक्षण आवेदन में विचार किए जाने के लिए यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित निर्णय कायम योग्य है या नहीं ?

7. विचारण न्यायालय ने प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) छेदी लाल पांडे (अभि. सा. 2), रतन लाल अग्रवाल (अभि. सा. 3) भगवत पटेल (अभि. सा. 4), ओंकार दास बैरागी (अभि. सा. 5) मनबोध (अभि. सा. 6), शिव प्रसाद पटेल (अभि. सा. 7) रामदुलार (अभि. सा. 8) मोहन लाल मेहर (अभि. सा. 9), कांस्टेबल तेज राम पटेल (अभि सा. 10) और सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) के

साक्ष्यों की अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराई गई । शिव प्रसाद पटेल जिसकी अभि. सा. 7 के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षा कराई गई तथा प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा प्रतिरक्षा साक्षी-1 के रूप में कराई गई ।

8. प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि घटना तारीख 11 दिसंबर, 1998 को घटित हुई थी परंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) के अनुसार घटना 12 नवंबर, 1998 को घटित हुई जिस तारीख को उसने जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में अपने कार्यालय में जाकर राजदूत मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन सं. सीपीएल 5088 जो उसे सरकार द्वारा आबंटित की गई थी । इस साक्षी के अनुसार जब वह लगभग 4-5 बजे अपराह्न अपने कार्यालय से बाहर आया उसने देखा कि उसकी मोटर साइकिल गायब थी । उसने मोटर साइकिल को ढूंढा परंतु वह उसे नहीं मिली । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) दर्ज की जिस पर उसने अपना हस्ताक्षर होना साबित किया । इसके अतिरिक्त अभियुक्त सुरेन्द्र का नाम संदेह के आधार पर तथा ओंकार दास बैरागी का नाम भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में भी अभिलिखित किया गया था । इस ओंकार दास बैरागी को अभियोजन पक्ष द्वारा अभि. सा. 5 के रूप में साक्षी के रूप में बाद में परीक्षा कराई गई थी । ओंकार दास बैरागी (अभि. सा. 5) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उस तारीख को जब वह जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ गया था तब वह शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) से मिला था । ओंकार दास बैरागी (अभि. सा. 5) ने अभियुक्त सुरेन्द्र की भी पहचान की परंतु वह पक्षद्रोही हो गया ।

9. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) राजदूत मोटर साइकिल में रजिस्ट्रेशन सं. के अतिरिक्त मोटर साइकिल का इंजन और चैसिस की संख्या भी लिखी हुई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अंतर्विष्ट है कि घटना के कुछ समय पूर्व अभियुक्त सुरेन्द्र शिकायतकर्ता प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) के कार्यालय पर पहुंचा था परंतु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) में वर्णित उपरोक्त विशिष्टियों को प्रतिरक्षा में चुनौती नहीं दी गई है ।

10. छेदी लाल पांडे (अभि. सा. 2) ने अपने साक्ष्य में प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) के कथन का समर्थन किया है । छेदी लाल पांडे

(अभि. सा. 2) जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में निरीक्षक के पद पर नियोजित था उसने यह कथन किया कि वहां राजदूत मोटर साइकिल जिसकी रजिस्ट्रेशन सं. सीपीएल 5088 थी जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ में खड़ी थी । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि तारीख 12 नवंबर, 1998 को वह और प्रकाश किंडो (अभि. सा. 1) दोनों कार्यालय में बैठे हुए थे और अभियुक्त सुरेन्द्र उस तारीख को उनके कार्यालय पर पहुंचा था और अभियुक्त सुरेन्द्र के बाहर जाने के पश्चात् वे कार्यालय से बाहर आए और उन्होंने देखा कि मोटर साइकिल चोरी हो गई थी । उन्होंने सुरेन्द्र पर संदेह किया । इस प्रकार उन दोनों साक्षियों (अभि. सा. 1 और 2) के साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि घटना की तारीख को घटना से कुछ समय पूर्व अभियुक्त सुरेन्द्र जिला उद्योग केन्द्र रायगढ़ के कार्यालय पर पहुंचा और कार्यालय से बाहर जाने के कुछ समय पश्चात् मोटर साइकिल की चोरी होना इन दोनों साक्षियों की जानकारी में आया था ।

11. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त सुरेन्द्र का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) को तारीख 1 दिसंबर, 1998 को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा अभिलिखित किया गया था । अभियुक्त सुरेन्द्र का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) को साबित करने के लिए शिवप्रसाद पटेल (अभि. सा. 7) जिसकी प्रतिरक्षा साक्षी डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में बाद में परीक्षा भी की गई थी तथा इसके साथ-साथ रामदुलार की भी परीक्षा की गई थी । इन दोनों साक्षियों ने ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) पर अपने-अपने हस्ताक्षर साबित किए । अभियुक्त सुरेन्द्र ने अपने ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) में यह कथन किया है कि उसने ग्राम पुसार में अपने घर पर मोटर साइकिल छुपा कर रखी थी और उसने ज्ञापन में आगे यह भी कथन किया कि वह अभिग्रहण किए जाने के लिए मोटर साइकिल को प्रस्तुत करेगा । इस ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) को सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) द्वारा अपने साक्ष्य में साबित किया गया है और उसके इस साक्ष्य को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है और न उसकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट हुआ है कि सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) का अभियुक्त सुरेन्द्र के विरुद्ध कोई असद्भावी आशय रहा था जिसके कारण प्रश्नगत अपराध में अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया था । तारीख 1 दिसंबर, 1998 को अभियुक्त सुरेन्द्र का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7)

अभिलिखित करने के पश्चात् पुलिस ने ग्राम पुसार में अभियुक्त सुरेन्द्र के घर से मोटर साइकिल उपलब्ध कराई थी जिसे (प्रदर्श पी-6) के माध्यम से अभिगृहीत किया गया था । मनबोध (अभि. सा. 6) और मोहन लाल मेहर (अभि. सा. 9) की अभिग्रहण साक्षियों के रूप में अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा कराई गई थी जिन्होंने अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) के प्ररूप "क" से "क" और "ख" से "ख" पर अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं परंतु उन्होंने मोटर साइकिल के अभिग्रहण से संबंधित अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया । अन्वेषक अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) द्वारा मोटर साइकिल का अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) किया गया । उसने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि उसने मोटर साइकिल इंजन सं. 19111355 और चैसिस सं. 115358855 को अभियुक्त सुरेन्द्र के मकान से उपलब्ध कराया गया था । उसने अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-6) प्ररूप से "ग" से "ग" पर अपना हस्ताक्षर साबित किया । अभिग्रहण ज्ञापन पर "घ" से "घ" पर अभियुक्त सुरेन्द्र के हस्ताक्षर भी हैं । सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) के कथन को मोटर साइकिल के अभिग्रहण के संबंध में प्रकट किया गया है जिसे उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई और न इस बात को उसकी प्रतिपरीक्षा में शामिल किया गया कि अभियुक्त को प्रश्नगत अपराध में उसके द्वारा मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्षियों में से एक शिव प्रसाद पटेल (अभि. सा. 7) की प्रतिरक्षा साक्षी (डी. डब्ल्यू. 1) के रूप में परीक्षा की गई । शिव प्रसाद पटेल (डी. डब्ल्यू. 1) अभियुक्त की प्रतिरक्षा में यह कथन किया कि तारीख 13 नवंबर 1998 को अभियुक्त ग्राम पुतकापुरी में मौजूद था और इस प्रकार उसने अभियुक्त की ओर से अन्यत्र रहने की प्रतिरक्षा की है परंतु यह घटना तारीख 12 नवंबर 1998 को घटी और न कि 13 नवंबर, 1998 को । इस परिस्थिति में अभियुक्त की ओर से शिव प्रसाद पटेल (डी. डब्ल्यू. 1) द्वारा ली गई प्रतिपरीक्षा आधारहीन है और यह भी सुस्पष्ट है कि यह साक्षी जो अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलिखित ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) का भी साक्षी है, जिसकी अभियुक्त से मिली भगत है ।

12. इस प्रकार सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11) केवल ऐसा साक्षी है जिसने अभियुक्त के ज्ञापन (प्रदर्श

पी-7) और मोटर साइकिल (प्रदर्श पी-6) के अभिग्रहण को साबित किया है और ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) तथा अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) दोनों में अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं जिसके संबंध में अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई प्रतिरक्षा नहीं ली है । अब केवल न्यायनिर्णयन किए जाने के लिए यह प्रश्न शेष रह जाता है कि क्या सहायक उप-निरीक्षक जी. एस दुबे (अभि. सा. 11) के साक्ष्य का आधार केवल अभियुक्त का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और मोटर साइकिल (प्रदर्श पी-6) का अभिग्रहण को साबित किया जाना माना जा सकता है इस बारे में **नाथु सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार है :–

> "2. जहां तक आवेदक के विरुद्ध उसके कब्जे से आरोप में वर्णित दिनांक समय और स्थान पर बिना लाइसेंसी कारतूस की बरामदगी का संबंध है मामले के तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए और यह तथ्य कि दो साक्षी जो लोगों के बीच में से अर्थात् रघुनाथ सिंह (अभि. सा. 1) और गंभीर सिंह तोमर (अभि. सा. 2) को बुलाया गया वे पक्षद्रोही हो गए और जिस मामले पर उच्च न्यायालय और निचले न्यायालय द्वारा विचार किया गया था । उन्होंने यह अभिनिर्धारित किया कि दो अभियोजन साक्षी जो पक्षद्रोही घोषित हो गए थे, उनका अवलंब नहीं लिया जा सकता । उनके साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन नष्ट नहीं हो सकता है या संदेहपूर्ण बन जाता है । महादेव सिंह (अभि. सा. 5), उमाशंकर (अभि. सा. 6) द्वारा अभियोजन पक्षकथन का पूरी तरह समर्थन किया गया जो पुलिस अधिकारी थे । मात्र यह तथ्य कि ये पुलिस अधिकारी हैं इसलिए उनके साक्ष्य को त्यक्त करना पर्याप्त नहीं था और अपीलार्थी के प्रति बैरपूर्ण रवैया दर्शित नहीं हुआ था ।"

प्रेम बल्लभ बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर यह मत व्यक्त किया गया जो इस प्रकार है :–

---

[1] ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2783.

[2] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 56.

"3. .... विधि का कोई ऐसा नियम नहीं है कि खाद्य निरीक्षक के एकमात्र परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि आधारित नहीं हो सकती । ऐसा केवल तब है जब सावधानी बरती जाए । न्यायालयों ने यह आग्रह किया है कि खाद्य निरीक्षक का परिसाक्ष्य किसी स्वतंत्र साक्षी से सम्पुष्टि होनी चाहिए यह एक आवश्यक सावधानी के प्रति बोध कराती है जिस बात को विवेक में रखा जाना चाहिए कि क्यूं खाद्य निरीक्षक को हितबद्ध साक्षी के रूप में सावधानी बरतने वाला माना जा सकता है परंतु ऐसी सावधानी प्रज्ञा का नियम है विधि का नियम नहीं है; यदि इस बात को अनदेखा किया जाए तो किसी दोषी व्यक्ति के लिए यह संभव हो जाएगा कि पंचसाक्षियों को रिश्वत देने के तरीके का सहारा लेकर दंड से भाग निकलने का प्रयास करे इसलिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार की दुर्बलता पर आक्षेपित नहीं किया जा सकता कि यह बात भनोट और भटनागर के साक्ष्य पर आश्रित है ।"

करमजीत सिंह बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह दोहराया है जो इस प्रकार है :-

"8. अपीलार्थी के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री सिन्हा ने पुरजोर यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदगी के सभी साक्षियों की परीक्षा की गई, जो पुलिस कार्मिक हैं और मामले में किसी लोक साक्षी का अभाव है इसलिए केवल उनके परिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम रखा जाना पर्याप्त नहीं ठहराया गया है । हमारा यह मत है कि दी गई दलील स्वीकार नहीं की जा सकती पुलिस कार्मिक के परिसाक्ष्य पर उसी रीति में विचार किया जाना चाहिए जिस रीति में किसी अन्य साक्षियों पर विचार किया जाता है और विधि में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि बिना स्वतंत्र साक्षियों के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि नहीं होते हुए उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता ....।"

13. चूंकि सहायक उप-निरीक्षक जी. एस. दुबे (अभि. सा. 11)

---

[1] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 1311.

का कथन जिसने प्रश्नगत अपराध का अन्वेषण किया, अभियुक्त के ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और मोटर साइकिल (प्रदर्श पी-6) के अभिग्रहण को उसकी प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई है, और उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है कि अभियुक्त को उसके द्वारा प्रश्नगत अपराध में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है । ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) में अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं और चुराई गई मोटर साइकिल को बरामद किया गया था/अभियुक्त द्वारा अपने मकान से उसे दिलवाकर अभिगृहीत कराया गया था । उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त मताभि व्यक्तियों के प्रकाश में अभियुक्त का ज्ञापन (प्रदर्श पी-7) और मोटर साइकिल का अभिग्रहण (प्रदर्श पी-6) को साबित किया गया ।

14. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैं निचले न्यायालयों द्वारा निकाले गए समवर्ती निष्कर्ष को अपास्त करने का कोई आधार नहीं पाता हूं ।

15. परिणामस्वरूप दांडिक पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है और दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है । अभियुक्त-आवेदक की जमानत पर होने की रिपोर्ट मिली है । उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंड के शेष भाग को भोगने के लिए अभियुक्त को अभिरक्षा में लेने का निदेश किया जाता है ।

16. इस आदेश की प्रति के साथ तत्काल मामले के अभिलेख वापस भेजे जाते हैं ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

राम दयाल यादव उर्फ **नान्गीदारिया**

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 10 जनवरी, 2017

न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 311 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 364 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – व्यपहरण – अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों का परीक्षण कराया जाना – यदि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करता है तो उसको प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा की गई संस्वीकृतियों के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

अपीलार्थियों को समस्तीपुर जिले में स्थित रोसड़ा के सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 13 अगस्त, 2000 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और प्रत्येक को 8 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया और साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि यदि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के निबंधनों के अनुसार विचारण के अनुक्रम के दौरान किसी अवधि का कारावास भोग लिया हो तो उसको मुजरा किया जाएगा । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन के पक्षकथन में विद्यमान शैथिल्य और विसंगतताओं को ध्यान में रखते हुए हत्या के प्रयोजनार्थ अपहरण के संबंध में अभियोजन के वृत्तांत की शुद्धता संदेहास्पद हो जाती और इसी आधार पर प्रतिरक्षा साक्षी की स्वीकारोक्ति अभियोजन के पक्षकथन और अपीलार्थियों के पक्षकथन में कोई सुधार नहीं कर सकती, अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष दूषित पाए जाते हैं और तद्नुसार उनको अपास्त किया जाता है । (पैरा 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 275.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — श्री अरुण कुमार त्रिपाठी (न्यायमित्र)

प्रत्यर्थियों की ओर से — श्री सुजीत कुमार सिंह (सहायक लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति आदित्य कुमार त्रिवेदी – अपीलार्थियों राम दयाल यादव **उर्फ** नान्गीदारिया और तारिणी यादव को 2000 के सेशन विचारण सं. 233 और 2000 के सेशन विचारण सं. 37 में समस्तीपुर जिला के रोसड़ा नामक स्थान के सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 13 अगस्त, 2000 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 364/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया और प्रत्येक को 8 वर्ष के कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया और साथ ही यह निर्देश भी दिया गया कि यदि उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के निबंधनों के अनुसार विचारण के अनुक्रम के दौरान किसी अवधि का कारावास भोग लिया हो तो उसको मुजरा किया जाएगा ।

2. अभि. सा. 6 रामानंद यादव ने तारीख 31 जुलाई, 1997 को अपराह्न 10 बजे एक फर्दबयान अन्य बातों के साथ यह अभिकथित करते हुए अभिलिखित कराया था कि वह अपराह्न लगभग 7.30 बजे वह अपने पुत्र हरिनाथ यादव के साथ (जगदीश यादव के) दरवाजा से अपने घर की ओर जा रहे थे, किंतु रास्ते में राम दयाल यादव, तारिणी यादव, राम प्रकाश यादव, मिथिलेश यादव, मकेश्वर यादव और 3-4 अन्य अज्ञात व्यक्ति आयुधों से लैस होकर प्रकट हुए और उन्होंने उसके पुत्र हरिनाथ यादव को पकड़ लिया और ग्राम के दक्षिणी भाग की ओर घसीट कर ले गए । उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिनमें उसके अन्य पुत्र बैजनाथ यादव और विश्वनाथ यादव भी सम्मिलित थे, शोर मचाया किंतु अभियुक्तों ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और न ही उसके पुत्र को छोड़ा । वे उसको अपने साथ ले गए । इस घटना के पीछे यह उद्देश्य दर्शित किया गया है कि वह (राम दयाल यादव) अशोक शर्मा नामक एक व्यक्ति से एक भूमि खरीदने में सफल हो गया था । अभियुक्त राम प्रकाश यादव भी उसी जमीन की खरीद का दावेदार था और वह इसी कारणवश कुंठित था जिसके परिणामस्वरूप उसने इस घटना को कारित किया ।

3. पूर्वोक्त फर्दबयान के आधार पर हसनपुर पुलिस थाना में 1997 का मामला सं. 118 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149

और 364 और साथ ही आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया जिस पर अन्वेषण आरंभ किया गया और अन्वेषण की समाप्ति पर इन दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, चूंकि इन दोनों को अन्वेषण के अनुक्रम के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था और शेष अभियुक्तों को अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, अतः अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया जहां विचारण आरंभ हुआ और अंततः अपीलार्थियों के विरुद्ध प्रतिकूल परिणाम, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की गई है, के साथ समाप्त हुआ ।

4. प्रतिरक्षा, जैसाकि प्रतिपरीक्षा और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित कथन से स्पष्ट है, घटना में अंतर्वलित होने से पूर्ण रूप से इनकार और साथ ही पक्षों के मध्य पहले से चल रही दुश्मनी के कारण असत्य रूप से अंतर्वलित कर दिए जाने का है और इसको साबित करने के लिए एक प्रतिरक्षा साक्षी का परीक्षण भी कराया गया ।

5. विद्वान् न्यायमित्र श्री अरुण कुमार त्रिपाठी ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को दृढ़तापूर्वक चुनौती दी और अपनी दलीलों को साबित करने के लिए निवेदन किया कि साक्षियों के साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि सभी तात्विक साक्षी एक ही परिवार के सदस्य हैं । जो भी स्वतंत्र साक्षी उपस्थित हुआ, पक्षद्रोही हो गया चूंकि उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । पक्षों के स्वीकृत पक्षकथन की पृष्ठभूमि में कि दोनों पक्षों के मध्य पहले से मुकदमेबाजी चल रही थी, उनके साक्ष्यों को नियमित आधार पर स्वीकार न किया जाए । इसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म रूप से संवीक्षा किया जाना अपेक्षित है और इस प्रक्रिया के दौरान यह प्रकट है कि दोनों पक्षों में से किसी ने भी अभियोजन के पक्षकथन को इस सीमा तक मान्य नहीं ठहराया है जो विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को न्यायानुमत ठहरा सके ।

6. इसके अतिरिक्त, यह निवेदन भी किया गया कि साक्षियों के साक्ष्य में फेरफार किया गया है जो अन्वेषण अधिकारी के परीक्षण के अभाव में अभिलेख पर नहीं लाया जा सका और इस कारणवश अपीलार्थियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । साथ ही यह निवेदन भी किया गया कि अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण न कराए जाने के कारण अभि. सा. 5, जो अभिकथित आहत हरिनाथ यादव था, से बरामदगी का तरीका भी संदेहास्पद हो गया और इसलिए अंतिम लाभार्थी अपीलार्थी हो गए जिसका मूल्यांकन

विद्वान् विचारण न्यायालय कर पाने में असफल रहा । इसलिए, सारतः यह निवेदन किया गया कि अभियोजन का पक्षकथन अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं पाया जाता जिस कारणवश अपील मंजूर किए जाने योग्य है और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष शून्यकरण किए जाने योग्य है ।

7. विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों का समर्थन करते हुए निवेदन किया कि यद्यपि आक्षेपित निर्णय में कुछ शिथिलता प्रतीत होती है, किन्तु उनको अनियमितता के रूप में प्रतीत किया जा सकता है न कि ऐसी अवैधता के रूप में जो विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली हो । इसके अतिरिक्त, यह निवेदन किया गया कि यद्यपि प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से चर्चा नहीं की गई है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को साक्ष्य के उचित रूप से किए गए मूल्यांकन और साथ ही प्रतिरक्षा साक्षी 1 की स्वीकृति पर आधारित पाया जाता है । इसके परिणामस्वरूप आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

8. अभियोजन ने अपने पक्षकथन की पुष्टि करने के प्रयोजनार्थ 11 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया जो अभि. सा. 1 विश्वनाथ यादव, अभि. सा. 2 वैजनाथ प्रसाद यादव, अभि. सा. 3 राम बाबू श्रीवास्तव, अभि. सा. 4 सुरेश यादव, अभि. सा. 5 हरि नाथ यादव, अभि. सा. 6 रामानंद यादव, अभि. सा. 7 राम बालक यादव, अभि. सा. 8 अशोक शर्मा, अभि. सा. 9 ठोकरी यादव, अभि. सा. 10 राम खिलावन यादव और अभि. सा. 11 दशरथ प्रसाद ठाकुर हैं । इसके साथ ही अभियोजन ने कुछ दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया जो प्रदर्श-1, औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और प्रदर्श-2, फर्द बयान हैं । प्रतिरक्षा पक्ष ने भी एक साक्षी का परीक्षण कराया जो प्रतिरक्षा साक्षी 1 रामानंद यादव है । तथापि, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं कराया गया । जहां तक साक्षियों को कोटिबद्ध किए जाने का प्रश्न है, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 औपचारिक प्रकृति के साक्षी हैं, अभि. सा. 7, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है और इसके परिणामस्वरूप उनको अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है । अभि. सा. 11 अन्वेषण अधिकारी है जिसने तारीख 2 सितम्बर, 1998 को पदभार ग्रहण किया था और दोनों अपीलार्थियों को

गिरफ्तार करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया गया था । इसलिए तात्विक साक्षी, जो शेष रह जाते हैं, अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 हैं जिनमें से अभि. सा. 5 स्वयं आहत है, अभि. सा. 6 इत्तिलाकर्ता है, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अभि. सा. 5 के भाई हैं । इस प्रकार सभी साक्षी पिता और पुत्र हैं ।

9. यह मामला प्रतिरक्षा साक्षी के परीक्षण और साथ ही उसके द्वारा की गई कतिपय स्वीकृतियों पर विचारोपरांत विलक्षण प्रकृति का हो जाता है । यह कहना व्यर्थ होगा कि जब कभी भी अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करता है और साक्षियों का परीक्षण कराता है, तो उस स्थिति में अभियुक्त को उन संस्वीकृतियों, जिनको प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा किया गया है के परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होता है और इसलिए अभि. सा. 1 द्वारा रामानंद यादव (अभि. सा. 6) के पुत्र के अपहरण के संबंध में की गई स्वीकृति का अत्यधिक महत्व है । फिर भी इस पर पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर पूर्वोक्त स्वीकृति की सीमा तक और साथ ही हमारे समक्ष अपील के परिणाम पर उस स्वीकृति के पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया जाएगा ।

10. अन्य साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पूर्व यह महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि अभिकथित आहत हरि नाथ यादव, जिसका परीक्षण अभि. सा. 5 के रूप में किया गया, के साक्ष्य पर विचार किया जाए । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह घटना के अभिकथित समय और दिन पर भोजन करने के लिए अपने घर की ओर जा रहा था । जब वह जगदीश यादव के दरवाजे के निकट पहुंचा तो अचानक मिथिलेश यादव, मकेश्वर यादव, राम दयाल यादव, राम प्रकाश यादव और तारिणी यादव आए और उसको पकड़ लिया । उसने अपने पिता और तीनों भाइयों का ध्यानाकर्षण करने के लिए शोर मचाया जो आए किन्तु अभियुक्तों ने उसको नहीं छोड़ा । तत्पश्चात्, मिथिलेश यादव और मकेश्वर यादव ने उसकी ओर पिस्तौल तान दी और अन्य अभियुक्तों की सहायता से उसको घसीट कर ग्राम के दक्षिणी भाग की ओर ले गए । उन्होंने उसको एक दिन और एक रात गन्ने के खेत में रखा और तत्पश्चात् उसको एक ईंट भट्टे वाले स्थान पर ले गए जहां वह दो दिन तक रहा और तत्पश्चात् अंतिम दिन उसको एक नलकूप गृह में बंधक बनाकर रखा । उसी स्थान पर मिथिलेश यादव ने कहा था कि वे या तो 25,000/- रुपए लेने में सफल हो जाएंगे अन्यथा उसकी हत्या कर देंगे । आगे यह अभिकथित

किया गया है कि जब सभी अभियुक्त सो रहे थे, तो वह वहां से निकल भागा और परदाह नामक ग्राम पहुंचा जहां उसने ग्रामीणों को घटना के बारे में बताया । ग्रामीणों में से एक व्यक्ति उसको चौकीदार के पास ले गया जिसके साथ वह पूरी रात रहा । अगले दिन चौकीदार उसको साथ लेकर हसनपुर पुलिस थाना गया जहां पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया । वह पुलिस थाना में एक दिन और एक रात रहा और तत्पश्चात् उसको उसके पिता के साथ रोसड़ा पुलिस थाना ले जाया गया जहां उसका कथन अभिलिखित किया गया । तत्पश्चात्, उसको समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक के समक्ष ले जाया गया जहां पुनः उसका कथन अभिलिखित किया गया । तत्पश्चात् पुलिस उसको हसनपुर पुलिस थाना ले गई और निर्मुक्त कर दिया । उसने आगे अभिकथित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसका कथन बहुत जल्द अभिलिखित कर लिया गया था । उसने अपने प्रतिपरीक्षा के दौरान पृष्ठ चार पर अभिकथित किया है कि घटना के समय उसका पिता उसके तीन भाइयों के साथ उपस्थित था । घटना उसके दरवाजे से 10 लग्गा दूर घटित हुई थी, उस समय अंधेरी रात थी । उसके पिता और शेष तीनों भाइयों ने घटना को घटित हुए देखा । उन्होंने शोर भी मचाया था किन्तु वह यह नहीं बता सकता कि कितने ग्रामीण पहुंचे थे । उसने आगे अभिकथित किया कि उसके पिता और भाइयों ने पीछा किया था किन्तु गोली चलने की आवाज सुनकर भयभीत हो गए थे । उसने आगे अभिकथित किया है कि संपूर्ण घटना के दौरान वह अपने होशोहवास में था । उसने आगे अभिकथित किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि उसको किस खेत में बंदी बनाकर रखा गया था । उसने आगे अभिकथित किया है कि अभियुक्तों ने उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया था । इसी प्रकार से उसने ईंट भट्टे और पंप हाउस में अपने आप को रखे जाने के बारे में भी अभिकथित किया है । उसने पैरा 5 में यह भी अभिकथित किया है कि उसने वे स्थान पुलिस को दिखाए थे ।

11. अभि. सा. 6 इत्तिलाकर्ता है जिसने अभिकथित किया कि वह घटना की अभिकथित तारीख और समय पर बैजनाथ यादव, विश्वजीत यादव और हरि नाथ यादव के साथ दरवाजा पर उपस्थित था जहां लालटेन जल रही थी । हरि नाथ यादव अपने घर की ओर बढ़ा किन्तु इसी दौरान राम प्रकाश यादव, मिथिलेश यादव, मकेश्वर यादव, तारिणी यादव और राम दयाल यादव तीन चार व्यक्तियों के साथ आयुधों से लैस होकर आए और उसके पुत्र हरि नाथ यादव को पकड़ लिया और उसको ग्राम के दक्षिणी भाग की ओर घसीट कर ले गए । यह देखकर वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों

के साथ दौड़ा, शोर मचाया फिर भी अभियुक्त उसके पुत्र का अपहरण करने में सफल हो गए । तत्पश्चात् उसने उनके उद्देश्य का प्रकटीकरण किया और ऐसा उसने घटना के घटित होने के पश्चात् किया । वह पुलिस थाना गया, अपना फर्द बयान दर्ज कराया । उसने घटना के तथ्य के बाबत प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 4 में अभिकथित किया है कि घटना के समय गोली नहीं चली थी । उसने आगे अभिकथित किया कि किसी भी ग्रामीण, जिनमें उसके अपने परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हैं, ने घटना को नहीं देखा । उसने पैरा 5 में अभिकथित किया कि वह चार दिनों के पश्चात् अपने पुत्र से पुलिस थाना में मिला था । जिसके लिए चौकीदार उसको सूचित करने के लिए आया था ।

12. अभि. सा. 1 विश्वजीत यादव, जो आहत का भाई है, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 का पुत्र इत्तिलाकर्ता है । उसने अभिकथित किया है कि वह घटना की अभिकथित तारीख और समय पर अपने पिता हरि नाथ यादव और भाई बैजनाथ यादव के साथ दरवाजा पर उपस्थित था । राम दयाल यादव, तारिणी यादव, राम प्रकाश यादव, मिथिलेश यादव और मकेश्वर यादव पिस्तौल से लैस होकर वहां पर आए और उसके भाई हरि नाथ यादव को पकड़ लिया और उसको पिस्तौल की नोंक पर ग्राम के दक्षिणी भाग की ओर घसीट कर ले गए । उन्होंने उनका पीछा किया, शोर मचाया जिस पर अभियुक्तों ने गोलियां चलानी आरंभ कर दीं । इस प्रकार उसने अभियुक्त के आशय का प्रकटीकरण किया है । उसने पैरा 6 में घटना के बिन्दु पर प्रतिपरीक्षा के दौरान अभिकथित किया कि घटना के चार दिनों के पश्चात् थाना के भारसाधक अधिकारी ने उसको आहत को खोज लिए जाने के बाबत सूचित किया था जिस पर वे गए और आहत से मिले । उसके भाई ने उसके समक्ष इस बात का प्रकटीकरण नहीं किया कि उसको इस अवधि के दौरान कहां पर जबरन रखा गया था । उसने पैरा 7 में अभिकथित किया है कि उसने अभियुक्तों को घटना के पश्चात् सर्वप्रथम न्यायालय में देखा था ।

13. अभि. सा. 2 एक अन्य भाई है जिसने अभिकथित किया था कि वह घटना के अभिकथित दिन और समय पर अपने पिता और भाइयों हरि नाथ यादव, विश्वनाथ यादव और रामाधार यादव के साथ दरवाजा पर उपस्थित था । उस समय दरवाजा पर लालटेन जल रही थी । उसने और उसके पिता ने टार्च ले रखी थी । उसी समय उसका भाई हरि नाथ यादव अपने घर की ओर बढ़ा । वह जैसे ही जगदीश शर्मा के बैठका के निकट पहुंचा, राम दयाल यादव, तारिणी यादव, राम प्रकाश यादव, मिथिलेश यादव

और मकेश्वर यादव पिस्तौल से लैस होकर आए, उसको पकड़ लिया और उसको ग्राम के दक्षिण की ओर घसीट कर ले गए । उन्होंने शोर मचाया जिस पर अभियुक्तों ने गोलियां चला दीं जिसके परिणामस्वरूप वे सहम गए । उसने आगे अभिकथित किया कि उसने अभियुक्तों की पहचान टार्च की रोशनी में कर ली थी । इस प्रकार उसने अभियुक्तों के आशय का प्रकटीकरण किया । उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 9 में अभिकथित किया है कि घटना दरवाजा और आंगन के मध्य घटित हुई थी । उस दिन अंधेरी रात थी । उन्होंने घटना के समय शोर मचाया था, किन्तु कोई नहीं आया । उसने इस बात का स्मरण नहीं किया कि उसके परिवार के अन्य सदस्य आ गए थे या नहीं । उसने पैरा 10 में अभिकथित किया कि उसने लगभग 10 लग्गा तक अभियुक्तों का पीछा किया था । उसने पैरा 13 में अभिकथित किया कि उसने घटना के पश्चात् अभियुक्तों को पहली बार न्यायालय के कठघरे में देखा था । उसने आगे अभिकथित किया कि वह राम प्रकाश, मिथिलेश और मकेश्वर से घटना के 15 दिनों पश्चात् मिला था । उसने पैरा 14 में आगे अभिकथित किया कि उसने हरि नाथ से बात की थी किन्तु हरि नाथ ने पूर्वोक्त मध्यवर्ती अवधि के दौरान उसको बंदी बनाकर रखे जाने के संबंध में कुछ भी नहीं बताया था ।

14. अब हम संबंधों की बाबत बात करते हैं, अभि. सा. 1 ने पैरा 3 में, अभि. सा. 2 ने पैरा 3 और 4 में, अभि. सा. 5 ने पैरा 2 में, अभि. सा. 6 ने पैरा 3 में अभिकथित किया है जिसके आधार पर सुव्यक्त है कि अभियोजन और साथ ही साथ मिथिलेश और राम प्रकाश पाटीदार हैं और एक ही मकान में रहते हैं । उसके अतिरिक्त इस बात को अभि. सा. 2 द्वारा पैरा 6 में, अभि. सा. 6 द्वारा पैरा 3 में स्वीकार किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 और 107 के अधीन फाइल की गई कार्यवाही जो कि एक विभाजन वाद है, पक्षों के मध्य लंबित था । यह भी सुव्यक्त है कि सभी भाइयों में से एक अर्थात् राम आधार यादव का परीक्षण नहीं किया गया । यह भी सुव्यक्त है कि अभि. सा. 6 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त व्यक्तियों पर गोली नहीं चलाई गई थीं जबकि अभि. सा. 1 और 2 के साक्ष्य से यह सुव्यक्त है कि पीछा किए जाने के दौरान अभियुक्तों ने गोली चलाई थी जिस कारणवश वे भयभीत हो गए थे और उन्होंने अभियुक्तों का पीछा करना बंद कर दिया था । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि वे अभि. सा. 5 हरि नाथ यादव के बारे में बात कर रहे थे, फिर भी यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस बात का प्रकटीकरण नहीं किया कि हरि

नाथ यादव ने उस स्थान के संबंध में, जहां उसको बंधक बनाकर रखा गया था, कुछ कहा है ।

15. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 5 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने उस स्थान को दिखाने का दावा किया था जहां उसको अभियुक्तों द्वारा बंधक बनाकर रखा गया था, किन्तु अन्वेषण अधिकारी द्वारा परीक्षण न किए जाने के कारण उन बातों का प्रकटीकरण नहीं हो पाया । इसी प्रकार से, यद्यपि अभि. सा. 5 ने अभिकथित किया है कि उसको चौकीदार हसनपुर थाना अपने साथ लेकर गया था, किन्तु अभियोजन द्वारा चौकीदार का परीक्षण नहीं किया गया । अभि. सा. 5 ने आगे अभिकथन किया है कि वह परदाह के ग्रामीणों से मिला था, किन्तु उसने किसी भी ग्रामीण का नाम नहीं लिया । उपरोक्त कमियों के कारण यह संदेहास्पद हो गया है कि अभि. सा. 5 का वास्तव में अपहरण हुआ था या नहीं । यदि इस प्रकार की घटना घटित हुई होती, तो नैसर्गिक रूप से अभि. सा. 5 ने इस घटना के बारे में कम से कम अपने भाइयों और पिता को तो अवश्य बताया होता कि उसको किस प्रकार से ले जाया गया और गन्ने के खेत, ईंट भट्टे और पंप हाउस में बंधक बनाकर रखा गया और वह किस प्रकार वहां से भाग निकलने में सफल रहा ।

16. अतः अभियोजन के पक्षकथन में विद्यमान उपरोक्त शैथिल्य और साथ ही विसंगतताओं की पृष्ठभूमि में हत्या के प्रयोजनार्थ अपहरण के संबंध में अभियोजन के वृत्तांत की शुद्धता संदेहास्पद हो जाती और इसी आधार पर प्रतिरक्षा साक्षी की स्वीकारोक्ति अभियोजन के पक्षकथन और साथ ही अपीलार्थियों के पक्षकथन में कोई सुधार नहीं कर सकता, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष दूषित हो जाते हैं और तद्नुसार उनको अपास्त किया जाता है ।

17. अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी जमानत पर हैं, अतः उनको उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है । निर्णय की प्रथम और अंतिम पृष्ठ विद्वान् न्यायमित्र को आवश्यक कार्यों के संपादन के प्रयोजनार्थ दे दिए जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

शु.

सोनू कुमार पोद्दार

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 20 जनवरी, 2017

न्यायमूर्ति किशोर कुमार मंदालंद और न्यायमूर्ति संजय कुमार

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 (2)(च) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग – यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा, तो वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 3 – अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य – न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सत्यता पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और तत्पश्चात् दोषिता का निर्णय करे ।

संक्षेप में मामले के तथ्य ये हैं कि इत्तिलाकर्ता की अवयस्क पुत्री निकटवर्ती बगीचे में ईंधन जलाने की लड़की एकत्रित करने गई थी तभी अपीलार्थी ने उस पर हमला किया और उसके साथ निकटवर्ती गड्ढे में बलात्संग किया । अतः अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोपित किया गया । मुजफ्फरपुर के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं. 4 द्वारा दोषसिद्ध निर्णय द्वारा और तारीख 25 फरवरी, 2011 के दोषसिद्धि आदेश द्वारा आहत के साथ बलात्संग करने का दोषी पाया और कठोर आजीवन कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया । उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में चूक होने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भोगना था । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश द्वारा व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साक्षियों के साक्ष्य बलात्संग के आरोप पर संगत हैं । सभी साक्षी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं जो घटनास्थल के निकट स्थित है और उन सभी को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान सच्चा पाया गया । उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके । यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने दुश्मनी के आधार पर असत्य रूप से अंतर्वलित किए जाने का प्रकथन किया है किन्तु वह दुश्मनी के तथ्य को साबित कर पाने में असफल रहे । बलात्संग के आरोप को चिकित्सीय अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है । सतर्कतापूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साक्षियों के कथन में कोई तात्विक फेरफार नहीं है । असंगतताओं, जिनकी ओर हमारा ध्यान काउंसेल द्वारा दिलाया गया, अत्यधिक मामूली हैं और परिणाम पर कोई अधिक प्रभाव डालने वाली नहीं है चूंकि न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सच्चाई पर विचार करे । इत्तिलाकर्ता, उसकी पत्नी और पड़ोसियों से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि वे न्यायालय के समक्ष आकर कोमल आयु की अवयस्क, अविवाहित लड़की के विरुद्ध अपमानित करने वाले कथन करें चाहे उनके मध्य किसी कारणवश वैमनस्यता ही क्यों न हो । संपूर्ण साक्ष्य और परिस्थितियां अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग के आरोप को पूर्णतः साबित करती हैं और हमको विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि को मान्य ठहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । अंततः, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दंड की मात्रा को विवादित किया । उनके अनुसार अपीलार्थी की आयु को सम्मिलित करते हुए, जो (घटना के समय) 19 वर्ष का था, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, विभिन्न तथ्यों पर विचारोपरांत आजीवन कारावास का दंडादेश और चूक खंड के साथ 10,000/- रुपए का जुर्माना अत्यधिक अधिक है । हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के उपबंधों का परीक्षण किया है जो बलात्संग के दंड के बारे में चर्चा करती है । उपधारा (2)(च) स्पष्ट करती है कि जो भी किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा । (पैरा 9,10,11 और 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 2 एस. सी. सी. 684 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 979 : **बावो** अर्थात् **मनुभाई अंबालाल ठाकरे** बनाम **गुजरात राज्य** ।	11

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 294.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री अनिल कुमार सिंह और सुरेन्द्र कुमार
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एस. सी. मिश्रा, सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – इत्तिलाकर्ता की अवयस्क पुत्री निकटवर्ती बगीचे में ईंधन जलाने की लड़की एकत्रित करने गई थी तभी अभिकथित रूप से अपीलार्थी ने उस पर हमला किया और उसके साथ निकटवर्ती गड्ढे में बलात्संग किया । अतः अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोपित किया गया । उसको मुजफ्फरपुर के विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक न्यायालय सं. 4 द्वारा 2009 के सेशन विचारण सं. 775 में पारित तारीख 22 फरवरी, 2011 के दोषसिद्ध निर्णय द्वारा और तारीख 25 फरवरी, 2011 के दोषसिद्धि आदेश द्वारा आहत के साथ बलात्संग करने का दोषी पाया गया और कठोर आजीवन कारावास भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया गया । उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में चूक होने पर उसको एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भोगना था । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय और आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान अपील फाइल की गई है ।

2. तारीख 19 अप्रैल, 2009 को दोपहर सकरा पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी के समक्ष भुलन शाह (अभि. सा. 8) द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उसकी पुत्री कोमल कुमारी निकटवर्ती बगीचे, जो पास के जंगल और झाड़ियों में स्थित है, में ईंधन जलाने के लिए

लकड़ी एकत्रित करने गई थी । जब वह ईंधन जलाने की लकड़ी एकत्रित कर रही थी, तभी अपीलार्थी, जिसका घर घटनास्थल के निकट स्थित है, ने उसको अकेला पाकर दबोच लिया और निकटवर्ती गड्ढे में चलने के लिए बल प्रयोग किया और उसके साथ बलात्संग किया । आहत की चीखों से लोगों का ध्यान उसकी ओर गया जिसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी रेखा देवी (अभि. सा. 6) और अन्य ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अपीलार्थी वहां से भाग रहा था और आहत गड्ढे में पड़ी हुई रो रही थी । आहत ने इत्तिलाकर्ता को घटना के बारे में सूचित किया जिसके पश्चात् उसको पुलिस थाना ले जाया गया जहां अर्जुन कुमार द्वारा लिखित रिपोर्ट तैयार की गई और उस पर इत्तिलाकर्ता का बाएं हाथ का अंगूठा रेखा देवी (अभि. सा. 6), लखन शाह (अभि. सा. 7) और राम चंद्र शाह (अभि. सा. 1) की उपस्थिति में लगाया गया जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन 2009 के मामला सं. 120 के अन्तर्गत औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् थानाध्यक्ष के पृष्ठांकन (प्रदर्श 2क) द्वारा मामले को अन्वेषण के प्रयोजनार्थ अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 9) को समनुदेशित कर दिया गया । आहत को चिकित्सीय परीक्षण के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया । अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का तुरंत निरीक्षण किया और अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को सम्मिलित करते हुए साक्षियों के कथन अभिलिखित किए । इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए आहत के अन्तरीय वस्त्रों को अन्वेषण अधिकारी द्वारा परिरक्षित किया गया और तत्पश्चात् न्यायालय से आदेश प्राप्त करने क पश्चात् अपराध विज्ञान प्रयोगशाला को अन्वेषण के लिए भेज दिया गया । उसने आहत की चिकित्सीय रिपोर्ट प्राप्त करने और अन्वेषण को समाप्त करने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसके पश्चात् मामले का संज्ञान लिया गया और विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया । विद्वान् सेशन न्यायालय ने आरोप विरचित किए, और उनको अपीलार्थी को पढ़कर सुनाया गया । अपीलार्थी ने दोषिता से इनकार किया । उसकी प्रतिरक्षा यह थी कि उसने अपराध कारित नहीं किया है और निर्दोष है । यहां पर यह उल्लेख किया जाना महत्वपूर्ण है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कुछ दस्तावेज फाइल किए गए हैं ।

3. अभियोजन ने मामले को साबित करने के प्रयोजनार्थ कुल मिलाकर दस साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 राम लाल शाह, अभि. सा. 2

लाल बाबू शाह, अभि. सा. 3 मनोज शाह, अभि. सा. 4 लखन शाह, अभि. सा. 5 भोला शाह, अभि. सा. 6 रेखा देवी, अभि. सा. 7 कोमल कुमारी, अभि. सा. 8 भुलन शाह, अभि. सा. 9 रविन्द्र प्रसाद सिंह और अभि. सा. 10 डा. विजय प्रताप सिंह का परीक्षण कराया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना के पश्चात् अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के साक्ष्य ने निरंतर रूप से अभियोजन के पक्षकथन जैसाकि विचारण के दौरान दर्शित किया गया, का समर्थन किया है । अभि. सा. 10 चिकित्सक है जिसने आहत कोमल कुमारी का परीक्षण किया था और रिपोर्ट (प्रदर्श 4) प्रस्तुत की थी जिसकी भी विवेचना की गई थी और पाया गया था कि वह मामले का समर्थन करती है ।

4. अपीलार्थी की ओर से श्री अनिल कुमार सिंह और राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक श्री शिवेश चंद्र मिश्रा को सुना ।

5. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है । विद्वान् विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि इत्तिलाकर्ता और उसकी पत्नी (अभि. सा. 6) के साक्ष्य में तात्विक रूप से परस्पर विरोध है, जहां तक वह स्थान जहां लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, का संबंध है । आहत की चिकित्सीय रिपोर्ट अभियोजन के पक्षकथन की पूर्णतः पुष्टि नहीं करती । अभियोजन ने विचारण के दौरान ऐसे नए तथ्यों का प्रवेश कराने का प्रयास किया है जिनका प्रकटीकरण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नहीं किया गया था । अपीलार्थी पर अधिरोपित दंड नितांत रूप से कठोर है और अधिक है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने मात्र आरोप की घोरता पर विचार किया किन्तु अभिलेख पर उपलब्ध अन्य आवश्यक परिस्थितियों पर विचार नहीं किया ।

6. इसके विपरीत श्री मिश्रा ने दलील दी कि सभी सुसंगत साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष निरंतर रूप से घटना के समय, स्थान और तरीके के बारे में अभिकथित किया है । इन साक्षियों का साक्ष्य इस तथ्य पर संगत है कि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे, तो अपीलार्थी अपराध कारित करने के पश्चात् भागता हुआ देखा गया । उनके अनुसार प्रतिरक्षा पक्ष इन साक्षियों के साक्ष्य में किसी तात्विक अंतर्विरोध को दर्शित कर पाने में विफल रहा है । अतः आक्षेपित निर्णय और आदेश में किसी प्रकार का मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

7. पार्टियों द्वारा उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यान में रखते हुए हमने अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सतर्कतापूर्वक परीक्षण इस दृष्टिकोण से किया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अभिलिखित निष्कर्षों की शुद्धता का पता लगाया जाए ।

8. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभियोजन का विनिर्दिष्ट रूप से पक्षकथन यह है कि आहत की चीख सुनने के पश्चात् इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 8) उसकी पत्नी (अभि. सा. 6) और गांव के अन्य ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि अभियुक्त/अपीलार्थी आहत के साथ बलात्संग कारित करने के पश्चात् उत्तर की ओर भाग रहा था । अभि. सा. 1, 2, 3, 4 और 5 आहत के पड़ोसी हैं । उन्होंने निरंतर रूप से अभिकथित किया है कि वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि आहत गड्ढे में अस्त-व्यस्त दशा में पड़ी थी । वे पुलिस थाना जाने के पूर्व अभियुक्त के घर भी गए जहां अभियुक्त के पिता ने उन लोगों को गालियां दीं । उन सभी में से अभि. सा. 1, 4 और 6 ने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श 2), जिसको अर्जुन कुमार द्वारा लिखा गया था, पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए हैं । आहत ने उन लोगों के समक्ष अभियुक्त द्वारा कारित घटना के तरीके के बारे में प्रकटीकरण किया था । साक्षी अभि. सा. 1, 3, 4, 5, 6 और 8 ने आहत की जांघ और अन्तरीय वस्त्रों पर रक्त देखा था । अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 9) ने अभिकथित किया है कि आहत का चिकित्सीय परीक्षण श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सक द्वारा किया गया था और उसके अन्तरीय वस्त्रों को परीक्षण के लिए अपराध विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । चिकित्सक (अभि. सा. 10) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि योनिक नली के मुख्य द्वारा और उसके चारों तरफ खून और खून के निशान पाए गए थे । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी पाया कि तोरणिका का पिछला भाग विदीर्ण और चोटहिल पाया गया था । साक्षी अभि. सा. 10 ने आहत के साथ लैंगिक हमले की संभाव्यता से इनकार नहीं किया है और विकिरण चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर उसकी आयु 9 से 10 वर्ष के बीच बताई है ।

9. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साक्षियों के साक्ष्य बलात्संग के आरोप पर संगत हैं । सभी साक्षी एक ही मोहल्ले के निवासी हैं जो घटनास्थल के निकट स्थित है और उन सभी को उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान सच्चा पाया गया । उनकी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास किया जा

सके । यद्यपि प्रतिरक्षा पक्ष ने दुश्मनी के आधार पर असत्य रूप से अंतर्वलित किए जाने का प्रकथन किया है किन्तु वह दुश्मनी के तथ्य को साबित कर पाने में असफल रहे । बलात्संग के आरोप को चिकित्सीय अधिकारी और अन्वेषण अधिकारी के साक्ष्य से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है ।

10. तथापि, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने साक्षियों, जिनका परीक्षण न्यायालय के समक्ष किया गया और पुलिस के समक्ष किए गए कथनों और साथ ही लिखित रिपोर्ट में किए गए कथन में कुछ संगतताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाया । सतर्कतापूर्वक परीक्षण करने के प्रयास हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साक्षियों के कथन में कोई तात्विक फेरफार नहीं है । असंगतताओं, जिनकी ओर हमारा ध्यान काउंसेल द्वारा दिलाया गया, अत्यधिक मामूली हैं और परिणाम पर कोई अधिक प्रभाव डालने वाली नहीं है चूंकि न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की सच्चाई पर विचार करे । इत्तिलाकर्ता, उसकी पत्नी और पड़ोसियों से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि वे न्यायालय के समक्ष आकर कोमल आयु की अवयस्क, अविवाहित लड़की के विरुद्ध अपमानित करने वाले कथन करें चाहे उनके मध्य किसी कारणवश वैमनस्यता ही क्यों न हो । संपूर्ण साक्ष्य और परिस्थितियां अपीलार्थी के विरुद्ध बलात्संग के आरोप को पूर्णतः साबित करती हैं और हमको विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि को मान्य ठहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

11. अंततः, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने दंड की मात्रा को विवादित किया । उनके अनुसार अपीलार्थी की आयु को सम्मिलित करते हुए, जो (घटना के समय) 19 वर्ष का था, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, विभिन्न तथ्यों पर विचारोपरांत आजीवन कारावास का दंडादेश और चूक खंड के साथ 10,000/- रुपए का जुर्माना अत्यधिक है । विद्वान् काउंसेल ने **बावो** अर्थात् **मनुभाई अंबालाल ठाकरे** बनाम **गुजरात राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब अपनी दलीलों के समर्थन में लिया कि न्यायालय भारतीय दंड सहिता की धारा 376(2) के निबंधनों के अनुसार समुचित दंडादेश अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र है । उक्त मामले में आहत की आयु लगभग 7 वर्ष थी और उसके साथ अभियुक्त द्वारा बलात्संग किया गया था जिसकी आयु 19 वर्ष थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने दंडादेश की पुष्टि करते हुए आजीवन कारावास के दंडादेश को घटाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया था ।

---

[1] (2012) 2 एस. सी. सी. 684 = ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 979.

12. हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(च) के उपबंधों का परीक्षण किया है जो बलात्संग के दंड के बारे में चर्चा करती है । उपधारा (2)(च) स्पष्ट करती है कि जो भी किसी स्त्री से, जो बारह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा ।

13. उपरोक्त कानूनी उपबंध कि किसी स्त्री से जो बारह वर्ष से कम आयु की है, से बलात्संग के अपराध के मामले में दंड दस वर्ष से कम नहीं होगा किन्तु आजीवन हो सकेगा । घटना के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 19 वर्ष थी । हमारे समक्ष उपस्थित मामले में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी भी साक्षी ने किसी भी पूर्ववर्ती अवसर पर अपीलार्थी के इतिहास या अवचार के बारे में कोई शिकायत नहीं की है । हम पुनः उल्लेख करते हैं कि वह तरीका जिसमें अपीलार्थी ने अपराध कारित किया, आहत को एकांत स्थान पर देखकर उनके द्वारा कारित किया गया । क्षणिक आवेग के आधार पर किया गया पतित कार्य हो सकता है ।

14. अतः अपीलार्थी की आयु को सम्मिलित करते हुए समस्त तथ्यों पर विचारोपरांत इस बात से पूर्णतया इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके सुधार की संभाव्यता और अवसर शेष हैं । अपीलार्थी तारीख 22 अप्रैल, 2009 से अभिरक्षा में है । अतः हम अभिलेख पर उपलब्ध इन सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् मात्र दंड की मात्रा में मध्यक्षेप करने के लिए आनत हैं ।

15. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी पर अधिरोपित दंडादेश की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है । तथापि, विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित आजीवन कारावास के दंडादेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने, जिसके संदाय में विफल रहने पर वह एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा जैसाकि निचले न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है, उपांतरित किया जाता है ।

16. अपील दंडादेश में उपरोक्त उपांतरण के साथ खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

हनुमान राम

बनाम

राजस्थान राज्य

तारीख 19 जनवरी, 2016

न्यायमूर्ति संदीप मेहता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 309(2)(ग) – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिपरीक्षा – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिपरीक्षा नहीं किया जाना – अभियुक्त-याची के बारे में हत्या के अपराध के लिए मृत्युदंड का विचारण किया जाना – यदि अभियुक्त-याची को अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा – साक्षी के कथनों पर स्थगन देने के लिए फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकार किया जाना – इस संबंध में यह उचित होगा कि अभियुक्त-याची को न्यायालय में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को बुलाने के लिए 2,000/- रुपए खर्च के रूप में जमा करे और खर्च जमा करने पर उससे प्रभावशाली प्रतिपरीक्षा करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने अन्य लोगों के साथ दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए निचले न्यायालय में विचारण का सामना किया था । तारीख 21 दिसंबर, 2015 को तीन अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न्यायालय के समक्ष मौजूद थे । उनमें से एक बृदाराम की मुख्य परीक्षा की गई थी । उस प्रक्रम पर अभियुक्त-याची के काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 231 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह अनुरोध किया कि सभी साक्षियों की मुख्य परीक्षा को पहले अभिलिखित किया जाना चाहिए और इसके पश्चात् अभियुक्त को उनसे प्रतिपरीक्षा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए । विद्वान् लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया कि सभी तीनों साक्षी न्यायालय में मौजूद थे और अभियुक्त उसी दिन उनकी प्रतिपरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र था । अतः, अभियुक्त ने इन साक्षियों के कथनों पर स्थगन देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के काउंसेल द्वारा दी गई

दलीलों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि सभी तीनों साक्षी, अर्थात् बृदाराम, नेमाराम और भंवरलाल न्यायालय में मौजूद थे । अभियुक्त के काउंसेल द्वारा उसी दिन एक के बाद दूसरे से प्रतिपरीक्षा की जा सकती थी । न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया है कि अभियुक्त के काउंसेल द्वारा साक्षियों की त्वरित परीक्षा करने के मामले में सहयोग करना चाहिए था और इसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा फाइल किया गया स्थगन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया । साक्षी बृदाराम की प्रतिपरीक्षा को त्याग दिया गया जबकि साक्षी भंवरलाल के कथन को विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिन अभिलिखित किया गया था । याची-अभियुक्त ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में यह अनुरोध करते हुए इस न्यायालय में समावेदन किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया तारीख 21 दिसंबर, 2015 का आदेश जिसके द्वारा साक्षी बृदाराम की प्रतिपरीक्षा को छोड़ दिया गया था, इससे विचारण के प्रक्रम पर अभियुक्त-याची के बचाव पर गंभीर रूप से असर पड़ेगा और इस प्रकार, उसके आदेश को सही रूप से उपान्तरित किया जा सकता है । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह सुस्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है फिर भी यह तथ्य शेष रह जाता है कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के विचारण का सामना कर रहा है जो मृत्युदंड से संबंधित मामला है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अभियुक्त को अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश का यह प्रयास है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा साक्षियों के कथनों पर स्थगन करने के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, याची को साक्षी बृदाराम से प्रभावशाली प्रतिपरीक्षा करने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु तब जब वह विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उपान्तरित करने के लिए 2,000/- रुपए जमा करेगा । तद्नुसार, इस पुनरीक्षण याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया जाता है कि आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष 2,000/- रुपए की राशि जमा करने पर याची के लिए विचारण न्यायालय साक्षी बृदाराम (अभि. सा. 5) को बुलाएगा और उक्त साक्षी से अभियुक्त याची को प्रतिपरीक्षा करने का एक प्रभावशाली अवसर मुहैया कराएगा । (पैरा 8 और 9)

पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2016 का एस. बी. दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 57.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 397/401 के अधीन पुनरीक्षण याचिका ।

याची की ओर से श्री जे. के. सुतर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. के. बोरा (लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति संदीप मेहता – पक्षकारों को सुना गया ।

2. नोटिस जारी किए गए । विद्वान् लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया गया ।

3. याची-अभियुक्त द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका फाइल की गई है जो 2015 का सेशन मामला सं. 6 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, डिडवाना द्वारा तारीख 21 दिसंबर, 2015 को पारित किए गए आदेश से व्यथित हुआ है जिसके द्वारा विचारण न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309(2)(ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए साक्षी भंवरलाल (अभि. सा. 5) की प्रतिपरीक्षा को छोड़ दिया गया ।

4. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने अन्य लोगों के साथ दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए निचले न्यायालय में विचारण का सामना किया था । तारीख 21 दिसंबर, 2015 को तीन अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न्यायालय के समक्ष मौजूद थे । उनमें से एक बृदाराम की मुख्य परीक्षा की गई थी । उस प्रक्रम पर अभियुक्त-याची के काउंसेल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 231 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह अनुरोध किया कि सभी साक्षियों की मुख्य परीक्षा को पहले अभिलिखित किया जाना चाहिए और इसके पश्चात् अभियुक्त को उनसे प्रतिपरीक्षा करने के लिए बुलाया जाना चाहिए । विद्वान् लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह अनुरोध किया कि सभी तीनों साक्षी न्यायालय में मौजूद थे और अभियुक्त उसी दिन उनकी प्रतिपरीक्षा करने के लिए स्वतंत्र था । अतः, अभियुक्त ने इन साक्षियों के कथनों पर स्थगन देने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अस्वीकार कर दिया गया । विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि सभी तीनों

साक्षी, अर्थात् बृदाराम, नेमाराम और भंवरलाल न्यायालय में मौजूद थे । अभियुक्त के काउंसेल द्वारा उसी दिन एक के बाद दूसरे से प्रतिपरीक्षा की जा सकती थी । न्यायालय ने यह अभिव्यक्त किया है कि अभियुक्त के काउंसेल द्वारा साक्षियों की त्वरित परीक्षा करने के मामले में सहयोग करना चाहिए था और इसके पश्चात् अभियुक्त द्वारा फाइल किया गया स्थगन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया । साक्षी बृदाराम की प्रतिपरीक्षा को त्याग दिया गया जबकि साक्षी भंवरलाल के कथन को विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिन अभिलिखित किया गया था । याची-अभियुक्त ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में यह अनुरोध करते हुए इस न्यायालय में समावेदन किया है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया तारीख 21 दिसंबर, 2015 का आदेश जिसके द्वारा साक्षी बृदाराम की प्रतिपरीक्षा को छोड़ दिया गया था, इससे विचारण के प्रक्रम पर अभियुक्त-याची के बचाव पर गंभीर रूप से असर पड़ेगा और इस प्रकार, उसके आदेश को सही रूप से उपान्तरित किया जा सकता है ।

5. याची के विद्वान् काउंसेल ने यह अनुरोध किया है कि याची को साक्षी बृदाराम से प्रतिपरीक्षा किए जाने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए ताकि याची अपने बचाव का प्रयास कर सके नहीं तो मृत्युदंड के अपराध से बचने के लिए प्रयास करने से विफल हो जाएगा ।

6. विद्वान् लोक अभियोजक ने याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया और यह अनुरोध किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 231 के अधीन अभियुक्त द्वारा फाइल किया गया अभ्यावेदन विचारण को लंबित करने के उद्देश्य से किया गया था । अतः, विचारण न्यायालय ने उसके अभ्यावेदन को खारिज करके और साक्षी बृदाराम की प्रतिपरीक्षा को बंद करके पूर्णतया न्यायसंगत कार्य किया है ।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों को सुना और चुनौतीधीन आदेश का भी परिशीलन किया ।

8. यह सुस्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है फिर भी यह तथ्य शेष रह जाता है कि अभियुक्त दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के विचारण का सामना कर रहा है जो मृत्युदंड से संबंधित मामला है । यह कहने की

आवश्यकता नहीं है कि यदि अभियुक्त को अभियोजन प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिरक्षा पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश का यह प्रयास है कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा साक्षियों के कथनों पर स्थगन करने के लिए किए गए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, याची को साक्षी बृदाराम से प्रभावशाली प्रतिपरीक्षा करने के लिए एक अवसर दिया जाना चाहिए परन्तु तब जब वह विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उपान्तरित करने के लिए 2,000/- रुपए जमा करेगा ।

9. तद्नुसार, इस पुनरीक्षण याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया जाता है कि आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष 2,000/- रुपए की राशि जमा करने पर याची के लिए विचारण न्यायालय साक्षी बृदाराम (अभि. सा. 5) को बुलाएगा और उक्त साक्षी से अभियुक्त-याची को प्रतिपरीक्षा करने का एक प्रभावशाली अवसर मुहैया कराएगा ।

10. रोक याचिका का निपटारा किया जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

आर्य

साबिर उर्फ शब्बीर

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

तारीख 24 मई, 2016

न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार व्यास

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 6 – संबंधित तथ्य और कार्य – अभियोजन साक्षियों ने बलात्संग और हत्या की घटना नहीं देखी परन्तु उनके साक्ष्य से यह दर्शित हुआ है कि घटना के थोड़ी देर पश्चात् जब साक्षीगण घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अभियुक्त-अपीलार्थी को घटनास्थल से भागते हुए देखा और उसका पीछा किया गया – अभियुक्त को ऐसी स्थिति में पकड़ा जब वह अपनी रक्त-रंजित कमीज, पैंट और बेल्ट को धो रहा था, अतः उपरोक्त धारा 6 के अभिप्राय के अंतर्गत उपरोक्त तथ्य एक ही संव्यवहार के भाग हैं और इस संबंध में साक्ष्य संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अंतर्गत प्रकट होता है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 27 – अपराध में फंसाने वाली सामग्री – अभियुक्त के बताने पर आयुध की बरामदगी – स्वतंत्र साक्षी की सहबद्धता न होना – अभियुक्त के बताने पर पुलिस अधिकारी द्वारा आयुध की बरामदगी विश्वसनीय है ।

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 375 और 300 – बलात्संग और हत्या – अभियुक्त द्वारा पहने हुए कपड़े जो घटना के समय पर रक्तरंजित थे, उनकी विलंब से बरामदगी से अभियोजन पक्षकथन संदेहास्पद नहीं हो जाता है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 118 – बालक साक्षी – विश्वसनीयता – बालक साक्षी की आयु लगभग 12 वर्ष – पुलिस द्वारा बालक साक्षी का विलंब से कथन किया जाना, इससे अभियोजन पक्षकथन दोषपूर्ण नहीं हो जाता है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 375 – बलात्संग – क्षति का अभाव – यदि अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्संग किया और मृतका के गुप्तांग भागों पर कोई क्षति प्रकट नहीं हुई है तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला

जा सकता है कि मृतका के साथ बलात्संग नहीं हुआ था ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 375 और 300 – बलात्संग और हत्या – सबूत – डाक्टर ने यह साक्ष्य दिया है कि मृतका की योनि में दो अंगुलि आसानी से प्रविष्ट कर सकती थी, इसलिए मृतका मैथुन की अभ्यस्त थी – मृतका के लहंगे में वीर्य के धब्बे पाए गए – इसी भांति अभियुक्त के जांघिए में वीर्य के धब्बे पाए गए – मृतका के कपड़े और ब्लाउज फटे हुए दशा में पाए गए – मृतका की ओढ़नी में मानव रक्त पाया गया – अनुप्रमाणन साक्षी द्वारा इन तथ्यों को साबित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा जब मृतका से बलात्संग किया गया तो मृतका द्वारा विरोध किया गया, इसलिए अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या की गई – पीड़िता-मृतका का कुचला हुआ सिर घटनास्थल से बरामद हुआ है, साथ ही साथ मृतका के बालों के क्लिप, कान के कुन्डल और ताबिज भी घटनास्थल पर पाए गए – मामले की परिस्थितियों की श्रृंखला से यह प्रकट हुआ है कि अभियुक्त ने मृतका से बलात्संग किया और उसकी हत्या कर दी अतः अभियुक्त को बलात्संग और हत्या के अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(छ) और 302 – बलात्संग और हत्या – दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन अभियुक्त के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड और धारा 302 के अधीन अधिनिर्णीत कारावास का दंड दिया जाना, इस बारे में यह निदेश दिया जाना कि दोनों दंड अभियुक्त द्वारा क्रमानुसार भोगा जाएगा – न्यायसंगत नहीं है क्योंकि आजीवन दंड पूरे जीवन के लिए दंड है – प्रत्येक गणना में दिए गए दंड का साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया ।

मामले का सार इस प्रकार है कि तारीख 15 जून, 2006 को 4.30 बजे अपराह्न में रहमान कथाट नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस थाना, ब्यावर सदर के भारसाधक अधिकारी को टेलीफोन पर ग्राम नयागांव से यह सूचना दी कि एक महिला का शव तालाब के निकट नयागांव की सड़क के किनारे पड़ा है । यह सूचना रोजनामचे में रपट सं. 788 (प्रदर्श पी. 44) के रूप में पुलिस थाना ब्यावर में दर्ज कराई गई । थाने का भारसाधक अधिकारी अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा जहां शंकर सिंह अर्थात् मृतका श्रीमती तीजा के भाई ने उसे एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) प्रस्तुत की जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि तारीख 15 जून, 2006 को लगभग 3.30-4.00 बजे अपराह्न में उसकी बहन

श्रीमती तीजाबाई अर्थात् सोहन सिंह रावत की पत्नी निवासी अमर सिंह का बाड़िया पैदल आटा लेने के लिए नयागांव जा रही थी । उस समय, ग्राम के पूर्व की ओर, नैना कथाट, मोहन कथाट पुत्र भंवर कथाट निवासी गौराना ने पारी के निकट जो नयागांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पर थी, तीजा के साथ मारपीट की और उन्होंने उसके सिर और चेहरे को पत्थरों से मार-मारकर कुचल दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी बहन तीजा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । यह भी कथन किया गया है कि उपेन्द्र पुत्र बीरम सिंह और परमेश्वर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम अमर सिंह का बाड़िया ने इस घटना को देखा है । उनके शोर मचाए जाने पर, कैलाश पुत्र नेनू सिंह, बाबू सिंह पुत्र सरदार सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगल सिंह और धर्म सिंह पुत्र ओंकार सिंह, जो सभी जाति से रवाटन थे तथा अमर सिंह का बाड़िया के निवासी थे, घटनास्थल पर आए और उन्होंने देखा कि मोहन कथाट जंगल की ओर अपने हाथ में थैला लिए दौड़ रहा है । मोहन कथाट, पंचू सिंह पुत्र हजारी सिंह के कुंए पर पहुंचा और खेली (मवेशियों के लिए बनाया गया तालाब) में कूद गया । उसने अपने कपड़ों और जूतों पर लगे रक्त के धब्बों को धोने का प्रयास किया और उसी समय उन्होंने मोहन कथाट को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया । यह अभिकथन किया गया है कि इस घटना में मोहन कथाट के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने भी संभवतः भाग लिया है । अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने और उन्हें दंडित किए जाने का निवेदन किया गया । उपरोक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 219 दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दर्ज कराई गई और अन्वेषण आरंभ किया गया । मृतका का शवपरीक्षण कराया गया । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, पुलिस ने दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) और 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध चालान फाइल किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध 376(2)(छ) और 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए और इसके अनुकल्प में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन भी आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 27 साक्षियों को प्रस्तुत किया और 45 दस्तावेज प्रदर्शित किए । इसके पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थियों की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई

जिसमें उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । अपनी प्रतिरक्षा में उन्होंने छह साक्षियों की परीक्षा कराई तथा सात दस्तावेज प्रदर्शित किए । विचारण न्यायालय ने विचारण के पूर्ण होने पर तारीख 27 अप्रैल, 2007 के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को ऊपर उपदर्शित रीति में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । तद्नुसार आदेश करते हुए,

अभिनिर्धारित – गहमागहमी जिसमें इन तीनों साक्षियों ने अभियुक्त मोहन को चीख-पुकार की आवाज सुनकर तत्काल पकड़ा था और जिस रीति में मोहन पंचू के कुंए की ओर भागा था और वह खेली में कूदा था अपने कपड़ों और जूतों पर लगे रक्त के धब्बे धोने का प्रयास किया था और यह तथ्य कि इन सभी साक्षियों ने अभियुक्त को खेली से बाहर निकाला था और उसे घटनास्थल पर वापस लेकर आए थे जहां पर तीजा का शव पड़ा हुआ था, इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त मोहन को इन साक्षियों ने भागते हुए देखा था और इसीलिए ये एक सुसंगत तथ्य है जो एक ही घटनाक्रम का भाग है, जिसकी संपुष्टि रक्त और वीर्य के धब्बे लगे हुए लहंगे और चोली की बरामदगी से होती है और अभियुक्त मोहन के कपड़ों से भी इस बात की संपुष्टि होती है जिन पर अभियुक्त का ए बी ग्रुप वाला रक्त और वीर्य लगा हुआ था । यह एक सुसंगत तथ्य है जिसका संबंध ऐसे विवाद्यक के साथ है जो इस पूरे घटनाक्रम की एक कड़ी है । यदि इन साक्षियों ने अभियुक्त को मृतका के साथ बलात्संग कारित करते और उसकी हत्या करते हुए नहीं देखा था तब भी उनका साक्ष्य मात्र इस कारण से महत्वपूर्ण नहीं है कि बलात्संग और हत्या का वास्तविक सबूत स्पष्ट होता है बल्कि इससे सुसंगत तथ्य अर्थात् यह भी साबित होता है कि घटना के तत्काल पश्चात् वे वहां पहुंचे थे और उन्होंने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते हुए देखा था और उन्होंने अभियुक्त का पीछा किया था और अन्त में उसे ऐसी स्थिति में जाकर पकड़ा था जब वह अपनी कमीज, पैंट, बेल्ट और जूतों पर लगे हुए रक्त के धब्बे धोने का प्रयास खेली में कर रहा था और ये साक्षी उसे घटनास्थल पर वापस लेकर आए । यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अर्थान्तर्गत एक ही घटनाक्रम के भाग हैं और संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अनुसार समय की निकटता और कार्य की नियमितता को देखते हुए स्वीकार्य है । मात्र इतना ही नहीं है कि अभियुक्त मोहन के जांघिए तथा मृतका के लहंगे और चोली

पर वीर्य पाया गया है जिससे उससे अपराध से संबद्ध किया जा सके अपितु अभियुक्त की कमीज पर पाया गया ए बी ग्रुप का रक्त तीजा के रक्त ग्रुप से मेल खाता है । इसके अतिरिक्त, मानव रक्त मृतका तीजा की ओढ़नी पर पाया गया है । साथ ही अभियुक्त मोहन की बेल्ट और जूतों पर भी यही रक्त पाया गया है । तीन साक्षियों में से दो साक्षियों ने अर्थात् जिन्होंने अभियुक्त का पीछा किया था, अभियुक्त के वस्त्रों की बरामदगी के संबंध में तैयार किए गए बरामदगी ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं । अभियुक्त मोहन के कपड़ों की बरामदगी, जो कि अगले दिन की गई थी, से अधिक अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि अभियुक्त मोहन को घटनास्थल पर उस समय पकड़ लिया गया था जब वह पंचू के कुंए की ओर दौड़ रहा था और साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त इन्हीं वस्त्रों को पहने हुए था । (पैरा 31)

यह दलील स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी स्वतंत्र साक्षी उस समय नहीं बनाया गया जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त से जानकारी प्राप्त की गई थी, अतः इस आधार पर की गई बरामदगी विश्वसनीय नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली बनाम सुनील और एक अन्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त के बताए अनुसार जानकारी अभिलिखित किए जाने के समय तथा इस जानकारी के आधार पर वस्तुओं की बरामदगी किए जाने के समय पर मात्र स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी ऐसा पर्याप्त आधार नहीं है जिससे साक्ष्य त्यक्त किया जा सके । अभियुक्त के बताए जाने पर की गई बरामदगी के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य पर आमतौर पर विश्वास किया जाना चाहिए । अभियुक्त की यह जिम्मेदारी है कि यह दर्शित करे कि ऐसा साक्ष्य अविश्वसनीय है । पुलिस द्वारा किए गए कार्यालयिक कृत्य आमतौर पर नियमित रूप से पूरे किए गए माने जाते हैं । पुलिस द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही में तुच्छ हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने गोविन्द राजू **उर्फ** गोविन्दा बनाम राज्य द्वारा श्रीराम-मापुरम पुलिस थाना और एक अन्य वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाने और उस कथन के आधार पर बरामदगी किए जाने के समय पर स्वतंत्र साक्षियों का न होना ऐसा पर्याप्त आधार नहीं है जिससे अभियुक्त के बताए जाने पर की गई बरामदगी से संबंधित पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को त्यक्त किया जा सके । (पैरा 32)

अब न्यायालय अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के मामले पर विचार करेगा । अपराध में उसका आलिप्त होना असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी साक्षी ने इस प्रकार कथन नहीं किया है जिससे अभियुक्त मोहन की घटनास्थल पर मौजूदगी या अपराध में आलिप्त होना साबित होता हो । अभियुक्त से संबंधित इन साक्षियों का परिसाक्ष्य केवल अनुश्रुत साक्ष्यों पर आधारित है जो बच्चों ने उन्हें अगले दिन बताया था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर भी इस अपराध में सम्मिलित थे । वास्तव में, कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) ने साबिर **उर्फ** शब्बीर के बारे में कोई कथन नहीं किया है और यह कि किसी भी बच्चे ने उसके अपराध में आलिप्त होने की बात नहीं कही है । लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) ने यह भी कथन किया है कि परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और कालू सिंह (अभि. सा. 15) ने उसे साबिर **उर्फ** शब्बीर के अपराध में आलिप्त होने के बारे में बताया था, किंतु कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्रु **उर्फ** मिश्री सिंह (अभि. सा. 16) के साक्ष्य को विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय ठहाराया गया है । तथापि, बाबू सिंह (अभि. सा. 11) ने यह कथन किया है कि अगले दिन दो बच्चों ने उसे यह बताया था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर इस अपराध में सम्मिलित हैं किन्तु उसने परमेश्वर (अभि. सा. 7) या उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) का नाम उन बच्चों के रूप में नहीं लिया था । अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के कहने पर की गई कपड़ों की बरामदगी भी पूर्णतया संदिग्ध है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी तारीख 21 जून, 2016 को प्रदर्श पी. 12 के अनुसार की गई थी किंतु उसके बताए अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन दी गई जानकारी को प्रदर्श पी. 35 के अनुसार अभिलिखित किया गया दर्शाया गया है और यह जानकारी तारीख 22 जून, 2006 को उपर्युक्त वस्त्रों के संबंध में दी गई थी जबकि वास्तविक बरामदगी तारीख 22 जून, 2006 को प्रदर्श पी. 16 के अनुसार की गई थी । यह तथ्य कि अभियुक्त के बताए अनुसार बनियान बरामद किया गया था, उस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे किंतु अभियुक्त की कमीज पर रक्त का कोई भी धब्बा नहीं पाया गया है, इस बात से यह बरामदगी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि यदि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर बनियान और कमीज पहने हुए था तब यह असंभव है कि केवल बनियान पर रक्त के धब्बे लगे हैं और कमीज पर नहीं । उच्चतम न्यायालय ने सतीश चंद्र वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा बरामदगी के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की खारिजी को न्यायोचित ठहराते हुए यह मत व्यक्त किया कि उस मामले में के अभियुक्त से बरामद की गई रक्त-रंजित

गुप्ती और करेंसी नोट पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पूर्णतया असंभावी है कि घटना के लगभग आठ दिन के पश्चात् तक अभियुक्त रक्त-रंजित गुप्ती को उसे बिना धोए उसी दशा में बनाए रखेगा । करेंसी नोटों की बरामदगी पर भी संदेह होता है । (पैरा 34)

गजानंद वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना के आठ दिनों के पश्चात् रक्त-रंजित पैंट की बरामदगी संदिग्ध है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य को इतने लंबे समय तक संभालकर नहीं रखेगा और अपनी गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । तथापि, हम इस प्रक्रम पर यह मत व्यक्त करते हैं कि इसे सार्वभौमिक नियम के रूप में अधिकथित नहीं किया जा सकता है कि विलंब से बरामद किए गए रक्त-रंजित कपड़ों के प्रत्येक मामले पर संदेह किया जाए किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार करने पर जहां साक्ष्य अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के विरुद्ध है, ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उसे अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया जाए, कपड़ों की बरामदगी संदिग्ध है । इस अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों की शृंखला इतनी पूर्ण नहीं है कि ऐसी प्रत्येक परिकल्पना से इनकार किया जा सके जो उसकी निर्दोषिता के साथ संगत न हो । इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल यही अभियुक्त मृतका के साथ किए गए बलात्संग और उसकी हत्या के अपराध में अन्तर्वलित था । कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) और बाबू सिंह (अभि. सा. 11) ने अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया है कि वे मोहन को पंचू के कुंए से घटनास्थल पर वापस लेकर आए थे जहां पर तीजा का शव पड़ा हुआ था । (पैरा 35)

तथापि, हम बाल साक्षी अर्थात् परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) के कथनों को कम से कम इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त मोहन अपराध में अन्तर्वलित था । इन दोनों साक्षियों की आयु लगभग बारह वर्ष है । ये पूर्णतया स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे नृशंस घटना से, जो उन्होंने देखी हो, भयभीत हो जाते हैं । अतः, यदि पुलिस ने उनके कथन उसी दिन अभिलिखित नहीं किए थे तब मामले के तथ्यों के आधार पर एक दिन के विलंब से उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी । उपर्युक्त तीनों साक्षियों ने भी यह कथन किया है कि वहां पर कुछ बच्चे मौजूद थे जिन्होंने यह घटना देखी थी । विचारण न्यायाधीश ने घटनास्थल का मुआयना किया है और निरीक्षण

रिपोर्ट (प्रदर्श सी. 1) तैयार की है जिसके अनुसार बच्चों को ए स्थान पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है जो घटनास्थल से 274 फीट की दूरी पर है । (पैरा 36)

दोनों बाल साक्षियों ने, अर्थात् परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि वे दोनों अभियुक्तों को अच्छी तरह जानते हैं । यदि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर को लेकर उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, तब भी कम से कम अभियुक्त मोहन की भूमिका के संबंध में विश्वास किया जा सकता है जिसके बारे में पर्याप्त रूप से संपोषक साक्ष्य है । जब 270-280 फीट की दूरी को गज में परिवर्तित किया जाता है तो यह लगभग 90-93 गज बनती है । अतः, उनके लिए यह कठिन नहीं था कि दिन के समय अभियुक्त को पहचानते, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त का पीछा अन्य साक्षियों द्वारा तत्काल किया जा रहा हो और अभियुक्त को उसके रक्त-रंजित कपड़ों, बैग, बेल्ट और जूतों के साथ पकड़ लिया गया था । यह तथ्य कि अभियुक्त मोहन के पास एक थैला था जिसमें उसकी दादी के चांदी आभूषण रखे हुए थे, का संबंध उसकी अपराध में भूमिका से किसी भी प्रकार नहीं है । अतः, यदि चांदी के आभूषण दादी और अभियुक्त की पत्नी के पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अधीन छुड़ाए गए थे, तब इस बात से अभियोजन पक्ष पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । (पैरा 38)

मात्र यह तथ्य की डा. अर्चना मित्तल (अभि. सा. 25) ने यह कथन किया है कि मृतका को उसके जननांगों पर क्षति कारित नहीं हुई थी, ऐसा कारक नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतका के साथ बलात्संग नहीं किया गया है । अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्संग करते समय पर उसको कामुक कर लिया था और इसी कारण मृतका को उसके जननांगों पर कोई भी क्षतियां कारित नहीं हुई थीं । अतः, यह बात अभियुक्त के पक्ष में नहीं जा सकती । डा. अर्चना मित्तल (अभि. सा. 25) ने भी यह कथन किया है कि उसकी योनि में आसानी से दो अंगुलियां प्रविष्ट हो सकती थी और मृतका पहले से मैथुन की अभ्यस्त थी । मृतका के लहंगे पर वीर्य के धब्बे पाए गए थे और साथ ही अभियुक्त मोहन के जांघिए पर भी वीर्य के धब्बे पाए गए हैं । मृतका के कपड़े और चोली फटी हुई पाई गई । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 39) के अनुसार मृतका के लहंगे और चोली पर एबी ग्रुप वाला मानव रक्त सकारात्मक रूप से पाया गया है और मृतका की ओढ़नी पर भी मानव रक्त

लगा हुआ पाया गया है । अभियुक्त मोहन की कमीज पर एबी पाजिटिव ग्रुप वाला रक्त पाया गया है । यह तथ्य अनुप्रमाणन साक्षियों द्वारा साबित किए गए हैं और यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि जब अभियुक्त मोहन ने मृतका के साथ बलात्संग किया था, तब उसने प्रतिरोध किया होगा और इसी कारण अभियुक्त ने उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की है घटनास्थल से रक्त-रंजित पत्थर बरामद किए गए हैं । इसकी अतिरिक्त, यह तथ्य कि मृतका के साथ बलात्संग किया गया था, विद्यमान परिस्थितियों से भी साबित हो सकता है जैसे मृतका के बालों में लगाने वाला क्लिप, कानों के बुंदे और ताबीज वहीं पड़े हुए पाए गए थे, जिससे मृतका द्वारा प्रतिरोध किया जाना साबित होता है । अतः, अभियुक्त मोहन के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि उससे उसका दोषी होना इंगित होता है अर्थात् केवल अभियुक्त मोहन ही ऐसा व्यक्ति है जिसने मृतका के साथ बलात्संग किया है और उसके पश्चात् उसकी हत्या की है किंतु अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर के विरुद्ध परिस्थितियों की श्रृंखला में कई कड़ियों की कमी है जो उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । (पैरा 39)

उच्चतम न्यायालय के प्रामाणिक निर्णय को दृष्टिगत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय यह निदेश देने में न्यायोचित नहीं किया है कि दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों को अधिनिर्णीत दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड (जो धारा 376 के अधीन परिवर्तित किया गया है), सबसे पहले भोगा जाएगा और उसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड भोगा जाएगा और ये दोनों दंडादेश अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा क्रमानुगत रूप में भोगे जाएंगे । (पैरा 43)

निर्दिष्ट निर्णय

			पैरा
[2015]	(2015) 2 एस. सी. सी. 783 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 4172 (एस. सी.) : **दुर्योधन राउत** बनाम **उड़ीसा राज्य** ;		14, 41
[2015]	(2015) 2 एस. सी. सी. 501 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 593 (एस. सी.) : **ओ एम. चैरियन** उर्फ **थंकाचन** बनाम **केरल राज्य और अन्य** ;		42

[2015]	(2015) 4 क्राइम्स 433 (एस. सी.) = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 845 (एस. सी.) : **भारत संघ** बनाम **वी. श्रीहरन** उर्फ **मुरुगन और अन्य** ;	42
[2014]	(2014) 6 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 642 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2503 (एस. सी.) : **प्रकाश** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	14
[2013]	2013 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 535 (राजस्थान) : **शंकरलाल और मांगीलाल** बनाम **राज्य** ;	9
[2013]	(2013) 5 एस. सी. सी. 546 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2595 (एस. सी.) : **शंकर किशनराव खड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	47
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 722 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 1991 (एस. सी.) : **गोविन्द राजू** उर्फ **गोविन्दा** बनाम **राज्य** **द्वारा श्रीराम मापुरम पुलिस थाना और एक अन्य** ;	32
[2010]	2010 (2) क्रिमिनल ला रिपोर्ट (राजस्थान) 1260 : **गजानंद** बनाम **राजस्थान राज्य** ;	7
[2002]	(2002) 5 एस. सी. सी. 234 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 2034 (एस. सी.) : **देवेन्द्र पाल सिंह** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी** **राज्य क्षेत्र, दिल्ली** ;	45
[2002]	ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3040 : **हरजीत सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य** ;	9
[2001]	(2001) 1 एस. सी. सी. 652 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 504 (एस. सी.) : **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली** बनाम **सुनील और एक अन्य** ;	32
[2000]	(2000) 5 एस. सी. सी. 113 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1930 : **श्रीमती रीता देवी और अन्य** बनाम **न्यू इंडिया** **एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य** ;	15

[1993] डब्ल्यू. एल. सी. (राजस्थान) 1993(3) 114
झरिया पुत्र कल्ला बैरवा बनाम **राजस्थान राज्य** ; 13

[1991] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1065 :
राजस्थान राज्य बनाम **माधो और अन्य** ; 11

[1988] 1988 (2) आर. एल. आर. 817 :
उकार्दा बनाम **राजस्थान राज्य** ; 16

[1983] (1983) 3 एस. सी. सी. 470 =
ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 957 :
माछी सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 45

[1983] (1983) 2 एस. सी. सी. 141 =
1983 क्रिमिनल ला जर्नल 683 (एस. सी.) :
सतीश चंद्र और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; 7

[1981] (1981) 2 एस. सी. सी. 35 =
1981 क्रिमिनल ला जर्नल 325 (एस. सी.) :
शंकरलाल गयारसीलाल दीक्षित बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 8,40

[1980] (1980) 2 एस. सी. सी. 684 =
1980 क्रिमिनल ला जर्नल 636 (एस. सी.) :
बचन सिंह बनाम **पंजाब राज्य** ; 44

[1976] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2263 :
लक्ष्मी सिंह और अन्य बनाम **बिहार राज्य** ; 11

[1974] (1974) 4 एस. सी. सी. 443 =
1974 क्रिमिनल ला जर्नल 683 (एस. सी.) :
टीगा अन्नम्मा बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** । 44

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : **2007 की दांडिक अपील सं. 1133 और 1387.**

अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सं. 1, ब्यावर जिला अजमेर द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2007 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री बीरी सिंह सिनसिनवार (ज्येष्ठ अधिवक्ता), राजेश चौधरी, अमरजीत सिंह नारंग, औंकार सिंह लखावत और जे. पी. गुप्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अलादीन खान (लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने दिया ।

न्या. रफीक – उपर्युक्त दोनों अपीलें (2007 की दांडिक अपील सं. 1133 और 1387) अभियुक्त-अपीलार्थी क्रमशः साबिर **उर्फ** शब्बीर तथा मोहन कथाट द्वारा फाइल की गई हैं जिनमें अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक सं. 1, ब्यावर, जिला अजमेर (जिसे संक्षेप में "विचारण न्यायालय" कहा गया है) द्वारा तारीख 27 अप्रैल, 2007 को पारित किए गए निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है और इस आदेश द्वारा प्रत्येक अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 376(2)(छ) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा एक हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है, प्रत्येक अभियुक्त-अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए भी दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास भोगने तथा एक हजार रुपए जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है । सभी दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का आदेश किया गया है । शिकायतकर्ता शंकर सिंह द्वारा पुनरीक्षण आवेदन इस प्रार्थना के साथ फाइल किया गया है कि आजीवन कारावास के बजाय अभियुक्त-अपीलार्थी को मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया जाए ।

2. मामले का सार इस प्रकार है कि तारीख 15 जून, 2006 को 4.30 बजे अपराह्न में रहमान कथाट नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस थाना, ब्यावर सदर के भारसाधक अधिकारी को टेलीफोन पर ग्राम नयागांव से यह सूचना दी कि एक महिला का शव तालाब के निकट नयागांव की सड़क के किनारे पड़ा है । यह सूचना रोजनामचे में रपट सं. 788 (प्रदर्श पी. 44) के रूप में पुलिस थाना ब्यावर में दर्ज कराई गई । थाने का भारसाधक अधिकारी अन्य पुलिस कार्मिकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा जहां शंकर सिंह अर्थात् मृतका श्रीमती तीजा के भाई ने उसे एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) प्रस्तुत की जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि तारीख 15 जून, 2006 को लगभग 3.30-4.00 बजे अपराह्न में उसकी बहन श्रीमती तीजाबाई अर्थात् सोहन सिंह रावत की पत्नी निवासी अमर सिंह का

बाड़िया पैदल आटा लेने के लिए नयागांव जा रही थी । उस समय, ग्राम के पूर्व की ओर, नैना कथाट, मोहन कथाट पुत्र भंवर कथाट निवासी गौराना ने पारी के निकट जो नयागांव की ओर जाने वाली सड़क के किनारे पर थी, तीजा के साथ मारपीट की और उन्होंने उसके सिर और चेहरे को पत्थरों से मार-मार कर कुचल दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी बहन तीजा की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । यह भी कथन किया गया है कि उपेन्द्र पुत्र बीरम सिंह और परमेश्वर सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम अमर सिंह का बाड़िया ने इस घटना को देखा है । उनके शोर मचाए जाने पर, कैलाश पुत्र नेनू सिंह, बाबू सिंह पुत्र सरदार सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्र मंगल सिंह और धर्म सिंह पुत्र ओंकार सिंह, जो सभी जाति से रवाटन थे तथा अमर सिंह बाड़िया के निवासी थे, घटनास्थल पर आए और उन्होंने देखा कि मोहन कथाट जंगल की ओर अपने हाथ में थैला लिए दौड़ रहा है । मोहन कथाट, पंचू सिंह पुत्र हजारी सिंह के कुंए पर पहुंचा और खेली (मवेशियों के लिए बनाया गया तालाब) में कूद गया । उसने अपने कपड़ों और जूतों पर लगे रक्त के धब्बों को धोने का प्रयास किया और उसी समय उन्होंने मोहन कथाट को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया । यह अभिकथन किया गया है कि इस घटना में मोहन कथाट के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों ने भी संभवतः भाग लिया है । अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने और उन्हें दंडित किए जाने का निवेदन किया गया ।

3. उपरोक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 219 दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन दर्ज कराई गई और अन्वेषण आरंभ किया गया । मृतका का शवपरीक्षण कराया गया । अन्वेषण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, पुलिस ने दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) और 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों के विरुद्ध चालान फाइल किया । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध 376(2)(छ) और 302 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किए और इसके अनुकल्प में दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन भी आरोप विरचित किया गया । अभियुक्त-अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 27 साक्षियों को प्रस्तुत किया और 45 दस्तावेज प्रदर्शित किए । इसके पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थियों की परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन कराई गई जिसमें उन्होंने निर्दोष होने का अभिवाक् किया । अपनी प्रतिरक्षा में उन्होंने छह साक्षियों की परीक्षा कराई तथा सात दस्तावेज प्रदर्शित किए । विचारण

न्यायालय ने विचारण के पूर्ण होने पर तारीख 27 अप्रैल, 2007 के निर्णय और आदेश द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को ऊपर उपदर्शित रीति में दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया ।

4. अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री बीरी सिंह सिनसिनवार ने यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन तथा प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों की विश्वसनीयता के संबंध में भिन्न मानदंड का प्रयोग किया है । अभियोजन पक्ष को अपना पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करना होता है जबकि प्रतिरक्षा पक्ष को अपने पक्षकथन को केवल संभावी बनाना होता है । वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष अभियुक्त-अपीलार्थी के दोष को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है । दूसरी ओर, अपीलार्थी ने इस मामले में अपनी निर्दोषिता को संभावी बनाया है । अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर ने विशिष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपनी परीक्षा में यह कथन किया है कि उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया है । अभियुक्त-अपीलांर्थी के बताए अनुसार पैंट की बरामदगी मिथ्या है जो कि वास्तव में सह-अभियुक्त मोहन की है न कि वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी की । यह तर्क दिया गया है कि कपड़ों के आकार में काफी अन्तर है । अभियुक्त-अपीलार्थी अपनी पैंट सम्राट टेलर से सिलवाया करता था । उसने अपने दर्जी जितेन्द्र तंवर (प्रतिरक्षा साक्षी 4) को प्रस्तुत किया है जिसने विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि बरामद की गई पैंट अपीलार्थी की नहीं है । विचारण न्यायालय ने पैंट की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य पर समुचित रूप से विचार नहीं किया है और अभिलेख पर उसके विरुद्ध साक्ष्य के बिना ही उसे दोषसिद्ध किया है । यह भी तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार करने में त्रुटि की है कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) शंकर सिंह (अभि. सा. 3) अर्थात् मृतका श्रीमती तीजा के भाई द्वारा तारीख 15 जून, 2006 को 5.30 बजे अपराह्न में दर्ज कराई गई थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि मोहन कथाट ने मृतका के सिर और चेहरे पर पत्थरों से क्षतियां पहुंचाई थीं जिनके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी । इस साक्षी ने उपेन्द्र सिंह **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और परमेश्वर (अभि. सा. 7) द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी । कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) और धर्म सिंह अभिकथित रूप से चीख-पुकार की आवाज

सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने पंचू सिंह की खेली में मोहन को दबोच लिया था । उसके हाथ में एक थैला था । यह भी उल्लेख किया गया है कि इन व्यक्तियों को देखकर पंचू सिंह के कुंए की खेली में कूद गया था और उसने अपने जूते और कपड़ों को धोने का प्रयास किया था किंतु उसे इन व्यक्तियों द्वारा पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया । यह तर्क दिया गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से भी अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं बनता है और अभिकथन केवल सह-अभियुक्त मोहन के ही विरुद्ध हैं जिसे घटनास्थल पर उस समय पकड़ लिया गया था जब वह अपने कपड़े और जूते कुंए पर धो रहा था । इसके पश्चात् अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर को उसके कब्जे से अभियुक्त मोहन की पैंट बरामद की गई दिखाकर मिथ्या फंसाया गया ।

5. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अन्वेषण अधिकारी के कथन को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर को इस मामले में सह-अभियुक्त मोहन कथाट से किए गए परिप्रश्न के आधार पर आलिप्त किया गया है जिसके लिए कोई भी विधिक न्यायौचित्य नहीं हो सकता । किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) को लेकर अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है । अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि केवल अनुमान और अटकल पर ही अभिलिखित की गई है । अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है । विचारण न्यायालय ने इस पर विचार करने में विधि की दृष्टि से गलती की है कि अभियुक्त-अपीलार्थी का मृतका की हत्या करने का न तो कोई हेतु था और न ही कोई ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद है जिससे अपीलार्थी को अपराध से संबद्ध किया जा सके । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने शंकर सिंह (अभि. सा. 3), परमेश्वर (अभि. सा. 7), उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9), कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) और बाबू सिंह (अभि. सा. 11) के परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया है और यह दलील दी है कि इन साक्षियों के कथन विरोधाभास और असंगतताओं से ग्रसित हैं और ये सभी बनावटी साक्षी हैं । अभियोजन पक्ष ने कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्रू **उर्फ** मिश्री सिंह (अभि. सा. 16) को विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय ठहराया गया है ।

6. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-

अपीलार्थी का नाम लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) जो शंकर सिंह (अभि. सा. 3) अर्थात् मृतका के भाई द्वारा दर्ज कराई गई थी, उल्लिखित नहीं है । विचारण न्यायालय ने यह विचार करके विधि की दृष्टि से गलती की है कि यह घटना अभिकथित रूप से तारीख 15 जून, 2006 को घटित हुई थी और अपीलार्थी को तारीख 21 जून, 2006 को प्रदर्श पी. 12 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था । विचारण न्यायालय ने तारीख 15 जून, 2006 से लेकर तारीख 21 जून, 2006 तक अभियुक्त-अपीलार्थी की अनुपस्थिति से संबंधित प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला है । अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर ग्राम में पूरे समय मौजूद रहा और उसने स्वयं पुलिस थाने में अभ्यर्पण किया था । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित अपने कथन में सभी अभिकथनों से इनकार किया है । विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार न करके गलती की है कि कुछ अभियोजन साक्षियों तथा प्रतिरक्षा साक्षियों ने यह कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर उस समय मौजूद था जब अन्य ग्रामवासी घटनास्थल पर मौजूद थे और उसे उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया यद्यपि सह-अभियुक्त को तभी गिरफ्तार कर लिया गया था । इस बात से भी अभियुक्त-अपीलार्थी की निर्दोषिता प्रकट होती है । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि स्थल नक्शे में अभिकरण द्वारा यह दर्शाया गया है कि श्रीमती तीजा बाई का शव X स्थान पर पड़ा हुआ था और अभियुक्त मोहन ने, जब वह ग्राम अमर सिंह का बाड़िया से ग्राम नयागांव की ओर पैदल जा रहा था, तीजाबाई को पीछे से दबोच लिया और उसे पत्थरों से क्षतियां पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी । यह दलील दी गई है कि अभियुक्त मोहन के कपड़ों पर रक्त के धब्बे आ सकते हैं किन्तु जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर अपराधी है । परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) घटनास्थल पर उसी दिन मौजूद थे किंतु पुलिस ने उसी दिन उनके कथन अभिलिखित नहीं किए । अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके कथन एक दिन के विलंब से क्यों अभिलिखित किए गए थे । यह दलील दी गई है कि साक्षियों ने यह कथन किया है कि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर ग्राम गौराना की ओर दौड़ा था । यदि ऐसा होता, तब साक्षियों के लिए उसे पहचानना संभव नहीं था ।

7. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने इस पर विचार न करके गलती की है कि अभियुक्त-अपीलार्थी से

तथाकथित रूप से बरामद की गई पैंट पुलिस द्वारा तालाब की पाल से तारीख 17 जून, 2006 को प्राप्त की गई थी और अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा यह संभावना दर्शाई गई है कि उक्त पैंट सह-अभियुक्त मोहन की है न कि अपीलार्थी की । इसके बावजूद, विचारण न्यायालय ने इस बरामदगी को अविधिमान्य ठहराया है जो कि अभियुक्त-अपीलार्थी के प्रति एक संपोषक साक्ष्य है । विचारण न्यायालय ने प्रदर्श पी. 18, स्थल नक्शा और प्रदर्श पी. 20 (उस स्थान का नक्शा जहां से अभियुक्त साबिर के कहने पर चांदी के आभूषणों की बरामदगी की गई थी) जैसे साक्ष्यों का समुचित मूल्यांकन करने में गलती की है । दोनों स्थल नक्शों के बीच बहुत अंतर है । इसके अतिरिक्त, स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 18) और स्थल नक्शा (प्रदर्श पी. 20) की संपुष्टि घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट अर्थात् प्रदर्श सी. 1 से नहीं होती है । यद्यपि, अपीलार्थी ने यह कहते हुए पैंट की बरामदगी पर विवाद किया है कि यह पैंट उसकी नहीं है किंतु विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार न करके विधि की दृष्टि से त्रुटि की है कि न्यायालयिक रिपोर्ट के अनुसार तथाकथित रूप से अभियुक्त-अपीलार्थी के कब्जे से बरामद की गई पैंट पर मानव रक्त लगा हुआ था किंतु उस रक्त का ग्रुप नहीं बताया गया है । विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों अपीलार्थियों से बरामद की गई वस्तुओं पर एबी ग्रुप वाला रक्त लगा हुआ था किंतु न्यायालयिक रिपोर्ट से यह बात स्पष्ट है कि जूतों और पैंट पर रक्त के जो धब्बे लगे हुए थे, वे सुनिश्चित नहीं किए जा सके जिससे विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग न किया जाना दर्शित होता है । यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर को तारीख 21 जून, 2006 को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 12) द्वारा गिरफ्तार किया गया दर्शाया गया है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के अधीन उसके कपड़ों (प्रदर्श पी. 35) से संबंधित सूचना तारीख 22 जून, 2006 को उसकी गिरफ्तारी के एक दिन पश्चात् प्राप्त की गई थी किंतु बरामदगी वास्तव में तारीख 22 जून, 2006 अर्थात् घटना की तारीख से एक सप्ताह पश्चात् की गई थी । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने न्यायालयिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 39) को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि इस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर के कहने पर बरामद किए गए बनियान पर रक्त लगा हुआ पाया गया था जबकि उसी न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में अभियुक्त की कमीज पर मानव रक्त

के पाए जाने से संबंधित रिपोर्ट नकारात्मक है । अन्वेषण अधिकारी ने इस प्रकार, सह-अभियुक्त मोहन के बनियान को मिथ्या रूप से इस अपराध से संबद्ध किया है और यह दर्शाया है कि यह बनियान अभियुक्त-अपीलार्थी से बरामद किया गया है । यदि उसके बनियान पर रक्त के धब्बे होते तब ऐसा कोई कारण नहीं था कि अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर की कमीज पर रक्त न होता । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **गजानंद** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले के निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें रक्त-रंजित पैंट की बरामदगी घटना से आठ दिन के पश्चात् की गई थी और उसे इस आधार पर संदिग्ध पाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपराध में फंसाने वाले किसी भी साक्ष्य को अपने पास इतने लंबे समय तक नहीं रखेगा और यह भी संभव नहीं है कि वह अपनी गिरफ्तारी के समय उस वस्तु को पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने **सतीश चंद्र और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी अवलंब लिया है जिसमें अपराध में प्रयोग किया जाने वाला आयुध गुप्ती थी जो उस मामले में के अभियुक्त के बताए अनुसार घटना के आठ दिन बाद बरामद की गई थी । उच्चतम न्यायालय ने ऐसी बरामदगी को यह मत व्यक्त करते हुए अविश्वसनीय ठहराया कि अभियुक्त से बिल्कुल भी यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती कि वह रक्त-रंजित गुप्ती यथास्थिति में अर्थात् उस पर लगे हुए रक्त को साफ किए बिना अपने पास रखे ।

8. यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर के विरुद्ध बलात्संग से संबंधित अभिकथन बिल्कुल भी साबित नहीं किए गए हैं । इस संबंध में डा. के. के. चौहान (अभि. सा. 10) के परिसाक्ष्य को निर्दिष्ट किया गया है जिन्होंने मृतका की शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 15) साबित की है और यह राय व्यक्त की है कि मृत्यु का कारण सिर और चेहरे पर आई क्षतियों से होने वाला रक्तस्राव और आघात है । चिकित्सक ने बलात्संग होने का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । मृतका के गुप्तांगों पर कोई भी क्षति कारित नहीं हुई है और किसी तथ्य को विशिष्ट रूप से डा. अर्चना मित्तल (अभि. सा. 25) द्वारा भी साबित किया गया है जिन्होंने यह कथन किया है कि मृतका के पेट, जंघाओं और टांगों पर कोई

---

[1] 2010 (2) क्रिमिनल ला रिपोर्ट 1260 (राजस्थान).

[2] (1983) 2 एस. सी. सी. 141 = 1983 क्रिमिनल ला जर्नल 683 (एस. सी.).

भी क्षति नहीं पहुंची है । मृतका के जननांगों से कोई भी रक्तस्राव नहीं हुआ है । योनिच्छद पहले से ही विदीर्ण पाया गया है और योनि में दो अंगुलियां स्वतंत्र रूप से प्रविष्ट की जा सकती हैं । इससे यह पता चलता है कि मृतका मैथुन के लिए अभ्यस्त थी । मृतका का योनिक लेप स्लाइड पर लिया गया और उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया किंतु न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श 38) के अनुसार कोई वीर्य नहीं पाया गया । मात्र यह तथ्य कि अभियुक्त-अपीलार्थी के अंतःवस्त्र पर वीर्य पाया गया था, कुछ भी साबित नहीं हो सकता । अभियुक्त-अपीलार्थी युवा और विवाहित है और अपीलार्थी के मामले में ऐसी बरामदगी एक सप्ताह के पश्चात् की गई है । अभियुक्त-अपीलार्थी के अंतःवस्त्रों में वीर्य का पाया जाना अस्वाभाविक नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी परीक्षण यह साबित करने के लिए नहीं कराया गया है कि मृतका के लहंगे पर वीर्य ही लगा हुआ था । **शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लेते हुए विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष जिन परिस्थितियों का अवलंब लेता है वे अभियुक्त के दोषी होने की एकमात्र परिकल्पना के साथ संदत्त होनी चाहिए । न्यायालय के निर्णय से यह भी दर्शित होना चाहिए कि अभियुक्त के दोषी होने का निष्कर्ष, यदि कोई निकाला जाता है, पारिस्थितिक साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और समुचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् ही निकाला गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परिस्थितियां अन्य किसी युक्तियुक्त परिकल्पना के साथ मेल खाती हैं या नहीं । उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी की पैंट पर 0.5 सेमी. के व्यास में बी ग्रुप वाले रक्त की मौजूदगी और उसके अंतःवस्त्र पर सूखे वीर्य के धब्बे ऐसी परिस्थितियां हैं जो यह सिद्ध करने के लिए अत्यंत दुर्बल हैं कि अपीलार्थी ने मृतका के साथ बलात्संग करके उसकी हत्या की है । बी ग्रुप वाला रक्त असाधारण रक्त ग्रुप नहीं है इस संभाव्यता को वर्जित किए जाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया है कि अपीलार्थी के रक्त का ग्रुप भी यही था । जहां तक अपीलार्थी के अंतःवस्त्र पर लगे सूखे वीर्य का संबंध है, यह मत व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी तीस वर्ष का एक नौजवान है और ऐसा

---

[1] (1981) 2 एस. सी. सी. 35 = 1981 क्रिमिनल ला जर्नल 325 (एस. सी.).

कोई आबद्धकारी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वीर्य का यह धब्बा लड़की के साथ बलात्संग किए जाने के दौरान ही कारित हुआ है । अतः, विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह प्रार्थना की है कि अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर की ओर से फाइल की गई अपील मंजूर की जाए और विचारण न्यायालय द्वारा जो दंडादेश उसे अधिनिर्णीत किया गया है वह अभिखंडित करते हुए अपास्त किया जाए ।

9. अभियुक्त-अपीलार्थी मोहन कथाट की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अमरजीत सिंह नारंग ने यह दलील दी है कि लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) में किए गए अपने कथन के अनुसार, जो शंकर सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा प्रस्तुत की गई है, कैलाश सिंह (अभि. सा. 4 अर्थात् मृतका का भाई), बाबू सिंह (अभि. सा. 11), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) और धर्म सिंह ने अभियुक्त-अपीलार्थी मोहन को अपने हाथ में थैला लेकर भागते हुए देखा था । यदि वे अभियुक्त-अपीलार्थी के बहुत निकट थे और उन्होंने उसे पंचू सिंह के कुंए की खेली पर पकड़ा था (जो प्रदर्श सी. 1 के अनुसार पूर्व की ओर एक किलोमीटर की दूरी पर है), अभियुक्त मोहन को पत्थर की दीवार के निकट नागफनी के नीचे झाड़ियों से घिरे हुए पत्थरों के भीतर थैले को छुपाने का अवसर कब मिला, जिसकी बरामदगी तारीख 18 जून, 2006 को अभियुक्त-अपीलार्थी मोहन के कहने पर प्रदर्श पी. 19 के अनुसार दर्शाई गई है, इस बरादमगी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि थैला उसी समय बरामद क्यों नहीं किया जा सका जब मोहन को कैलाश और अन्य व्यक्तियों ने पकड़ लिया था । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त मोहन ई स्थान से पंचू के कुंए की ओर दौड़ा था जो पूर्व दिशा में एक किलोमीटर की दूरी पर है । साक्षियों ने यह कथन किया है कि उसके हाथ में एक थैला था । यदि वह उत्तर-पूर्व की ओर भागा था तब उसके पास इतना समय भिन्न दिशा में जाने और वहां पत्थर के थैला छिपाने के लिए कैसे आ गया । घटनास्थल से उत्तर-पश्चिम की ओर एक सौ पचास मीटर की दूरी पर प्रदर्श पी. 19 के अनुसार अभियुक्त मोहन के कहने पर चांदी के आभूषणों वाले थैले की बरामदगी और विचारण न्यायाधीश द्वारा तैयार किया गया स्थल नक्शा अत्यंत अविश्वसनीय है । अभियुक्त मोहन के कहने पर जो बरामदगी की गई है उसके लिए कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है । इस संबंध में **हरजीत सिंह और अन्य** बनाम **पंजाब राज्य**[1]

---

[1] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 3040.

वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है । इस न्यायालय द्वारा **नंदलाल** बनाम **राजस्थान** राज्य वाले मामले में दिए गए निर्णय का भी अवलंब लिया गया है जिसमें तारीख 25 नवंबर, 2014 को खंड न्यायपीठ ने दांडिक अपील सं. 1150/2006 में कार्यवाही करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रकटीकरण कथन किसी भी साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया है, अतः अन्वेषण दूषित अभिनिर्धारित किया गया और अपराध में प्रयोग किए गए आयुध की बरामदगी को भी संदिग्ध पाया गया । यह दलील दी गई है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 27 के अधीन अभियुक्त से प्राप्त की गई जानकारी अर्थात् घटनास्थल जो कि पहले ही पुलिस की जानकारी में था, किसी भी नए तथ्य के प्रकटीकरण को साबित नहीं करती है । ऐसी जानकारी को साक्ष्य की दृष्टि से अस्वीकार्य अभिनिर्धारित किया गया है । **शंकरलाल और मांगीलाल** बनाम **राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है ।

10. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि परमेश्वर (अभि. सा. 7), उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र (अभि. सा. 9), कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) और लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) के परिसाक्ष्य असंगतताओं से ग्रसित हैं और विश्वासोत्पादक नहीं हैं । घटना के संबंध में पुलिस द्वारा प्राप्त की गई सूचना घटना के ही दिन 4.30 बजे प्रविष्टि सं. 788 के रूप में रोजनामचे (प्रदर्श 43-ए) में दर्ज की गई जिसके अनुसार रहमान कथाट नाम के व्यक्ति ने पुलिस को उस शव के संबंध में सूचना दी थी जो तालाब के निकट पड़ा हुआ था । उक्त रहमान कथाट को अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु प्रतिरक्षा पक्ष ने उसे प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में प्रस्तुत किया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि भनवारु पुत्र सुभान ने उसे शव के बारे में बताया था और वह मोटरसाइकिल से घटनास्थल पर पहुंचा था । वहां पर 30-40 व्यक्ति मौजूद थे । पूछताछ किए जाने पर, यह पता चला कि अभी तक किसी ने इस घटना के बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी है और इसीलिए उसने अपने सेलफोन से स्थानीय पुलिस को सूचना दी । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तो कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6), धर्म सिंह, कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्री सिंह (अभि. सा.

---

[1] 2013 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 535 (राजस्थान).

16) मौजूद नहीं थे । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त मोहन को (मृतका) तीजा के शव के पास लाते हुए नहीं देखा । वास्तव में, कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्री सिंह (अभि. सा. 16) घटनास्थल पर उसके पहुंचने के 30-50 मिनट बाद पहुंचे थे । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने परमेश्वर सिंह (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) के साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया है क्योंकि उनका ग्राम काफी दूर स्थित है । विचारण न्यायालय ने कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्रु **उर्फ** मिश्री सिंह (अभि. सा. 16) की मौजूदगी को ठीक ही अविश्वसनीय ठहराया है क्योंकि उनमें से किसी को भी अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा तैयार किए गए ज्ञापनों का साक्षी नहीं बनाया गया है । वास्तव में, रहमान (प्रतिरक्षा साक्षी 1) ने अपने कथन में यह स्वीकार किया है कि उसे उस तथ्य की जानकारी थी कि कुछ बच्चों ने यह घटना देखी थी किन्तु उसने उन बच्चों में उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) तथा परमेश्वर (अभि. सा. 7) को सम्मिलित नहीं किया है बल्कि उसने यह कथन किया है कि वह उन बच्चों को जानता ही नहीं है । विचारण न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण के आधार पर तैयार किए गए स्थल नक्शे (प्रदर्श सी. 1) के अनुसार, उस स्थान की दूरी जहां उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और परमेश्वर (अभि. सा. 7) ने अभियुक्त मोहन को देखा था, 274 फीट है और इन साक्षियों के लिए यह संभव नहीं था कि वे इतनी दूर से अभियुक्तों को पहचान लेते । इस संबंध में विद्वान् काउंसेल द्वारा क्रिमिनल इनवेस्टिगेशन नामक पुस्तक के पृष्ठ सं. 159 पर की गई चर्चा का अवलंब लिया गया जो फोटोग्राफी बाई डा. हेंस ग्रोस (जो यूनिवर्सिटी आफ प्रेग के अपराध शास्त्र के प्रोफेसर हैं) नामक शीर्षक के अन्तर्गत है ।

11. विद्वान् काउंसेल ने बाबू सिंह (अभि. सा. 11) के कथन को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि इस साक्षी ने यह कथन किया है कि दो ग्रामों के मेहराट और रावत जातियों के लोगों के बीच शत्रुता चल रही थी जो कि अभियुक्त-अपीलार्थी को मिथ्या फंसाए जाने का एक कारण हो सकता है । बाबू सिंह (अभि. सा. 11) अर्थात् सहायक पुलिस उप-निरीक्षक ने स्वतंत्र साक्षियों की उपलब्धता से संबंधित विरोधाभासी साक्ष्य दिया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जिस स्थल से बरामदगी की गई थी वहां पर अनेक व्यक्ति मौजूद थे किंतु कोई भी विश्वसनीय

साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पहले से पुलिस की जानकारी में था । चांदी के आभूषणों के थैले की बरामदगी से संबंधित अभियुक्त मोहन द्वारा दी गई जानकारी किसी भी साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं की गई है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को तारीख 15 जून, 2006 को घटनास्थल पर ही अभिकथित रूप से गिरफ्तार किया गया था किंतु उसकी गिरफ्तारी अगले दिन अर्थात् तारीख 16 जून, 2006 को प्रदर्श पी. 10 के अनुसार दर्शायी गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि इस अभियुक्त को अनेक क्षतियां पहुंचीं थीं । प्रदर्श पी. 13 अभियुक्त मोहन की क्षति रिपोर्ट है जिसे डा. हेमन्त कुमार चौहान (अभि. सा. 8) द्वारा साबित किया गया है । अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त मोहन को पहुंचीं क्षतियों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है किंतु विचारण न्यायालय ने अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि उसे क्षतियां उस समय पहुंचीं होंगी जब अभियुक्त को खेली से लाया गया था और घटनास्थल पर एकत्र हुई भीड़ ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी । कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) के कथन को निर्दिष्ट किया गया है जिसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त मोहन के साथ मार-पीट की गई थी । यह तथ्य कि पुलिस ने उसे उसी दिन गिरफ्तार किया गया नहीं दर्शाया है और उसकी चिकित्सा परीक्षा तत्काल नहीं कराई है, से यह दर्शित होता है कि इस अभियुक्त के साथ थर्ड-डिग्री का प्रयोग किया गया है । **राजस्थान राज्य** बनाम **माधो और अन्य**[1] तथा **लक्ष्मी सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का भी अवलंब लिया गया है ।

12. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियुक्त मोहन के जूतों पर लगे हुए रक्त के धब्बों का पता न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा इतने लंबे समय के पश्चात् ऐसी स्थिति में नहीं लगाया जा सकता था जबकि वह पानी या खेली में निमग्न होकर आया था । यह दलील दी गई है कि रंध्रसंकोचिनी के अनैच्छिक संकुचन द्वारा अनियंत्रित स्राव लटकने के दौरान हो जाता है । ऐसी ही क्रिया उस समय भी होती है जब किसी की

---

[1] ए. आई. आर. 1991 एस. सी. 1065.

[2] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2263.

पिटाई की जाती है और ऐसी स्थिति में अनैच्छिक रूप से मल का निष्कासन भी हो जाता है । यदि अभियुक्त मोहन के वस्त्रों पर रक्त के धब्बे थे, तब पुलिस ने शीघ्र ही उन वस्त्रों को अभिगृहीत क्यों नहीं किया और अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगले दिन सायं काल तक प्रतीक्षा क्यों की गई । यदि मृतका पर हमला करने के लिए अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से पत्थरों का प्रयोग किया गया था तब रक्त-रंजित पत्थरों पर अभियुक्त की अंगुली छाप आनी चाहिए थी । जब तक पत्थर हमलावर के हाथ से छूटकर न गिर जाए तब तक हमला करने के लिए अन्य पत्थरों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमलावर के लिए बार-बार उसी पत्थर से हमला करना पर्याप्त होता है । डा. अर्चना मित्तल (अभि. सा. 25) के कथन को निर्दिष्ट करते हुए विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस साक्षी ने आहत के गुप्तांगों के निकट क्षति का न होना साबित किया है । इसके अतिरिक्त, मृतका के योनिक लेप और स्लाइडों को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था और उससे प्राप्त रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 38) से भी वीर्य का पाया जाना साबित नहीं हुआ है फिर भी विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को मात्र इस आधार पर दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन दोषसिद्ध किया है कि वह मैथुन करने के लिए सक्षम था और उसके अंतःवस्त्रों पर वीर्य पाया गया था और यह कि अभियुक्त ने सबूत से बचने के लिए तीजा की हत्या कर दी । अभियुक्त नवयुवक, विवाहित तथा बच्चों का पिता होने के कारण नपुंसक नहीं था । योनिक लेप से तैयार की गई स्लाइडों पर वीर्य के न पाए जाने से आहत के साथ बलात्संग की घटना से इनकार किया जा सकता है ।

13. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि हत्या करने का हेतु साबित नहीं किया गया है । **झरिया पुत्र कल्ला बैरवा** बनाम **राजस्थान राज्य**[1] वाले मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए यह दलील दी गई है कि हेतु की विद्यमानता अभियुक्त को अपराध का दोषी ठहराने के लिए आवश्यक नहीं है किंतु जब हेतु का अभिकथन किया जाता है और वह विशिष्ट रूप से नासाबित कर दिया जाता है तब इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए और इसका प्रभाव अभियोजन वृत्तांत को त्यक्त कर सकता है । यह दलील दी गई है

---

[1] डब्ल्यू. एल. सी. (राजस्थान) 1993 (3) 114.

कि अभियुक्त मोहन ने रज्जाक से कुछ धन उधार लिया था जो उसने अपनी माता के देहान्त के समय लिया था किंतु रज्जाक आभूषण रखना नहीं चाहता था । मोहन जब आभूषण गिरवी रखने के लिए मसूदा की ओर रज्जाक (प्रतिरक्षा साक्षी 5) के ऋण का भुगतान करने के लिए पैसा जुटाने जा रहा था तब उसके हाथ में आभूषणों का थैला था और उसे उसी समय गिरफ्तार किया गया था । ये आभूषण अभियुक्त मोहन की दादी तथा पत्नी के नाम में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 451 के अधीन विचारण के लंबित रहने के दौरान न्यायालय से छुड़ाए गए थे । तथापि, विचारण न्यायालय ने रज्जाक (प्रतिरक्षा साक्षी 5) को विश्वसनीय ठहराया है और 4.30-5.00 बजे अपराह्न के बीच अभियुक्त के साथ उसकी मौजूदगी पर भी संदेह मात्र इस कारण से किया है इस संबंध में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे ऋण लिया जाना साबित हो सके या यह साबित हो सके कि रज्जाक ने आभूषण रखने से इनकार कर दिया था । सामान्यतया, ग्रामों में ऋण के लेन-देन के समय दस्तावेज तैयार नहीं किए जाते हैं । कोई भी सामग्री अभियुक्त के गिरफ्तार किए जाने के समय, उससे बरामद नहीं की गई है । इस प्रकार, अभियुक्त का गिरफ्तारी ज्ञापन कूटरचित है ।

14. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने यह निदेश देने में विधि की दृष्टि से गलती की है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंडादेश एक के बाद एक क्रम में चलेंगे और यह कि अपीलार्थी पहले दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन दस वर्ष का कठोर कारावास भोगेंगे और उसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास । यह विधि की सुस्थापित प्रतिपादना है कि यदि किसी अभियुक्त को अनेक अपराधों से दोषसिद्ध किया जाता है, जिनमें से एक के लिए उसे आजीवन कारावास का दंड अधिनिर्णीत किया जाता है, तब कोई भी दंडादेश अनुवर्ती क्रम में अनिर्णीत नहीं किया जाता । इस संबंध में **दुर्योधन राउत** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी मोहन के रक्त-रंजित वस्त्रों की बरामदगी का अवलंब उसे दोषसिद्ध करने के लिए लिया है । अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने की

---

[1] (2015) 2 एस. सी. सी. 783 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 4172 (एस. सी.).

ईप्सा की है कि एबी रक्त ग्रुप वही ग्रुप है जो मृतका का है । चूंकि अभियुक्त स्वयं क्षतिग्रस्त हुआ था, इसलिए अभियोजन पक्ष को चाहिए था कि वह उसके ग्रुप की शनाख्त करवाता ताकि इस संभावना से इनकार किया जाता कि अभियुक्त के कपड़ों पर पाया गया रक्त अभियुक्त का नहीं है । इस संबंध में **प्रकाश** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है ।

15. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि वर्तमान मामले के तथ्यों, जैसा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथन किया गया है, यह दर्शित होता है कि अभियुक्त ने बलात्संग करते समय दुर्घटनात्मक रूप से (मृतका) तीजा की हत्या की है, इस बात से यह अपराध हत्या की परिधि से बाहर हो जाता है क्योंकि यदि अभियुक्त का प्रभावी आशय किसी व्यक्ति विशेष की हत्या करने का था तब निश्चय ही ऐसे कृत्य को हत्या कहेंगे । यदि हत्या का कृत्य मूल रूप से आशयित नहीं था और अन्य किसी कृत्य के अग्रसर में कारित किया गया था, तब ऐसी स्थिति में हत्या दुर्घटनात्मक कहलाएगी । इस संबंध में अपीलार्थी की विद्वान् काउंसेल द्वारा **श्रीमती रीता देवी और अन्य** बनाम **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है ।

16. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि यदि यह मान लिया जाए कि अभियुक्त का आशय मृतका के साथ बलात्संग करने का था, तब भी यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उसका आशय मृतका की हत्या करने का भी था । मृतका की हत्या कारित करने के लिए पूर्व चिन्तन नहीं किया गया था । अतः, बहुत से बहुत यह अपराध दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन आएगा । अपनी दलील के समर्थन में विद्वान् काउंसेल ने **उकार्दा** बनाम **राजस्थान राज्य**[3] वाले मामले में दिए गए निर्णय का अवलंब लिया है ।

17. विद्वान् लोक अभियोजक ने अपीलों का विरोध किया और यह तर्क दिया कि अभियुक्त का दोष प्रभावशाली साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हो गया है । इस संबंध में विद्वान् लोक अभियोजक ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों अर्थात् परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र

---

[1] (2014) 6 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 642 = 2014 क्रिमिनल ला जर्नल 2503 (एस. सी.).

[2] (2000) 5 एस. सी. सी. 113 = ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1930.

[3] (1988) 2 आर. एल. आर. 817.

सिंह (अभि. सा. 9) और कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) के कथनों को निर्दिष्ट किया है और ये ऐसे साक्षी हैं जिनका नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 32) में उल्लिखित है और इन्हीं साक्षियों ने अभियुक्त मोहन को घटनास्थल पर पकड़ा था । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि चौथे साक्षी धर्म सिंह को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में नामित किया गया है जिसका कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया था, इस साक्षी को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका क्योंकि वह भारतीय सेना में सेवारत था । कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) के कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 के अन्तर्गत संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य हैं । यह दलील दी गई है कि दोनों अभियुक्तों ने उस समय मृतका को काबू कर लिया था जब उन्होंने उसके साथ बलात्संग किया था और इस तथ्य के कारण उसे कोई भी क्षति उसके गुप्तांगों पर कारित नहीं हुई और यह तथ्य अभियुक्त के पक्ष में नहीं जा सकता । विद्वान् लोक अभियोजक ने नरेन्द्र प्रताप सिंह (अभि. सा. 26) अर्थात् अन्वेषण अधिकारी के कथन को निर्दिष्ट किया है जिसमें अन्वेषण अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि अन्वेषण के दौरान यह सामने आया था कि अभियुक्तों में से एक अभियुक्त ने मृतका के हाथों को पकड़ लिया था, एक अन्य अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्संग किया था । अन्वेषण अधिकारी ने यह साबित किया है कि घटनास्थल की शनाख्त दोनों अभियुक्तों अर्थात् साबिर **उर्फ** शब्बीर तथा मोहन द्वारा प्रदर्श पी. 18 और पी. 21 के अनुसार क्रमशः की गई है । (मृतका) श्रीमती तीजा के रक्त-रंजित कपड़ों को प्रदर्श पी. 9 के अनुसार बरामद किया गया था और उसके कानों के बुंदे, बालों में लगाने वाला क्लिप और ताबीज घटनास्थल से प्रदर्श पी. 8 के अनुसार बरामद किए गए थे । अभियुक्त मोहन के रक्त-रंजित कपड़े और जूते प्रदर्श पी. 11 के अनुसार अभिगृहीत किए गए जबकि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के कपड़ों को प्रदर्श पी. 16 के अनुसार अभिगृहीत किए गए थे । ये सभी बरामदगी विश्वसनीय साक्षियों की मौजूदगी में कराई गई थी ।

18. विद्वान् लोक अभियोजक ने इस अभिकथन से इनकार किया है कि अभियुक्त मोहन के साथ थर्ड डिग्री का व्यवहार किया गया था । वास्तव में, साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि अभियुक्त को

साक्षियों द्वारा आवेश में खेली पर घटनास्थल से एक किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा गया था और उसे घटनास्थल पर वापस लाया गया था । इस प्रक्रिया में, यह स्वाभाविक है कि जो भीड़ वहां एकत्र हुई थी उसने अभियुक्त की पिटाई की होगी जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर छोटी-मोटी क्षतियां पहुंचीं । अतः, ऐसी क्षतियों को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता । अभियुक्त मोहन ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथन में यह प्रतिरक्षा नहीं ली है कि उसके साथ थर्ड डिग्री का व्यवहार किया गया था । विद्वान् लोक अभियोजक ने न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 38) को निर्दिष्ट करते हुए यह तर्क दिया है कि इस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि अभियुक्त और मृतका के लहंगे अर्थात् इन दोनों वस्त्रों पर मानव वीर्य के धब्बे पाए गए थे । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 39) का अवलंब यह तर्क देने के लिए लिया गया है कि मृतका का लहंगा और चोली पर सकारात्मक रूप से एबी ग्रुप वाला मानव रक्त पाया गया है और उसकी ओढ़नी पर भी मानव रक्त पाया गया है । अभियुक्त मोहन की कमीज पर भी एबी ग्रुप वाला रक्त पाया गया और उसकी बेल्ट तथा जूतों पर रक्त पाया तो गया था किन्तु वह रक्त मात्रा में परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं था । अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर की जींस और पैंट पर पाया गया रक्त भी रक्त ग्रुप का पता लगाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं था किन्तु उसकी बनियान पर लगे हुए रक्त का परीक्षण किए जाने पर वह एबी ग्रुप वाला मानव रक्त पाया गया था ।

19. विद्वान् लोक अभियोजक ने विचारण न्यायाधीश द्वारा घटनास्थल का मुआयना किए जाने के पश्चात् तैयार किए गए स्थल नक्शे अर्थात् प्रदर्श सी. 1 को निर्दिष्ट किया है और यह पाया है कि परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) ने ए स्थान से इस घटना को देखा था जोकि एक पहाड़ी की चोटी है और वहां से घटनास्थल ई स्थान पर है जिसकी पहाड़ी से दूरी 274 फीट है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि घटना दिन के समय घटित हुई थी जिसमें उक्त साक्षियों के लिए अभियुक्तों को देखना और पहचानना पूर्णतया संभव था । दोनों साक्षियों ने यह कथन किया है कि वे अभियुक्त मोहन और साबिर **उर्फ** शब्बीर को जानते थे क्योंकि वे दोनों उनके स्कूल में पत्थर डालने के लिए श्रमिक वाला काम करते थे । विद्वान् लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि अन्वेषण अधिकारी ने परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह

(अभि. सा. 9), बाल साक्षी के कथन उसी दिन अभिलिखित न करने का विधिमान्य स्पष्टीकरण दिया है । इन बच्चों के लिए इतनी कम आयु में यह बात स्वाभाविक थी कि वे ऐसी भयावह घटना से डर जाएं जो उन्होंने देखी थी और इसीलिए पुलिस ने उसी दिन उन बच्चों के कथन अभिलिखित नहीं किए । वर्तमान मामलों के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए एक दिन के विलंब से इन साक्षियों के साक्ष्य की सत्यता प्रभावित नहीं होती है । अतः यह प्रार्थना की गई है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों की अपीलें खारिज की जाएं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की जाए ।

20. आवेदक-शिकायतकर्ता की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री जे. पी. गुप्ता ने विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा दी गई दलीलों का अवलंब लेते हुए यह निवेदन किया है कि वर्तमान मामला बलात्संग के साथ की गई हत्या का मामला है जो विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है और इसीलिए विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को मृत्यु दंड अधिनिर्णीत न करके त्रुटि की है । इस न्यायालय को अब अभियुक्तों को मृत्यु दंड देना चाहिए । अनुकल्पतः, विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए यदि विचारण न्यायालय ने मृत्यु दंड अधिनिर्णीत नहीं भी किया है लेकिन फिर भी उसने यह निदेश ठीक ही दिया है कि दोनों दंडादेश एक के बाद एक चलेंगे । इस संबंध में, आक्षेपित निर्णय में कोई भी हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

21. हमने परस्पर विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार करने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

22. हम इत्तिलाकर्ता शंकर सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा पुलिस को दिए गए उस पूर्ववर्ती कथन पर विचार करते हुए कार्यवाही का आरंभ करते हैं जो इत्तिलाकर्ता को उन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थी जो घटनास्थल पर मौजूद थे । लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) में यह कथन किया गया है कि मृतका ग्राम अमर सिंह का बाड़िया से ग्राम नयागांव तारीख 15 जून, 2006 को 3.30-4.00 बजे अपराह्न में आटा लेने पैदल जा रही थी । अभियुक्त मोहन कथाट पुत्र भंवर कथाट निवासी गौराना में उसके सिर और चेहरे पर पत्थर मारकर क्षतियां पहुंचाईं थीं । जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई । उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और परमेश्वर (अभि. सा. 7) को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी बताया गया है और यह अभिकथन किया गया है कि उनके द्वारा चीख-पुकार किए जाने पर कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) लक्ष्मण सिंह

(अभि. सा. 6), धर्म सिंह दौड़कर वहां पहुंचे । इन व्यक्तियों ने मोहन कथाट का पीछा पंचू सिंह के कुंए तक किया जहां पर उसने अपने कपड़े और जूते खेली में धोने का प्रयास किया था । लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) में नामित किए गए सभी साक्षियों (धर्म सिंह को छोड़कर) को विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । धर्म सिंह को भारतीय सेना में सेवारत बताया गया है और उसे विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । अब हम इस पर विचार करेंगे कि क्या अभियुक्त का दोष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रकार के साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे साबित हुआ है या नहीं ।

23. शंकर सिंह (अभि. सा. 3) ने लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 4) साबित की है । इस साक्षी के कथन में, उसने यह उल्लेख किया है कि परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) ने मोहन को तीजा पर पत्थर से वार करते हुए देखा था और जब उन्होंने शोर मचाया, तब मोहन खेतों की ओर भाग गया । कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) और लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) ने उसका पीछा किया और वे उसे पंचू सिंह के कुंए से घटनास्थल पर अर्थात् जहां मृतका का शव पड़ा हुआ था, वापस लाए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि आगे पूछताछ किए जाने पर यह पता चला कि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर भी अपराध में सम्मिलित है और इन्हीं अभियुक्तों ने तीजा के साथ बलात्संग किया है और उसके पश्चात् उसकी हत्या की है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने पुलिस को दिए गए अपने कथन (प्रदर्श डी. 1) में साबिर **उर्फ** शब्बीर का नाम नहीं लिया था और वह परमेश्वर (अभि. सा. 7) तथा उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) से पुलिस को कथन दिए जाने के पूर्व नहीं मिला था और वह उनसे उनके निवास-स्थान पर लगभग 8-9 बजे अपराह्न में मिला था और उसने यह देखा कि वे घबराए हुए थे । इस साक्षी ने स्थल नक्शे को देखकर घटनास्थल ए बिन्दु पर बताया है और यह कथन किया है कि कान की बालियां, कान का टुकड़ा और रक्त वहां पड़े हुए थे ।

24. अब हम प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परमेश्वर (अभि. सा. 7) के कथन पर विचार करेंगे जिसकी आयु 12 वर्ष थी, इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) के साथ कुंए के निकट जामुन खाने जंगल गया था । जब वे वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि मोहन और साबिर **उर्फ** शब्बीर तीजा के सिर पर पत्थर से वार कर रहे थे ।

वे दोनों शोर मचाने लगे, कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्रु **उर्फ** मिश्री सिंह (अभि. सा. 16) नयागांव की ओर से वहां आए । मोहन खेतों की ओर दौड़ा और साबिर **उर्फ** शब्बीर ग्राम गौराना की ओर दौड़ा था । मोहन काली पैंट, काली कमीज और सफेद जूते पहने हुए था और साबिर **उर्फ** शब्बीर नीली जींस और उसी रंग की कमीज पहने हुए था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह मोहन और साबिर **उर्फ** शब्बीर को जानता था क्योंकि उन्होंने उनके स्कूल में पत्थर डालने का श्रमिक के रूप में कार्य किया था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि शोर की आवाज सुनकर कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) और भी घटनास्थल पर दौड़कर आए और उन्होंने मोहन का पीछा किया और उसे पंचू सिंह के कुंए से लेकर आए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) दोनों ही डरे हुए थे और इसीलिए उस दिन वे अपने घर चले गए थे । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह स्थान जहां से उसने घटना देखी थी, घटनास्थल से 80-90 फीट की दूरी पर है । इस साक्षी का कथन (प्रदर्श डी. 3) पुलिस द्वारा अगले दिन अभिलिखित किया गया था जब वह पुलिस थाने अपने पिता के साथ गया था । इस साक्षी ने अपने कथन में दो लड़कों का उल्लेख किया था किंतु यह ठीक ही अभिलिखित किया गया है कि उनमें से एक लड़का खेतों की ओर दौड़ा था और दूसरा ग्राम गौराना की ओर । इस साक्षी ने इस सुझाव से इनकार किया हैं कि साबिर **उर्फ** शब्बीर को इस मामले में तब सम्मिलित किया गया था जब अभियुक्त मोहन द्वारा उसका नाम बताया गया था ।

25. उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) ने ऐसा ही साक्ष्य दिया है जैसा परमेश्वर (अभि. सा. 7) ने दिया है कि वह दोनों अभियुक्तों को तब से जानता था जब वे स्कूल में पत्थर डालने के लिए आए थे । वे कुंए पर जामुन खाने आए थे और जब वे वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि साबिर **उर्फ** शब्बीर और मोहन (मृतका) तीजा को पत्थर से मार रहे हैं । जब वे चिल्लाए तब कालू और मिश्रु वहां पहुंचे । साबिर **उर्फ** शब्बीर ग्राम गौराना की ओर दौड़ा और अभियुक्त मोहन खेतों की ओर भागा और इसके पश्चात् कैलाश, धर्म सिंह, लक्ष्मण, बाबू सिंह भी वहां दौड़कर पहुंचे और उन्होंने मोहन का पीछा किया और उसे पंचू के कुंए से वापस लेकर आए । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि चूंकि वह भयभीत हो गया था, इसलिए वह अपने घर चला गया था और उसे अगले दिन पुलिस थाने ले

जाया गया था जहां पर उसका कथन अभिलिखित किया गया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन (प्रदर्श डी. 4) में अभियुक्तों के नामों का उल्लेख किया था । उसने पुलिस को यह भी बताया था कि मोहन को पंचू सिंह के कुंए से वापस लाया गया था और इस साक्षी ने कपड़ों का ब्यौरा भी दिया है किंतु वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि पुलिस ने उसका कथन उसी दिन अभिलिखित क्यों नहीं किया । इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त मोहन की शनाख्त विचारण न्यायालय में की है और वह दोनों अभियुक्तों को पहचानने में भ्रमित नहीं हुआ है । किंतु प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि जब अभियुक्त घटनास्थल से भाग रहे थे तब उसने अभियुक्त मोहन का चेहरा देखा था किंतु अन्य अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के संबंध में उसने यह कहा है कि उसने केवल उसकी पीठ देखी थी ।

26. इस प्रक्रम पर हम यह अभिनिर्धारित करना चाहेंगे कि उपरोक्त दो बाल साक्षियों के कथन अभिलिखित करने में एक दिन का विलंब वर्तमान मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कम आयु वाले बच्चों के लिए यह स्वाभाविक है कि जो घटना उन्होंने देखी थी, उससे भयभीत हो जाएं और इस तथ्य से भी अभियोजन पक्षकथन प्रभावित नहीं होता है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग और पुलिस पहुंची थी और इस तथ्य की पुष्टि शंकर सिंह (अभि. सा. 3) द्वारा भी की गई है । फिर भी हम इन साक्षियों के साक्ष्य की संवीक्षा यह पता लगाने के लिए करेंगे कि उसकी पुष्टि अन्य साक्ष्य से होती है या नहीं और यह कि इस आधार पर दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों की दोषसिद्धि करना उचित है या नहीं ।

27. अभियोजन पक्षकथन के अनुसार जो साक्षी बाल साक्षियों अर्थात् परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) की चीख-पुकार सुनकर वहां पहुंचे थे और उसके पश्चात् उन्होंने अभियुक्त मोहन का पीछा पंचू के कुंए तक किया था और उसे घटनास्थल पर वापस लेकर आए थे । अभियोजन पक्ष ने इन सब बातों को साबित करने के लिए कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) और बाबू सिंह (अभि. सा. 11) को प्रस्तुत किया है ।

28. कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि वह यह

चीख-पुकार सुनकर कि सोहन सिंह की पत्नी की किसी ने हत्या कर दी है, घटनास्थल अर्थात् कलकी माता की पहाड़ी की ओर दौड़ा । एक ग्वाले ने उसे बताया कि जिस व्यक्ति ने इस महिला की हत्या की है वह पंचू के कुंए की ओर गया है । जब उसने उसका पीछा किया, उसने अभियुक्त को पंचू के कुंए से लगी खेली में कूदते हुए देखा । बाबू सिंह (अभि. सा. 11), धर्म सिंह और लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) भी उसके साथ थे । उन्होंने अभियुक्त मोहन कथाट को खेली से बाहर निकाला और घटनास्थल पर लेकर आए । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि जो भीड़ वहां एकत्र हुई थी, यह चर्चा कर रही थी कि अभियुक्त ने तीजा के साथ बलात्संग किया है और उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की है । वे व्यक्ति दोनों अभियुक्तों अर्थात् मोहन और साबिर **उर्फ** शब्बीर का नाम ले रहे थे । जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन इस साक्षी के कथन को उसके समक्ष रखा गया तब उसने यह बताया कि मृतका के बुंदे, बालों में लगाने वाला क्लिप और ताबीज पुलिस द्वारा प्रदर्श पी. 8 के अनुसार अभिगृहीत किए गए थे । पुलिस ने रक्त-रंजित पत्थर प्रदर्श पी. 7 के अनुसार अभिगृहीत किए । मृतका के कपड़े प्रदर्श पी. 9 के अनुसार कब्जे में लिए गए । यह साक्षी इन सभी दस्तावेजों को अनुप्रमाणित करने का साक्षी है और इन सभी पर उसके हस्ताक्षर हैं । मृतका के लहंगे पर रक्त वीर्य के धब्बे लगे हुए थे । यह साक्षी अभियुक्त मोहन के गिरफ्तारी ज्ञापन को अनुप्रमाणित करने का भी साक्षी है और इसी की उपस्थिति में प्रदर्श पी. 10 के अनुसार अगले दिन लगभग 9-10 बजे अपराह्न में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था । इस साक्षी की मौजूदगी में अभियुक्त मोहन की पैंट, कमीज और जूते भी प्रदर्श पी. 11 के अनुसार अभिगृहीत किए गए थे । इस अभियुक्त के जांघिया पर वीर्य के धब्बे थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि शंकर सिंह (अभि. सा. 3) घटना घटित होने के काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचा था । उसने परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) से शव भेजने के पश्चात् बात की थी । वे उससे घटनास्थल पर नहीं मिले थे किंतु निवास-स्थान पर मुलाकात हुई थी । जब उसने अभियुक्त मोहन का पीछा किया था तब वह 100-150 मीटर की दूरी पर था । शव एक गड्ढे में पड़ा हुआ था जो सड़क से 5-5.5 फीट की दूरी पर था । यह साक्षी प्रतिपरीक्षा में उस ग्वाले का नाम नहीं बता सका जिसने सहायता के लिए शोर मचाया था ।

29. लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 9) ने भी ऐसा ही कथन देते हुए यह उल्लेख किया है कि जब उन सभी ने मोहन का पीछा पंचू के कुंए तक किया था, तब मोहन खेली में कूद गया था और उसने अपने जूतों पर लगे रक्त के धब्बों को धोने का प्रयास किया था । उन्होंने मोहन को खेली से बाहर निकाला और उसे घटनास्थल पर लेकर आए अर्थात् जहां तीजा का शव पड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतका के लहंगे की दशा ऐसी थी जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ बलात्संग किया गया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि सायंकाल उसे परमेश्वर (अभि. सा. 7), उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और कालू सिंह (अभि. सा. 15) से यह पता चला था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर इस अपराध में सम्मिलित है क्योंकि अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह (मृतका) तीजा के पति का बड़ा भाई है । बाबू सिंह (अभि. सा. 11) का कथन भी कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) और लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) के कथनों जैसा ही है । इस साक्षी ने भी यह कथन किया है कि उन्होंने मोहन का पीछा पंचू के कुंए तक किया था और उसे खेली से बाहर निकाला था जहां वह अभियुक्त अपने कपड़ों और जूतों पर लगे रक्त के धब्बों को धोने का प्रयास कर रहा था । उस समय, वह काली पैंट, काली कमीज, बेल्ट और सफेद जूते पहने हुए था । मृतका के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से यह प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ बलात्संग किया गया है । इस साक्षी ने रक्त-रंजित पत्थर को कब्जे में लेने के लिए तैयार किए गए अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 7) को अनुप्रमाणित किया है, साथ ही बालों में लगाने वाली क्लिप, कानों के बुंदे और ताबीज को भी इसी साक्षी की मौजूदगी में प्रदर्श पी. 8 के अनुसार अभिगृहीत किया गया है और मृतका के कपड़ों को प्रदर्श पी. 9 के अनुसार अभिगृहीत किया गया है, अभियुक्त मोहन का गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी. 10 है, अभियुक्त मोहन के कपड़ों, बेल्ट और जूतों के संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी. 11 तैयार किया गया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मृतका के लहंगे पर रक्त और वीर्य के धब्बे लगे हुए थे । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने मोहन और साबिर **उर्फ** शब्बीर को शव के निकट नहीं देखा था किंतु वहां मौजूद बच्चों ने अगले दिन उसे बताया कि साबिर **उर्फ** शब्बीर भी इस अपराध में सम्मिलित है । उसने इस तथ्य की जानकारी पुलिस को दी थी किंतु वह यह स्पष्ट नहीं कर सका कि दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए कथन में इसका उल्लेख क्यों नहीं है ।

30. परमेश्वर (अभि. सा. 7), उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9), कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) के कथनों का संचयी रूप से परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि साक्षियों ने अभियुक्त मोहन की अपराध में भूमिका को लेकर संगत कथन दिया है किंतु उनका परिसाक्ष्य उतना दृढ़ नहीं है कि साबिर **उर्फ** शब्बीर को अपराध में आलिप्त किया जा सके । वास्तव में, तीनों साक्षियों अर्थात् कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), बाबू सिंह (अभि. सा. 11) और लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) ने यह उल्लेख किया है कि ग्वाले की चीख-पुकार सुनकर वे अभियुक्त मोहन के पीछे दौड़े थे और उन्होंने पंचू सिंह के कुंए तक उसका पीछा किया था और उसे वहां से वापस लेकर आए थे । वे परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) से नहीं मिले थे और उन्होंने उनको घटनास्थल पर नहीं देखा था । उपरोक्त तीनों साक्षियों का कथन, जिन्होंने मोहन का पीछा करने और उसे पकड़ने का दावा किया है, का विश्लेषण करने पर यह दर्शित होता है कि कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) और लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) ने संगत रूप से अपने कथन दिए हैं कि वे परमेश्वर (अभि. सा. 7) उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) से घटनास्थल पर मुलाकात नहीं की थी । जबकि कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि वे उससे निवास-स्थान पर मिले थे किंतु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह निवास उसका अपना था या परमेश्वर (अभि. सा. 7) या उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) का । लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि उसे परमेश्वर (अभि. सा. 7) उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और कालू सिंह (अभि. सा. 15) से सायंकाल में यह पता चला था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर भी इस अपराध में सम्मिलित है । बाबू सिंह (अभि. सा. 11) ने परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) के नाम नहीं बताए थे किंतु उसने यह कथन किया था कि पुलिस ने छोटे बच्चों के कथन एक अलग कमरे में उस दिन अभिलिखित किए थे जब अभियुक्त का गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार किया गया था । बच्चों ने उसे अगले दिन यह बताया था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर भी इस अपराध में सम्मिलित है । इन तीनों साक्षियों ने एक ही जैसा साक्ष्य दिया है कि किसी ग्वाले के पुकारने पर वे दौड़कर घटनास्थल पर गए

और अभियुक्त मोहन का पीछा किया । किसी भी साक्षी ने यह अभिकथन नहीं किया है कि उन्होंने परमेश्वर (अभि. सा. 7) या उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) द्वारा पुकारे जाने पर अभियुक्त मोहन का पीछा किया था ।

31. गहमागहमी जिसमें इन तीनों साक्षियों ने अभियुक्त मोहन को चीख-पुकार की आवाज सुनकर तत्काल पकड़ा था और जिस रीति में मोहन पंचू के कुंए की ओर भागा था और वह खेली में कूदा था अपने कपड़ों और जूतों पर लगे रक्त के धब्बे धोने का प्रयास किया था और यह तथ्य कि इन सभी साक्षियों ने अभियुक्त को खेली से बाहर निकाला था और उसे घटनास्थल पर वापस लेकर आए थे जहां पर तीजा का शव पड़ा हुआ था, इन सब बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त मोहन को इन साक्षियों ने भागते हुए देखा था और इसीलिए ये एक सुसंगत तथ्य हैं जो एक ही घटनाक्रम का भाग है, जिसकी संपुष्टि रक्त और वीर्य के धब्बे लगे हुए लहंगे और चोली की बरामदगी से होती है और अभियुक्त मोहन के कपड़ों से भी इस बात की संपुष्टि होती है जिन पर अभियुक्त का एबी ग्रुप वाला रक्त और वीर्य लगा हुआ था । यह एक सुसंगत तथ्य है जिसका संबंध ऐसे विवाद्यक के साथ है जो इस पूरे घटनाक्रम की एक कड़ी है । यदि इन साक्षियों ने अभियुक्त को मृतका के साथ बलात्संग कारित करते और उसकी हत्या करते हुए नहीं देखा था तब भी उनका साक्ष्य मात्र इस कारण से महत्वपूर्ण नहीं है कि बलात्संग और हत्या का वास्तविक सबूत स्पष्ट होता है बल्कि इससे सुसंगत तथ्य अर्थात् यह भी साबित होता है कि घटना के तत्काल पश्चात् वे वहां पहुंचे थे और उन्होंने अभियुक्त को घटनास्थल से भागते हुए देखा था और उन्होंने अभियुक्त का पीछा किया था और अन्त में उसे ऐसी स्थिति में जाकर पकड़ा था जब वह अपनी कमीज, पैंट, बेल्ट और जूतों पर लगे हुए रक्त के धब्बे धोने का प्रयास खेली में कर रहा था और ये साक्षी उसे घटनास्थल पर वापस लेकर आए । यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अर्थान्तर्गत एक ही घटनाक्रम का भाग हैं और संबंधित तथ्य और कार्य के सिद्धांत के अनुसार समय की आसन्निकटता और कार्य की नियमितता को देखते हुए स्वीकार्य है । मात्र इतना ही नहीं है कि अभियुक्त मोहन के जांघिए तथा मृतका के लहंगे और चोली पर वीर्य पाया गया है जिससे उससे अपराध से संबद्ध किया जा सके अपितु अभियुक्त की कमीज पर पाया गया एबी ग्रुप का रक्त तीजा के रक्त ग्रुप से मेल खाता है । इसके अतिरिक्त, मानव रक्त मृतका तीजा की ओढ़नी पर पाया गया है । साथ ही अभियुक्त मोहन की बेल्ट और जूतों पर

भी यही रक्त पाया गया है । तीन साक्षियों में से दो साक्षियों ने अर्थात् जिन्होंने अभियुक्त का पीछा किया था, अभियुक्त के वस्त्रों की बरामदगी के संबंध में तैयार किए गए बरामदगी ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं । अभियुक्त मोहन के कपड़ों की बरामदगी, जो कि अगले दिन की गई थी, से अधिक अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि अभियुक्त मोहन को घटनास्थल पर उस समय पकड़ लिया गया था जब वह पंचू के कुंए की ओर दौड़ रहा था और साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त इन्हीं वस्त्रों को पहने हुए था ।

32. यह दलील स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी स्वतंत्र साक्षी उस समय नहीं बनाया गया जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभियुक्त से जानकारी प्राप्त की गई थी, अतः इस आधार पर की गई बरामदगी विश्वसनीय नहीं है । उच्चतम न्यायालय ने **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली** बनाम **सुनील और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त के बताए अनुसार जानकारी अभिलिखित किए जाने के समय तथा इस जानकारी के आधार पर वस्तुओं की बरामदगी किए जाने के समय पर मात्र स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी ऐसा पर्याप्त आधार नहीं है जिससे साक्ष्य त्यक्त किया जा सके । अभियुक्त के बताए जाने पर की गई बरामदगी के संबंध में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य पर आमतौर पर विश्वास किया जाना चाहिए । अभियुक्त की यह जिम्मेदारी है कि यह दर्शित करे कि ऐसा साक्ष्य अविश्वसनीय है । पुलिस द्वारा किए गए कार्यालयिक कृत्य आमतौर पर नियमित रूप से पूरे किए गए माने जाते हैं । पुलिस द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही में तुच्छ हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए । उच्चतम न्यायालय ने **गोविन्द राजू** उर्फ **गोविन्दा** बनाम **राज्य द्वारा श्रीराम मापुरम पुलिस थाना और एक अन्य**[2] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाने और उस कथन के आधार पर बरामदगी किए जाने के समय पर स्वतंत्र साक्षियों का न होना ऐसा पर्याप्त आधार नहीं है जिससे अभियुक्त के बताए जाने पर की गई बरामदगी से संबंधित पुलिस अधिकारी के साक्ष्य को त्यक्त किया जा सके ।

---

[1] (2001) 1 एस. सी. सी. 652 = 2001 क्रिमिनल ला जर्नल 504 (एस. सी.).

[2] (2012) 4 एस. सी. सी. 722 = 2012 क्रिमिनल ला जर्नल 1991 (एस. सी.).

33. अभियुक्त मोहन की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि अभियुक्त ने अपराध कारित करने का पूर्वचिन्तन नहीं किया था और यह एक दुर्घटनात्मक मृत्यु है, अतः, अभियुक्त दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अधीन अपराध का दोषी होना चाहिए जोकि पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है । **रीता देवी और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब अभियुक्त मोहन के काउंसेल द्वारा लिया गया है जोकि एक अलग ही संदर्भ में पारित किया गया था जिसमें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 163क और 170 के अधीन प्रतिकर का दावा करने के संबंध में इस आधार पर विचार किया गया था कि उस मामले में के मृतक की मृत्यु आटो रिक्शा के स्वामी के अधीन नियोजन के दौरान हुई थी और इसी वाहन का प्रयोग करते हुए यह मृत्यु कारित हुई थी । मामले के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उसकी मृत्यु आटो रिक्शा चोरी किए जाने की प्रक्रिया में दुर्घटनावश हुई थी । उन तथ्यों से यह पाया गया कि उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए इस निष्कर्ष को उलट दिया कि दावेदार प्रतिकर का हकदार नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु नियोजन के दौरान दुर्घटनावश हुई है । उपरोक्त निर्णय का विनिश्चयाधार वर्तमान मामले के तथ्यों को किसी भी प्रकार लागू नहीं होता है ।

34. अब हम अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के मामले पर विचार करेंगे । अपराध में उसका आलिप्त होना असंदिग्ध नहीं कहा जा सकता है क्योंकि किसी भी साक्षी ने इस प्रकार कथन नहीं किया है जिससे अभियुक्त मोहन की घटनास्थल पर मौजूदगी या अपराध में आलिप्त होना साबित होता हो । अभियुक्त से संबंधित इन साक्षियों का परिसाक्ष्य केवल अनुश्रुत साक्ष्यों पर आधारित है जो बच्चों ने उन्हें अगले दिन बताया था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर भी इस अपराध में सम्मिलित थे । वास्तव में, कैलाश सिंह (अभि. सा. 4) ने साबिर **उर्फ** शब्बीर के बारे में कोई कथन नहीं किया है और यह कि किसी भी बच्चे ने उसके अपराध में आलिप्त होने की बात नहीं कही है । लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) ने यह भी कथन किया है कि परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) और कालू सिंह (अभि. सा. 15) ने उसे साबिर **उर्फ** शब्बीर के अपराध में आलिप्त होने के बारे में बताया था, किंतु कालू सिंह (अभि. सा. 15) और मिश्रु **उर्फ** मिश्री सिंह (अभि. सा. 16) के साक्ष्य को विचारण न्यायालय द्वारा अविश्वसनीय ठहाराया गया है । तथापि, बाबू सिंह (अभि. सा. 11) ने

यह कथन किया है कि अगले दिन दो बच्चों ने उसे यह बताया था कि साबिर **उर्फ** शब्बीर इस अपराध में सम्मिलित है किन्तु उसने परमेश्वर (अभि. सा. 7) या उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) का नाम उन बच्चों के रूप में नहीं लिया था । अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के कहने पर की गई कपड़ों की बरामदगी भी पूर्णतया संदिग्ध है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी तारीख 21 जून, 2016 को प्रदर्श पी. 12 के अनुसार की गई थी किंतु उसके बताए अनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन दी गई जानकारी को प्रदर्श पी. 35 के अनुसार अभिलिखित किया गया दर्शाया गया है और यह जानकारी तारीख 22 जून, 2006 को उपर्युक्त वस्त्रों के संबंध में दी गई थी जबकि वास्तविक बरामदगी तारीख 22 जून, 2006 को प्रदर्श पी. 16 के अनुसार की गई थी । यह तथ्य कि अभियुक्त के बताए अनुसार बनियान बरामद किया गया था, उस पर रक्त के धब्बे लगे हुए थे किंतु अभियुक्त की कमीज पर रक्त का कोई भी धब्बा नहीं पाया गया है, इस बात से यह बरामदगी संदिग्ध हो जाती है क्योंकि यदि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर बनियान और कमीज पहने हुए था तब यह असंभव है कि केवल बनियान पर रक्त के धब्बे लगे हैं और कमीज पर नहीं । उच्चतम न्यायालय ने **सतीश चंद्र** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा बरामदगी के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की खारिजी को न्यायोचित ठहराते हुए यह मत व्यक्त किया कि उस मामले में के अभियुक्त से बरामद की गई रक्त-रंजित गुप्ती और करेंसी नोट पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पूर्णतया असंभावी है कि घटना के लगभग आठ दिन के पश्चात् तक अभियुक्त रक्त-रंजित गुप्ती को उसे बिना धोए उसी दशा में बनाए रखेगा । करेंसी नोटो की बरामदगी पर भी संदेह होता है ।

35. **गजानंद** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना के आठ दिनों के पश्चात् रक्त-रंजित पैंट की बरामदगी संदिग्ध है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपराध में फंसाने वाले साक्ष्य को इतने लंबे समय तक संभालकर नहीं रखेगा और अपनी गिरफ्तारी के समय पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । तथापि, हम इस प्रक्रम पर यह मत व्यक्त करते हैं कि इसे सार्वभौमिक नियम के रूप में अधिकथित नहीं किया जा सकता है कि विलंब से बरामद किए गए रक्त-रंजित कपड़ों के प्रत्येक मामले पर संदेह किया जाए किंतु वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूर्णरूप से विचार करने पर जहां साक्ष्य अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर के विरुद्ध है, ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उसे

अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया जाए, कपड़ों की बरामदगी संदिग्ध है । इस अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितियों की शृंखला इतनी पूर्ण नहीं है कि ऐसी प्रत्येक परिकल्पना से इनकार किया जा सके जो उसकी निर्दोषिता के साथ संगत न हो । इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल यही अभियुक्त मृतका के साथ किए गए बलात्संग और उसकी हत्या के अपराध में अन्तर्वलित था । कैलाश सिंह (अभि. सा. 4), लक्ष्मण सिंह (अभि. सा. 6) और बाबू सिंह (अभि. सा. 11) ने अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर की मौजूदगी के बारे में नहीं बताया है कि वे मोहन को पंचू के कुंए से घटनास्थल पर वापस लेकर आए थे जहां पर तीजा का शव पड़ा हुआ था ।

36. तथापि, हम बाल साक्षी अर्थात् परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) के कथनों को कम से कम इस सीमा तक स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त मोहन अपराध में अन्तर्वलित था । इन दोनों साक्षियों की आयु लगभग बारह वर्ष है । ये पूर्णतया स्वाभाविक है कि छोटे बच्चे नृशंस घटना से, जो उन्होंने देखी हो, भयभीत हो जाते हैं । अतः, यदि पुलिस ने उनके कथन उसी दिन अभिलिखित नहीं किए थे तब मामले के तथ्यों के आधार पर एक दिन के विलंब से उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होगी । उपर्युक्त तीनों साक्षियों ने भी यह कथन किया है कि वहां पर कुछ बच्चे मौजूद थे जिन्होंने यह घटना देखी थी । विचारण न्यायाधीश ने घटनास्थल का मुआयना किया है और निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श सी. 1) तैयार की है जिसके अनुसार बच्चों को ए स्थान पर खड़ा हुआ दर्शाया गया है जो घटनास्थल से 274 फीट की दूरी पर है ।

37. अपीलार्थी मोहन के विद्वान् काउंसेल ने डा. हंस ग्रोस, जो प्रागुए विश्वविद्यालय के अपराध शास्त्र विभाग में आचार्य हैं, द्वारा लिखित पुस्तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रथम भारतीय संस्करण, 2000 के पृष्ठ सं. 159 के पैरा 10 में फोटोग्राफी शीर्षक के अन्तर्गत इस प्रकार लिखा है :–

> "यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा कि व्यक्ति द्वारा शनाख्त की जाने वाली दूरी के संबंध में क्या कहा गया है । व्यक्ति की दृष्टि सामान्य तथा प्रकाश पर्याप्त होने पर, वह दिन के समय निम्न प्रकार देखकर पहचान सकता है –
>
> (क) जिन व्यक्तियों को कोई व्यक्ति अच्छी तरह जानता

है, उन्हें वह व्यक्ति 50 से 90 गज की दूरी से पहचान सकता है ; जब कोई विशेष और अत्यंत अभिलाक्षणिक चिह्न हो, तब उसे 110 से 165 गज़ की दूरी तक आपवादिक रूप से पहचाना जा सकता है ।

(ख) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कोई व्यक्ति अच्छी तरह नहीं जानता है, उन्हें उस व्यक्ति द्वारा प्रायः 28 से 33 गज तक की दूरी से भी नहीं पहचाना जा सकता ।

(ग) जिस व्यक्ति को केवल एक बार देखा गया है, उस व्यक्ति को सोलह गज से अधिक दूरी से नहीं पहचाना जा सकता ।

चन्द्रमा की रोशनी में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को केवल 21 फीट तक की दूरी से पहचान सकता है जब चन्द्रमा का आकार एक चौथाई हो, यदि चन्द्रमा का प्रकाश अधिक है तब 23 फीट से लेकर 33 फीट की दूरी तक किसी व्यक्ति को पहचाना जा सकता है ; और जब पूर्णिमा होती है तब चन्द्रमा के तीव्र प्रकाश में किसी व्यक्ति को 33 फीट से 36 फीट की दूरी तक भी पहचाना जा सकता है । उष्ण कटिबंधीय देशों में चन्द्रमा की रोशनी में और अधिक दूर तक व्यक्ति की देखकर पहचान की जा सकती है ।"

38. दोनों बाल साक्षियों ने, अर्थात् परमेश्वर (अभि. सा. 7) और उपेन्द्र **उर्फ** भूपेन्द्र सिंह (अभि. सा. 9) ने यह कथन किया है कि वे दोनों अभियुक्तों को अच्छी तरह जानते हैं । यदि अभियुक्त साबिर **उर्फ** शब्बीर को लेकर उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जाता है, तब भी कम से कम अभियुक्त मोहन की भूमिका के संबंध में विश्वास किया जा सकता है जिसके बारे में पर्याप्त रूप से संपोषक साक्ष्य है । जब 270-280 फीट की दूरी को गज में परिवर्तित किया जाता है तो यह लगभग 90-93 गज बनती है । अतः, उनके लिए यह कठिन नहीं था कि दिन के समय अभियुक्त को पहचानते, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त का पीछा अन्य साक्षियों द्वारा तत्काल किया जा रहा हो और अभियुक्त को उसके रक्त-रंजित कपड़ों, बैग, बेल्ट और जूतों के साथ पकड़ लिया गया था । यह तथ्य कि अभियुक्त मोहन के पास एक थैला था जिसमें उसकी दादी के चांदी के आभूषण रखे हुए थे, का संबंध उसकी अपराध में भूमिका से किसी भी

प्रकार नहीं है । अतः, यदि चांदी के आभूषण दादी और अभियुक्त की पत्नी के पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अधीन छुड़ाए गए थे, तब इस बात से अभियोजन पक्ष पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

39. मात्र यह तथ्य की डा. अर्चना मित्तल (अभि. सा. 25) ने यह कथन किया है कि मृतका को उसके जननांगों पर क्षति कारित नहीं हुई थी, ऐसा कारक नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मृतका के साथ बलात्संग नहीं किया गया है । अभियुक्त ने मृतका के साथ बलात्संग करते समय उसको कामुक कर लिया था और इसी कारण मृतका के जननांगों पर कोई भी क्षतियां कारित नहीं हुई थीं । अतः, यह बात अभियुक्त के पक्ष में नहीं जा सकती । डा. अर्चना मित्तल (अभि. सा. 25) ने भी यह कथन किया है कि उसकी योनि में आसानी से दो अंगुलियां प्रविष्ट हो सकती थीं और मृतका पहले से मैथुन की अभ्यस्त थी । मृतका के लहंगे पर वीर्य के धब्बे पाए गए थे और साथ ही अभियुक्त मोहन के जांघिए पर भी वीर्य के धब्बे पाए गए हैं । मृतका के कपड़े और चोली फटी हुई पाई गई । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 39) के अनुसार मृतका के लहंगे और चोली पर एबी ग्रुप वाला मानव रक्त सकारात्मक रूप से पाया गया है और मृतका की ओढ़नी पर भी मानव रक्त लगा हुआ पाया गया है । अभियुक्त मोहन की कमीज पर एबी पाजिटिव ग्रुप वाला रक्त पाया गया है । यह तथ्य अनुप्रमाणन साक्षियों द्वारा साबित किए गए हैं और यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि जब अभियुक्त मोहन ने मृतका के साथ बलात्संग किया था, तब उसने प्रतिरोध किया होगा और इसी कारण अभियुक्त ने उसका सिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या की है घटनास्थल से रक्त-रंजित पत्थर बरामद किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि मृतका के साथ बलात्संग किया गया था, विद्यमान परिस्थितियों से भी साबित हो सकता है जैसे मृतका के बालों में लगाने वाला क्लिप, कानों के बुंदे और ताबीज वहीं पड़े हुए पाए गए थे, जिससे मृतका द्वारा प्रतिरोध किया जाना साबित होता है । अतः, अभियुक्त मोहन के विरुद्ध परिस्थितियों की शृंखला इतनी पूर्ण है कि उससे उसका दोषी होना इंगित होता है अर्थात् केवल अभियुक्त मोहन ही ऐसा व्यक्ति है जिसने मृतका के साथ बलात्संग किया है और उसके पश्चात् उसकी हत्या की है किंतु अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर के विरुद्ध परिस्थितियों की शृंखला में कई कड़ियों की कमी है जो उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

40. **शंकरलाल गयारसीलाल दीक्षित** (उपरोक्त) वाले मामले में

उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित प्रत्येक मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य से संबंधित सम्पूर्ण विधि का उल्लेख किया जाए । विधिक सिद्धांत का प्रयोग जादू के रूप में नहीं किया जा सकता और उनका महत्व केवल तब है जब ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग निर्णय की रचना करने में कम और मामले के तथ्यों पर अधिक किया जाना चाहिए । इस सिद्धांत से मात्र यह प्रत्याशा की जाती है कि निर्णय से यह दर्शित होना चाहिए कि दोषी होने का निष्कर्ष, यदि कोई निकाला गया है, केवल परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक और समुचित मूल्यांकन के पश्चात् ही निकाला जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परिस्थितियां अन्य किसी युक्तियुक्त परिकल्पना के साथ संगत हैं या नहीं । उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त द्वारा किए गए मिथ्या अभिवाक् से उसका दोष साबित नहीं किया जा सकता । यद्यपि, यह उसके विरुद्ध एक अतिरिक्त परिस्थिति हो सकती है ।

41. अन्त में, इस दलील पर विचार करने पर कि विचारण न्यायालय को यह निदेश नहीं देना चाहिए था कि दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन अधिनिर्णीत दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड अभियुक्त को सर्वप्रथम भोगना होगा और उसके पश्चात् उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड भोगना होगा और ये दोनों दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने चाहिए थे, इस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय द्वारा **दुर्योधन राउत** (उपरोक्त) वाला मामला पूर्णतया लागू होता है जिसमें अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और 302/201 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था । विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया था, उच्च न्यायालय ने उस दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया और अभियुक्त की दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 376(2)(च) और धारा 201 के अधीन कायम रखी और दंडादेशों को एक के बाद एक चलाए जाने का निदेश दिया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 31 के उपबंधों विशेषकर उपधारा (2) का निर्वचन करते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय के पैरा 29 और 34 में निम्न अभिनिर्धारित किया :–

"29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 ऐसे दंडादेश से संबंधित है जो एक ही विचारण के दौरान अनेक अपराधों के लिए दोषसिद्धि के मामलों में पाई जाती है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 की

उपधारा (2) के अधीन यह रोक अधिकथित की गई है कि क्या अपराधी का कुल दंड 14 वर्ष के कारावास से अधिक है या नहीं । इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि आजीवन कारावास का अर्थ जीवन का पूरा काल है, एक ही विचारण के दौरान अनेक अपराधों के लिए की गई दोषसिद्धि के मामले में क्रमानुगत दंडादेश से संबंधित प्रश्न उठता ही नहीं है । अतः, यदि किसी व्यक्ति को अनेक अपराध के लिए की गई दोषसिद्धि में आजीवन कारावास के दंड सहित अन्य दंड अधिनिर्णीत किए जाते हैं तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31(2) के परन्तुक प्रवृत्त किए जाएंगे और कोई भी दंड क्रमानुगत रूप में अधिरोपित नहीं किया जा सकता ।

34. ऊपर कथित कारणों के आधार पर हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि और दंडादेश में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते हैं कि अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास अधिनिर्णीत किया गया है, हम यह निदेश देते हैं कि दंड संहिता के अधीन अधिरोपित सभी दंडादेश साथ-साथ चलाए जाते हैं । सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया निर्णय, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है, उपरोक्त सीमा तक उपान्तरित किया जाता है । ऊपर कथित संप्रेक्षणों के साथ ये अपीलें भागतः मंजूर की जाती हैं ।"

42. **ओ. एम. चैरियन** उर्फ **थंकाचन** बनाम **केरल राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 से यह उपदर्शित होता है कि यदि न्यायालय क्रमानुगत रूप में दंडादेश चलाए जाने का निदेश देता है तब न्यायालय को अपने उस आदेश में इस बात को स्पष्ट करना होगा जिसमें दंडादेश चलाए जाने का उल्लेख किया गया है । यदि न्यायालय दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने का निदेश देता है तब ऐसी स्थिति में इस संबंध में विशेष उल्लेख अपेक्षित नहीं है । दंडादेश साथ-साथ चलाए जाएंगे या क्रमानुगत रूप में, यह केवल न्यायालय का न्यायिक विवेकाधिकार है जिसका प्रयोग दंडादेश की दंड से संबंधित सुस्थापित विधि के अनुसार किया जाना चाहिए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31 के अधीन अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के पूर्व न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध

[1] (2015) 2 एस. सी. सी. 501 = 2015 क्रिमिनल ला जर्नल 593 (एस. सी.).

उन अपराधों से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्ण रूप से विचार करे और इसके पश्चात् ही यह विनिश्चित करे कि दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने हैं या क्रमानुगत रूप में । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 31(2) के परन्तुक के खंड क में अन्तर्विष्ट नियम आजीवन कारावास के दंडादेश को लागू नहीं होगा क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ यह है कि दोषसिद्ध व्यक्ति जेल में अपने सामान्य जीवन के अन्त तक रहेगा । **भारत संघ** बनाम **वी. श्रीहरन** उर्फ **मुरुगन और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने इस विधि की पुनरावृत्ति की है कि जीवन का अर्थ किसी व्यक्ति के जीवन की सम्पूर्ण अवधि है और इसी प्रकार आजीवन कारावास का अर्थ दोषसिद्ध व्यक्ति का शेष जीवन है जिसका अर्थ सम्पूर्ण जीवन होगा ।

43. उच्चतम न्यायालय के प्रामाणिक निर्णय को दृष्टिगत करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय यह निदेश देने में न्यायोचित नहीं किया है कि दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों को अधिनिर्णीत दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड (जो धारा 376 के अधीन परिवर्तित किया गया है), सबसे पहले भोगा जाएगा और उसके पश्चात् दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंड भोगा जाएगा और ये दोनों दंडादेश अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा क्रमानुगत रूप में भोगे जाएंगे ।

44. दंडादेश की अनुपातिकता के पहलू को दृष्टिगत करते हुए हमारी सुविचारित राय में दंड अभियुक्त के आपराधिक आचरण की कोटि के अनुसार विहित किया जाना चाहिए । दंडादेश की प्रक्रिया इस प्रकार की जानी चाहिए कि जिससे समाज का संचयी प्रभाव प्रतिबिंबित हो और वह प्रक्रिया इतनी सटीक होनी चाहिए जो मामले के तथ्यों से पूर्णतया मेल खाए । मृत्यु दंड कैसे मामलों में अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए, यह अनेक निर्णयों में चर्चा का विषय रहा है और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत **बचन सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[2] वाले मामले में अधिकथित किए गए हैं और दंड संहिता की धारा 302 की विधिमान्यता को कायम रखते हुए विचार किया गया है जिसके अन्तर्गत मृत्यु दंड अधिरोपित किए जाने का प्राधिकार दिया गया है और इसी संबंध

[1] (2015) 4 क्राइम्स 433 (एस. सी.) = 2016 क्रिमिनल ला जर्नल 845 (एस. सी.).
[2] (1980) 2 एस. सी. सी. 684 = 1980 क्रिमिनल ला जर्नल 636 (एस. सी.).

में **टीगा अन्नम्मा** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में किए गए पूर्ववर्ती निर्णय में भी ऐसा ही मत व्यक्त किया गया है जो आज भी लागू है और उसमें व्यक्त किए गए सिद्धांत इस प्रकार हैं कि (i) मृत्यु दंड जैसी आत्यंतिक शास्ति केवल आत्यंतिक अपराधिता के जघन्य मामलों को छोड़कर किसी मामले में अधिरोपित नहीं की जा सकती, (ii) मृत्यु शास्ति का चयन करने के पूर्व अपराधी और अपराध दोनों से संबंधित परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए, (iii) आजीवन कारावास को नियम और मृत्यु दंड को अपवाद के रूप में लेना चाहिए । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मृत्यु दंडादेश केवल तब अधिरोपित किया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए कुल मिलाकर अनुचित प्रतीत हो और ऐसा तब किया जा सकता है और केवल तब ही किया जा सकता है जब आजीवन कारावास का दंड अधिरोपित करने के विकल्प का प्रयोग अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेकात्मक रूप से न किया जा सके, और (iv) गुरुतरकारी तथा न्यूनकारी परिस्थितियों के बीच संतुलन बना होना चाहिए और ऐसा करने के लिए न्यूनकारी परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग किए जाने के पूर्व गुरुतरकारी तथा न्यूनकारी परिस्थितियों के बीच संतुलन होना ही चाहिए ।

45. उच्चतम न्यायालय ने **देवेन्द्र पाल सिंह** बनाम **राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली**[2] वाले मामले में, **बचन सिंह** (उपरोक्त) और **माछी सिंह** बनाम **पंजाब राज्य**[3] वाले मामलों को दोहराते हुए इस पहलू पर परिस्थितियों और सुसंगत सिद्धांतों को विस्तार से स्पष्ट किया है और निर्णय के पैरा 58 में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है :–

> "58. **बचन सिंह** (उपरोक्त) और **माछी सिंह** (उपरोक्त) वाले मामलों से यह सिद्धांत उद्भूत होता है कि समाज की संचयी भावना को इतना आघात पहुंचता है कि न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने वालों से यह प्रत्याशा की जाए कि मृत्यु दंड दिए जाने या उसके बनाए रखने की वांछनीयता से संबंधित निजी राय पर विचार किए बिना भी अधिनिर्णीत की जा सकती है ।

---

[1] (1974) 4 एस. सी. सी. 443 = 1974 क्रिमिनल ला जर्नल 683 (एस. सी.).

[2] (2002) 5 एस. सी. सी. 234 = 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 2034 (एस. सी.).

[3] (1983) 3 एस. सी. सी. 470 = ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 957.

समाज के मन में ऐसी भावना निम्न परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है –

(1) जब हत्या अत्यंत बर्बरतापूर्ण, विकृत, पैशाचिक, प्रतिशोधात्मक या इतनी कायरहीनता से की गई हो कि समाज में भयंकर तनाव और आक्रोश पैदा हो जाए ;

(2) जब हत्या ऐसे हेतु के साथ कारित की जाती है जिससे पूर्णतया भ्रष्टाचार और नीचता प्रकट हो ; उदाहरणार्थ – ऐसी हत्या जो धन या इनाम पाने के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा की गई हो ; या ऐसे व्यक्ति से लाभ पाने के लिए उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या की गई हो जिसके साथ हत्यारा प्रभावशाली स्थिति में रहता हो या जिस पर आहत/मृतक विश्वास करता हो ; या मातृभूमि के साथ विश्वासघात करके हत्या की गई हो ।

(3) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या निजी कारणों से नहीं अपितु ऐसी परिस्थितियों में की गई हो जिनसे सामाजिक रोष उत्पन्न हो या किसी वधू की जलाकर या दहेज के कारण या दहेज लेने के आशय से पुनः विवाह के कारण या प्रेम-प्रसंग के कारण दूसरी महिला के पुनर्विवाह करने के लिए हत्या की गई हो ।

(4) जब अपराध का अनुपात अत्यधिक हो । उदाहरणार्थ, जब कई व्यक्तियों की हत्या की गई हो, परिवार के लगभग सभी सदस्यों की हत्या की गई हो या किसी विशेष जाति, समुदाय या स्थान के सदस्यों की हत्या एक बड़ी संख्या में की गई हो ।

(5) जब हत्या किसी निर्दोष बच्चे या असहाय महिला या वृद्ध या ऐसे दुर्बल व्यक्ति की की गई हो जिस पर हत्यारा अपना प्रभाव बनाकर रखता था या हत्यारा ऐसा व्यक्ति हो जिससे समाज आमतौर पर प्रेम करता हो और उसका आदर भी करता हो ।”

46. **माछी सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में, उच्चतम न्यायालय ने **बचन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में दिए गए अपने पूर्ववर्ती निर्णय का अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि आजीवन कारावास, नियम और मृत्यु दंड अपवाद है जिसके संबंध में हमने इसमें इसके ऊपर निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं । **बचन सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले में

ऊपर निर्दिष्ट सिद्धांतों के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने **माछी सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 33 और 34 में यह भी मत व्यक्त किया है कि मृत्यु दंड और आजीवन कारावास के बीच विकल्प चुनने के लिए न्यायालय को हत्या कारित करने की रीति और हेतु पर विचार करना चाहिए । हमारा यह निष्कर्ष है कि इस मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जिनकी प्रकृति को दृष्टिगत करते हुए यह कहा जा सके कि अभियुक्त के कृत्य से घोर अपराधिता का ऐसा मामला बनता है जिसमें आजीवन कारावास कुल मिलाकर अनुचित दंड होगा । जब हम इस मामले की गुरुतरकारी और न्यूनकारी परिस्थितियों के बीच संतुलन पर विचार करते हैं तब हमारा झुकाव मृत्यु दंड अधिनिर्णीत करने से अधिक आजीवन कारावास बनाए रखने पर है ।

47. उच्चतम न्यायालय ने **शंकर किशनराव खड़े** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में अनेक गुरुतरकारी और न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार किया है जिनका अवलंब न्यायालय को यह विनिश्चित करते समय लेना चाहिए कि क्या मामला मृत्यु दंड अधिनिर्णीत करने के लिए विरल से विरलतम मामले की कोटि में आता है या नहीं । इस निर्णय के पैरा 52 में माननीय न्यायाधीशों ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

> "निःसंदेह, ऊपर इंगित की गई गुरुतरकारी परिस्थितियां सर्वांगीण नहीं हैं और न ही न्यूनकारी परिस्थितियां ऐसी हैं । मेरी सुविचारित राय में, हमें अपराध परीक्षण, अपराधी परीक्षण और विरल से विरलतम मामला परीक्षण जैसी कसौटियों को अपनाना होगा न कि संतुलन परीक्षण जैसी कसौटी । मृत्यु दंड अधिनिर्णीत करने के लिए अपराध परीक्षण का पूर्णतया समाधान होना चाहिए अर्थात् अपराध परीक्षण का मान 100% और अपराधी परीक्षा का मान 0% होना चाहिए अर्थात् अभियुक्त के पक्ष में कोई भी न्यूनकारी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए । यदि अभियुक्त के पक्ष में कोई परिस्थिति है, जैसे अपराध कारित करने के लिए आशय का न होना, (अभियुक्त के आचरण में) सुधार की संभावना, अभियुक्त की कम आयु का होना, अभियुक्त का समाज के लिए खतरा न बनना और अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का न होना आदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें अपराधी परीक्षण के आधार पर अभियुक्त मृत्यु दंड से बच सकता है । यदि दोनों परीक्षणों का समाधान हो जाता है अर्थात् गुरुतरकारी परिस्थितियां पूरी तरह साबित हो जाती हैं और अभियुक्त के

---

[1] (2013) 5 एस. सी. सी. 546 = 2013 क्रिमिनल ला जर्नल 2595 (एस. सी.).

पक्ष में कोई भी न्यूनकारी परिस्थिति साबित नहीं होती है, तब भी हमें अंतिम रूप से विरल से विरलतम मामले वाली कसौटी को अपनाना होगा । विरल से विरलतम मामले का परीक्षण समाज की भावना पर निर्भर करता है अर्थात् वह समाज-केन्द्रीय होना चाहिए न कि न्यायाधीश-केन्द्रीय अर्थात् समाज ही यह अनुमोदित करेगा कि मृत्यु दंड अधिनिर्णीत किया जाए या नहीं । इस कसौटी को अपनाते हुए न्यायालय को समाज की घृणा, घोर आक्रोश और मंद बुद्धि वाली तथा अशक्तता से ग्रसित अप्राप्तवय कन्याओं, वृद्ध और शिथिल महिलाओं पर किए गए लैंगिक हमलों जैसे अनेक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए । इस संबंध में दिए गए उदाहरण केवल दृष्टांत मात्र हैं न कि सर्वांगीण । न्यायालय मृत्यु दंड इसलिए अधिनिर्णीत करते हैं कि सांविधानिक बाध्यता के कारण परिस्थिति की यही मांग होती है जिससे न्यायाधीशों की नहीं अपितु समाज के लोगों की इच्छा प्रतिबिंबित होती है ।"

48. परिणामतः, अभियुक्त-अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर द्वारा फाइल की गई याचिका मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन की गई उसकी दोषसिद्धि धारा 376 के अधीन परिवर्तित की जाती है और उसे 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगना होगा तथा 1,000/- रुपए जुर्माने का संदाय करना होगा जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । तथापि, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन की गई अभियुक्त मोहन कथाट की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रखे जाते हैं । उसे प्रत्येक अपराध के लिए अधिनिर्णीत दंडादेश साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया जाता है । विचारण न्यायालयों के निर्णय इसी सीमा तक उपान्तरित किए जाते हैं ।

49. अभियुक्त-अपीलार्थी मोहन कथाट द्वारा फाइल की गई अपील भागतः मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) के अधीन की गई उसकी दोषसिद्धि दंड संहिता की धारा 376 के अधीन परिवर्तित की जाती है और उसे 1,000/- रुपए जुर्माने के साथ दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर छह मास का अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है । तथापि, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी मोहन कथाट की दोषसिद्धि और दंडादेश कायम रहेंगे । यह निदेश दिया जाता है कि उसे प्रत्येक अपराध के लिए अधिनिर्णीत दंडादेश साथ-साथ चलेंगे । विचारण न्यायालय का निर्णय उसी सीमा तक उपान्तरित किया जाता है ।

50. तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437क के उपबंधों को दृटिगत करते हुए अपीलार्थी साबिर **उर्फ** शब्बीर को 20,000/- रुपए का निजी बंधपत्र और इतनी ही रकम का जमानत बंधपत्र इस न्यायालय के उप रजिस्ट्रार के समक्ष निपादित करने का निदेश दिया जाता है जो छह मास की अवधि के लिए प्रभावी होगा जिसमें यह परिवचन करना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेा याचिका फाइल किए जाने की स्थिति में या इजाजत मंजूर किए जाने पर, वह उसका नोटिस प्राप्त होने पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा ।

51. शिकायतकर्ता-याची द्वारा फाइल किया गया पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है ।

52. रजिस्ट्री विभाग को यह निदेश दिया जाता है कि इस मामले से संबंधित प्रत्येक फाइल के अभिलेख के साथ इस निर्णय की एक प्रति संलग्न की जाए ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

अस.

(2017) 2 दा. नि. प. 154 **हिमाचल प्रदेश**

जय बहादुर उर्फ **राजू**

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 23 मई, 2017

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 439 [सपठित स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21, 61 और 85] – आवेदक के कब्जे से विनिषिद्ध माल की बरामदगी – यदि कोरेक्स की 100 मिली लीटर बोतल में (कोडिन फास्फेट) विनिषिद्ध ओषधि की मात्रा 2.006 मिली ग्राम है तो इसे वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा माना जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 37 की कठोरता लागू नहीं होगी ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 439 – जमानत आवेदन – यदि आवेदक की विचारण के दौरान भागने की कोई संभावना नहीं है और आवेदक अन्वेषण के दौरान अन्वेषक अधिकारी को पूरी तरह से सहयोग देता है तो आवेदक की जमानत मंजूर की जा सकती है ।

पुलिस द्वारा अभिलेख पर उपरोक्त कराए गए प्रास्थिति रिपोर्ट/उत्तर का परिशीलन करने से यह इंगित होता है कि तारीख 24 दिसम्बर, 2016 को याची जिसे बिना किसी अनुज्ञप्ति के कोरेक्स की 12 बोतल ले जाते हुए पकड़ा गया था । तद्नुसार, उक्त अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के अधीन उसके उपरोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अभिलेख से यह भी प्रकट हुआ है कि चूंकि तारीख 24 दिसम्बर, 2016 को जमानत याची को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था और याची से मनःप्रभावी पदार्थ की पूर्वोक्त की बरामदगी के अनुसरण में याची से बोतल बरामद की गई थी जिन्हें रसायनिक विश्लेषण के लिए राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जुंगा भेजा गया था । राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला ने अपने रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रदर्शित कोरेक्स में कोडिन फास्फेट मौजूद है । अभिलेख से यह भी प्रकट हुआ है कि तारीख 21 मार्च, 2017 को विधि सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया था । आवेदक द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया, जमानत मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला की पूर्वोक्त रिपोर्ट के अनुसार "कोडिन फास्फेट" अर्थात् प्रतिषिद्ध ओषधि कोरेक्स के 100 मिली लीटर बोतल में 2.006 मिली ग्राम पाया गया था । इससे यह अभिप्रेत है कि कोरेक्स की बरामदगी की एक बोतल में प्रतिषिद्ध ओषधि की मात्रा 2.006 मिली ग्राम है । यदि बरामद की गई सभी 12 बोतल को विचार में लिया जाए तो कम मात्रा से भी कम मात्रा का प्रकट होना पाया गया है । यह भी ध्यान में आया है कि राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला ने जब यह निष्कर्ष निकाला कि कोरेक्स के 100 मिली लीटर बोतल में 2.006 मिली ग्राम कोडिन फास्फेट पाया गया है तब कोरेक्स के एक बोतल में शेष अंतर्वस्तु या मिश्रण के बारे में कहीं भी कोई राय प्रकट नहीं की गई है । इसलिए उस बात के अभाव में केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोरेक्स की 100 मिली लीटर बोतल में कोडिन फास्फेट की थोड़ी मात्रा अर्थात् 2.006 मिली ग्राम मौजूद है । इस न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णयों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इस न्यायालय का एक समान मत को एक ही

तथ्यों और परिस्थितियों पर जमानत मंजूर करने के लिए विचार में लिया जाए, स्वीकृततः जिन परिस्थितियों में कोरेक्स के बोतलों को बरामद किया गया था, निर्विवादतः मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा ब्योरेवार रूप में विचार किया जाना/परीक्षा किया जाना अपेक्षित है । अधिनियम की धारा 2 खंड(VII-क) और (XXII-क) के अधीन विहित की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि ओषधि अर्थात् "कोडिन" की 10 ग्राम थोड़ी मात्रा के रूप में विहित की गई है जबकि वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम या उससे अधिक विहित की गई है । वर्तमान मामले में स्वीकृततः प्रतिषिद्ध ओषधि की मात्रा अर्थात् "कोडिन फास्फेट" कम मात्रा से भी कम है जैसाकि राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से स्पष्ट है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है । उपरोक्त बातों के अतिरिक्त श्री नेगी विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अनुदेशों के अधीन ऋजुतापूर्वक यह कथन किया है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण पूरा हो चुका है और यह मामला आरोप विरचित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस प्रकार, इस न्यायालय का यह मत है कि याची से अभिरक्षा में पूछताछ अपेक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त याची पिछले पांच मास से अभिरक्षा में है और इस प्रकार वह जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है । अन्यथा यह भी प्रकट है कि सामान्य नियम जमानत है न कि कारागार । न्यायालय को जमानत मंजूर करते हुए अभियोग की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए जिसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति दंड की तीव्रता जो दोषसिद्धि के लिए होगी, अभियुक्त का आचरण और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत विशिष्ट रूप से अपराध में अभियुक्त अंतर्वलित रहा हो । वर्तमान मामले में, याची ने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अभिकरण से पूरी तरह सहयोग किया है और विचारण के दौरान उसके भागने की कोई संभावना नहीं है । उपरोक्त बातों से अलग वह उस क्षेत्र का स्थानीय निवासी है और विचारण के दौरान किसी भी समय पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सकती है । उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को अपने विवेक में रखते हुए अधिकथित किया जो जमानत याचिका का विनिश्चय करने के लिए बताए गए हैं : – (i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था ; (ii) अभियुक्त की प्रकृति और उसकी गुणता ; (iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता ; (iv) यदि अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त हो

जाता है तो अभियुक्त के फरार होने या भागने के खतरे ; (v) चरित्र, व्यवहार अर्थात् अभियुक्त की प्रास्थिति और उसके मानक ; (vi) अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना ; (vii) साक्षियों को प्रभाव में लिए जाने की युक्तियुक्त आशंका ; (viii) जमानत की मंजूरी पर न्याय को निष्फल करने की दिशा में ले जाने का खतरा । परिणामस्वरूप, इसमें ऊपर किए गए ब्योरेवार चर्चा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका मंजूर की जाती है और याची के लिए 50,000/- रुपए की राशि का वैयक्तिक बंधपत्र और उसी राशि का एक प्रतिभू पेश करने पर संबंधित न्यायालय के समाधान पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया जाता है और वह निम्नलिखित शर्तों से भी आबद्ध रहेगा :– (i) जब भी उसे बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए सम्मिलित होगा और सुनवाई के प्रत्येक दिन विचारण न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा । यदि ऐसा करने पर किसी कारण से रुकता है तो समुचित आवेदन फाइल करके हाजिर होने से छूट पाने की ईप्सा करेगा ; (ii) वह अभियोजन साक्ष्य में हेरफेर नहीं करेगा और न मामले के अन्वेषण में किसी भी तरह रुकावट डालेगा ; (iii) वह मामले के तथ्यों से जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को धमकी प्रलोभन नहीं देगा जिससे कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष या अन्वेषण अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाए ; (iv) वह न्यायालय के पूर्व अनुज्ञप्ति बिना भारत के राज्य क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं । यह स्पष्ट है कि यदि याची अपने पर अधिरोपित किसी शर्त पर अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग या उनका अतिक्रमण करता है तब अन्वेषण अधिकरण इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि अभियुक्त की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करें । (पैरा 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	2013 (3) हिमाचल ला रिपोर्ट (एफ. बी.) 1834 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **महबूब खान** ;	7,10,11,12
[2010]	(2010) 14 एस. सी. सी. 496 : **प्रशांता कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य** ।	18

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. (एम.) सं. 592.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के अधीन वर्तमान याचिका फाइल की गई ।

याची की ओर से श्री दीपक कौशल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री पी. एम. नेगी और एम. एल. चौहान, अपर महाधिवक्तागण

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – याची द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 21, 61 और 85 के अंतर्गत पुलिस थाना सदर नहान जिला सिरमोर में तारीख 24 दिसम्बर, 2016 को दर्ज की गई 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 159 में नियमित जमानत मंजूर करने के लिए अनुरोध करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन वर्तमान याचिका फाइल की गई ।

2. तारीख 29 मई, 2017 के आदेश के क्रम में हेड कांस्टेबल पंकज चंदेज सं. 68, एसआईयू नहान जिला सिरमोर, हिमाचल प्रदेश अभिलेख के साथ न्यायालय में उपस्थित हुआ । अभिलेख का परिशीलन किया गया और उसे वापस भेज दिया गया ।

3. पुलिस द्वारा अभिलेख पर उपरोक्त कराए गए प्रास्थिति रिपोर्ट/उत्तर का परिशीलन करने से यह इंगित होता है कि तारीख 24 दिसम्बर, 2016 को याची जिसे बिना किसी अनुज्ञप्ति के कोरेक्स की 12 बोतल ले जाते हुए पकड़ा गया था । तद्नुसार, उक्त अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के अधीन उपरोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अभिलेख से यह भी प्रकट हुआ है कि चूंकि तारीख 24 दिसम्बर, 2016 को जमानत याची को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया था और याची से मनःप्रभावी पदार्थ की पूर्वोक्त की बरामदगी के अनुसरण में याची से बोतल बरामद की गई थीं जिन्हें रसायनिक विश्लेषण के लिए राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जुंगा भेजा गया था । राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला ने अपने रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रदर्शित कोरेक्स में कोडिन फास्फेट मौजूद है । अभिलेख से यह भी प्रकट हुआ है कि तारीख 21 मार्च, 2017 को विधि सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया गया था ।

4. श्री पी. एम. नेगी विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने प्रास्थिति रिपोर्ट/उत्तर जैसाकि इसमें ऊपर उल्लेख किया गया है, पर इस न्यायालय का ध्यान

दिलाते हुए याची के ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा जमानत मंजूरी के लिए किए गए अनुरोध का विरोध किया गया । विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह दलील दी थी कि विनिषिद्ध माल/मनःप्रभावी पदार्थ जो याची से बरामद किया गया था, वाणिज्यिक मात्रा के अंतर्गत आता है और इस प्रकार याची की जमानत मंजूर करने की प्रार्थना पर विचार करते हुए कोई उदारता नहीं बरती जा सकती है ।

5. याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री दीपक कौशल ने **अंकुश चौहान** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** जिसका विनिश्चय तारीख 25 अप्रैल, 2017 को किया गया जिसका शीर्षक दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 432/2017 तथा **प्रशांत चौहान** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** जिसका विनिश्चय 15 जुलाई, 2016 को किया गया और इस मामले का शीर्षक दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 817/2016 है । इन मामलों में समन्वित पीठ द्वारा पारित किए गए इस न्यायालय के निर्णयों की ओर ध्यान दिलाते हुए याची के पक्ष में जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया गया और यह दलील दी गई कि केवल बोतलों में रखे गए मनःप्रभावी पदार्थ का प्रतिषिद्ध ओषधि अर्थात् (कोडिन फास्फेट) की मात्रा का निर्धारण करते हुए उन बोतलों को विचारण में लिया जाना अपेक्षित है न कि बरामद की गई कोरेक्स की बोतलों में संपूर्ण मिश्रण पर विचार नहीं किया जाएगा जबकि राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है तब याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि रिपोर्ट के अनुसार केवल 2.006 मिली ग्राम (कोडिन फास्फेट) कोरेक्स के 100 मिली लीटर के एक बोतल में पाई गई है और इस प्रकार सभी बरामद की गई 12 बोतलों पर विचार किया जाए तब मात्रा निश्चित रूप से कम मात्रा से भी कम है और इस प्रकार याची जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है ।

6. अंततः याची की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि जमानत के लिए आवेदन करने वाला याची 24 दिसम्बर, 2016 से अभिरक्षा में है और पांच मास से भी अधिक समय बीत चुका है और यद्यपि दलीलों से यह उपधारणा की जाती है कि याची ने अधिनियम की धारा 21 में अंतर्विष्ट उपबंध का अतिक्रमण किया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिकतम दंड एक वर्ष का किया गया है यदि विनिषिद्ध माल थोड़ी मात्रा में है ।

7. श्री पी. एम. नेगी विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने यह याची की ओर

से विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए पूर्वोक्त निवेदन का खंडन किया है और यह दलील दी है कि सुस्थापित विधि के अनुसार बरामद किए गए बोतलों में संपूर्ण सामग्री को मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करते समय विचारण में लिया जाना अपेक्षित है । श्री नेगी ने यह भी दलील दी है कि यदि राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट को संपूर्णता में पढ़ा जाए तो इससे स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि कोडिन फास्फेट प्रदर्शित कोरेक्स में मौजूद है और इस प्रकार ऐसी कोई कल्पना नहीं की जानी चाहिए जिस पर यह दलील दी जा सके कि याची-अभियुक्त से बरामद किए गए विनिषिद्ध माल या मनःप्रभावी पदार्थ की कम मात्रा है । श्री नेगी ने अपनी पूर्वोक्त दलील को सिद्ध करने के विचार से **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **महबूब खान**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए निर्णय की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया ।

8. पूर्वोक्त बातों के अतिरिक्त श्री नेगी ने **पुरुदुमन जुस्ता** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** जिसका तारीख 8 जुलाई, 2016 को विनिश्चय किया गया है और इस मामले का शीर्षक दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 450/2016 तथा **ओम पाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** जिसका विनिश्चय तारीख 6 मई, 2014 को किया गया और इस मामले का शीर्षक दांडिक प्रकीर्ण याचिका (एम.) सं. 502/2014 है । इन मामलों में समन्वित पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णयों का भी अवलंब लिया गया जिनसे यह इंगित होता है कि याची अभियुक्त से बरामद किया गया अभिकथित संपूर्ण विनिषिद्ध माल/मनःप्रभावी पदार्थ को प्रतिषिद्ध ओषधि की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया जाना अपेक्षित है ।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सावधानी के साथ मामले के अभिलेखों का परिशीलन किया ।

10. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलों/किए गए निवेदनों के गुणागुण का उल्लेख करने से पूर्व तथा इसमें ऊपर उद्धृत विधि का भी उल्लेख करने से पूर्व यह न्यायालय **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **महबूब खान** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णय के सुसंगत भाग का उल्लेख करना उपयुक्त समझता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

"(ङ)...... कैनाविस रिजिन (धूना) न केवल पृथक् रिजिन है

[1] 2013 (3) हिमाचल ला रिपोर्ट (एफ. बी.) 1834.

जब तक इसे शुद्धिकरण रूप में न रखा जाता हो परंतु जब यह क्रूड रूप में या फिर भी पौधे के अन्य भाग में मिश्रित न हो इसलिए पौधे के अन्य भाग अर्थात् क्रूड रूप के साथ मिश्रित रिजिन को औपचारिक रूप से उसका यह अर्थान्वयन किया जाता है कि यह भी चरस है और विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए उसका कभी भी यह आशय नहीं रहा है कि मिश्रण अर्थात् पौधे के अन्य भाग के रूप में रिजिन के भार को तब तक अपवर्जित नहीं किया गया है जब तक कि ऐसे मिश्रण से कुछ अन्य प्राकृतिक पदार्थ का होना साबित न हो जाए और कैनाविस पौधे का अन्य भाग न माना जाए । जब एक बार विशेषज्ञ ने अपनी राय अभिव्यक्त की है कि अपेक्षित परीक्षाओं को करने के पश्चात् उन्होंने पाया है कि ढेर में मौजूद रिजिन जो चरस के रूप में रिजिनियस ढेर है और परीक्षाओं को करने के पश्चात् यदि विशेषज्ञ की यह राय है कि संपूर्ण ढेर चरस के नमूने के रूप में है, तो इस तरह विशेषज्ञ द्वारा अभिव्यक्त की गई राय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है और न किसी आधार पर रिपोर्ट की ग्राह्यता को समुचित माना जाएगा जिसमें नमूने की अंतर्वस्तु टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल या रिजिन की प्रतिशतता का उल्लेख नहीं किया जाना भी सम्मिलित है ।

(च) ....टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल और सिसटोलेसित हेयर के मौजूदगी का अवलोकन करने के पश्चात् जब विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नमूने में रिजिन की अंतर्वस्तु सम्मिलित है तब यह अभिनिर्धारित करना अत्यधिक पर्याप्त होगा कि नमूना चरस का है और विशेषज्ञ द्वारा इस तरह अभिव्यक्त किया गया मत सामान्यतया को सम्मान दिया जाना चाहिए और इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए । निःसंदेह प्राकृतिक सामग्री जिसे कैनाविस पौधे से प्राप्त नहीं किया गया है उसे कैनाविस पौधों के रिजिन के रूप में नहीं माना जा सकता बल्कि रिजिन कैनाविस पौधों से प्राप्त किया गया होना चाहिए जो क्रूड रूप में या शुद्धिकरण रूप में हो सकता है । सामान्य रूप से चरस हाथ से बनाई हुई ओषधि है जिसे कैनाविस पौधे के अर्क से निकाला जाता है । इसलिए कैनाविस के किसी भी रूप में बिना किसी प्राकृतिक सामग्री के कोई मिश्रण को निषिद्ध वस्तु के रूप में विचार किया जाना चाहिए । कोई सान्द्रता और रिजिन की प्रतिशत अधिनियम के अधीन चरस के रूप में विहित नहीं की है ।"

11. इस न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् ऐसा कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता कि विनिषिद्ध माल/मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करते हुए अभियुक्त से बरामद की गई संपूर्ण विनिषिद्ध माल को मनःप्रभावी पदार्थ की मात्रा का निर्धारण करने के लिए विचार में लिया जाना अपेक्षित है, परंतु यदि पूर्ण रिट द्वारा दिए गए पूर्वोक्त निर्णय का संपूर्ण रूप से परिशीलन किया जाए तो पूर्ण पीठ ने विनिर्दिष्ट रूप से यह निष्कर्ष/मत व्यक्त किया है कि विधान-मंडल ने अपने विवेक का प्रयोग करके मिश्रण के भार अर्थात् राल (रिजिन) के पौधे के अन्य भाग को अपवर्जित करने का कभी भी कोई आशय नहीं रहा है जब तक कि ऐसा मिश्रण से कुछ अन्य प्राकृतिक पदार्थ की बात सिद्ध न हो जाए और कैनाविस पौधे के अन्य भाग को नहीं लिया जाएगा । इसमें ऊपर निर्दिष्ट मामले में यह विवाद रहा है कि क्या अभियुक्त से अभिकथित रूप से बरामद की गई चरस के ढेर रिजिन की मात्रा का निर्धारण करते हुए विचार में लिया जाना अपेक्षित है/था । यदि इसमें से किसी भाग को अपवर्जित किया गया है या अपवर्जित किया गया था पूर्वोक्त निर्णय में पूर्ण न्यायपीठ ने विनिर्दिष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि अलग किया गया रजिन भी कैनाविस रिजिन है और इस प्रकार क्या इसका क्रूड रूप में शुद्धिकरण किया गया है । इस बात को भी मात्रा का निर्धारण करते समय विचार में लिया जाना अपेक्षित है । **महबूब खान** (उपरोक्त) वाले मामले में पूर्ण पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णय का जहां तक संबंध है इसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कैनाविस का संपूर्ण पौधा या उसकी कोई सामग्री यदि किसी तरह कैनाविस पौधे की किसी भाग का अर्क निकाला गया है तब चरस/विनिषिद्ध माल की मात्रा का अवधारण करते समय उसे सम्मिलित किए जाना अपेक्षित है । पूर्ण पीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जब एक बार विशेषज्ञ ने अपनी यह राय अभिव्यक्त की है कि अपेक्षित परीक्षा को संचालित करने के पश्चात् उन्होंने ढेर में रिजिन मौजूद पाया है और क्योंकि चरस रालदार मात्रा में है तथा परीक्षा करने के पश्चात् यदि विशेषज्ञ की यह राय है कि संपूर्ण मात्रा साधारण चरस के रूप में है और उनकी राय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता ।

12. इस न्यायालय ने पुनरावृत्ति करते हुए **महबूब खान** (उपरोक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ द्वारा पारित किए गए निर्णय का परिशीलन किया है और यह मत व्यक्त करने की इच्छा की है कि जब पूर्ण

न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कैनाविस का संपूर्ण पौधा और यदि उसकी सामग्री से कैनाविस पौधे के किसी भाग से कोई अर्क निकाला जाता है तो चरस/विनिषिद्ध माल की मात्रा का निर्धारण करते समय उस अर्क को भी सम्मिलित किया जाना अपेक्षित है, निश्चित रूप से इसमें केवल यह विवेक प्रकट है कि बरामद किए गए विनिषिद्ध माल के मिश्रण में यदि कोई मिश्रण है तो उसे किसी अन्य प्राकृतिक पदार्थ के रूप में साबित किया जाना चाहिए न कि कैनाविस पौधे के अन्य भाग के रूप में । यदि ऐसा है तो विनिषिद्ध मात्रा का निर्धारण करते समय उसे अपवर्जित किया जाना अपेक्षित है ।

13. इस प्रक्रम पर राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट को पेश किया जाना लाभदायक होगा जो इस प्रकार है :–

> "भिन्न-भिन्न वैज्ञानिक परीक्षण जैसे भौतिक पहचान, रासायनिक परीक्षण, रंग संबंधी परीक्षण तथा मात्रात्मक परीक्षणों का प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषण किया गया था जिसमें एक रूप नमूना के संदर्भ में कोरेक्स कहकर प्रदर्शित किया गया था । उपरोक्त परीक्षण कोरेक्स के नमूने के रूप में कोडिन फास्फेट की उपस्थिति उपदर्शित करने पर किए गए थे । इसका मात्रात्मक विश्लेषण करने पर कोडिन फास्फेट कोरेक्स के 100 मिली लीटर बोतल में 2.006 मिली ग्राम पाया गया था । इस प्रकार नीचे वर्णित परिणाम पाए गए थे । कोडिन फास्फेट कोरेक्स के रूप में दर्शाए गए प्रदर्श में मौजूद हैं ।"

14. राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला की पूर्वोक्त रिपोर्ट के अनुसार "कोडिन फास्फेट" अर्थात् प्रतिषिद्ध ओषधि कोरेक्स के 100 मिली लीटर बोतल में 2.006 मिली ग्राम पाया गया था । इससे यह अभिप्रेत है कि कोरेक्स की बरामदगी की एक बोतल में प्रतिषिद्ध ओषधि की मात्रा 2.006 मिली ग्राम है । यदि बरामद की गई सभी 12 बोतल को विचार में लिया जाए तो कम मात्रा से भी कम मात्रा का प्रकट होना पाया गया है । यह भी ध्यान में आया है कि राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला ने जब यह निष्कर्ष निकाला कि कोरेक्स के 100 मिली लीटर बोतल में 2.006 मिली ग्राम कोडिन फास्फेट पाया गया है तब कोरेक्स के एक बोतल में शेष अंतर्वस्तु या मिश्रण के बारे में कहीं भी कोई राय प्रकट नहीं की गई है । इसलिए उस बात के अभाव में केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कोरेक्स की 100 मिली लीटर बोतल में कोडिन फास्फेट की थोड़ी मात्रा

अर्थात् 2.006 मिली ग्राम मौजूद है ।

15. इस न्यायालय द्वारा **अंकुश चौहान** (उपरोक्त) और **प्रशांत चौहान** (उपरोक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा पारित किए निर्णयों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इस न्यायालय का एक समान मत को एक ही तथ्यों और परिस्थितियों पर जमानत मंजूर करने के लिए विचार में लिया जाए, स्वीकृततः जिन परिस्थितियों में कोरेक्स की बोतलों को बरामद किया गया था ।

16. निर्विवादतः मामले के पूर्वोक्त पहलू पर विचारण के दौरान विचारण न्यायालय द्वारा ब्योरेवार रूप में विचार किया जाना/परीक्षा किया जाना अपेक्षित है । अधिनियम की धारा 2 खंड (VII-क) और (XXII-क) के अधीन विहित की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का परिशीलन करने पर यह इंगित होता है कि ओषधि अर्थात् "कोडिन" की 10 ग्राम थोड़ी मात्रा के रूप में विहित की गई है जबकि वाणिज्यिक मात्रा 1 किलोग्राम या उससे अधिक विहित की गई है । वर्तमान मामले में स्वीकृततः प्रतिषिद्ध ओषधि की मात्रा अर्थात् "कोडिन फास्फेट" कम मात्रा से भी कम है जैसाकि राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट से स्पष्ट है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 37 की कठोरता वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है ।

17. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त श्री नेगी विद्वान् अपर महाधिवक्ता ने अनुदेशों के अधीन ऋजुतापूर्वक यह कथन किया है कि वर्तमान मामले में अन्वेषण पूरा हो चुका है और यह मामला आरोप विरचित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है और इस प्रकार इस न्यायालय का यह मत है कि याची से अभिरक्षा में पूछताछ अपेक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त याची पिछले पांच मास से अभिरक्षा में है और इस प्रकार वह जमानत पर निर्मुक्त होने का हकदार है । अन्यथा यह भी प्रकट है कि सामान्य नियम जमानत है न कि कार्रवाई । न्यायालय को जमानत मंजूर करते हुए अभियोग की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए जिसके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति दंड की तीव्रता जो दोषसिद्धि के लिए होगी, अभियुक्त का आचरण और परिस्थितियां जिनके अंतर्गत विशिष्ट रूप से अपराधमय अभियुक्त अंतर्वलित रहा हो । वर्तमान मामले में, याची ने अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अभिकरण से पूरी तरह सहयोग किया है और विचारण के दौरान उसके भागने की कोई संभावना नहीं है । उपरोक्त बातों से अलग वह उस क्षेत्र का स्थानीय निवासी है और विचारण के दौरान किसी भी

समय पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सकती है ।

18. **प्रशांता कुमार सरकार** बनाम **आशीष चटर्जी और एक अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांतों को अपने विवेक में रखते हुए अधिकथित किया जो जमानत याचिका का विनिश्चय करने के लिए बताए गए हैं :–

(i) क्या यह विश्वास करने के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या या युक्तियुक्त आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया था ;

(ii) अभियुक्त की प्रकृति और उसकी गुणता ;

(iii) दोषसिद्धि की दशा में दंड की तीव्रता ;

(iv) यदि अभियुक्त जमानत पर निर्मुक्त हो जाता है तो अभियुक्त के फरार होने या भागने के खतरे ;

(v) चरित्र, व्यवहार अर्थात् अभियुक्त की प्रास्थिति और उसके मानक ;

(vi) अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना ;

(vii) साक्षियों को प्रभाव में लिए जाने की युक्तियुक्त आशंका ;

(viii) जमानत की मंजूरी पर न्याय को निष्फल करने की दिशा में ले जाने का खतरा ।

19. परिणामस्वरूप इसमें ऊपर किए गए ब्योरेवार चर्चा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका मंजूर की जाती है और याची के लिए 50,000/- रुपए की राशि का वैयक्तिक बंधपत्र और उसी राशि का एक प्रतिभू पेश करने पर संबंधित न्यायालय के समाधान पर जमानत पर निर्मुक्त किए जाने का आदेश किया जाता है और वह निम्नलिखित शर्तों से भी आबद्ध रहेगा :–

(i) जब भी उसे बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए सम्मिलित होगा और सुनवाई के प्रत्येक दिन विचारण न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होगा । यदि ऐसा करने पर किसी कारण से रुकता है तो समुचित आवेदन फाइल करके हाजिर होने से छूट पाने की ईप्सा करेगा ;

---

[1] (2010) 14 एस. सी. सी. 496.

(ii) वह अभियोजन साक्ष्य में हेरफेर नहीं करेगा और न मामले के अन्वेषण में किसी भी तरह रुकावट डालेगा ;

(iii) वह मामले के तथ्यों से जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को धमकी प्रलोभन नहीं देगा जिससे कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय के समक्ष या अन्वेषण अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो जाए ;

(iv) वह न्यायालय के पूर्व अनुज्ञप्ति बिना भारत के राज्य क्षेत्र को छोड़ेगा नहीं ।

20. यह स्पष्ट है कि यदि याची अपने पर अधिरोपित किसी शर्त पर अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग या उनका अतिक्रमण करता है तब अन्वेषण अधिकरण इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि अभियुक्त की जमानत को रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश करें ।

21. इसमें ऊपर उल्लिखित की गई मताभिव्यक्तियां से इस याचिका के निपटारे होने तक मामले को परिबद्ध करेगी और मामले के गुणागुण पर कोई खर्चों का वहन नहीं किया जाएगा ।

आवेदन का निपटारा किया जाता है ।

आर्य

गतांक से आगे............

अध्याय 25

विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध

328. अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया – (1) जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है विकृतचित्त है और परिणामतः अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तब मजिस्ट्रेट ऐसी चित्त-विकृति के तथ्य की जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की परीक्षा उस जिले के सिविल सर्जन या अन्य ऐसे चिकित्सक अधिकारी द्वारा कराएगा, जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, और फिर ऐसे सिविल सर्जन या अन्य अधिकारी की साक्षी के रूप में परीक्षा करेगा और उस परीक्षा को लेखबद्ध करेगा ।

[1][(1क) यदि सिविल सर्जन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल, उपचार और अवस्था के पूर्वानुमान के लिए मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी को निर्दिष्ट करेगा और, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा कि अभियुक्त चित्त-विकृति या मानसिक मंदता से ग्रस्त है अथवा नहीं :

परंतु यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष, अपील कर सकेगा जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, –

(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा एकक प्रमुख ; और

(ख) निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का सदस्य ।]

(2) ऐसी परीक्षा और जांच लंबित रहने तक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के बारे में धारा 330 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है ।

[2][(3) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 25 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 25 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1क) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त का व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे यह अवधारित करेगा कि क्या चित्त-विकृति अभियुक्त को प्रतिरक्षा करने में असमर्थ बनाती है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा तथा अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् किंतु अभियुक्त से प्रश्न किए बिना, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है तो वह जांच को मुल्तवी करने की बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है जिसके संबंध में विकृतचित्त होने का निष्कर्ष निकाला गया है तो वह कार्यवाही को ऐसी अवधि के लिए मुल्तवी कर देगा जो मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है और यह आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रूप में कार्यवाही की जाए ।

(4) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट को यह सूचना दी जाती है कि उपधारा (1क) में निर्दिष्ट व्यक्ति मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्ति है तो मजिस्ट्रेट आगे इस बारे में अवधारित करेगा कि मानसिक मंदता के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट जांच बंद करने का आदेश देगा और अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा ।]

329. न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया – (1) यदि किसी मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के विचारण के समय उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को वह व्यक्ति विकृतचित्त और परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ प्रतीत होता है, तो वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, प्रथमतः ऐसी चित्त-विकृति और असमर्थता के तथ्य का विचारण करेगा और यदि उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय का ऐसे चिकित्सीय या अन्य साक्ष्य पर, जो उसके समक्ष पेश किया जाता है, विचार करने के पश्चात् उस तथ्य के बारे में समाधान हो जाता है तो वह उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और मामले में

आगे की कार्यवाही मुल्तवी कर देगा ।

[1][(1क) यदि मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय विचारण के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है तो वह ऐसे व्यक्ति को देखभाल और उपचार के लिए मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी को निर्देशित करेगा और, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी मजिस्ट्रेट या न्यायालय को रिपोर्ट करेगा कि अभियुक्त चित्त-विकृति से ग्रस्त है या नहीं :

परंतु यदि अभियुक्त, यथास्थिति, मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना से व्यथित है तो वह चिकित्सा बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, –

(क) निकटतम सरकारी अस्पताल में मनश्चिकित्सा एकक प्रमुख ; और

(ख) निकटतम चिकित्सा महाविद्यालय में मनश्चिकित्सा संकाय का सदस्य ।]

[2][(2) यदि ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय को सूचना दी जाती है कि उपधारा (1क) में निर्दिष्ट व्यक्ति विकृतचित्त का व्यक्ति है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय आगे अवधारित करेगा कि चित्त-विकृति के कारण अभियुक्त व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है और यदि अभियुक्त इस प्रकार असमर्थ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा और अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् किंतु अभियुक्त से प्रश्न पूछे बिना, यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रथमदृष्ट्या मामला नहीं बनता है, तो वह विचारण को स्थगित करने की बजाय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और उसके संबंध में धारा 330 के अधीन उपबंधित रीति में कार्यवाही करेगा :

परंतु यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है जिसके संबंध में

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 26 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 26 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विकृतचित्त होने का निष्कर्ष निकाला गया है तो वह विचारण को ऐसी अवधि के लिए मुल्तवी कर देगा जो मनश्चिकित्सक या रोग विषयक् मनोविज्ञानी की राय में अभियुक्त के उपचार के लिए अपेक्षित है ।

(3) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और वह मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय विचारण नहीं करेगा और यह आदेश देगा कि अभियुक्त के संबंध में धारा 330 के अनुसार कार्यवाही की जाए ।]

[1][330. **अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना** – (1) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन चित्त-विकृति या मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय, चाहे मामला ऐसा हो जिसमें जमानत ली जा सकती है या ऐसा न हो, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देगा :

परंतु अभियुक्त ऐसी चित्त-विकृति या मानसिक मंदता से ग्रस्त है जो अंतरंग रोगी उपचार के लिए समादेशित नहीं करती हो और कोई मित्र या नातेदार किसी निकटतम चिकित्सा सुविधा से नियमित बाह्य रोगी मनःचिकित्सा उपचार कराने और उसे अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखने का वचन देता है ।

(2) यदि मामला ऐसा है जिसमें, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय की राय में, जमानत नहीं दी जा सकती या यदि कोई समुचित वचनबंध नहीं दिया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे स्थान में रखे जाने का आदेश देगा, जहां नियमित मनःचिकित्सा उपचार कराया जा सकता है और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा :

परंतु पागलखाने में अभियुक्त को निरुद्ध किए जाने के लिए कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) जब कभी कोई व्यक्ति धारा 328 या धारा 329 के अधीन चित्त-

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 27 द्वारा धारा 330 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

विकृति या मानसिक मंदता के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय कारित किए गए कार्य की प्रकृति और चित्त-विकृति या मानसिक मंदता की सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे यह अवधारित करेगा कि क्या अभियुक्त को छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है :

परंतु –

(क) यदि चिकित्सा राय या किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 328 या धारा 329 के अधीन उपबंधित रीति में अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश करने का विनिश्चय करता है तो ऐसे छोड़े जाने का आदेश किया जा सकेगा, यदि पर्याप्त प्रतिभूति दी जाती है कि अभियुक्त को अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित किया जाएगा ;

(ख) यदि, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त के उन्मोचन का आदेश नहीं दिया जा सकता है तो अभियुक्त को चित्त-विकृति या मानसिक मंदता के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा में अंतरित करने का आदेश दिया जा सकता है जहां अभियुक्त की देखभाल की जा सके और समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सके ।]

331. जांच या विचारण को पुनः चालू करना – (1) जब कभी जांच या विचारण को धारा 328 या धारा 329 के अधीन मुल्तवी किया गया है, तब, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच या विचारण को संबद्ध व्यक्ति के विकृतचित्त न रहने पर किसी भी समय पुनः चालू कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने या लाए जाने की अपेक्षा कर सकता है ।

(2) जब अभियुक्त धारा 330 के अधीन छोड़ दिया गया है और उसकी हाजिरी के लिए प्रतिभू उसे उस अधिकारी के समक्ष पेश करते हैं, जिसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय ने इस निमित्त नियुक्त किया है, तब ऐसे अधिकारी का यह प्रमाणपत्र कि अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है साक्ष्य में लिए जाने योग्य होगा ।

332. मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया – (1) जब अभियुक्त, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष

हाजिर होता है या पुनः लाया जाता है, तब यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो, जांच या विचारण आगे चलेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट या न्यायालय का यह विचार है कि अभियुक्त अभी अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, धारा 328 या धारा 329 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और यदि अभियुक्त विकृतचित्त और परिणामस्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाया जाता है तो ऐसे अभियुक्त के बारे में वह धारा 330 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा ।

333. जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थचित्त रहा है – जब अभियुक्त जांच या विचारण के समय स्वस्थचित्त प्रतीत होता है और मजिस्ट्रेट का अपने समक्ष दिए गए साक्ष्य से समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त ने ऐसा कार्य किया है, जो यदि वह स्वस्थचित्त होता तो अपराध होता और यह कि वह उस समय जब वह कार्य किया गया था चित्त-विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप या यह जानने में असमर्थ था, कि यह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, तब मजिस्ट्रेट मामले में आगे कार्यवाही करेगा और यदि अभियुक्त का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो उसे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए सुपुर्द, करेगा ।

334. चित्त-विकृति के आधार पर दोषमुक्ति का निर्णय – जब कभी कोई व्यक्ति इस आधार पर दोषमुक्त किया जाता है कि उस समय जबकि यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया वह चित्त-विकृति के कारण उस कार्य का स्वरूप, जिसका अपराध होना अभिकथित है, या यह कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ था, तब निष्कर्ष में यह विनिर्दिष्टतः कथित होगा कि उसने वह कार्य किया या नहीं किया ।

335. ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना – (1) जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण किया गया है, उस दशा में जब ऐसा कार्य उस असमर्थता के न होने पर, जो पाई गई, अपराध होता, –

(क) उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे

ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा ; अथवा

(ख) उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा ।

(2) पागलखाने में अभियुक्त को निरुद्ध करने का उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(3) अभियुक्त को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उसके ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा निम्नलिखित बातों की बाबत मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद प्रतिभूति देने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं –

(क) सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा ;

(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समय और स्थानों पर, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा ।

(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।

336. भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति – राज्य सरकार उस जेल के भारसाधक अधिकारी को, जिसमें कोई व्यक्ति धारा 330 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन परिरुद्ध है, धारा 337 या धारा 338 के अधीन कारागारों के महानिरीक्षक के सब कृत्यों का या उनमें से किसी का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है ।

337. जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहां प्रक्रिया – यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किया जाता है और, जेल में निरुद्ध

व्यक्ति की दशा में कारागारों का महानिरीक्षक या पागलखाने में निरुद्ध व्यक्ति की दशा में उस पागलखाने की परिदर्शक या उनमें से कोई दो प्रमाणित करें, कि उसकी या उनकी राय में वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो वह, यथास्थिति, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उस समय, जिसे वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय नियत करे, लाया जाएगा और वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में धारा 332 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा, और पूर्वोक्त महानिरीक्षक या परिदर्शकों का प्रमाणपत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकेगा ।

338. जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया – (1) यदि ऐसा व्यक्ति धारा 330 की उपधारा (2) या धारा 335 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध है और ऐसा महानिरीक्षक या ऐसे परिदर्शक प्रमाणित करते हैं कि उसके या उनके विचार में वह अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना छोड़ा जा सकता है तो राज्य सरकार तब उसके छोड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध रखे जाने का या, यदि वह पहले ही लोक पागलखाने नहीं भेज दिया गया है तो ऐसे पागलखाने को अन्तरित किए जाने का आदेश दे सकती है और यदि वह उसे पागलखाने को अन्तरित करने का आदेश देती है तो वह एक न्यायिक और दो चिकित्सक अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकती है ।

(2) ऐसा आयोग ऐसा साक्ष्य लेकर, जो आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति के चित्त की दशा की यथारीति जांच करेगा और राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा, जो उसके छोड़े जाने या निरुद्ध रखे जाने का जैसा वह ठीक समझे, आदेश दे सकती है ।

339. नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए पागल का सौंपा जाना – (1) जब कभी धारा 330 या धारा 335 के उपबंधों के अधीन निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि वह व्यक्ति उसकी देख-रेख और अभिरक्षा में रखे जाने के लिए सौंप दिया जाए जब राज्य सरकार उस नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा ऐसी राज्य सरकार को समाधानप्रद प्रतिभूति इस बाबत दिए जाने पर कि –

(क) सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा ;

(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समय

और स्थानों पर, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा ;

(ग) सौंपा गया व्यक्ति, उस दशा में जिसमें वह धारा 330 की उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध व्यक्ति है, अपेक्षा किए जाने पर ऐसे मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा,

ऐसे व्यक्ति को ऐसे नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे सकेगी ।

(2) यदि ऐसे सौंपा गया व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त है, जिसका विचारण उसके विकृतचित्त होने और अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होने के कारण मुल्तवी किया गया है और उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट निरीक्षण अधिकारी किसी समय मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करता है कि ऐसा व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय उस नातेदार या मित्र से, जिसे ऐसा अभियुक्त सौंपा गया है, अपेक्षा करेगा कि वह उसे उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष पेश करे और ऐसे पेश किए जाने पर वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय धारा 332 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा और निरीक्षण अधिकारी का प्रमाणपत्र साक्ष्य के तौर पर ग्रहण किया जा सकता है ।

अध्याय 26

न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध

340. धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया – (1) जब किसी न्यायालय की, उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्यवाही में पेश की गई या साक्ष्य में दी गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, –

(क) उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है ;

(ख) उसका लिखित परिवाद कर सकता है ;

(ग) उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकता है ;

(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है अथवा यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है ; और

(ङ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकता है ।

(2) किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है ।

(3) इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर, –

(क) जहां परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहां उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे ;

[1][(ख) किसी अन्य मामले में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, किए जाएंगे ।]

(4) इस धारा में "न्यायालय" का वही अर्थ है जो धारा 195 में है ।

341. अपील – (1) कोई व्यक्ति, जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय ने धारा 340 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद करने से इनकार कर दिया है या जिसके विरुद्ध ऐसा परिवाद ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है, उस न्यायालय में अपील कर सकता है, जिसके ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा 195 की उपधारा (4) के अर्थ में अधीनस्थ है और तब वरिष्ठ न्यायालय संबद्ध पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात्, यथास्थिति, उस परिवाद को वापस लेने का या वह परिवाद करने का जिसे ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा 340 के अधीन कर सकता था, निदेश दे सकेगा और यदि वह ऐसा परिवाद करता है तो उस धारा के

---

[1] 2006 के अधिनियम सं. 2 की धारा 6 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उपबंध तद्नुसार लागू होंगे ।

(2) इस धारा के अधीन आदेश, और ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 340 के अधीन आदेश, अंतिम होगा और उसका पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा ।

342. खर्चे का आदेश देने की शक्ति – धारा 340 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए किए गए किसी आवेदन या धारा 341 के अधीन अपील के संबंध में कार्यवाही करने वाले किसी भी न्यायालय को खर्चे के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी, जो न्यायसंगत हो ।

343. जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहां प्रक्रिया – (1) वह मजिस्ट्रेट, जिससे कोई परिवाद धारा 340 या धारा 341 के अधीन किया जाता है, अध्याय 15 में किसी बात के होते हुए भी, जहां तक हो सके मामले में इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, मानो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है ।

(2) जहां ऐसे मजिस्ट्रेट के या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के, जिसे मामला अंतरित किया गया है, ध्यान में यह बात लाई जाती है कि उस न्यायिक कार्यवाही में, जिससे वह मामला उत्पन्न हुआ है, किए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील लंबित है वहां वह, यदि ठीक समझता है तो, मामले की सुनवाई को किसी भी प्रक्रम पर तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक ऐसी अपील विनिश्चित न हो जाए ।

344. मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया – (1) यदि किसी न्यायिक कार्यवाही को निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय कोई सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह राय व्यक्त करता है कि ऐसी कार्यवाही में उपस्थित होने वाले किसी साक्षी ने जानते हुए या जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है या इस आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है कि ऐसा साक्ष्य ऐसी कार्यवाही में प्रयुक्त किया जाए तो यदि उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि साक्षी का, यथास्थिति, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षेपतः विचारण किया जाना चाहिए तो वह ऐसे अपराध का संज्ञान कर सकेगा और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अपराधों का संक्षेपतः विचारण कर सकेगा और उसे कारावास से जिसकी अवधि तीन

मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, दंडित कर सकेगा ।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा ।

(3) जहां न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं होता है वहां इस धारा की कोई बात, अपराध के लिए धारा 340 के अधीन परिवाद करने की उस न्यायालय की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(4) जहां, उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ किए जाने के पश्चात्, सेशन न्यायालय या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत कराया जाता है कि उस निर्णय या आदेश के विरुद्ध जिसमें उस उपधारा में निर्दिष्ट राय अभिव्यक्त की गई है अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है वहां वह, यथास्थिति, अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के निपटाए जाने तक आगे विचारण की कार्यवाहियों को रोक देगा और तब आगे विचारण की कार्यवाहियां अपील या पुनरीक्षण के आवेदन के परिणामों के अनुसार होंगी ।

345. अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया – (1) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, किसी सिविल, दंड या राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है तब न्यायालय अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध करा सकता है और उसी दिन न्यायालय के उठने के पूर्व किसी समय, अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात् अपराधी को दो सौ रुपए से अनधिक जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर एक मास तक की अवधि के लिए, जब तक कि ऐसा जुर्माना उससे पूर्वतर न दे दिया जाए, सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है ।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है, अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित, तथा निष्कर्ष और दंडादेश भी अभिलिखित करेगा ।

(3) यदि अपराध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 228 के अधीन है तो अभिलेख में यह दर्शित होगा कि जिस न्यायालय के कार्य में

विघ्न डाला गया था या जिसका अपमान किया गया था, उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही के संबंध में और उसके किस प्रक्रम पर हो रही थी और किस प्रकार का विघ्न डाला गया या अपमान किया गया था ।

346. जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया – (1) यदि किसी मामले में न्यायालय का यह विचार है कि धारा 345 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए या उस पर दो सौ रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से उस न्यायालय की यह राय है कि मामला धारा 345 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए तो वह न्यायालय उन तथ्यों को जिनसे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात्, मामला उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की हाजिरी के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा ।

(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहां तक हो सके इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है ।

347. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा – जब राज्य सरकार ऐसा निदेश दे तब कोई भी रजिस्ट्रार या कोई भी उप-रजिस्ट्रार, जो [1]*** रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त है, धारा 345 और 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

348. माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन – जब किसी न्यायालय ने किसी अपराधी को कोई बात, जिसे करने की उससे विधिपूर्वक अपेक्षा की गई थी, करने से इनकार करने या उसे न करने के लिए या साशय कोई अपमान करने या विघ्न डालने के लिए धारा 345 के अधीन दंडित

---

[1] 1974 के अधिनियम सं. 56 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा "भारतीय" शब्द का लोप किया गया ।

किए जाने के लिए न्यायनिर्णीत किया है या धारा 346 के अधीन विचारण के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, तब वह न्यायालय अपने आदेश या अपेक्षा के उसके द्वारा मान लिए जाने पर या उसके द्वारा ऐसे माफी मांगे जाने पर, जिससे न्यायालय का समाधान हो जाए, स्वविवेकानुसार अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है या दंड का परिहार कर सकता है ।

349. उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी – यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज या चीज को पेश करने के लिए बुलाया गया है, उन प्रश्नों का, जो उससे किए जाएं, उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में की किसी दस्तावेज या चीज को, जिसे पेश करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करे, पेश करने से इनकार करता है और ऐसे इनकार के लिए कोई उचित कारण पेश करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने पर ऐसा नहीं करता है तो ऐसा न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसे सात दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकेगा अथवा पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारण्ट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा, जब तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा की जाने और उत्तर देने के लिए या दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है और उसके इनकार पर डटे रहने की दशा में उसके बारे में धारा 345 या धारा 346 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

350. समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया – (1) यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए समन किए जाने पर कोई साक्षी समन के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और न्यायसंगत कारण के बिना, उस स्थान या समय पर हाजिर होने में उपेक्षा या हाजिर होने से इनकार करता है अथवा उस स्थान से, जहां उसे हाजिर होना है, उस समय से पहले चला जाता है जिस समय चला जाना उसके लिए विधिपूर्ण है और जिस न्यायालय के समक्ष उस साक्षी को हाजिर होना है उसका समाधान हो जाता है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि ऐसे साक्षी का संक्षेपतः विचारण किया जाए तो वह न्यायालय उस अपराध का संज्ञान कर सकता है और अपराधी को इस बात का कारण दर्शित करने का कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए अवसर देने के पश्चात् उसे एक सौ रुपए से अनधिक जुर्माने

का दंडादेश दे सकता है ।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय उस प्रक्रिया का यथासाध्य अनुसरण करेगा जो संक्षिप्त विचारणों के लिए विहित है ।

351. धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें – (1) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा धारा 344, धारा 345, धारा 349 या धारा 350 के अधीन दंडादिष्ट कोई व्यक्ति, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिक्रियों या आदेशों की अपील मामूली तौर पर होती है ।

(2) अध्याय 29 के उपबंध, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, इस धारा के अधीन अपीलों को लागू होंगे, और अपील न्यायालय निष्कर्ष को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है या उस दंड को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, कम कर सकता है या उलट सकता है ।

(3) लघुवाद न्यायालय द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि की अपील उस सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी जिस खंड में वह न्यायालय स्थित है ।

(4) धारा 347 के अधीन जारी किए गए निदेश के आधार पर सिविल न्यायालय समझे गए किसी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार द्वारा की गई ऐसी दोषसिद्धि से अपील उस सेशन खंड के सेशन न्यायालय में होगी जिस खंड में ऐसे रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है ।

352. कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना – धारा 344, 345, 349 और 350 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न) दंड न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट धारा 195 में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का विचारण उस दशा में नहीं करेगा, जब वह अपराध उसके समक्ष या उसके प्राधिकार का अवमान करके किया गया है अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के दौरान ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की हैसियत में उसके ध्यान में लाया गया है ।

अध्याय 27

निर्णय

353. निर्णय – (1) आरंभिक अधिकारिता के दंड न्यायालय में होने

वाले प्रत्येक विचारण में निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात् तुरन्त या बाद में किसी समय, जिसकी सूचना पक्षकारों या उनके प्लीडरों को दी जाएगी, –

(क) संपूर्ण निर्णय देकर सुनाया जाएगा ; या

(ख) संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाया जाएगा ; या

(ग) अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में निर्णय का प्रवर्तनशील भाग पढ़कर और निर्णय का सार समझाकर सुनाया जाएगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निर्णय दिया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी उसे आशुलिपि में लिखवाएगा और जैसे ही अनुलिपि तैयार हो जाती है वैसे ही खुले न्यायालय में उस पर और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा, और उस पर निर्णय दिए जाने की तारीख डालेगा ।

(3) जहां निर्णय या उसका प्रवर्तनशील भाग, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन पढ़कर सुनाया जाता है, वहां पीठासीन अधिकारी द्वारा खुले न्यायालय में उस पर तारीख डाली जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि वह उसके द्वारा स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा गया है तो निर्णय के प्रत्येक पृष्ठ पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(4) जहां निर्णय उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां संपूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके प्लीडरों के परिशीलन के लिए तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ।

(5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे लाया जाएगा ।

(6) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है तो उससे न्यायालय द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय को सुनने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाएगी, किन्तु उस दशा में नहीं की जाएगी जिसमें विचारण के दौरान उसकी वैयक्तिक हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे दी गई है और दंडादेश केवल जुर्माने का है या उसे दोषमुक्त किया गया है :

परन्तु जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं और उनमें से एक या एक से

अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं हैं जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटाने में अनुचित विलंब से बचने के लिए उनकी अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है ।

(7) किसी भी दंड न्यायालय द्वारा सुनाया गया कोई निर्णय केवल इस कारण विधितः अमान्य न समझा जाएगा कि उसके सुनाए जाने के लिए सूचित दिन को या स्थान में कोई पक्षकार या उसका प्लीडर अनुपस्थित था या पक्षकारों पर या उनके प्लीडरों पर या उनमें से किसी पर ऐसे दिन और स्थान की सूचना की तामील करने में कोई लोप या त्रुटि हुई थी ।

(8) इस धारा की किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह धारा 465 के उपबंधों के विस्तार को किसी प्रकार से परिसीमित करती है ।

354. निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु – (1) इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 353 में निर्दिष्ट प्रत्येक निर्णय –

(क) न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा ;

(ख) अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट करेगा ;

(ग) वह अपराध (यदि कोई हो) जिसके लिए और भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या अन्य विधि की वह धारा, जिसके अधीन अभियुक्त दोषसिद्ध किया गया है, और वह दंड जिसके लिए वह दंडादिष्ट है, विनिर्दिष्ट करेगा ;

(घ) यदि निर्णय दोषमुक्ति का है तो, उस अपराध का कथन करेगा जिससे अभियुक्त दोषमुक्त किया गया है और निदेश देगा कि वह स्वतंत्र कर दिया जाए ।

(2) जब दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन है और यह संदेह है कि अपराध उस संहिता की दो धाराओं में से किसके अधीन या एक ही धारा के दो भागों में से किसके अधीन आता है तो न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा और अनुकल्पतः निर्णय देगा ।

(3) जब दोषसिद्धि, मृत्यु से अथवा अनुकल्पतः आजीवन कारावास से

या कई वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए है, तब निर्णय में, दिए गए दंडादेश के कारणों का और मृत्यु के दंडादेश की दशा में ऐसे दंडादेश के लिए विशेष कारणों का, कथन होगा ।

(4) जब दोषसिद्धि एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है किन्तु न्यायालय तीन मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित करता है, तब वह ऐसा दंड देने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा उस दशा के सिवाय जब वह दंडादेश न्यायालय के उठने तक के लिए कारावास का नहीं है या वह मामला इस संहिता के उपबंधों के अधीन संक्षेपतः विचारित नहीं किया गया है ।

(5) जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निदेश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए ।

(6) धारा 117 के अधीन या धारा 138 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश में और धारा 125, धारा 145 या धारा 147 के अधीन किए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में, अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

355. महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय – महानगर मजिस्ट्रेट निर्णय को इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करेगा, अर्थात् :–

(क) मामले का क्रम संख्यांक ;

(ख) अपराध किए जाने की तारीख ;

(ग) यदि कोई परिवादी है तो उसका नाम ;

(घ) अभियुक्त व्यक्ति का नाम और उसके माता-पिता का नाम और उसका निवास-स्थान ;

(ङ) अपराध जिसका परिवाद किया गया है या जो साबित हुआ है ;

(च) अभियुक्त का अभिवाक् और उसकी परीक्षा (यदि कोई हो) ;

(छ) अंतिम आदेश ;

(ज) ऐसे आदेश की तारीख ;

(झ) उन सब मामलों में, जिनमें धारा 373 के अधीन या धारा

374 की उपधारा (3) के अधीन अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील होती है, निर्णय के कारणों का संक्षिप्त कथन ।

356. पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश – (1) जब कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 215, धारा 489क, धारा 489ख, धारा 489ग या धारा 489घ [1][या धारा 506 (जहां तक वह आपराधिक अभित्रास से संबंधित है जो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय हो)] के अधीन दंडनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12 [1][या अध्याय 16] या अध्याय 17 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है, किसी अपराध के लिए, जो उन धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय है या उन अध्यायों में से किसी के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पुनः दोषसिद्ध किया जाता है तब, यदि ऐसा न्यायालय ठीक समझे तो वह उस व्यक्ति को कारावास का दंडादेश देते समय यह आदेश भी कर सकता है कि छोड़े जाने के पश्चात् उसके निवास-स्थान की और ऐसे निवास-स्थान की किसी तब्दीली की या उससे उसकी अनुपस्थिति की इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से सूचना ऐसे दंडादेश की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक अवधि तक दी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक वे उसमें उल्लिखित अपराधों के संबंध में हैं, उन अपराधों को करने के आपराधिक षड्यंत्र और उन अपराधों के दुष्प्रेरण तथा उन्हें करने के प्रयत्नों को भी लागू होते हैं ।

(3) यदि ऐसी दोषसिद्धि अपील में या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, किया जा सकता है ।

(5) राज्य सरकार, छोड़े गए सिद्धदोषों के निवास-स्थान की या

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 29 द्वारा अंतःस्थापित ।

निवास-स्थान की तब्दीली की या उससे उनकी अनुपस्थिति की सूचना से संबंधित इस धारा के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकती है ।

(6) ऐसे नियम उनके भंग किए जाने के लिए दंड का उपबंध कर सकते हैं और जिस व्यक्ति पर ऐसे किसी नियम को भंग करने का आरोप है उसका विचारण उस जिले में सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है जिसमें उस व्यक्ति द्वारा अपने निवास-स्थान के रूप में अन्त में सूचित स्थान है ।

357. प्रतिकर देने का आदेश – (1) जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश (जिसके अन्तर्गत मृत्यु दंडादेश भी है) देता है जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय वह न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन –

(क) अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्ययों को चुकाने में किया जाए ;

(ख) किसी व्यक्ति को उस अपराध द्वारा हुई किसी हानि या क्षति का प्रतिकर देने में किया जाए, यदि न्यायालय की राय में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है ;

(ग) उस दशा में, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के, या ऐसे अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करने के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, उन व्यक्तियों को, जो ऐसी मृत्यु से अपने को हुई हानि के लिए दंडादिष्ट व्यक्ति से नुकसानी वसूल करने के लिए घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 (1855 का 13) के अधीन हकदार है, प्रतिकर देने में किया जाए ;

(घ) जब कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए, जिसके अन्तर्गत चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग या छल भी है, या चुराई हुई संपत्ति को उस दशा में जब वह यह जानता है या उसको यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराई हुई है बेईमानी से प्राप्त करने या रखे रखने के लिए या उसके व्ययन में स्वेच्छया या सहायता करने के लिए, दोषसिद्ध किया जाए, तब ऐसी संपत्ति के सद्भावपूर्ण क्रेता को, ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में

लौटा दी जाने की दशा में उसकी हानि के लिए, प्रतिकर देने में किया जाए ।

(2) यदि जुर्माना ऐसे मामले में किया जाता है जो अपीलनीय है तो ऐसा कोई संदाय, अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय के पूर्व, नहीं किया जाएगा ।

(3) जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय, अभियुक्त व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि उस कार्य के कारण जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है, जिस व्यक्ति को कोई हानि या क्षति उठानी पड़ी है, उसे वह प्रतिकर के रूप में इतनी रकम दे जितनी आदेश में विनिर्दिष्ट है ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश, अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।

(5) उसी मामले से संबंधित किसी पश्चात्‌वर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णीत करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को, जो इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है, हिसाब में लेगा ।

[1][**357क. पीड़ित प्रतिकर स्कीम** – (1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के सहयोग से ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी ।

(2) जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब, यथास्थिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा ।

(3) यदि विचारण न्यायालय का, विचारण की समाप्ति पर, यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर ऐसे

---

[1] 2009 के अधिनियम सं. 5 की धारा 28 द्वारा अंतःस्थापित ।

पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले दोषमुक्ति या उन्मोचन में समाप्त होते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा ।

(4) जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे ।

(5) उपधारा (4) के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सम्यक् जांच करने के पश्चात्, दो मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा ।

(6) यथास्थिति, राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए, पुलिस थाने के भारसाधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष दिलाने, जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे, के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा ।]

[1][**357ख. प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होना** – धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा ।

357ग. पीड़ितों का उपचार – सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सभानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़तों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे ।]

358. निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर – (1) जब कभी कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को पुलिस अधिकारी से

---

[1] 2013 के अधिनियम सं. 13 की धारा 23 द्वारा अंतःस्थापित ।

गिरफ्तार कराता है, तब यदि उस मजिस्ट्रेट को, जिसके द्वारा वह मामला सुना जाता है यह प्रतीत होता है कि ऐसी गिरफ्तारी कराने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं था तो, वह मजिस्ट्रेट अधिनिर्णय दे सकता है कि ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस संबंध में उसके समय की हानि और व्यय के लिए [1][एक हजार रुपए] से अनधिक इतना प्रतिकर जितना मजिस्ट्रेट ठीक समझे, गिरफ्तार कराने वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से [2][एक हजार रुपए] से अनधिक उतना प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा, जितना ऐसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे ।

(3) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत समस्त प्रतिकर ऐसे वसूल किया जा सकता है मानो वह जुर्माना है और यदि वह ऐसे वसूल नहीं किया जा सकता तो उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा वह संदेय है, तीस दिन से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, सादे कारावास का दंडादेश दिया जाएगा जब तक कि ऐसी राशि उससे पहले न दे दी जाए ।

359. असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश – (1) जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है तब, यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर देता है तो, वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकता है कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णतः या अंशतः दे और यह अतिरिक्त आदेश दे सकता है कि उसे देने में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा और ऐसे खर्चों के अन्तर्गत आदेशिका फीस, साक्षियों और प्लीडरों की फीस की बाबत किए गए कोई व्यय भी हो सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे ।

(2) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।

360. सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का

---

[1] 2005 के अधिनियम सं. 25 की धारा 30 द्वारा "एक सौ रुपए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

आदेश – (1) जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं है केवल जुर्माने से या सात वर्ष या उससे कम अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है अथवा जब कोई व्यक्ति जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का है या कोई स्त्री ऐसे अपराध के लिए, जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, दोषसिद्ध की जाती है और अपराधी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है तब, यदि उस न्यायालय को, जिसके समक्ष उसे दोषसिद्ध किया गया है, अपराधी की आयु, शील या पूर्ववृत्त को और उन परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया, ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है तो न्यायालय उसे तुरन्त कोई दंडादेश देने के बजाय निदेश दे सकता है कि उसे प्रतिभुओं सहित या रहित उसके द्वारा यह बंधपत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह (तीन वर्ष से अनधिक) इतनी अवधि के दौरान, जितनी न्यायालय निर्दिष्ट करे, बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा :

परन्तु जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त नहीं किया गया है, दोषसिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की यह राय है कि इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए वहां वह उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को वह कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उसकी उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी के लिए जमानत लेगा और वह मजिस्ट्रेट उस मामले का निपटारा उपधारा (2) द्वारा उपबंधित रीति से करेगा ।

(2) जहां कोई कार्यवाही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा उपबंधित रूप में निवेदित की गई है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता तो वह दे सकता और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने का निदेश दे सकता है ।

(3) किसी ऐसी दशा में, जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग, छल या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45)

के अधीन दो वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय, जिसके समक्ष वह ऐसे दोषसिद्ध किया गया है, ठीक समझे, तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्ववृत्त या शारीरिक या मानसिक दशा को और अपराध की तुच्छ प्रकृति को, या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को, जिनमें अपराध किया गया था, ध्यान में रखते हुए उसे कोई दंडादेश देने के बजाय सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् छोड़ सकता है ।

(4) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।

(5) जब किसी अपराधी के बारे में इस धारा के अधीन आदेश दिया गया है तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, उस दशा में जब उस न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, अपील किए जाने पर, या अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है और ऐसे अपराधी को उसके बदले में निधि के अनुसार दंडादेश दे सकता है :

परन्तु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय इस उपधारा के अधीन उस दंड से अधिक दंड न देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जिसके द्वारा अपराधी दोषसिद्ध किया गया था ।

(6) धारा 121, 124 और 373 के उपबंध इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में पेश किए गए प्रतिभुओं के बारे में जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

(7) किसी अपराधी के उपधारा (1) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देने के पूर्व न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का, या उसके प्रतिभू का (यदि कोई हो) कोई नियत वास स्थान या नियमित उपजीविका उस स्थान में है जिसके संबंध में वह न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी के उस अवधि के दौरान रहने की सम्भाव्यता है, जो शर्तों के पालन के लिए उल्लिखित की गई है ।

(8) यदि उस न्यायालय का, जिसने अपराधी को दोषसिद्ध किया है, या उस न्यायालय का, जो अपराधी के संबंध में उसके मूल अपराध के बारे

में कार्यवाही कर सकता था, समाधान हो जाता है कि अपराधी अपने मुचलके की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहा है तो उसके पकड़े जाने के लिए वारण्ट जारी करा सकता है ।

(9) जब कोई अपराधी ऐसे किसी वारण्ट पर पकड़ा जाता है तब वह वारण्ट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तत्काल लाया जाएगा और वह न्यायालय या तो तब तक के लिए उसे अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रतिप्रेषित कर सकता है जब तक मामले में सुनवाई न हो, या इस शर्त पर कि वह दंडादेश के लिए हाजिर होगा, पर्याप्त प्रतिभूति लेकर जमानत मंजूर कर सकता है और ऐसा न्यायालय मामले की सुनवाई के पश्चात् दंडादेश दे सकता है ।

(10) इस धारा की कोई बात, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) या बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रभाव न डालेगी ।

361. कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना – जहां किसी मामले में न्यायालय, –

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्रवाई धारा 360 के अधीन या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (1958 का 20) के उपबंधों के अधीन कर सकता था ; या

(ख) किसी किशोर अपराधी के संबंध में कार्रवाई, बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) के अधीन या किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कर सकता था,

किन्तु उसने ऐसा नहीं किया है वहां वह ऐसा न करने के विशेष कारण अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा ।

362. न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना – इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा या उसका पुनर्विलोकन नहीं करेगा ।

363. अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना – (1) जब अभियुक्त को कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब निर्णय के सुनाए जाने के पश्चात् निर्णय की एक प्रति उसे निःशुल्क तुरन्त दी जाएगी ।

(2) अभियुक्त के आवेदन पर, निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब, यदि संभव है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद, अविलंब उसे दिया जाएगा और जहां निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है वहां प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति निःशुल्क दी जाएगी :

परन्तु जहां मृत्यु का दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरन्त निःशुल्क दी जाएगी चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या न करे ।

(3) उपधारा (2) के उपबंध धारा 117 के अधीन आदेश के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जिसकी अभियुक्त अपील कर सकता है ।

(4) जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय से साधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकता है ।

(5) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी दांडिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को, इस निमित्त आवेदन करने पर और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी :

परन्तु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है तो उसे वह निःशुल्क भी दे सकता है ।

(6) उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध कर सकता है कि किसी दांडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को, जो निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित न हो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर और ऐसी शर्तों के अधीन दे दी जाए जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा उपबंधित करे ।

364. निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा – मूल निर्णय कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है और अभियुक्त अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा ।

365. सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना – ऐसे मामलों में, जिनका विचारण सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति, न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की (यदि कोई हो) एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है ।

क्रमशः...... (आगामी अंक देखें)

Cover iii

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Cover IV

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105